

Annexure-1
(of Representation)

o/c

Through Spl. Messenger

From,

Dr. Ajay Kumar-II,
District & Sessions Judge,
Shamli.

To,

The Registrar (J)(Confidential),
High Court of Judicature at
Allahabad.

No.

271/ AO/ DJ Shamli 2021

Dated May 21, 2021

Subject: Submission of 'Reports' in compliance of D.O. No. C.V./610/2021, dated 8th March 2021, D.O. No. C.V./662/2021, dated 12th March 2021 & D.O. No. C.V./743/2021, dated 20th March 2021.

Madam,


The undersigned with great honour and respect submits that the undersigned has prepared the desired report in compliance to the directions of the Hon'ble Court received through Hon'ble Court's Letter D.O. No. C.V./610/2021, dated 8th March 2021, D.O. No. C.V./662/2021, dated 12th March 2021 & D.O. No. C.V./743/2021, dated 20th March 2021. The report of the then C.J.M. Shamli, Sh. Raj Mangal Singh Yadav was also sought, which is annexed with the report of the undersigned as Annexure A-68.

The desired reports are submitted in the accompanying separate sealed cover for kind perusal of Hon'ble Court.

With profound regards.

Submitted by

Enclosures : As Above


(Dr. Ajay Kumar-II)
District Judge,
Shamli.

श्रीमान जी,

असल पत्र में एक शिल्लड
बन्डल प्राप्त किया।

Raveeh.
25/05/2021

INDEX

SR. NO.	PARTICULAR OF DOCUMENT	NAME OF DOCUMENT	PAGE NO.
1	Report of District Judge	REPORT	1-70
2	Copies of C.L. No. 105 dated 20 th September, 1972	ANNEXURE A-1	71
3	Copies of G.L. No. 4/Xf-21 dated 4 th March, 1952 and C.L. No. 83/Xf-21 dated 31 st May, 1971, C.L. No. C-2/DR(S) 95 dated 2 nd January, 1995	ANNEXURE A-2	72
4	C.L. No. 40/J.R. (S)/2007: dated Alld. 17 th September, 2007 and G.L. No. 12/VII-a-82 dated 2 nd May, 1950	ANNEXURE A-3	73
5	Copy of the complaint made by Ms Lalita, Ld. Member, J.J. Board, Shamli dated 06.02.2021	ANNEXURE A-4	74
6	Copy of representation dated 03.03.2021 of Bar Association, Kairana	ANNEXURE A-5	75
7	Copy of the complaint dated 24.02.2021 submitted by Sh. Ishwar Chand Jatav Advocate and other Advocates of the Bar to the Bar Association	ANNEXURE A-6	76-77
8	Copy of "Daily Sitting Report" of Ms Mukta Tyagi from 01.11.2020 to 24.12.2020	ANNEXURE A-7	78-79
9	Report of the Incharge Administrative Officer of the Judgeship	ANNEXURE A-8	80-92
10	Copy of report of Sh. Mumtaz Ali the seniormost Additional District Judge on the complaint of Smt. Lalita	ANNEXURE A-9	93-101
11	Copy of letter of Ms Mukta Tyagi dated 16.12.2020 calling the quarterly meeting of J. J. Board	ANNEXURE A-10	102-103
12	Copy of reply to complaint of Smt. Lalita submitted by Ms Mukta Tyagi	ANNEXURE A-11	104-107
13	Copy of letter dated 10.05.2019 submitted by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, completely exonerating Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari as In-charge District Judge when regular District Judge was on visit to Hon'ble High Court.	ANNEXURE A-12	108
14	Copy of complaint along-with copy of D.O. no. C.V. 528/2019	ANNEXURE A-13	109
15	Copy of reply of Ms Mukta Tyagi to the complaint received through Hon'ble High Court's D.O. no. C.V. 528/2019	ANNEXURE A-14	110-111
16	Copy of CD No. 3 of case crime no. 338/2020 under s. 376 I.P.C. P.S. Kandhla	ANNEXURE A-15	112-113
17	Copy of CD No. 4 of case crime no. 338/2020 under s. 376 I.P.C. P.S. Kandhla	ANNEXURE A-16	114-115
18	Copy of CD No. 5 of case crime no. 338/2020 under s. 376 I.P.C. P.S. Kandhla	ANNEXURE A-17	116-118
19	Copy of CD No. 3 of case crime no. 172/2020	ANNEXURE A-18	119-120

	under s. 363, 366, 506 I.P.C. P.S. Thana Bhawan,		
20	Copy of CD No. 4 of case crime no. 172/2020 under s. 363, 366, 506 I.P.C. P.S. Thana Bhawan,	ANNEXURE A-19	121-122
21	Copy of CD No.5 of case crime no. 172/2020 under s. 363, 366, 506 I.P.C. P.S. Thana Bhawan,	ANNEXURE A-20	123-124
22	Copy of DO dated 06.02.2021 issued to Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate / Civil Judge Jr. Div.	ANNEXURE A-21	125
23	Copy of reply of Ms Mukta Tyagi Ld. Judicial Magistrate / Civil Judge Jr. Div. dated 15.02.2021 to the DO dated 06.02.2021 letter	ANNEXURE A-22	126
24	Copy of judgment passed in Criminal Revision No. 09 /2021 as is available on official website	ANNEXURE A-23	127-128
25	Copy of relevant page of annual inspection note of the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli cum Judicial Magistrate	ANNEXURE A-24	129-132
26	Copy of relevant pages of annual inspection note of Munsif Kairana / Civil Judge Jr. Div. Kairana	ANNEXURE A-25	133-135
27	Copy of CL No. 39/2002 dated 26.11.2002	ANNEXURE A-26	136
28	Copy of DO letter dated 23.02.2021 issued to Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge/ Judicial Magistrate	ANNEXURE A-27	137
29	Copy of judgment passed in Criminal Revision No. 10/2021 dated 17.03.2021 as is available on official website.	ANNEXURE A-28	138-140
30	Copy of FIR No. 733 dated 12.10.2018 under sections 60, 63, 72 of the UP Excise Act Police Station Jinjhana (Shamli)	ANNEXURE A-29	141-144
31	Copy of the order dated 31.10.2018	ANNEXURE A-30	145-146
32	Copy of inspection note dated 24.02.2021	ANNEXURE A-31	147
33	Copy of report of Sh. Mumtaz Ali Ld. ASJ (POCSO), which has been sent to the Hon'ble High Court vide letter no. 93/AO-2021 dated 09.03.2021.	ANNEXURE A-32	148-155
34	Copy of the complaint of Ms Mukta Tyagi dated 30.06.2020/01.07.2020	ANNEXURE A-33	156-159
35	Copy of Administrative Order dated 21.07.2020 passed by the District Judge	ANNEXURE A-34	160-162
36	Copy of DO letter dated 24.08.2020 issued to Sh. Rajat Verma	ANNEXURE A-35	163
37	Copy of order of the Hon'ble High Court dated 23.08.2018 passed in CRM-M No. 25509 of 2018	ANNEXURE A-36	164
38	Copy of relevant extract of annual inspection note of the Court Additional Sessions Judge (POCSO)	ANNEXURE A-37	165-166
39	Copy of order passed in the second bail application no. 499 of 2020 Shadab vs. State, in	ANNEXURE A-38	167-168

	P.S.T. No. 20/2019 titled as State Vs. Shadab and Another, case crime no. 201/2018 under sections 363, 366, 376-D of IPC and section 5/6 POCSO Act, police station Kairana		
40	Copy of order passed in the second bail application no. 1018/2020 of 2020 Jaan Mohd. in P.S.T. No. 20/2019 titled as State Vs. Shadab and Another, case crime no. 201/2018 under sections 363, 366, 376-D of IPC and section 5/6 POCSO Act, police station Kairana	ANNEXURE A-39	169-170
41	Copy of DO letter dated 25.02.2021 issued to Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ	ANNEXURE A-40	171
42	Copy of compliance report dated 16.03.2021 filed before Hon'ble High Court in petition under section 482 Cr.PC bearing no. 4733/2018 titled as Dilshad and Others Vs. State of UP	ANNEXURE A-41	172-178
43	Copy of compliance report dated 16.03.2021 filed before Hon'ble High Court in petition under section 482 Cr.PC bearing no. 4733/2018 titled as Dilshad and Others Vs. State of UP	ANNEXURE A-42	179-185
44	Copy of administrative order dated 02.01.2021 regarding transfer of departmental enquiry of Sh. Kailash Chand alongwith copies of relevant documents.	ANNEXURE A-43	186-189
45	Copy of administrative order dated 02.01.2021 regarding transfer of departmental enquiry of Sh. Kailash Chand.	ANNEXURE A-44	190
46	Copy of administrative order no. 327/AO-2020 dated 11.12.2020	ANNEXURE A-45	191-193
47	Copy of administrative order no. 328/AO-2021 dated 11.12.2020	ANNEXURE A-46	194-195
48	Copy of the letter dated 11.07.20219 Sh. Raj Mangal Yadav Ld. C.J.M.	ANNEXURE A-47	196
49	Copy of the letter dated 31.07.20219 Sh. Rajat Verma Ld. ADJ	ANNEXURE A-48	197
50	Copy of the proposal for house allotment by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ	ANNEXURE A-49	198
51	Copy of application of Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge dated 03.08.2019 for allotting house no. J-3 to her	ANNEXURE A-50	199
52	Copy of the fresh proposal put up by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ	ANNEXURE A-51	200
53	Copy of the application of Ms Sudha Sharma for allotmentof house no. J-2	ANNEXURE A-52	201
54	Copy of the proposal put up by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ for allotment of house no. J-2	ANNEXURE A-53	202
55	Copy of the formal order issued by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ for allotment of house no. J-2	ANNEXURE A-54	203
56	Copy of letter dated 10.05.2019 submitted by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, completely exonerating Ms Ruchi Tiwari as In-charge District Judge	ANNEXURE A-55	204

57	Copy of D.O. No. C.V. 291/2019 dated 23.02.2019	ANNEXURE A-56	205-206
58	Copy of reply of Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge in compliance to D.O. No. C.V. 291/2019 dated 23.02.2019	ANNEXURE A-57	207-209
59	Copy of surprise inspection note dated 25.02.2021.	ANNEXURE A-58	210
60	Copy of the list of 17 charge sheets, which become time barred due to the lapse on the part of Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) alongwith copy of relevant page of annual inspection note.	ANNEXURE A-59	211-212
61	Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge Copy of order dated 05.08.2019 passed by Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/ ACJM granting bail to the accused in the cases triable by the Court of Sessions Judge, without following the mandatory provisions of section 437 (3) Cr.P.C. along-with copies of surrender and bail application.	ANNEXURE A-60	213-218
62	Copy of order passed in FIR No. 210/2019 under section 60/63/72 of UP Excise Act, P.S. Jinhana, case titled as State Vs. Jai Bhagwan etc., the Court of Ms Ruchi Tiwari, Ld. ACJM, Kairana dismissing the superdari application moved by the accused	ANNEXURE A-61	219-220
63	Copy of order dated 27.02.2020, of the Court of Ms Ruchi Tiwari, Ld. ACJM, allowing the 2 nd superdari application and thus virtually reviewing her own earlier order (Annexure A-61).	ANNEXURE A-62	221-222
64	Copy of D.O. letter no. 20/P.A. (S) District Judge/2020 dated 03.11.2020 issued to Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge	ANNEXURE A-63	223-224
65	Copy of D.O. letter no. 24/P.A. (S) District Judge/2020 dated 03.11.2020 Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge	ANNEXURE A-64	225-226
66	Copy of the relevant record of the Court of Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge-cum- Judicial Magistrate, Kairana in case FIR No. 344/2019 under sections 498A, 323, 504, 506 IPC, Police Station Kandhala	ANNEXURE A-65	227-236
67	Copy of DO Letter issued to Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate	ANNEXURE A-66	237
68	Copy of the reply by Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate	ANNEXURE A-67	238-239
69	Copy of report of Sh. Rajmangal Yadav the then C.J.M. dated 12.04.2021 with 38 annexures	ANNEXURE A-68	240-335
70	Certified Copy of the remand request allowed by the CJM being In-charge of Civil Judge Jr. Division, Shamli of crime No. 146/2020 u/s 60/63/72 Excise Act and s. 420/467/468/471 I.P.C., P. S. Kandhla	ANNEXURE A-69	336-337

71	Certified Copy of the remand-sheet of crime No. 146/2020 u/s 60/63/72 Excise Act and s. 420/467/468/471 I.P.C., P. S. Kandhla	ANNEXURE A-70	338-339
72	Statement on oath of Sh. Aanand Bhaskar A.P.O.	ANNEXURE A-71	340
73	Statement on oath of Court Moharir Sh. Vikas Panwar	ANNEXURE A-72	341
74	Statement on oath of Court Moharir Sh. Ashwani Kumar	ANNEXURE A-73	342
75	Original Application of Sh. Aanand Bhaskar A.P.O. in his own handwriting	ANNEXURE A-74	343
76	Original Application of Court Moharir Sh. Ashwani Kumar in his own handwriting	ANNEXURE A-75	344
77	Certified Copy of surrender application of crime No. 146/2020 u/s 60/63/72 Excise Act and s. 420/467/468/471 I.P.C., P. S. Kandhla	ANNEXURE A-76	345-346
78	Certified Copy of surrender / remand sheet of crime No. 146/2020 u/s 60/63/72 Excise Act and s. 420/467/468/471 I.P.C., P. S. Kandhla	ANNEXURE A-77	347-348

REPORT

From

Dr. Ajay Kumar-II
District and Session Judge,
Shamli.

To,

Registrar (J)(Confidential)
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Subject: Submission of 'Report' in compliance of D.O. No. C.V./610/2021, Dated 8th March 2021, D.O. No. C.V./662/2021, Dated 12th March 2021 & D.O. No. C.V./743/2021, Dated 20th March 2021.

Madam,

The undersigned, with great honour and respect, submits that a District Judge has two fold duties i.e. 'judicial duties' and 'administrative duties'. While discharging duties on administrative side, being the head of the Office, the District Judge has to maintain general conduct, discipline and has to ensure the compliance of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court as well as various circular letters (C.Ls) of the Hon'ble High Court received from time to time, among all Judicial Officers. While discharging administrative duties, it is one of the important functions that the judicial discipline and propriety are not only maintained, but also appear to be followed by all the Judicial Officers of the District. Therefore, in order to maintain, observe and follow the judicial discipline by all the judicial officers, a monthly meeting of judicial officers is held. The main object of holding such meeting is to apprise, inform and guide the judicial officers to follow the law laid down by the Hon'ble High Court and the Hon'ble Supreme Court on a particular subject/matter and also to ensure the strict compliance of

the C.Ls issued by the Hon'ble High Court. Apart from that, the judicial officers are guided and updated on various administrative, judicial and legal issues.

As per Rule 5 of General Rule Civil, the District Judge has administrative control over all Civil Courts within the local limits of his jurisdiction and '**General Instructions**' issued by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 casts several duties on the District Judges including to keep a watch on the judicial and administrative conduct of other judicial officers in the district and to advise the officers under him to go through the earlier Circulars issued by the High Court and to act in accordance with them. It is also the duty of the District Judge that all complaints against the judicial officers be referred to Hon'ble Court and while forwarding such complaints, the District Judge should give his comments also and enquire into the complaint and take suitable action in the matter (G.L. No. 4/Xf-21 dated 4th March, 1952 read with C.L. No. 83/Xf-21 dated 31st May, 1971). It is also mandatory for every judicial officer including District Judge that every representation or complaint or request moved in writing to Hon'ble Court or Hon'ble Administrative Judge must be sent through proper channel only (C.L. No. 105 dated 20th September, 1972, C.L. No. C-2/DR(S) 95 dated 2nd January, 1995 and C.L. No. 40/J.R. (S)/2007: dated Alld. 17th September, 2007). Vide G.L. No. 12/VII-a-82 dated 2nd May, 1950 it is directed that that whenever any Magistrate is called upon to give explanations as required by the rules or by order of the High Court or the Sessions Judge, he/she has to carry out the orders and whatever explanation he/she submit should be properly worded and should not show either disrespect or discourtesy to any

superior officer or court. Copies of C.L. No. 105 dated 20th September, 1972, G.L. No. 4/Xf-21 dated 4th March, 1952 and C.L. No. 83/Xf-21 dated 31st May, 1971, C.L. No. C-2/DR(S) 95 dated 2nd January, 1995 with C.L. No. 40/J.R. (S)/2007: dated Alld. 17th September, 2007 and G.L. No. 12/VII-a-82 dated 2nd May, 1950 are annexed herewith as **ANNEXURE A-1, A-2 & A-3** respectively.

The principle of fairness and transparency are akin to have trust and confidence in judicial system, if it is shaken, then it will result in deterioration of quality of work, which should not happen and appropriate guidance is required to judicial officers. It is in this background that all judicial officers of the District Court are apprised and guided to improve their academic excellence and to update their knowledge of law and to inform them about the day to day instructions on disposal, updation of correct data on NJDG etc.

As a District Judge, the undersigned tried and made serious efforts to bring to the notice of judicial officers the legal position and various C.Ls of the Hon'ble High Court. The undersigned also tried to ensure that these C.Ls are followed in the letter and spirit. The undersigned also conducted surprise inspections, in compliance of the C.Ls of the Hon'ble High Court. The guidance and the instructions given by the undersigned were somehow not liked by only a few officers, who are in the habit of working in a particular manner, as per their own whims, by ignoring the mandate of law and the C.Ls of the Hon'ble High Court. Sincere efforts were made by the undersigned to guide those judicial officers to work strictly as per law.

1. The four judicial officers, who are repeatedly referred by the complainant officer in her complaint, have formed an informal and illegal

group/coterie, as is evident from the contents of the complaint itself. The undersigned is extremely pained to inform this Hon'ble Court that the above said four officers take undue liberty and have violated the settled cannons of law, ethics, discipline, propriety and various C.Ls of Hon'ble High Court. It is equally painful to note that the undersigned wanted to ensure the strict observance of the law by these judicial officers and even guided them with all humility and politeness at his command, still they have termed it as "suffocating environment". The undersigned in performance of administrative duties assigned by Hon'ble High Court advised them to go through the earlier C.Ls of Hon'ble High Court and to act in accordance with law in compliance to C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 **ANNEXURE A-1**.

2. Even though certain illegalities were committed by the complainant officer earlier also, but one such grave illegality was brought to the notice of undersigned by Smt. Lalita, Member of Juvenile Justice Board (J.J. Board), by moving formal written complaint dated 06.02.2021. Thereafter, various other illegalities/irregularities committed by the complainant officer also came to the notice of the undersigned, which have been explained serial wise in the later part of this report for the kind consideration of this Hon'ble Court. Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, who is the senior most Judicial Officer in the said informal group, was expected legally and morally to guide the three other officers, however, it is very sad to note that Sh. Rajat Verma also joined hands with them and a narration of false facts was prepared, which culminated in the presentation of the present complaint by Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge. The above submissions by the undersigned find support from the fact that in the present complaint, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge has repeatedly made

reference of three other judicial officers, their alleged meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, their repeated illegal exchange of confidential demi official letters and other illegalities committed by them. Still further, none of the above three judicial officers ever made any complaint to the undersigned and if at all, had any other judicial officer any grouse either against the undersigned or any other officer in the institution, they were at liberty to move their own independent complaints. These judicial officers in order to hide their in-capabilities, inadequacies, shortcomings, mistakes, incapacities and judicial impropriety, formed an illegal informal group/coterie. Thus, it is apparent that all four judicial officers joined hands to make the present complaint and made submissions, which are not only factually incorrect and misleading; rather, are also contrary to the judicial record and administrative record, which has been appended with the present report.

3. It is submitted that even though the complaint has been made by Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge; still, she has repeatedly referred to various instances relating to three other judicial officers namely Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge Sr. Div., Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge Jr. Div. (F.T.C.). The undersigned has always acted fairly and impartially in guiding the fellow judicial officers and demi official letters are issued to almost every judicial officer in the district. Most of the times the demi official letters are issued with the sole objective that the law laid down by the Hon'ble Higher Courts are strictly complied and even while discharging the judicial and administrative duties, the various C.Ls issued by this Hon'ble Court should also be taken into consideration. However, since the complainant has referred to four judicial officers only, so letters issued to other

judicial officers are not referred to in the present report for the sake of the brevity of the report. It also requires mention that after issuance of DO letters by the undersigned, most of the judicial officers have improved their working. Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ & Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge Sr. Div. have been transferred to Varanasi and Mathura respectively and Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge Jr. Div. on her promotion to Civil Judge Sr. Div. Cadre has been transferred to Agra. The undersigned humbly submits a brief account of number of illegalities and irregularities committed by the above said four judicial officers referred in the complaint (while being posted at Shamli) as follows:-

(1.) MS MUKTA TYAGI, LD. CIVIL JUDGE (JR. DIVN.), SHAMLI, COMPLAINANT OFFICER:-

(A.) Serious judicial misconduct by Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge by illegal conduct of proceedings of J.J. Board from her regular Court Room and simultaneous conduct of J.J. Board proceedings with regular Court proceedings:-

(i) Smt. Lalita, member J.J. Board moved a formal complaint dated 06.02.2021 and made specific allegations that Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate was working from her regular Court room, rather than the designated place for J.J. Board under the law and when she orally informed the undersigned in the quarterly meeting dated 21.12.2020 in this regard, Ms Mukta Tyagi got angry with her and started harassing her, even she was humiliated by using caste

related derogatory words and was also threatened. Copy of the complaint made by Ms Lalita, Ld. Member, J.J. Board, Shamli dated 06.02.2021 in this regard has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

- (ii) The delegation of the office bearers of Bar Association, Kairana personally met the undersigned and submitted a representation dated 03.03.2021 which is annexed herewith as **ANNEXURE A-5.** They requested the undersigned to take action on the complaint (**Annexure A-1**) submitted by Smt. Lalita. Apart from that, the Bar Association also forwarded a copy of the complaint dated 24.02.2021 submitted by Sh. Ishwar Chand Jatav Advocate (husband of Smt. Lalita) and other Advocates of the Bar to the Bar Association and copy of the said complaint has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**
- (iii) The undersigned is reproducing section 7 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 for the kind perusal of this Hon'ble Court:-

“7. Procedure in relation to Board.

(1) The Board shall meet at such times and shall observe such rules in regard to the transaction of business at its meetings, as may be prescribed and shall ensure that all procedures are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as regular Courts.

(2) A child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board, when the Board is not in sitting..

(3) A Board may act notwithstanding the absence of any member of the Board, and no order passed by the Board shall be invalid

by the reason only of the absence of any member during any stage of proceedings:

Provided that there shall be at-least two members including the Principal Magistrate present at the time of final disposal of the case or in making an order under sub-section (3) of section 18.

(4) In the event of any difference of opinion among the members of the Board in the interim or final disposal, the opinion of the majority shall prevail, but where there is no such majority, the opinion of the Principal Magistrate, shall prevail”.

The undersigned is reproducing relevant extract of Rule 6 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 for the kind perusal of this Hon’ble Court:-

6. *Sittings of the Board.* - (1) *The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at a place in proximity to the observation home or, at a suitable premise in any Child Care Institution meant for children in conflict with law run under the Act, and in no circumstances shall the Board operate from within any Court or jail premises.*

(2) The Board shall ensure that no person(s) un-connected with the case remains present in the room when the case is in progress.

(3) The Board shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, are allowed to remain present during the sitting.

(4) The Board shall hold its sittings in a child-friendly premises which shall not look like a Court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Board to interact with the child face to face.

(5) While communicating with the child, the Board shall use child friendly techniques through its conduct and shall adopt a child friendly attitude with regard to body language, facial ex-

pression, eye contact, intonation and volume of voice while addressing the child.

*(6) **The Board shall not sit on a raised platform** and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Board and the child.*

(7) The Board shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Magistrate Court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government issues an order in this regard, or the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Board in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

8. XXX

9. XXX

10. XXX”

- (iv) It is humbly submitted that the above said provisions are mandatory in nature and are to be strictly complied with. Any deviation from the aforesaid provisions not only vitiates the entire proceedings against the juvenile, but also defeats the object, for which the enactment was made. It is humbly submitted that Ms Mukta Tyagi not only violated the mandatory provisions of law, but also has made false submissions to mislead this Hon’ble Court and to malign the undersigned. It is humbly submitted that several proceedings relating to several juvenile were conducted from regular Court room by Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board during the period from 09.11.2020 till 23.12.2020 and now several juveniles, involved in serious offences may take undue advantage of such illegalities / irregularities. This raised a serious concern and question mark with

regard to the judicial proceedings conducted by Ms Mukta Tyagi in her capacity as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, in complete disregard to the mandate of law.

- (v) As per section 7 of the above Act and Rule 6 of above Model Rules, the J.J. Board was to conduct proceedings from a designated place for the said purpose and not to use regular Court rooms or raised platforms. Apart from that it was also laid by the statute that Board was to sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of the Magistrate Court from such special place, which can never be a regular Court in any eventuality. It requires mention that Ms Mukta Tyagi was bound to perform the duties of the Principal Magistrate, J.J. Board from 09.11.2020 till 23.12.2020 from such designated place on every Thursday and Friday. The "Daily Sitting Report" of Ms Mukta Tyagi from 01.11.2020 to 24.12.2020 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7**, which clearly proves that on every Thursday and Friday, Ms Mukta Tyagi was holding regular Court from her regular Court room and she performed judicial duties from the dias of the regular Court room and **even simultaneously conducted the proceedings of J.J. Board from her regular Court's dias i.e. raised platform and this illegal function of J.J. Board might vitiate the proceedings held against juvenile offenders on those days.**
- (vi) Still further, this illegality was pointed out to the complainant officer Ms Mukta Tyagi by the undersigned in the quarterly meeting held on

21.12.2020 and she assured to correct the same. There was no protest of any kind by her as falsely alleged in the complaint. Even she held the proceedings of juvenile Board from the designated place firstly on 24.12.2020, which clearly shows that she had complied with the directions of the undersigned dated 21.12.2020, which is evident from her '**Daily Sitting**' i.e. **ANNEXURE A-7** .

(vii) As per the mandatory provisions of the above Model Rules, the Board has to sit on all working days for a minimum of six hours of a Magistrate Court. On Thursday and Friday, Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board, was bound to hold the proceedings for atleast six hours i.e. from 10:30 a.m. till 04:30 p.m. which includes lunch time of half an hour. The undersigned is annexing the report of the Incharge Administrative Officer of the Judgeship as **ANNEXURE A-8**, to show that even on Thursday and Friday after 24.12.2020, Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board was not only conducting the Court proceedings of J.J. Board, but was also holding her regular Court and performing judicial work. It also requires mention that neither proceedings of J.J. Board can be conducted from regular Court room nor proceedings of regular Court can be conducted from the place designated for J.J. Board.

(viii) Sh. Mumtaz Ali the senior-most Additional District Judge has enquired in depth the complaint of Smt. Lalita by recording the statement on oath of several Ld. Advocates and submitted his report, copy of which is annexed herewith as **ANNEXURE A-9**, being forming part of this report also. Sh. Mumtaz Ali Additional Sessions

Judge/ Special Judge (POCSO) has found that the proceedings of J.J. Board have been illegally conducted upto December, 2020 from the regular Court rooms of Civil Judge Sr. Div. Kairana and Civil Judge Jr. Div. Shamli.

- (ix) **That the above submissions clearly established on record that Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board not only violated the mandatory provisions of the Juvenile Act and Rules, but also flouted the directions of the undersigned, which were conveyed to her in the quarterly meeting dated 21.12.2020.**
- (x) **This highlights the gross judicial misconduct on the part of Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board-cum-Ld. Civil Judge, as she failed to comply with the law, inspite of bringing the same to her notice specifically. The present complaint is also a well calculated attempt to prevent the undersigned to investigate and report the complaint of Smt. Lalita in discharge of administrative duties as District Judge, which is also a serious misconduct on the part of Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge.**
- (xi) **Ms Mukta Tyagi not only violated the law and the specific instructions by the undersigned, but also made false averments in her complaint in question even before Hon'ble High Court. At page 5 of her complaint, she falsely stated that the undersigned was annoyed with her and therefore a meeting was called by undersigned on 21.12.2020. In fact, a wrong impression was given in this regard as the meeting dated 21.12.2020 was convened by Ms Mukta Tyagi**

herself vide her letter dated 16.12.2020, copy of which is annexed herewith as **ANNEXURE A-10**. The undersigned was present in the said meeting, in his capacity as the District Judge, where, Smt. Lalita brought the illegality to the notice of the undersigned. The undersigned immediately requested Ms Mukta Tyagi to correct the same. It has been falsely stated that Ms Mukta Tyagi objected to the same. In fact, from **ANNEXURE A-7, A-8 and A-9** it is evident that the proceeding of J.J. Board were being conducted from regular Court room by Ms Mukta Tyagi, Principal Magistrate, J.J. Board and there was no question of any protest by her. Even she submitted reply dated 06.02.2021 to the complaint made by Smt. Lalita, Member J.J. Board and there is no reference of any such alleged protest in the said reply submitted by Ms Mukta Tyagi, copy of which is annexed herewith as **ANNEXURE A-11**. Thus, this entire false story has been coined at a later stage under consultation with Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, just to mislead this Hon'ble Court. The averments made at page 5 and 6 of the complaint in this regard are completely false.

(B.) Ms Mukta Tyagi has made completely false submission in the complaint before Hon'ble High Court that no written complaint has been received against her in three years of her posting at Shamli.

I humbly draw the attention of Hon'ble Court on the last line of para no. 6 of the aforesaid complaint, whereby it has been alleged that there is no written complaint till now since 3 years of posting in Shamli of above 4

judicial officer including me. The said submission is patently false as per the knowledge of the undersigned. A complaint D.O. no. C.V. 528/2019 was received in the Shamli judgeship on 25th April, 2019 along-with complaint of one Sh. Mehboob against Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge-cum-Judicial Magistrate, Shamli and Ms Ruchi Tiwari, the then Ld. Civil Judge (Jr. Divn.) cum Judicial Magistrate. It also requires mention that Sh. Anoop Kumar Goel was the regular District Judge at the relevant time on 10.05.2019 and he was on official visit to Hon'ble High Court on 10.05.2019, who has just joined on 07.05.2019. Surprisingly, Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge in his capacity of merely as Incharge, District Judge illegally and in an unauthorised manner disposed off the said complaint on 10.05.2019. Even the complainant was not called at the time of the disposal of the said complaint on 10.05.2019 and the comments of the second judicial officer i.e. Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge were not even called and it was done in a undue haste, so that the then Ld. District Judge may not come to know about it and both the officers be favored by him. The copy of letter dated 10.05.2019 submitted by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, completely exonerating Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12**. The copy of complaint alongwith copy of D.O. no. C.V. 528/2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13** and copy of reply of Ms Mukta Tyagi has been annexed herewith as **ANNEXURE A-14**. **Therefore, it is crystal clear that Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge has knowingly made a false submission even before Hon'ble High Court, which is a misconduct on her part.**

(C.) Gross Illegalities committed by Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge / Judicial Magistrate while recording the statements under Section 164

Cr.PC:-

- (i) Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate, also overlooked the mandatory provisions of section 164 Cr.PC and the law laid down by this Hon'ble Court and the Hon'ble Supreme Court for prompt recording of the statements under s. 164 Cr.P.C. While recording the statements under section 164 Cr.PC, a Ld. Judicial Magistrate has to record any confession or statement made to him in the course of any investigation, without any delay, so that the sanctity and purity of the statement may be maintained. The copies of CD No. 3, 4 and 5 of case crime no. 338/2020 under s. 376 I.P.C. P.S. Kandhla in this regard have been annexed herewith as **ANNEXURE A-15 TO ANNEXURE A-17**, respectively, which clearly shows that Ms Mukta Tyagi clearly violated the law. On 22.06.2020, a rape victim was produced in the Court of Ms Mukta Tyagi, but she refused to record the statement on the said day and asked the police to produce the victim after 30th June i.e. after 8 days. It is humbly submitted that the statement under section 164 Cr.PC of a rape victim has to be recorded at the earliest, otherwise it may give undue benefit to accused.
- (ii) It is humbly submitted that in one more case, CD No. 3, 4 and 5 of case crime no. 172/2020 under s. 363, 366, 506 I.P.C. P.S. Thana Bhawan, have been annexed herewith as **ANNEXURE A-18 TO ANNEXURE A-20**. This also clearly shows that the statement of a

victim girl was not recorded under section 164 Cr.PC at the earliest possible opportunity in violation of section 164 Cr.PC. It is humbly submitted that such delay not only adversely affect the process of investigation, but also give undue advantage to an accused, who is charged with heinous offences like rape, kidnapping etc. The late recording of 164 Cr.PC statements of victims rather pollute the process of law and raises serious question marks with regard to functioning of a judicial officer.

(D.) Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate has taken cognizance of the charge-sheet filed under the provisions of the Scheduled Caste and Schedules Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (as amended up to date) in case Crime No. 151/2019, P.S. Kandhla on 10.07.2019.

The undersigned humbly submits that a Judicial Magistrate can never take cognizance of a complaint/FIR under the amended provisions of the SC/ST Act. Even the undersigned had issued a DO dated 06.02.2021 to Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate in this regard and copy of the same has been annexed herewith as **ANNEXURE A-21**. Ms Mukta Tyagi submitted a reply dated 15.02.2021 to the said DO letter and copy of the same has been annexed herewith as **ANNEXURE A-22**. She herself admitted the irregularity (in fact it is illegality) and tendered an apology for the same. The said order has been set aside in Criminal Revision No. 09 /2021 and copy of order passed by Revisional Court is annexed herewith as **ANNEXURE A-23**.

(E.) Irregularly/illegaly moving entries of fine register of one Court to

fine register of another Court without any order of Competent Authority by Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge and thereby committed financial irregularity.

Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate has irregularly and illegally moved the entries of fine register of the Court of Munsif Kairana to the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli and thereby a gross financial irregularity is done by her, which is recorded in annual inspection note of the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli cum Judicial Magistrate and a copy of relevant page of annual inspection note is annexed herewith as **ANNEXURE A-24**, which goes on to show that she has no respect for the due procedure and she is in the habit of working as per her wishes. Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge has also irregularly and illegally moved the fine register entries as well as 'Repayment Applications' entries of the Court of Munsif Kairana to the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli, which have been duly recorded in the annual inspection note of Munsif Kairana / Civil Judge Jr. Div. Kairana and a copy of relevant pages of annual inspection note is annexed herewith as **ANNEXURE A-25**.

(F) Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate, failed to follow CL No. 39/2002 dated 26.11.2002, which has been annexed herewith as **ANNEXURE A-26**, whereby, all judicial officers are directed to ensure strict compliance of the directions of the Hon'ble Supreme Court passed in ***Sunder Bhai Ambalal Desai Vs. State of Gujrat, AIR 2003, SC 639***, which was circulated amongst all judicial officers of the State of UP. The undersigned issued a demi official letter dated 23.02.2021 to Ms Mukta Tyagi and copy of the same has been

annexed herewith as **ANNEXURE A-27**.

(i) Again, it is submitted that in the present complaint, Ms Mukta Tyagi has twisted the facts illegally. In fact, she had overlooked the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the matter of ***Sunder Bhai Ambalal Desai (supra)*** while disposing of an application of release of vehicle in case crime no. 146/2020 under sections 307, 323, 504, 506 and 34 IPC, P.S. Garhi Pukhta. In the present complaint, she falsely stated that she had disposed the said application in view of law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the matter of ***Ram Parkash Vs. State of Haryana, AIR 1978 Supreme Court 1282***. However, in the same breath, she admitted that she has not mentioned the said ruling in her order as this was a well-known law.

(ii) Again, it is humbly submitted that the complainant officer is again referring to a wrong judicial practice. Whenever, any judicial officer is relying upon any judgment passed by any Higher Court and also decides the factual controversy in the light of the said judgment, she is bound to mention the citation as well as the ratio of the judgment passed by the said Higher Court. Secondly, reference of the said judgment in her complaint, even without referring the same in her judicial order, is again most misleading and the allegations are motivated.

(iii) Criminal Revision No. 10/2021 was filed in the Sessions Court against the rejection of the vehicle release order in case crime no. 146/2020 P.S. Garipukhta under section 307, 323, 504, 506, 34 I.P.C., whereby the fact of not following C.L. No. 39/2002 Dated: 26th

November 2002 came to the knowledge of the undersigned, whereby all the judicial officers are directed to ensure strict compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court passed in **Sunder Bhai Ambalal Desai Vs. State of Gujrat A.I.R. 2003 S.C. 638**. If an officer is not following the circular letter of the Hon'ble high Court and the directions issued by the Hon'ble Supreme Court on judicial side, it is at-least expected from such officer to give reasons for this, while passing the said order. Non mentioning of the reasons in the order while not following the C.L. as well as directions of Supreme Court, clearly shows that officer on the date of passing such order was not aware of any other law, otherwise he or she could have mentioned the same in the order. It is the administrative duty of the District Judge to ensure the compliance of the Circular Letters of the Hon'ble High Court and directions of the Hon'ble Supreme Court. 'General Instructions' issued by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 casts specific duty on the District Judge to keep a watch on the judicial conduct of other judicial officers in the district and to advise the officers under him to go through the earlier Circulars issued by the High Court and to act in accordance with them and the performance of administrative duty of the District Judge of bringing to the knowledge of Judicial Officers the C.L.s of Hon'ble High Court has been misleadingly termed as interference in judicial work by the present motivated complaint, which is a serious misconduct on the part of the complainant officer. The complainant officer was fully aware that a criminal revision was pending against

the said impugned order on the date of moving the present complaint and the present complaint was in-fact moved to terrorize the administrative head so that the said Criminal Revision No. 10/2021 be dismissed and impugned illegal order be upheld. Actually the present complaint was a calculated attempt in consultation with Sh. Rajat Verma Ld. ADJ to interfere in the judicial work of Sessions Judge in pending Criminal Revision No. 10/2021. The said Criminal Revision No. 10/2021 has been allowed vide order dated 17.03.2021 by setting aside the impugned order and the copy of same is annexed herewith as **ANNEXURE A-28.**

(G.) Ms Mukta Tyagi Ld. Judicial Magistrate released 850 boxes of illicit liquor, whereas only 700 boxes were recovered by the police. Still further, one FIR No. 733 dated 12.10.2018 under sections 60, 63, 72 of the UP Excise Act was registered in Police Station Jinhana (Shamli) against certain persons and a truck along with 700 boxes of illicit liquor were taken into possession by the police. Copy of the said FIR has been annexed herewith as **ANNEXURE A-29.** On a superdari application by the accused in the said case for the release of 850 boxes of liquor , the Court of Ms Mukta Tyagi, Ld. Judicial Magistrate, vide order dated 31.10.2018 released 850 boxes of illicit liquor. Still further, even the superdari application was allowed by ignoring the fact that the confiscation proceedings with regard to illicit liquor were still pending. It also requires mention that later-on some additions were made in this order. The truck was also released later-on vide another separate order. Copy of the said order dated 31.10.2018 of releasing liquor boxes is annexed

herewith as **ANNEXURE A-30**. The aforesaid two instances came to the notice of the undersigned, while hearing criminal revision petition against order passed by Ms Mukta Tyagi, the then Ld. Judicial Magistrate. Releasing vehicle and liquor even when confiscation proceedings were pending in a criminal case and not releasing vehicle in another criminal case, where even there was no pending confiscation proceeding, clearly shows the contradictory approach of the complainant officer, which is against all established judicial norms.

(H.) Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge committed breach of confidentiality of DO letters.

It is humbly submitted that DO letters are issued by the undersigned in discharge of administrative duties to various judicial officers posted in the District, only with a view to guide and educate them with regard to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and to draw their attention towards various C.Ls issued by the Hon'ble High Court and to ensure that the entire judicial machinery at district level functions as per law. Demi official letters addressed by one officer by name to another officer by name are written in official confidence and are used in cases of extreme secrecy, where it is considered necessary in cases of importance for inviting the personnel attention of the officer concerned. These DO letters are most confidential and no judicial officer is supposed to share it with anyone. Sometimes DO letters are also issued for appreciation also. However, the contents of the complaint filed by Ms Mukta Tyagi and the annexures appended to the complaint clearly established that all the four judicial officers

were in the knowledge of DO letters issued to each other and had shared the information with each other. Consequently, the complainant officer has committed the breach of confidentiality of the DO letters.

(I.) Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, is not punctual of sitting on dias.

The undersigned conducted surprise inspection in compliance of various CLs of the Hon'ble High Court on 24.02.2021 and the complainant judicial officer was not found sitting on the dias. The surprise inspection notes have been circulated amongst all the judicial officers. It appears that annual assessment year was closing and therefore, the present complaint has been moved with some ulterior motive. The copy of inspection note dated 24.02.2021 is annexed herewith as **ANNEXURE A-31**.

(J.) Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge is in the habit of illegally using unauthorized copies of Court record, which is a serious misconduct.

Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, is a judicial officer with fairly long experience of four years. Along with the present complaint, Ms Mukta Tyagi had submitted unauthorized copies of Court record in the shape of annexures to the complaint. It is humbly submitted that no judicial officer is empowered to use unauthorised copies anywhere and there is a due procedure established by law for obtaining the certified copies which can never be bypassed. It is also humbly submitted that Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge is in the habit of getting unauthorized copies of Court record and illegally uses the same in official communication, which can be verified from records and this fact is also evident from the present complaint also, wherein several illegal and

unauthorized copies of Court record are being used by the complainant officer.

(K.) Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, has falsely stated that the DO letters have been issued by the undersigned without any basis.

In the complaint, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge has falsely stated that the DO letters have been issued by the undersigned without any basis and it has led to “suffocating environment for the complainant judicial officer and three other judicial officers” It is reiterated that DO Letters were issued by the undersigned not only to the aforesaid four judicial officers, but also to almost every judicial officer in Sessions Division, Shamli. In compliance of the said DO Letters, most of the judicial officers have reported improvements of judicial and administrative functions and their performance. It is bounden duty of the undersigned to guide the Junior Judicial Officers by issuing DO letters as well as making oral suggestions to them from time to time. Brief account of DO letters issued to Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge as narrated above, would clearly establish that DO letters were issued by the undersigned to her, either in those cases where there was serious breach of law and she had deviated from the correct judicial path or in the complaint of Smt. Lalita. Demi Officials Letters are being issued by District Judges or other officers in performance of administrative duties for various reasons and the complainant officer has challenged the administrative duties of the District Judge, which is a misconduct on her part.

(L.) Ms Mukta Tyagi has levelled serious, baseless and unfounded allegations against Sh. Raj Mangal Yadav, Ld. CJM, and the undersigned

without mentioning any specific instances and this constitutes a serious misconduct on her part.

She went on saying that the Ld. CJM was seeking favour from her illegally in judicial orders, without even referring to any specific case/instance. This was never brought to the notice of the undersigned or any previous District Judge, who was heading the Sessions Division at Shamli. Leveling of such allegations without any basis is wrong. It has been alleged that the Ld. CJM released the vehicle to a dead man without even referring to the name of the dead person or the case number. She clearly stated that undersigned had interfered in her judicial work in case crime no. 146/2020, police station Garhi Puktha. In fact, the illegalities committed by Ms Mukta Tyagi came to the notice of the undersigned, while hearing 'Criminal Revision No. 10/2021' in the said case and the undersigned had set aside the order passed by Ms Mukta Tyagi by passing a detailed and reasoned judgment as a Revisional Court. Setting aside of an order passed by a Civil Judge cum Judicial Magistrate by the Court of District and Sessions Judge as Revisional Court can never be termed as interference in judicial work. Still further, when the undersigned came to know about the illegality committed by Ms Mukta Tyagi while hearing criminal revision, the DO letter was issued to her (**ANNEXURE A-27**), as she had overlooked circular letter of Hon'ble High Court as well as judgment passed by the Hon'ble Supreme Court. Making serious, baseless and unfounded allegations even without confirming the records against revisional court and senior officers is a serious misconduct on the part of the complainant officer.

(M.) Ms Mukta Tyagi in her complaint has levelled a false and baseless allegation that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM persuades the undersigned to give demi official letters to four judicial officer and also to insult them publicly.

The undersigned has issued various DO letters to Ms Mukta Tyagi and almost every judicial officer in Sessions Division, Shamli. A brief account of DO letters issued to Ms Mukta Tyagi is already given above, which clearly shows that the same were issued while discharging the administrative duties of District Judge as assigned by Hon'ble High Court, as per law. The complainant officer has leveled false and baseless allegation in this respect that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM persuades the undersigned to give demi official letters to four judicial officer and also to insult them publicly, which prima facie seems that the complainant officer has some type of personnel grudge against the then C.J.M. Sh. Raj Mangal Yadav, who was her senior officer.

(N.) Ms Mukta Tyagi, Ms Ruchi Tiwari and Sh. Rajat Verma have involved in serious judicial indiscipline as well as harassment of a junior-most trainee officer on caste lines.

Ms Mukta Tyagi made a complaint against Sh. Arun Singh newly recruited junior most judicial officer (the then under trainee) on 29.06.2020 after herself making viral the alleged chat on Whatsapp. Sh. Rajat Verma Incharge, District Judge on 01.07.2020 called for the comments of officer concerned i.e. Sh. Arun Singh on the complaint of the complainant officer. A discrete inquiry was ordered by the undersigned and during the course of

inquiry, **Sh. Arun Singh made a statement in writing that he was being harassed by Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari, on the instructions of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ. Even certain uncomfortable questions were put to him relating to his caste by Sh. Rajat Verma, Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari.** The undersigned got prepared a report and has submitted the same to the Hon'ble High Court vide letter no. 93/AO-2021 dated 09.03.2021. Copy of the said report is annexed herewith as **ANNEXURE A-32.** Ms Mukta Tyagi being senior officer to Sh. Arun Singh Trainee Officer, was, therefore, at-least expected to guide him, but instead choose to make a formal complaint against the junior-most trainee officer, who was getting training even under her. During the course of enquiry, it was revealed that **Ms Mukta Tyagi has herself made viral the alleged chat** on Whattsapp before making the formal complaint. The complainant officer has made complaint against a class III employ, a junior-most trainee officer and now even against her Chief Judicial Magistrate.

(O.) Formation of an illegal informal group/coterie against judicial discipline.

Ms Mukta Tyagi has herself repeatedly referred to the holding of meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma, where, even Ms Anu Tomar, Ld. APO was illegally summoned and was reprimanded. In case, Ms Sudha Sharma wanted to talk to Ms Anu Tomar, Ld. APO, she could have discussed the said matter in her Court itself. However, Sh. Rajat Verma and three other judicial officers, who are all staying in official accommodations within Court campus, have formed an informal group for the obvious reasons, which is

against the judicial discipline.

(2.) SH. RAJAT VERMA LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE :-

(A.) Gross misuse of power by illegally and unauthorisedly calling for the comments even when Sh. Rajat Verma was on summer recess on the complaint of the complainant officer.

(i) On 30.06.2020, Sh. Subodh Singh was the In-charge District Judge. On the said day, Sh. Rajat Verma was on summer recess. On 30.06.2020 itself, Ms Mukta Tyagi was working as Incharge, CJM, Shamli. It appears that on 01.07.2020, Ms Mukta Tyagi made a complaint against Dinesh Kumar stenographer to the Ld. District Judge, Shamli, however, on 01.07.2020, Sh. Raj Mangal Yadav had joined as CJM, Shamli.

(ii) At this stage, it is submitted that Ms Mukta Tyagi had made alterations in the date of the complaint and it was changed into a complaint dated 30.06.2020, inspite of it being dated 01.07.2020. The said complaint was allegedly entertained by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, as Incharge District Judge and made his observations dated 30.06.2010, whereas, Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, had joined as Incharge District Judge on 01.07.2020. Consequently, he illegally has shown the receipt of the complaint as Incharge District Judge on 30.06.2020, whereas, he assumed the charge of Incharge District Judge on 01.07.2020 and Sh. Subodh Singh was Incharge District Judge on 30.06.2020.

(iii) Apparently, the dates were manipulated and tempering of official record is a serious offence that too by two senior judicial officers. Ultimately, the enquiry was disposed off on 21.07.2020 by the undersigned while acting as

District Judge. The copy of the complaint of Ms Mukta Tyagi dated 30.06.2020/01.07.2020 (she can disclose the actual date) has been annexed herewith as **ANNEXURE A-33**, whereas, the order dated 21.07.2020 passed by the undersigned is annexed herewith as **ANNEXURE A-34**.

(iv) Since there was gross misuse of powers by Sh.Rajat Verma, the undersigned issued a DO letter dated 24.08.2020 to Sh. Rajat Verma and copy of the same is annexed herewith as **ANNEXURE A-35**. It is apparent that the entire exercise was aimed at harassing a class-III employee by Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge and Sh. Rajat Verma Ld. ADJ.

(B.) Serious Gross Judicial Misconduct By Sh. Rajat Verma Ld. ADJ

- i. Sh. Rajat Verma has not followed CL No. 23/ALLD. Dated 17.09.1999, whereby, all Sessions Judges/Additional Sessions Judges have been directed that once the Hon'ble High Court has rejected the bail, the subordinate judiciary cannot grant bail. In case, any judicial officer still grants bail, it shall be treated as serious misconduct. Similar observations have been made by Hon'ble High Court in the matter of **Ram Chander Shukla Vs. State of UP 1999 (11), AWC, 2998**, wherein, the Hon'ble High Court has held in para 3 and 6 as under:-

“3. In our opinion, once the High Court rejects bail, the subordinate Court has no business to grant bail. It is gross indiscipline and the entire judicial system will be subverted if this is done. All the judicial officers of the subordinate judiciary should realize that the High Court is superior to the subordinate judiciary. Once the High Court has rejected bail, no District and

Sessions Judge or Addl. District and Sessions Judge can grant bail. Thus, the petitioner as Addl. District and Sessions Judge has committed gross insubordination by granting bail once the bail had been rejected by the High Court.

6. Let a copy of this judgment be circulated by the Registrar of this Court to the All District and Sessions Judges and Addl. District and Sessions Judge of the State so that they may know the law on this point that once the High Court rejects bail, the subordinate judiciary cannot grant bail and it will be treated as a serious misconduct if they do so."

- ii. During the annual inspection of the Court of Ld. Special Judge (POCSO), it surfaced on record that Sh. Rajat Verma, the earlier Ld. Special Judge (POCSO) had entertained the second bail application no. 499 of 2020 of accused Shadab, as per the records of P.S.T. No. 20/2019 titled as State Vs. Shadab and Another, case crime no. 201/2018 under sections 363, 366, 376-D of IPC and section 5/6 POCSO Act, police station Kairana and allowed the same on 10.06.2020. The accused/applicant in his bail application no. 499/2020 had clearly mentioned in para no. 1 and 2 of the bail application that his first bail application was already rejected by the Hon'ble High Court. Even the website of the Hon'ble High Court clearly reveals that first bail application of accused Mohd. Shadab bearing CRM-M No. 25509 of 2018 in the same crime was already rejected by the Hon'ble High Court on merit on 23.08.2018. Copy of order of the Hon'ble High Court dated 23.08.2018, is annexed herewith as **ANNEXURE A-36**. In annual inspection of the Court of Additional Sessions Judge (POCSO), the matter relating to entertainment and

grant of 2nd bail after rejection of first bail by Hon'ble High Court, by the presiding officer in P.S.T. No. 20/2019 came to the knowledge of the undersigned, which is duly recorded in the annual inspection note of the said Court and copy of relevant extract is annexed herewith for kind perusal of Hon'ble Court as **ANNEXURE A-37**. The matter required kind notice of the then Presiding Officer that is why D.O. letter was sent to him, wherein it is clearly mentioned in the last line as "The above legal position and C.L. No. 23 are brought to your kind notice, please note".

(iii) In the aforesaid crime, the second bail application of co-accused Jaan Mohd. bearing no. 1018/2020 in the same pending P.S.T. was also entertained and was allowed on 23.07.2020. The copies of the bail orders of both the accused have been annexed herewith as **ANNEXURE A-38 and ANNEXURE A-39**. The undersigned also issued a DO letter dated 25.02.2021 to Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, in this regard and copy of the same is annexed herewith as **ANNEXURE A-40**. It is a serious judicial misconduct and gross violation of CL and the law laid down by this Hon'ble Court. **It is after issuance of this D.O. letter that the said illegal informal group under active guidance of Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, conspired to move this false complaint, wherein the said D.O. letter is also annexed.**

(C.) Formation of an informal illegal group/coterie against judicial discipline.

Ms Mukta Tyagi has herself repeatedly referred to the name of Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge, Shamli as 'Sh. Rajat Verma Sir'. In all four judicial officers, Sh. Rajat Verma is the senior most judicial officer and he

was expected to guide his junior officers about the judicial practices, settled law and ethics. But it is apparent from the complaint itself that all four judicial officers were holding meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma, where, even Ms Anu Tomar, Ld. APO posted in the Court of Ms Sudha Sharma was illegally summoned and was reprimanded. In case, Ms Sudha Sharma wanted to talk to Ms Anu Tomar, Ld. APO, she could have discussed the said matter in her Court itself. However, Sh. Rajat Verma and three other judicial officers, who are all staying in official accommodations within Court campus, have now formed an informal group which is against the judicial discipline.

(D.) Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge, has scant regard for the directions passed by this Hon'ble Court.

(i) In a petition under section 482 Cr.PC bearing no. 4733/2018 titled as Dilshad and Others Vs. State of UP and Others, the Hon'ble High Court passed the following orders:-

“In the facts and circumstances of the case, in this case also it is directed that if any compromise is being filed supported with an affidavit before the Trial Court, that will be verified by the Trial Court as per the Rules and the Trial Court will submit its report within 6 weeks.”

As per this, the report was to be submitted before the Hon'ble High Court upto 20.08.2018. However, Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, did not comply with the directions passed by the Hon'ble High Court on judicial side, inspite of verification of the compromise on 16.03.2018 and being posted in the said Court up to February, 2020.

Now, his successor Sh. Surender Kumar, Ld. Additional Sessions Judge, has submitted the compliance report to the Hon'ble High Court on 16.03.2021. A copy of the compliance report in this regard is annexed herewith as **ANNEXURE A-41**.

(ii) Similarly, in another petition under section 482 Cr.PC bearing No. 5003/2018 titled as Inam etc. Vs. State of UP, the Hon'ble High Court passed the following order on 16.02.2018:-

“In the facts and circumstances of the case, in case, any such compromise application supported with an affidavit is filed, the Trial Court, after due verification of signatures and photographs of both sides shall submit its report within 6 weeks”.

It is humbly submitted that the said compromise was verified by the Court of Sh. Rajat Verma, Ld. Additional Sessions Judge, on 16.03.2018 itself, but the compliance report was not submitted to the Hon'ble High Court. Now the compliance report has been submitted on 16.03.2021 by his successor Sh. Surender Kumar, Ld. Additional Sessions Judge, Shamli and copy of the same is annexed herewith as **ANNEXURE A-42**.

(E.) Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge has illegally supported his own staff, who is responsible for the loss of judicial records.

Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, intentionally delayed the disposal of two preliminary enquiries against a class-III employee Sh. Kailash Chand who was due to retire on 31.01.2021. Vide his letter dated 01.01.2021, Sh. Rajat Verma,

Ld. ADJ, sought extension of one month time more to conclude those pending preliminary enquiries. It requires mention that Sh. Kailash Chand prior to his transfer to Muzafarnagar judgeship, was working with Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge, Kairana. Consequently, Sh. Rajat Verma was well aware of the date of retirement of Sh. Kailash Chand. It was written by Sh. Rajat Verma to get one month extension for completion of pending enquiries, so that Sh. Kailash Chand may retire without service of charge-sheet on him till 31.01.2021. In fact, by granting one month extension for completion of preliminary enquiries, it would have been very difficult for conducting the regular departmental inquiry, as per Article 351A of Civil Services Regulation. The undersigned was vigilant and the preliminary inquiry pertained to loss of judicial records, therefore, the said preliminary inquiry was transferred to some other judicial officer, who completed the inquiry within 1 week and submitted the preliminary inquiry reports in both the matters of loss of record. Aforesaid Sh. Kailash Chand is now facing regular departmental inquiries for the loss of judicial record, as the charge-sheet could be served by the timely action against him. The administrative orders in this regard dated 02.01.2021 have been annexed herewith as **ANNEXURE A-43 and ANNEXURE A-44**, respectively.

(F.) Sh. Rajat Verma, Ms Mukta Tyagi & Ms Ruchi Tiwari have formed an informal group and have involved in serious judicial indiscipline as well as harassment of a junior trainee officer on caste lines.

Ms Mukta Tyagi made a complaint against Sh. Arun Singh newly recruited judicial officer (under trainee) on 29.06.2020. Sh. Rajat Verma Incharge,

District Judge on 01.07.2020 called for the comments of officer concerned i.e. Sh. Arun Singh. A discrete inquiry was ordered by the undersigned and during the course of inquiry, Sh. Arun Singh made a statement in writing that he was being harassed by Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari, on the instructions of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ. Even certain uncomfortable questions were put to him relating to his caste by Sh. Rajat Verma, Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari. The undersigned prepared a report and has submitted the same to the Hon'ble High Court vide letter no. 93/AO-2021 dated 09.03.2021. Copy of the report along with annexures is annexed herewith as **ANNEXURE A-32.**

(G.) Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge, made all efforts to influence the undersigned to shelter the accused charged with the offences under POCSO Act.

Sh. Rajat Verma personally visited the undersigned in the matter of a class IV employee Sh. Vishal Kesarvani, who was arrested in crime no. 02/2020 under section 354B IPC and section 7/8 POCSO Act and requested to take a lenient view in the matter, by stating that the accused Vishal Kesarvani and other employee Sh. Ashwani Kumar were very cooperative to him and also tried to put pressure in the name of higher authorities. The undersigned politely informed him that action will be taken in accordance with law against accused persons. S/Shri Vishal Kesarvani and Ashwani Kumar were discharged from service vide administrative order 327/AO-2020 dated 11.12.2020 and order no. 328/AO-2021 dated 11.12.2020 and copy of the same have been annexed herewith as **ANNEXURE A-45 AND ANNEXURE A-46.** Sh. Rajat Verma, Additional District Judge was annoyed due to this and later-on he also could not help Sh. Kailash Chand in the pending preliminary inquiries. **Ultimately,**

at his instigation, Ms Mukta Tyagi has made the present false complaint by levelling unfounded false allegations against undersigned as well.

(H.) Sh. Rajat Verma Ld. ADJ grossly misused his position so that District Judge may not reside in Court Campus and unduly benefitted Ms Mukta Tyagi in house allotment in a planned manner.

(i) On 11.07.2019, Sh. Anoop Kumar Goel was the district judge at Shamli and no government accommodation was available for the Ld. District Judge. Sh. Raj Mangal Yadav, Ld. CJM, offered his official accommodation for the residence of the Ld. District Judge and submitted that he will shift to a smaller accommodation near water tank, which was below his entitlement. Copy of the said letter is annexed herewith as **ANNEXURE A-47**. Similarly, on 31.07.2019, Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge, offered to vacate his official accommodation J-1 for the residence of the Ld. District Judge and copy of the same is annexed herewith as **ANNEXURE A-48**. Ultimately, a proposal was put up by Sh. Rajat Verma O/c Nazarat and it was proposed that Sh. Raj Mangal Yadav, LD. CJM, will shift to an accommodation near water tank, Shamli, Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, will shift to accommodation CJM's house no. J-3 in Court campus and Ld. District Judge, Shamli will shift in house no. J-1, Civil Court, Kairana. Copy of proposal put up by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ is annexed herewith as **ANNEXURE A-49**, which was duly approved by the then District Judge.

(ii) However, in the interregnum on 03.08.2019, Sh. Anoop Kumar

Goel, Ld. District Judge was transferred to Rai Bareli and relinquished his charge. Even otherwise, house no. J-1 was not vacated by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ whereas Sh. Raj Mangal Yadav was staying in house no. J-3. At the instance of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge moved an application dated 03.08.2019 for allotting house no. J-3 to her, which is going to be vacant as per proposal **ANNEXURE A-49** and copy of said application is annexed herewith as **ANNEXURE A-50**. Ultimately, Sh. Raj Mangal Yadav, Ld. CJM, without the knowledge of **ANNEXURE A-50**, shifted in an accommodation near water tank, Shamli, so that the new LD. District Judge may get official accommodation in the Court campus at Shamli, however, Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge cum O/c Nazarat put up a fresh proposal and got the said fresh proposal of allotment of house no. J-3 to Ms Mukta Tyagi as well as to retain house no. J-1 by himself approved. Sh. Rajat Verma Ld. ADJ thereby frustrated the already approved proposal **ANNEXURE A-49** and succeeded in keeping District Judge and C.J.M out of residential premises situated at Court Campus as well as obliging Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge. At this stage, it requires mention that Sh. Raj Mangal Yadav, Ld. CJM was much-much senior to Ms Mukta Tyagi and was entitled to house no. J-3, where he was already staying and in this manner Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge was unduly benefitted with regard to allotment of house in the Court campus itself. Copy of the fresh proposal put up by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ is annexed herewith as **ANNEXURE A-51**.

(I) Sh. Rajat Verma Ld. ADJ grossly violated C.L. No. 2602/ Admin. (B-1), dated 30th May, 1994 for Ms Sudha Sharma and thereby unduly favored her for securing government accommodation to the detriment of much-much senior officers on station.

That even Sh. Rajat Verma, being officer incharge of Nazarat gave undue benefit to Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge. Sh. Raj Mohan Verma, the then Ld. Civil Judge (Sr. Divn.), Shamli was transferred to JTRI Lucknow and the official accommodation i.e. house no. J-2 was to be vacated by him. At that time, two senior Additional District Judges namely Sh. Gyanender Singh Yadav and Sh. Subodh Singh were on the stations with their families and were not having any official accommodation. They were not only higher in rank to Ms Sudha Sharma but were also having longer stay at the station. But Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, being O/c Nazarat moved a proposal to allot house no. J-2 in Court campus, Kairana to Sushri Sudha Sharma in complete disregard to the above C.L. No. 2602, even though two senior judicial officers were posted in the judgeship were without official accommodation and were staying at Shamli in rented accommodation with their families. Copies of application of Ms Sudha Sharma and fresh proposal in this regard are annexed herewith as **ANNEXURE A-52 & 53**. It is important to mention here that a formal order was also issued by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ as officer in-charge Nazarat in this regard, which was not required at all, just to show that he at his own has allotted the house in question to Ms Sudha Sharma, so that she may feel greatly favored by him alone. Copy of the formal order is annexed herewith as **ANNEXURE A-54**.

(J) Apart from that, Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, misused his powers as In-charge District Judge and wrongly disposed off two complaints, which were against Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari both Ld. Civil Judges, when a regular District Judge was posted in Shamli and was merely on official visit to Hon'ble High Court.

Two complaints D.O. no. C.V. 528/2019 dated 25.04.2019 and D.O. no. C.V. 291/2019 dated 23.02.2019 were received in the Shamli judgeship along with complaints of one Sh. Mehboob against both Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge-cum-Judicial Magistrate, Shamli as well as Ms Ruchi Tiwari, the then Ld. Civil Judge (Jr. Divn.) and one complaint of Asma against Ms Ruchi Tiwari, the then Ld. Civil Judge (Jr. Divn.) cum Judicial Magistrate. It also requires mention that Sh. Anoop Kumar Goel was the regular District Judge at the relevant time on 10.05.2019 and he was on official visit to Hon'ble High Court on 10.05.2019, who has just joined on 07.05.2019. Surprisingly, Sh. Rajat Verma, Ld. Additional District Judge took illegal benefit of the official visit of regular District Judge to Hon'ble High Court and in his capacity as merely Incharge, District Judge on 10.05.2019 illegally and in an unauthorised manner disposed off the said complaints on 10.05.2019 in a undue haste, so that the then Ld. District Judge may not come to know about these complaints and two officers of his illegal informal group be favored by him. Even the complainants were not called at the time of the disposal of the said complaints on 10.05.2019 and the comments of the second judicial officer i.e. Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge were not even called for on first complaint of Sh. Mehboob and it was done in a undue haste, so that the then Ld. District Judge may not come to know about it, who has just recently joined. The copy of

letters dated 10.05.2019 submitted by Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, completely exonerating Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12** and **ANNEXURE A-55**. The copy of complaint along-with copy of D.O. no. C.V. 528/2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-13** and copy of reply of Ms Mukta Tyagi has been annexed herewith as **ANNEXURE A-14**. Copy of D.O. No. C.V. 291/2019 dated 23.02.2019 & reply of Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge have been annexed herewith as **ANNEXURE A-56 & 57**.

(K.) Sh. Rajat Verma Ld. ADJ is not punctual of sitting on dias.

Sh. Rajat Verma was found absent from dias in surprise inspection conducted by undersigned on 25.02.2021. Copy of the inspection note in this regard is annexed herewith as **ANNEXURE A-58**.

(L.) Sh. Rajat Verma Ld. ADJ committed breach of confidentiality of DO Letter.

It is humbly submitted that DO letters issued to guide and educate the judicial officers with regard to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and various C.Ls issued by the Hon'ble High Court are most confidential and no judicial officer is supposed to share it with anyone. However, the contents of the complaint filed by Ms Mukta Tyagi and the annexures appended to the complaint clearly established that all the four judicial officers were in the knowledge of DO letters issued to each other and had shared the information with each other. DO letter issued to Sh. Rajat Verma Ld. ADJ on 25.02.2021, found mention in the complaint and a copy is

also annexed with it, consequently, Sh. Rajat Verma Ld. ADJ has also committed the breach of confidentiality of the DO letters and the present complaint is also filed at his instigation.

(3.) RUCHI TIWARI LD. CIVIL JUDGE SR. DIV. KAIRANA :-

(A.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) did not conduct the proceedings of J.J. Board as per law and thereby committed serious judicial misconduct.

The undersigned is annexing the report of the Incharge Administrative Officer of the Judgeship as **ANNEXURE A-8**, to show that on Thursday and Friday, which are the full days fixed for regular working of J.J. Board, Ms Ruchi Tiwari the then Principal Magistrate, J.J. Board was not only conducting the Court proceedings of J.J. Board, but was also holding her regular Court and performing judicial work. It also requires mention that neither proceedings of J.J. Board can be conducted from regular Court room nor proceedings of regular Court can be conducted from the place designated for J.J. Board. Sh. Mumtaz Ali the senior-most Additional District Judge has enquired in depth the complaint of Smt. Lalita and submitted his report, copy of which is already annexed herewith as **ANNEXURE A-9**, being forming part of this report also. Sh. Mumtaz Ali Additional Sessions Judge/ Special Judge (POCSO) has found that the proceedings of J.J. Board have been illegally conducted up-to December, 2020 from the regular Court rooms of Civil Judge Sr. Div. Kairana and Civil Judge Jr. Div. Shamli. **That it is clearly established on record that Ms Ruchi Tiwari, the then Ld. Principal Magistrate, J.J. Board grossly**

violated the mandatory provisions of the Juvenile Act and Rules and this highlights the gross judicial misconduct on the part of Ms Ruchi Tiwari also, as she failed to comply with the law.

(B.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/ A.C.J.M. miserably failed to take cognizance on charge-sheets pending in Court and thereby cognizance was time barred.

Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) did not take cognizance of charge-sheets filed in time and pending in her Court. Consequently, 17 charge sheets in petty offences became time barred. During the annual inspection, 17 time barred charge sheets have been found in the office of Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) and a copy of the list of those 17 charge sheets [which have become time barred due to the lapse on the part of Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)] alongwith copy of relevant page of annual inspection note are jointly annexed herewith as **ANNEXURE A-59**.

(C.) Formation of an unlawful informal group/coterie against judicial discipline.

It is apparent from the complaint itself that all four judicial officers referred in the complaint were holding meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, where, even Ms Anu Tomar, Ld. APO was illegally summoned and was reprimanded in presence of 4 judicial officers. Sh. Rajat Verma Ld. ADJ has already illegally favored the three other judicial officers referred in the complaint either in house allotments or disposal of their complaints etc. and who all are all staying in official accommodations within Court campus, have

formed an informal group for the obvious reasons, which is against the judicial discipline.

(D.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) committed breach of confidentiality of DO Letters i.e. unauthorised sharing of confidential communications/D.O. letter.

It is humbly submitted that DO letters issued to guide and educate the judicial officers with regard to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and various C.Ls issued by the Hon'ble High Court are most confidential and no judicial officer is supposed to share it with anyone. However, the contents of the complaint filed by Ms Mukta Tyagi and the annexures appended to the complaint clearly established that all the four judicial officers were in the knowledge of DO letters issued to each other and had shared the information with each other. DO letter issued to Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge have been annexed with the complaint, consequently, she has also committed the breach of confidentiality of the DO letters.

(E.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.) is not Punctual of sitting on dias.

Ms Ruchi Tiwari Ld. Civil Judge was found absent in the surprise inspection conducted by the undersigned on 24.02.2021. copy of inspection note is already annexed herewith as **ANNEXURE A-30**.

(F.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/ A.C.J.M. granted bail without following s. 437 (3) Cr.P.C.

Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/ ACJM granted bail to the accused in the cases triable by the Court of Sessions Judge, without following the mandatory provisions of section 437 (3) Cr.PC and copy of one said order dated 05.08.2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-60**.

(G.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/A.C.J.M committed Serious Judicial Misconduct.

It require mention here that the Court of Ld. ACJM being Court of Criminal jurisdiction, has no powers of review. In FIR No. 210/2019 under section 60/63/72 of UP Excise Act, P.S. Jinjhana, case titled as State Vs. Jai Bhagwan etc., the Court of Ms Ruchi Tiwari, Ld. ACJM, Kairana dismissed the superdari application moved by the accused and copy of the said order has been annexed herewith as **ANNEXURE A-61**. Thereafter, there was no powers of review and the accused should have preferred a petition before the Higher Courts. However, vide order dated 27.02.2020, the Ld. Court of Ms Ruchi Tiwari, Ld. ACJM, allowed the 2nd superdari application and thus virtually reviewed its own earlier order (Annexure A-56). Copy of order dated 27.02.2020 is annexed herewith as **ANNEXURE A-62**. It is important to mention here that confiscation proceedings were pending at the time of disposal of both the applications and there was no change of circumstance and jurisdiction of the Court was also barred in the said matter and therefore, Ms Ruchi Tiwari Ld. ACJM has committed serious judicial misconduct while entertaining and allowing 2nd Superdari application without change of any circumstances. There were serious oral complaints against Sh. Sonu Chaudhary Court Moharir of the Court of Sushri Ruchi Tiwari Ld. ACJM and

there were repeated oral requests by the members of the BAR for transfer of said Court Moharir on the grounds of corruption. On the oral complaints of members of BAR Sh. Sonu Chaudhary was got transferred and oral enquiries reveles the involvement of said Court Moharir Sh. Sonu Chaudhary in this matter also.

(H.) Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge (Sr. Divn.)/ Principal Magistrate J. J. Board suo moto entertained the application for declaring juvenile when nothing was pending before J. J. Board.

A D.O. letter no. 20/P.A. (S) District Judge/2020 dated 22.09.2020 was issued to Ms Ruchi Tiwari, when it came to knowledge while hearing a bail application that one Rachit was declared juvenile by J.J. Board in case crime No. M850/2019 inspite of there being no proceeding of whatsoever nature pending before J.J. Board regarding Rachit and after receipt of reply of Ms Ruchi Tiwari, the officer was advised vide another D.O. letter no. 24/P.A. (S) District Judge/2020 dated 03.11.2020 to ensure the jurisdiction of J.J. Board while entertaining application for declaring juvenile under the provisions of J.J. Act. Copies of said DO letters are annexed herewith as **ANNEXURE 63 & 64.**

(I.) Ms Ruchi Tiwari, Sh. Rajat Verma and Ms Mukta Tyagi have formed an informal group and have involved in serious judicial indiscipline as well as harassment of a junior trainee officer on caste lines.

Ms Mukta Tyagi made a complaint against Sh. Arun Singh newly recruited judicial officer (under trainee) on 29.06.2020. Sh. Rajat Verma Incharge, District Judge on 01.07.2020 called for the comments of officer concerned i.e.

Sh. Arun Singh. A discrete inquiry was ordered by the undersigned and during the course of inquiry, Sh. Arun Singh made a statement in writing that he was being harassed by Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari, on the instructions of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ. Even certain uncomfortable questions were put to him relating to his caste by Sh. Rajat Verma, Ms Mukta Tyagi and Ms Ruchi Tiwari. The undersigned prepared a report and has submitted the same to the Hon'ble High Court vide letter no. 93/AO-2021 dated 09.03.2021. Copy of the report along with annexures is already annexed herewith as **ANNEXURE A-32.**

(4.) MS SUDHA SHARMA LD. CIVIL JUDGE F.T.C. :-

(A.) Ms Sudha Sharma Ld. Civil Judge is not Punctual of sitting on Dias.

Ms Sudha Sharma, was found absent from the dias in two consecutive surprise inspections conducted by the undersigned on dated 24.02.2021 & 25.02.2021. copies of inspection notes are already annexed herewith as **ANNEXURE A- 30 & 58.**

(B.) Ms Sudha Sharma Ld. Civil Judge committed judicial misconduct.

(i) Three accused namely Vakil, Shakil and Vazid surrendered in the Court of Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge-cum- Judicial Magistrate, Kairana in case FIR No. 344/2019 under sections 498A, 323, 504, 506 IPC, Police Station Kandhala. Accused requested that they may be taken in judicial custody by moving an application dated 25.11.2020. On 25.11.2020, the Court

of Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate ordered that the accused Vakil, Shakil and Vazid be taken into custody. Even there is a report by the APO that accused Vakil, Vazid and Shakil are charge sheeted under sections 498A, 323, 504, 506 IPC. Even the three accused moved bail application in the same Court on 25.11.2020 which was strongly opposed by the Ld. APO.

(ii) Surprisingly, on 25.11.2020 itself, when the accused had already been formally taken into custody, the Ld. Counsel for the accused made a statement in writing that he did not press the surrender application, which had already become infructuous after taking accused in custody. The Court of Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate allowed the said prayer and released the accused illegally. A copy of the relevant record in this regard is annexed herewith as **ANNEXURE A-65**. The Ld. Judicial Magistrate, completely overlooked the fact that the accused had already surrendered and had been taken into custody.

(iii) The undersigned issued a DO Letter to Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate in this regard and copy of the same is annexed herewith as **ANNEXURE A-66**. Ms Sudha Sharma submitted a reply and assured that she will not committ such mistake in future. Copy of the said reply by Ms Sudha Sharma, Ld. Judicial Magistrate is annexed herewith as **ANNEXURE A-67**. The matter was serious and the officer was the newest officer, therefore, a D.O letter was issued and the officer was given full opportunity to explain why this happen the explanation of the officer was tentatively accepted and she was orally advised to be careful in future. If there was any ill-will or malice then there was enough time and occasion to put up the matter in front of higher officers. The officer being a lady officer and a new entrant in the service,

therefore, although her reply was not justifiable but the same was tentatively accepted with the hope that such mistake will not be repeated in future. It is completely wrong to state that any oral complaint was made by any APO in this regard.

(C.) Formation of an informal group against judicial discipline.

Ms Mukta Tyagi has herself repeatedly referred to the holding of meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma, where, even Ms Anu Tomar, Ld. APO of the Court of Ms Sudha Sharma was illegally summoned and was reprimanded. In case, Ms Sudha Sharma wanted to talk to Ms Anu Tomar, Ld. APO, she could have discussed the said matter in her Court itself. However, Ms Sudha Sharma and three other judicial officers, who are all staying in official accommodations within Court campus, have actually formed an informal group for the obvious reasons, which is against the judicial discipline.

(D.) Ms Sudha Sharma Ld. Civil Judge Committed breach of confidentiality by sharing of confidential D.O. letter.

It is humbly submitted that DO letters issued to guide and educate the judicial officers with regard to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and various C.Ls issued by the Hon'ble High Court are most confidential and no judicial officer is supposed to share it with anyone. However, the contents of the complaint filed by Ms Mukta Tyagi and the annexures appended to the complaint clearly established that all the four judicial officers were in the knowledge of DO letters issued to each other and had shared the information with each other. Copy of DO Letter issued to Ms

Sudha Sharma is annexed with the complaint, consequently, she has also committed the breach of confidentiality of the DO letters.

PARAWISE REPLY TO THE ALLEGATIONS LEVELED IN THE COMPLAINT :

- 1) None of the facts stated in the para no. 1 of the complaint were ever brought to the knowledge of the undersigned in any monthly meeting except the issue of recording of statements of male victims under section 164 Cr.PC. This issue relating to the recording of the statements of male persons under section 164 Cr.PC by the female judicial officers, especially in the offences relatig to section 377 IPC, was brought to the notice of the undersigned in the monthly meeting of the officers held in Feburary,2021, by Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge. The issue was resolved and all the officers were directed that such statements should be recorded by male officers. It is also important to mention here that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, Ms Ruchi Tiwari and Ms Mukta Tyagi, all three Ld. Judicial Officers were posted in Shamli District Courts for the last three years and official records reveals that there was no complaint from the side of any of the female officers regarding the remand duties. During the tenure of the undersigned as a District Judge, no such complaint was ever made to the undersigned personally or in any of the monthly meeting of the officers. Minutes of all monthly meetings since July, 2020 to February, 2021 clearly establishes this fact, which can be verified from the records. There were oral complaints of remand duties not being performed timely as the accused were to be

sent to District Jail, Muzaffarnagar and their admission to said jail was delayed, therefore, officers were orally advised accordingly after verifying the same on 2nd October, 2020. It is important to mention here that the Annexure-1 of the complaint pertains to 06.07.2019, whereas the undersigned joined as District Judge on 04.07.2020. **A separate report of Sh. Rajmangal Yadav the then C.J.M. dated 12.04.2021 is annexed herewith as ANNEXURE A-68 being forming and integral part of this report.** The Annexure-1 of the complaint is an illegal and unauthorized copy of Court record. The application is addressed to Civil Judge Senior Division Kairana and an order has been passed thereon by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ instead of by Civil Judge Senior Division Kairana. Applications for recording statement under s. 164 Cr.P.C. are kept in sealed envelope along-with statement so recorded and an illegal copy of same has been obtained and filed before Hon'ble High Court by the complainant officer herself. It goes on to show that she has no respect for the due procedure. The records of judgeship reveals that the said matter was also not brought in to the knowledge of the then District Judge. Sh. Rajmangal Yadav has filed the copy of minutes of monthly meeting dated 11.07.2019 along-with his reply/report and no such issue was discussed in the said meeting held just after 5 days of said application dated 06.07.2019 and only the issue regarding recording of statement under section 164 Cr.P.C. of deaf and dumb victim was discussed in the said meeting. Making complaint now after a delay of about 20 months that too after change of two District Judges goes on to show a well hatched conspiracy by the said illegal

informal group. **Sh. Rajmangal Yadav has alleged his harassment by the complainant officer as well by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, by quoting a number of instances supported with documents in his reply / report dated 12.04.2021 i.e. ANNEXURE A-68, which also need a separate in-depth investigation.**

- 2) In this paragraph of the complaint, it has been falsely stated that there is any “interference in the judicial work” by the undersigned in any manner. The undersigned has given a detailed account of demi official letters issued by him to these four judicial officers in compliance of various C.Ls issued by this Hon’ble Court. It is humbly submitted that issuance of demi official letters by the District Judge to the Judicial Officers for valid reasons, can never be termed as interference in judicial work. Even it is highly unfortunate that Ms Mukta Tyagi has raised the issue of giving demi official letters to Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge, Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge. Firstly, it is humbly submitted that Ms Mukta Tyagi is not entitled to raise the alleged grievance, on the part of other judicial officers. In case, any judicial officer has any grievance, they can bring it to the notice of the undersigned or this Hon’ble Court independently. Secondly, demi official letters are issued to judicial officers to improve their conducts and it is a confidential communication between the District Judge and the concerned judicial officers. It is humbly submitted that the averments in the complaint clearly show that all four judicial officers were sharing their respective demi official letters with each other which is a gross misconduct. DO

letters are issued by the undersigned in discharge of administrative duties entrusted by CL. No. C.L. No. 105 dated 20th September, 1972.

It has been stated that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, has released many vehicles in favour of dead persons. However, it is submitted that no such instance has been mentioned in the complaint and the allegation is false.

Still further, it has been alleged in the complaint that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, has given remand in police station Kandhla in case crime no. 146/2020 under section 60, 63, 72 of the Excise Act, whereas, the remand was sought by the I.O. under sections 60, 63, 72 of the Excise Act and section 420, 467, 468, 471 IPC. It has been alleged that the Ld. CJM had omitted the serious sections 420, 467, 468, 471 IPC. The matter of interim bail in case crime no. 146/2020 by Sh. Rajmangal Yadav was brought in to the knowledge of the undersigned by the complainant officer vide her reply dated 19th February, 2021 to the complaint of Smt. Lalita and on the very same day, the said reply was received, the D.O. Letter was issued to the C.J.M. and his reply was received. It is humbly submitted that in fact, from the record, it has been found that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, had given the remand correctly under sections 60, 63, 72 of Excise Act and sections 420, 467, 468, 471 IPC, but the fault was on the part of Court Moharir. A prima facie investigation in to the allegations leveled in first part of para 2 by recording the statements of concerned A.P.O. and Court Moharir as well as by going through the reply of CJM Shamli it reveals that:-

- a) On 17th march 2020 the jurisdiction of P.S. Kandhla was with Ms Mukta Tyagi, the then Ld. Civil Judge Junior Division Shamli and in compliance of the order of Hon'ble High Court, it was the first day with the start of Covid 19 pandemic that all the remands of whole district were done by the CJM Shamli.
- b) The remand request of the I.O. of crime No. 146/2020 u/s 60/63/72 Excise Act and s. 420/467/468/471 I.P.C., P. S. Kandhla was allowed by the CJM in all the aforesaid sections. A certified copy of the remand request allowed by the CJM being In-charge of Civil Judge Jr. Division, Shamli is annexed herewith as **ANNEXURE A- 69**.
- c) Whenever any remand request is made by any Investigating Officer before any Court the remand sheet and custody warrants both are always prepared by the Court Moharirs of the Court concerned. On 17th March, 2020 the Court Moharirs of the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli Sh. Ashwani Kumar prepared the remand sheet and custody warrants for the signatures of CJM Shamli, in performance of his duties to do so . It was this Court Moharirs who made a mistake in preparing custody warrant and remand sheet, who skipped to mention section 420/467/468/471 I.P.C. on the remand sheet and custody warrant. The Court Moharir got signature of CJM Shamli on those custody warrant and remand sheet being in-charge of Civil Judge Jr. Division Shamli. The certified copies of the remand sheet is annexed herewith as **ANNEXURE A-70**.
- d) The said Court Moharir Sh. Ashwani Kumar on very next day i.e. on 18th March, 2020 brought this fact into the knowledge of Sushri

Mukta Tyagi being the Presiding Officer of the Court of Civil Judge Jr. Division Shamli, which was the original Court exercising the jurisdiction of P. S. Kandhla on those days, but his request was simply turned down by her. There-after Sh. Aanand Bhaskar A.P.O. conducting cases for state for P.S. Kandhla also requested Sushri Mukta Tyagi to kindly correct / amend the sections as the same have been inadvertently left by the Court Moharir, but Sushri Mukta Tyagi again refused to correct / amend the remand sheet and custody warrant. The statements of Sh. Aanand Bhaskar A.P.O. and Court Moharirs are annexed here with as **ANNEXURE A-71 , A-72 & A-73**. Sh. Aanand Bhaskar A.P.O. and Sh. Aswani Kumar have also submitted applications in their own handwriting detailing the above facts which are also annexed herewith as **ANNEXURE A- 74 & A-75**.

e) It is clear that on 18th March 2020 , Sushri Mukta Tyagi being Presiding Officer of the Court of Civil Judge Jr. Division, Shamli came to know from the A.P.O. as well as the Court Moharir that by the mistake of Court Moharir the sections 420/467/468/471 IPC have been inadvertently left in remand sheet and custody warrant of aforesaid crime no. 146/2020 .

f) On 27th March, 2020 all the subordinates Court of U.P. received instruction for releasing the accused on interim bails, who have been charged of the offences where in a maximum punishment of 7 years is prescribed.

g) On the order of the then District Judge C.J.M Shamli went to District Jail Mujaffarnagar, where the matter of case crime no. 146/2020

was put up before the jail authorities for interim bail in compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court, the C.J.M Shamli, being the duty magistrate allowed the interim bail of the accused persons as there was no mention of section 420/467/468/471 I.P.C. on the custody warrant of those accused .

h) Both the accused Gurpage and Subhash Chand have now surrendered in the concerned Court on 9th March, 2021 and they have been taken in to the custody and certified copies of their surrender application and surrender/ remand sheet are annexed herewith as **ANNEXURE A- 76 & A- 77.**

It is very astonishing to know that when the mistake committed by the Court Moharir of the Court of Sushri Mukta Tyagi, Civil Judge Jr. Division, Shamli was brought into her specific knowledge on 18th march 2020 by both the Court Moharir of her own Court as well as by A.P.O concerned, then why the matter was not corrected or reported to either the C.J.M. or to the then District Judge and kept hidden up to a particular stage and only after the complaint of Smt. Lalita and after a gap of about 8 months, this complaint is being moved firstly in reply to the allegations leveled by Smt. Lalita against Sushri Mukta Tyagi and now through this formal complaint. If Sushri Mukta Tyagi would have performed her judicious duty on 18th March, 2020 by either correcting the remand sheet and custody warrant or reported the matter to C.J.M. and / or the District Judge, the situation of accused of crime no. 146/2020 being released on interim bail could have been timely

avoided but the appropriate steps were not taken and the matter was kept hidden for a long time for the reason best known to the complainant officer. All above facts have been intentionally concealed by the complainant officer and by concealing such important facts, which were in her knowledge from 18th March, 2020 moved such a false complaint against her senior officer shows that she has acted in a manner which is unbecoming of a judicial officer. Above conclusions of the undersigned also find support from the report of Sh. Mumtaz Ali the senior-most Additional District Judge of Shamli, who has also enquired in depth this issue and copy of his report is already annexed herewith as ANNEXURE A-9.

It has been falsely alleged in the complaint that the complainant officer and three other Ld. Judicial Officers are being given DO letters suo moto by the undersigned just to interfere in their judicial work. In fact, the undersigned has given a detailed account of issuance of DO letters to all four judicial officers, which clearly show that DO letters were issued for valid reasons and in compliance of C.Ls issued by this Hon'ble Court. An instance of release of vehicle in crime no. 146/2020 has been mentioned in the complaint. In fact, the detailed statements have been made in earlier part of this report with regard to the said allegations. The said fact came to the notice of the undersigned while hearing Criminal Revision No. 10/2021 against the order passed by Ms Mukta Tyagi. Criminal Revision No. 10/2021 was filed in the Sessions Court against the rejection of the vehicle release order in case crime no.

146/2020 P.S. Garipukhta under section 307, 323, 504, 506, 34 I.P.C., whereby the fact of not following C.L. No. 39/2002 Dated: 26th November 2002 came to the knowledge of the undersigned, whereby all the judicial officers are directed to ensure strict compliance of the directions of Hon'ble Supreme Court passed in Sunderbhai Ambalal Desai Vs. State of Gujrat A.I.R. 2003 S.C. 638. Ms Mukta Tyagi had overlooked the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the matter of Sunder Bhai Amba Lal Desai Vs. State of Gujrat AIR 2003 SC 638 as well as the C.L. issued by the Hon'ble High Court. General Instructions issued by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 also casts several duties on the District Judges including to keep a watch on the judicial and administrative conduct of other judicial officers in the district and to advise the officers under him to go through the earlier Circulars issued by the High Court and to act in accordance with them. She has wrongly stated that she had relied upon the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Ram Parkash Vs. State of Haryana AIR 1978 SC 1282. In fact, the said judgment was admittedly not referred in the order and which is a false defence raised by the complaint officer. It is vehemently denied that in the monthly meeting on 25.02.2021, any judicial officer was humiliated, still further, the DO letter has been issued in discharge of administrative duties with regard to release of vehicle, in view of C.Ls issued by this Hon'ble Court. The District Judges have been entrusted to ensure the strict compliance of C.Ls of Hon'ble High Court and how can the administrative duty of the District Judge of bringing in to the

knowledge of Judicial Officers the C.Ls of Hon'ble High Court be termed as interference in judicial work is in-fact an act of clever drafting to save oneself from mischieves committed while not following the C.L.s of Hon'ble High Court and is a misconduct on the part of the complainant officer. The said order has been set aside in the Criminal Revision No.10/2021 and a copy of said order is already annexed herewith as **ANNEXURE A-28**.

It has been wrongly alleged in the complaint that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, used to grant bail in heinous offences like 457, 380 IPC etc. and he also released Animals under Cow Slaughter Act and committed many other alleged judicial blunders. It has been further alleged that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, has intentionally passed routine orders which are misuse of post and power by him. In fact, no such complaints were ever made to the undersigned by Ms Mukta Tyagi, nor such complaints are available on record, which goes on to show that no such complaint was ever made to any of the previous District Judge also. Even, no specific instances/case numbers are mentioned regarding these allegations. Still further, it is humbly submitted that Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, is not empowered to assess the conduct of any judicial officer especially Ld. CJM who is higher in rank to her. **Making baseless and unfounded comments /allegations against higher judicial officer is a misconduct on the part of Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge.**

It is wrongly alleged that the undersigned has vested interests in Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, and that is why, he has been

appointed as O/C Nazarat, inspite of other senior Additional District Judges available in the district. It is humbly submitted that the said allegation is highly objectionable, baseless, false and equally painful. The undersigned has treated all judicial officers equally and respectfully. Still further, appointment of O/C Nazarat is simply an Administrative act / power of District Judge. It is submitted that various other ADJs were already having different heavy charges with them and next senior officers was Ld. CJM. Consequently, he was appointed as O/C Nazarat. Sh. Mumtaz Ali, Ld. Special Judge, was Incharge O/C Administration, Chairman, Infrastructure Committee & DDO. Sh. Rajat Verma Ld. ADJ was already O/C Copying, Photostat, O/C telephone, O/C Court Campus Security, Nodal Officer of Lok Adalat and Nodal Officer of Child Care Institutions. Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, was chairman of about five committees of the judgeship. Similarly, IIIrd senior judicial officer i.e. Sh. Subodh Singh Ld. ADJ was also overloaded with lot of administrative duties at that time, consequently, the charge was given to next senior judicial officer i.e. Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM. On the date of moving the present complaint Sh. Surender Kumar Ld. ADJ Kairana was O/C Nazarat and this fact has been intentionally concealed by the complainant officer. The complainant officer along-with the said illegal and informal group wanted that Shri Rajat Verma Ld. A.D.J. who was in the habit of misusing his position of being O/C Nazarat and/or Incharge District Judge should have been made the O/C Nazarat for the obvious reasons.

It has been falsely alleged that the aforesaid four officers were

targeted in almost every meeting of judicial officers and humiliated. The undersigned always talk to every judicial officer respectfully and wherever necessary they were advised to act as per law and the C.Ls issued by this Hon'ble Court. it is false to state that any judicial officer including the aforesaid four judicial officers were ever humiliated publicly or in the presence of any other person. It is completely wrong to state that in any of the monthly meeting any discussion is made by referring the name of any particular judicial officer. It is completely false that the complainant officer was publicly humiliated in the meeting dated 25.2.2021. No discussion with respect to any particular officer took place in said meeting. The allegation of targeting only four officers in every meeting of judicial officers and humiliating them in front of other officers is completely false, baseless and specifically denied as alleged in this para. Since all officers are present in monthly meetings or other meetings, therefore complete discipline is maintained and none of the other officers other than these four officers laugh's or interrupt's or acts in any unto-word manner as alleged in this para. It is completely wrong to say that any of the four officers's has ever been humiliated either publicly or in front of group C or group D staff. It is important to mention here that in one of the meeting one officer out of these four officers took straight name of one of previous District Judge, while narrating a particular incident. The said officer repeatedly refereed Anoop Goel without using Shri or Sir and all other three officers of this group starting laughing. On this other officers present in the meeting got stunned that how a judicial officer is addressing their

Ex District Judge in a derogatory manner and only at the intervention of the undersigned proper address was made there- after. It appears that Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, has leveled all false and baseless allegations in her complaint in connivance with other members of illegal informal group at the instigation and guidance of Sh. Rajat Verma Ld. ADJ.

- 3) It has been falsely alleged that on 21.12.2020, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, was asked to sign the minutes of meeting of infrastructure sub-committee which took place on 19th and when she allegedly refused to sign, she was humiliated by undersigned. In fact, again the facts have been twisted and wrong facts have been submitted to this Hon'ble Court. The complainant officer, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, joined on 21st December, 2020 as per her own admission. In fact, it is humbly submitted that it is the duty of the Chairman, Infrastructure Sub-Committee to convene the meetings of the sub-committee and to prepare the minutes of the meeting of the sub-committee. It is entirely the duty of the Chairman, Infrastructure Sub-Committee. The District Judge i.e. the undersigned has nothing to do with either calling of the meeting or to get the signatures of Chairman and members on the minutes of the Infrastructure Sub-Committee. It is a matter between the Chairman and the members of Infrastructure Sub-Committee exclusively. Secondly, no matter of infrastructure sub committee was pending on 21.12.2020, when she joined her duties. Thus, there is no question of alleged humiliation of the judicial officer by the undersigned.

It is humbly submitted that a false story has been mentioned with regard to holding of the proceedings of the J.J. Board. In the earlier part of the report, the facts have been submitted in detail and they may be read as part of this paragraph also. It is humbly submitted that Ms Mukta Tyagi, Ld. Principal Magistrate, J.J. Board, violated the mandatory provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 in holding the proceedings under the Act and the rules. Even, false averments are made in this paragraph. Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, did not hold the proceedings of J.J. Board as per law, as explained above and now a false story of protest has been projected by her. There was no occasion for protest as the proceedings of J. J. Board were being conducted illegally from her Court room as is evident from **ANNEXURES A-7, A-8 & A-9**. The complainant officer has annexed ANNEXURE A-9 (reply of the complainant officer to the complaint of Smt. Lalita) with the complaint, wherein there is no mention of alleged protest in the quarterly meeting conducted on 21.12.2020. The false story has been coined at a later stage under consultation with Sh. Rajat Verma Ld. ADJ and other members of illegal informal group. The detailed submissions in this regard have already been made in this report which may kindly be read as part of reply to this para also. Even the demi official letters were issued by the undersigned as per the C.Ls of this Hon'ble Court that too in discharge of administrative duties.

- 4) Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, has leveled false and imaginary

allegations in this paragraph of her complaint. Recitals of para no. 4 at page no. 7 although denied, but reveals that the three lady judicial officers used to sit in the chamber of Sh. Rajat Verma Ld. ADJ and sought his guidance from time to time. It is interesting that for obvious reasons that the three lady judicial officers are in group with Sh. Rajat Verma Ld. ADJ, all of whom reside in government accommodations within Court premises Kairana and all the three lady judicial officers have been favored by Sh. Rajat Verma Ld. ADJ. Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge, is also a judicial officer and is empowered to make complaints either to the undersigned or this Hon'ble Court, in case she has any grouse. Secondly, the averments in the complaint clearly established that Ms Mukta Tyagi, Ms Sudha Sharma, Ms Ruchi Tiwari, all three Ld. Civil Judges and Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, have formed an informal group in the Court campus, which is illegal. Even it appears that present complaint has been drafted by all four judicial officers, in consultation with each other. Still further, it appears that the allegations have been leveled by Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, at the instance of three other judicial officers which is again a unhealthy practice and is unacceptable in any judicial institution. In fact, the undersigned has already made detailed submissions in the earlier part of this report with regard to release of the accused in a criminal case illegally. Firstly, the accused in a crime surrendered and were taken in custody. Thereafter, their surrender application was not pressed by the counsel and they were ordered to be released by Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge illegally. Such a procedure is alien to criminal justice system. The false

story of negative test report of Covid-19 has been narrated in this context, where the accused was illegally released. None of the APO gave information to the undersigned as falsely alleged in this para, rather the members of BAR in utmost confidence disclosed these facts to the undersigned.

It is submitted that Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, has herself admitted that they were holding meetings in the chamber of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ. Still further, if at all, Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge had any problem with Ms Anu Tomar, Ld. APO, she could have called the Ld. APO in her Court or chamber, but it appears that Ld. APO was called by four judicial officers in the chamber of Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, and was humiliated. Still further, the undersigned has always issued DO letters to almost every judicial officer with a view to improve the functioning of the judicial institutions.

- 5) The allegations leveled in paragraph 5 of the complaint are wrong and baseless. Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, is a very junior judicial officer and she has no power to comment on the conduct of the undersigned or Ld. CJM, who are much higher in rank to her. Still further, it is humbly submitted that from 2nd January, 2021 regular working of the Courts started and there has been increase in judicial work. There are two stenographers in the office of District Judge and both of them are working first time in Sessions Court. One stenographer Sh. Kaushal Kumar is a new entrant in the service and the other stenographer was earlier working with Ld. CJM. None of the stenographers is an experienced one in Sessions Court matters. The

undersigned has to check every line of the orders dictated by him and there are lots of mistakes by the stenographers. Still further, the time available to correct the orders is usually after 04:30 PM. Still further, the undersigned is residing in a village in a rented accommodation which has only three rooms, consisting of two bedrooms and one drawing room only, there is no formal camp office in the rented accommodation for the undersigned and prior to this, the undersigned was residing at PWD guest house which was 17 KMs away from the Court campus. Consequently, the undersigned is constrained to complete all his judicial and administrative work from the Court campus duties by sitting late in the evening. Still further, it is vehemently denied that the undersigned was sitting late to find faults in the judicial work of any judicial officer or was persuaded by Ld. CJM in any manner, moreover '**General Instructions**' issued by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 casts duties on the District Judges to keep a watch on the judicial and administrative conduct of other judicial officers in the district. There is no occasion to inspect the faults of officers as the staffs of these officers generally leave at about 05:30 PM and all offices are locked thereafter. When offices of mostly all officers are locked, there was no occasion to call for the records of these Courts. However, it is submitted that the District Judge can call for the records of any Courts at any time, as per the C.L. No. 55/VIIIh-37/Admn.(G), dated 2nd November, 1988. It is vehemently denied that Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Ld. CJM, ever persuaded the undersigned to issue demi official letters to four judicial

officers and to insult them publically. As explained above, demi official letters were issued for valid reasons and in compliance of various CLs issued by this Hon'ble Court.

- 6) In reply to para 6 of the complaint, it is humbly submitted that in the morning of 4th March of 2021, the complainant officer was called to convene the quarterly meeting of J.J. Board latest by 15th March because the financial year was closing and a lot of work was to be done in the month of March. The said meeting was required to be called by the complainant officer latest by 15th February and because of her failure to do so, she was called to immediately convene the said meeting and not later by 15th March, but even she failed to comply the said instruction and the meeting was called by her for 31st March that too on 31st March . On 5th March 2021 the complainant officer sought permission to meet the undersigned in the lunch time of 5th March of 2021 , but she was permitted to visit after completing the Court work as the undersigned had received direction in the morning to seek telephonic instructions from the Hon'ble Administrative Judge in lunch time. The undersigned had telephonic conversation with the then Hon'ble Administrative Judge in the lunch time on 5th March, 2021 and had submitted detailed facts to the Hon'ble Lordship and also received a number of instructions from the Hon'ble Lordship regarding the Judgeship. In the evening, when the complainant officer met the undersigned that too on her own request, she narrated the incident of man-handling of A.P.O. in the J.J .Board by a practicing Advocate of Bar Association, Kairana. A written information in this regard was also

provided by her to the undersigned. During the conversation, the undersigned had explained everything to her regarding instructions received from the Hon'ble Administrative Judge that too only in compliance to the direction received from the Hon'ble Administrative Judge. It is falsely alleged that the undersigned had put pressure on the complainant officer. The complainant officer admitted that the J. J. Board proceedings were actually done from the Court Rooms of the Principal Magistrates up-to December 2020, but now the proceeding are being conducted from the accommodation made available by the District Magistrate. The complainant officer stated that Smt. Lalita also used to participate in the J.J. Board proceedings from the Court Rooms and why Smt. Lalita is making it a issue now. The complainant officer claimed that no one can prove that the J.J. Board proceedings were ever conducted from the regular Court rooms and asked to dismiss the complaint. It was advised that the proceeding of J. J. Board are already being vitiated because of non compliance of the mandatory provision of J. J. Act. On this the complainant officer threatened to see the undersigned and stated that she does not need any advise. It is completely wrong to state that any undated and unsigned letter head of Bar Association Kairana was shown to her as alleged in this para. It also casts serious aspersions on the integrity of Bar Association, Kairana that a blank letter head that too undated and unsigned was ever handed over to the undersigned. It seems that somehow the complainant officer got information of representation dated 03.03.2021 of the Bar Association Kairana and in consultation with other members of said

illegal informal group, the present false complaint was drafted and moved so that either the undersigned be prevented from conducting the investigation in to the complaint of Smt. Lalita as it touched the judicial functioning of two officers of this group or the undersigned be pressurised in the garb of this false complaint to submit a favorable report in the complaint of Smt. Lalita. The officer has wrongly declared in this para that there was no complaint against her rather a written complaint against her was earlier received from Hon'ble High Court as already narrated above. In the evening when the complainant officer visited the undersigned, the instructions with respect to her as received from the then Hon'ble Administrative Judge were simply conveyed to her without addition and or subtraction. It is highly objectionable that she has unnecessarily dragged the Hon'ble Administrative Judge in this para because there was no occasion for the undersigned to have any information regarding what she had talked to the Hon'ble Administrative Judge. It is completely wrong to state that indirect pressure was put upon her to not to communicate with the Hon'ble Administrative Judge as falsely alleged in this para. The instructions, which the undersigned received from the Hon'ble Administrative Judge were politely communicated to her as instructed by the then Hon'ble Administrative Judge.

- 7) That the averments in paragraph 7 are vague and it is apparent that the four judicial officers namely Sh. Rajat Verma, Ld. ADJ, Ms Ruchi Tiwari, Ld. Civil Judge, Ms Sudha Sharma, Ld. Civil Judge, Ms Mukta Tyagi, Ld. Civil Judge, have hold detailed consultations and have

exchanged confidential information with each other and made complaint by leveling false and imaginary allegations.

- 8) That the undersigned is submitting some additional points before the Hon'ble Court. The undersigned took charge as District Judge during Covid-19 pandemic times on 4th July, 2020 and ensured smooth functioning of the Shamli judgeship during this period. All the grievance of the BAR were resolved at the undersigned level except the complaint of Smt. Lalita. The undersigned with the help of District Administration got installed CCTV Cameras in the judgeship, got constructed two new toilets for women along-with one new male urinals for litigants and also got brick work done on whole parking area along-with some other infrastructure works in the judgeship. Regular testing for Covid-19 was ensured on the Court premises resulting in to no causality among officers and employees of the judgeship till date.
- 9) It is important to mention here that prior to the complaint of Smt. Lalita against Ms Mukta Tyagi Principal Magistrate, J. J. Board (complainant officer), there was no complaint or grievance from any corner of the Judgeship including from the said illegal informal group/coterie. But soon thereafter, an attempt was made to force and/or terrorise the undersigned not to investigate the said complaint by making false allegations/accusations using uncalled/improper language in reply to said complaint showing great disrespect and discourtesy to the superior officers with the false narration of concocted facts, in violation of relevant C.L.s. The members of the said illegal informal group were found not sitting on dias in surprise inspections conducted by the

undersigned. When the senior most member of this illegal informal group/coterie Sh. Rajat Verma Ld. ASJ was informed that he has allowed a 2nd bail application of an accused whose first bail application was already rejected by Hon'ble High Court in violation of C.L. as well as binding judgment of Hon'ble High Court, by the undersigned in performance of administrative duties assigned by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 & C.L. No. 23/ALLD. Dated 17th September, 1999, a conspiracy under his guidance was hatched and the present complaint was drafted by all the members of this group/coterie under leading consultation with their said senior most member Sh. Rajat Verma Ld. ADJ.

- 10) **The present false complaint is an attempt that the District Judge be not only prevented from conducting further investigation in to the complaint of Smt. Lalita and thereafter reporting the matter to Hon'ble High Court but also be prevented from submitting true report/reports regarding their judicial as well as administrative conduct in their annual assessments.**
- 11) The present false complaint is also an attempt that the present or future District Judges be prevented forever from conducting investigation(s) in any complaint pending or to be received later-on against any member of said illegal and informal group/coterie wherever they are posted in whole of the state of Uttar Pradesh by creating an atmosphere of terror that they can directly make false complaint(s) against their District Judge and/or C.J.M. in violation of C.L.s of Hon'ble High Court. The true intention behind the present complaint is that an environment of

terror be created in whole of the State of Uttar Pradesh, wherever the members of said illegal informal group are posted in future, their respective District Judges shall always keep their eyes and ears closed regarding their judicial and administrative conduct and they should not be asked to follow settled principles of Law or binding judgment of Hon'ble Supreme Court / Hon'ble High Court or spirit and mandate of law or judicial discipline or administrative discipline etc.

- 12) The said illegal informal group/coterie is in the habit of violating various binding judgments of Hon'ble Supreme Court / Hon'ble High Court, various Circular Letters issued by Hon'ble High Court, mandate and spirit of Law etc. while performing judicial and administrative duties as per their whims in particular manner, several instances of which have already been quoted in this report. The complainant officer and other members of this informal group against all settled principles of discipline keeps eyes on the judicial and administrative work of their District Judge and C.J.M. & also illegally secures unauthorized and illegal photocopies of Court records, which is an act of gross misconduct on their part. Their above detailed acts are certainly of the nature of unbecoming of a judicial officer as well as are unacceptable from a judicial officer, are likely to spread an adverse and unauthorised indiscipline in the institution, which shall certainly affect the administration of justice in future, if not adverted to.
- 13) Ms Mukta Tyagi and Ruchi Tiwari both Ld. Civil Judges while illegally conducting J.J. Board proceedings as Principal Magistrate from their own regular Court Rooms have not only thereby conducted serious

judicial misconduct, but both these officers have also forced the other lady member (who is a member of Scheduled Caste) of J. J. Board to sit on a stool at their back and not allowed her to share dias while conducting J.J. Board proceeding from their respective Court rooms and thereby harassed her in an inhuman way which can not be appreciated in any civilized society.

- 14) General Instructions issued by the Hon'ble High Court vide C.L. No. 105 dated 20th September, 1972 casts an important duty on the District Judges to keep a watch on the judicial and administrative conduct of other judicial officers in the district and to advise the officers under him to go through the earlier Circulars issued by the High Court and to act in accordance with them. The said illegal and informal group has actually challenged the bonafide performance of administrative duties by the District Judge in compliance to above C.L. No. 105. Challenging the performance of administrative duties by the District Judge is in-fact a challenge to the various Circular Letters of the Hon'ble High Court including above Circular Letter, whereby the District Judges have been asked to keep a strict vigil on the judicial officers and to ensure strict compliance of Circular Letters by all judicial officers.
- 15) The undersigned is extremely pained to inform that the complainant officer is an in-disciplined officer and has misconducted herself on several occasions and has violated binding judgment of Hon'ble Supreme Court, various Circular Letters issued by Hon'ble High Court, mandate and spirit of Law etc., while performing judicial duties and administrative duties as per her own whims in particular manner,

several instances of which have already been quoted in this report. The complainant officer has no hesitation in making false submissions even before Hon'ble High Court as she has willfully submitted in the complaint that there was no written complaint against her earlier, which is against the records and is a false submission, as a complaint was received from Hon'ble High Court against her, which was illegally and in an unauthorised manner disposed off by the senior-most member of said illegal informal group i.e. Sh. Rajat Verma Ld. ADJ. The complainant officer was already orally advised several times, but instead of making improvement she has resorted to the filing of present complaint. The present complaint is an attempt to browbeat the senior and higher officers by the complainant officer, which is itself a serious misconduct on the part of complainant officer (which complaint has been filed directly to Hon'ble Administrative Judge in violation of various Circular Letters issued on this regard). The complainant officer has earlier filed a false complaint against a class III employee, thereafter a complaint against the junior-most trainee judicial officer after herself making viral the alleged chat on social media and harassing the said junior-most judicial officer on caste lines, thereafter against her own C.J.M. and now against her own District Judge is a reflection of her own conduct and discipline. Ms Mukta Tyagi Ld. Civil Judge / the complainant officer committed serious judicial misconduct while illegally conducting J.J. Board proceedings as Principal Magistrate from her own regular Court Room and also harassed the other lady member of J.J. Board (who is a member of Scheduled Caste) in an

inhuman way which can not be appreciated in any civilized society.

It is, therefore, most respectfully prayed that a strict disciplinary action be initiated against the complainant officer for attempting to destroy a disciplined institution. The report along-with the report of the then Ld. C.J.M. Shamli as ANNEXURE A-68 is submitted for kind perusal of Hon'ble Court.

With profound regards.

Submitted by

Enclosures : As Above.

-Sd-

(Dr. Ajay Kumar – II)

District Judge , Shamli

ANNEXURE A-1

GENERAL INSTRUCTIONS

C.L. No. 105 dated 20th September, 1972

The following directions are issued for strict observance:

1. **It is the duty of the District Judges to keep a watch on the judicial and administrative work and conduct of other officers in the district. The Administrative Judge expects District Judges to control the officers who depart from the standards and to inform the Court if necessary.**
2. The Administrative Judge will make regular inspection of the courts of District Judges. It is the responsibility of the District Judge to inspect the courts of the other officers. The Administrative Judge shall inspect some selected courts of other officers. If the working of any subordinate court is found to be not satisfactory or proper, it will be taken that the District Judge lacks control and administrative ability.
3. No officer other than District Judges may call on the Administrative Judge.
4. No officer may see the Administrative Judge in connection with his representation or grievance or request except by previous appointment made through the Registrar.
5. **If any officer wishes to make a representation or to ventilate a grievance or to make a request, he must do so only through the proper channel to the Administrative Judge. Approaches through other channels will not be appreciated.**
6. The District Judges and all other officers will sit in court punctually at the times fixed for the sitting of the courts. Unpunctuality will be taken serious note of.
7. All officers must wear the prescribed dress in court.
8. Officers will avoid drinking in public places in public functions and in parties in which any member of public is present.
9. Officers will avoid coming into intimate contacts with any member of the general public particularly members of the business community who usually figure in litigations before the courts.
10. **The District Judges will advise the officers under them to go through the earlier Circulars issued by the High Court and to act in accordance with them.**

ANNEXURE A-2

COMPLAINTS AGAINST OFFICERS

G.L. No. 4/Xf-21 dated 4th March, 1952

All complaints against Judicial Officers should be referred to the Court for directions.

C.L. No. 83/Xf-21 dated 31st May, 1971

While forwarding complaints against Judicial Officers to the Court, District Judges should give their comments also and enquire into the complaints and take suitable action in the matter.

ANNEXURE A-3

COMMUNICATIONS BY JUDICIAL OFFICERS Communications with the High Court

C.L. NO. C-2/DR (S) 95, Dated January 2, 1995

All official communications to the high court by judicial officers or others must be addressed only to the registrar of the high court and to none else and no advance copy thereof is to be sent to the Hon'ble Chief Justice.

This may kindly be brought to the notice of all the judicial officers posted in your Sessions Division.

C.L. No. 40/J.R. (S)/2007; Dated: Alld. September 17, 2007

In continuation to C.L. No. C-2/D.R.(S)/95 dated: Allahabad: January 2, 1995, in the above reference I am directed to say that no correspondence shall be made directly to the Hon'ble the Chief Justice/Hon'ble Administrative Judge by the Judicial Officers. All the official communication must be routed out through the Registrar General/Registrar of the Allahabad High Court or Lucknow Bench as the case may be.

I am, therefore, to request you kindly to circulate it amongst the Judicial Officers of the Judgeship for strict compliance.

EXPLANATION BY MAGISTRATES

G.L. No. 12/VII-a-82 dated 2nd May, 1950

The provision in rule 100 : Chapter X of the General Rules (Criminal), 1957 * , that when a Sessions Judge on examining the record of any proceeding, thinks fit to report the result of examination for the orders of the High Court, he should, except in a case in which delay should be avoided, call for and submit with the report the explanation of the officer whose proceedings have been examined by him, was made with the object of getting the views of the officer whose proceedings have been examined by the Sessions Judge as well. **It is, however, impressed upon all District Magistrates and all Magistrates in their districts that whenever they are called upon to give explanations as required by the rules or by order of the High Court or the Sessions Judge, they have to carry out the orders and whatever explanation they submit should be properly worded and should not show either disrespect or discourtesy to any superior officer or court.**

Annexure A-4

सेवा में,

श्रीमान जनपद न्यायधीश महोदय
शामली एट कैराना।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थीया किशोर न्याय बोर्ड शामली की शासन की ओर से नियुक्त सदस्या है। प्रार्थीया ने मीटिंग 21.12.2020 में जनपद न्यायधीश के पूछने पर की किशोर न्याय बोर्ड की रिमांड व पेशी कहाँ होती है तो प्रार्थीया ने सच बता दिया था कि बोर्ड की रिमांड व पेशी प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी इसी बात से नाराज होकर प्रार्थीया से ईर्ष्या रखने लगी और परेशान करने लगी। प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी के समय मुझे पीछे बैठाया जाता था किशोर न्याय बोर्ड में अब मैं उनके बराबर में बैठती हूँ तो प्रधान मजिस्ट्रेट मुझसे कहती है कि तू चमार है बराबर में बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और गन्दी-गन्दी भाषा का इस्तेमाल करती है और कहती है तेरी नौकरी हटाऊंगी और तेरे उच्च अधिकारियों को शिकायत करूंगी। इसी रंजिश के कारण प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी ने परेशान करने के उद्देश्य से 28.01.2021 को एक नोटिस व 29.01.2021 को दो नोटिसों के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा, जबकि उनको मुझे नोटिस देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी मैंने उनका सम्मान करते हुये नोटिस का स्पष्टीकरण दिया। फिर भी दिनांक 05.02.2021 को दो नोटिस बोर्ड की बैठक में दिये जिनकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है और मौखिक में कहा गया कि हम अपने आदेश स्वयं करेंगे तथा आप अपने आदेश स्वयं करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीया बहुत मानसिक आघात महसूस कर रही है और प्रार्थीया के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। माननीय न्यायधीश से प्रार्थना है कि किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा परेशान करने वाली कार्यशैली से मुक्ति दिलाई जाये। आपकी अति कृपा होगी।
प्रतिलिपी संलग्न:-

1- सभी नोटिसों की छायाप्रति।

2- सभी जवाब की छायाप्रति।

प्रतिलिपि:-

1- माननीय मुख्य न्यायधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद।

2- श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट शामली।

दिनांक:- 06.02.2021

प्रार्थीया:-
Lalita
06/02/2021

श्रीमति ललिता

सदस्या किशोर न्याय बोर्ड
शामली जनपद शामली।



बार एसोसिएशन, कैराना

सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 1045/99
(बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध) संख्या 37/89

पत्रांक

दिनांक 22-02-2021

सेवा में,

परम श्रद्धय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जिला शामली।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि बार एसोसिएशन कैराना के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ईश्वर चन्द जाटव द्वारा दिनांक 24.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष/महासचिव को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया गया कि "श्रीमती ललिता किशोर न्याय बोर्ड शामली की शासन की ओर से दिनांक 02.01.2017 से सदस्य है और यहाँ किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना से पूर्व मुजफ्फरनगर में भी कार्य किया है जब से किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना शामली/कैराना में हुई यहाँ कार्य करती है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता से दिनांक 21.12.2020 की मिटिंग के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही कहाँ संचालित होती है तो श्रीमती ललिता ने सच बता दिया कि प्रारम्भ से ही किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं विश्रामकक्ष में होती है। इसी बात को लेकर वर्तमान प्रधान मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी ने प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता को नोटिस देकर, अपशब्द बोलकर, खराब व्यवहार करके उत्पीडन करना शुरू कर दिया और रंजिश रखने लगी, जबकि पूरी कचहरी के अधिवक्ताओं को पता है कि किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही कहाँ और कैसे संचालित होती थी। इससे पूर्व प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता की कार्य प्रणाली से कभी भी किसी अधिकारी या अधिवक्ताओं को कोई शिकायत नहीं हुई, सिर्फ वर्तमान प्रधान मजिस्ट्रेट को सच बात बताने को लेकर हुई, मेरी पत्नी अत्यधिक मानसिक परेशानी से गुजर रही है" दिया गया।

जिसके समर्थन में बार के अधिवक्तागण द्वारा अपने हस्ताक्षर व मोहर लगायी है तथा प्रार्थना की गयी कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता को प्रधान मजिस्ट्रेट के उत्पीडन से मुक्ति दिलायी जावे।

इसके सम्बन्ध में बार एसोसिएशन कैराना की कार्यकारिणी की मिटिंग बुलायी गयी तथा कार्यकारिणी के सदस्यगण के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र को रखते हुए अपने विचार रखने को कहा तथा विचारोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश को समाधान हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक मूल प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.02.2021

भवदीय

जिला न्यायाधीश
कैराना

अध्यक्ष

बार एसोसिएशन कैराना
जिला शामली।

महासचिव
सो.लि.म अरती (एडवोकेट)
जिला बार एसोसिएशन
शामली जिला कैराना

Annexure A-6

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय,
बार एसोसिएशन कैराना।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता किशोर न्याय बोर्ड शामली की शासन की ओर से दिनांक 02.01.2017 से सदस्य है और यहाँ किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना से पूर्व मुजफ्फरनगर में भी कार्य किया है जब से किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना शामली/कैराना में हुई यहाँ कार्य करती है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता से दिनांक 21.12.2020 की मिति के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही कहाँ संचालित होती है तो श्रीमती ललिता ने सच बता दिया कि प्रारम्भ से ही किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं विश्रामकक्ष में होती है। इसी बात को लेकर वर्तमान प्रधान मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी ने प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता को नोटिस देकर, अपशब्द बोलकर, खराब व्यवहार करके उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और रंजिश रखने लगी, जबकि पूरी कचहरी के अधिवक्ताओं को पता है कि किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही कहाँ और कैसे संचालित होती थी। इससे पूर्व प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता की कार्य प्रणाली से कभी भी किसी अधिकारी या अधिवक्ताओं को कोई शिकायत नहीं हुई, सिर्फ वर्तमान प्रधान मजिस्ट्रेट को सच बात बताने को लेकर हुई, मेरी पत्नी अत्यधिक मानसिक परेशानी से गुजर रही है।


अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार करके श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलकर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ललिता को प्रधान मजिस्ट्रेट के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।


आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 24.02.2021



प्रार्थी:-.....


ईश्वर चन्द जाटव एडवोकेट
सदस्य बार एसोसिएशन कैराना
जनपद शामली।


Mehrez Ahmad
Dist. Bar Kairana at Kairana


Reg. No. 31/2000
Kairana



Kairana
MOB. No. 8923816000


DINESH KUMAR
Reg. No. 11/2000


महासचिव

सालिम अक्तर (एडवोकेट)
जिला बार एसोसिएशन
शामली स्थित कैराना

अध्यक्ष
बार एसोसिएशन कैराना
जिला शामली।


जिला बार एसोसिएशन
शामली स्थित कैराना

VINAY SHARMA (Advocate)
Ch. No. 33 CIVIL Court - Shamli
Kairana (Shamli)
Mob - 983237618
M/N - 13244/2000

VINAY SHARMA (Advocate)
Ch. No. 33 CIVIL Court - Shamli
Kairana (Shamli)
Mob - 983237618
M/N - 13244/2000

[Signature]
RAVINDRA KUMAR
Advocate
Reg. No. -3393/16, Ch. No. 88
Distt. Court, SHAMLI

[Signature]
RAJIV SINGH
Advocate
Regd No. 2140/88
Ch. No. 72, Kairana
(Shamli) M. No. 9412009228
Nattin, Kairana
Distt. Court, Shamli
Chamber No. 96
Mob. 94112/2575

[Signature]
RAVI WALIA
Advocate
Reg No. 550109, CN. 20
M. No. 9412009228
Kairana (Shamli)

[Signature]
SANJAY WALIA
Advocate
Civil Court Kairana
Distt. Shamli

[Signature]
Advocate
Civil Court Kairana
Reg. No. 3327/19

[Signature]
RASEEM AHMAD
Advocate
Enrol. No. 581/2006
Civil Court, Kairana (Sh)

[Signature]
INTAZAR AHMAD
Advocate
Kairana (Shamli)
Distt. Shamli
Reg. No. 3327/19

JANSHER KHAN
Advocate
Reg. No. 3327/19

[Signature]

[Signature]

Date	Name: <u>MUKTA TYAGI</u>		Remarks
	Designation: <u>C.J.J.D. SHAMLI</u>		
	In the court room	In the Chamber	
01.11.2020	SUNDAY		
02.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
03.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
04.11.2020	C.L.		
05.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
06.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
07.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓ <i>1/2 DJ</i>
08.11.2020	SUNDAY		
09.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
10.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
11.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
12.11.2020	10:30 to 1:30, 2:30 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
13.11.2020	HOLIDAY		
14.11.2020	SECOND SATURDAY (DEEPAWALI)		
15.11.2020	SUNDAY (DEEPAWALI)		
16.11.2020	HOLIDAY		
17.11.2020	HOLIDAY		
18.11.2020	C.L.		
19.11.2020	court closed due to COVID-19		
20.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
21.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
22.11.2020	SUNDAY		
23.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
24.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
25.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
26.11.2020	10:30 to 11:15, 11:15 to 1:30, 2 to 3:30, 4:30	9:45 to 10:30, 11 to 11:15, 1:30 to 2:30, 4:30 to 5	✓
27.11.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	✓
28.11.2020	FOURTH SATURDAY		
29.11.2020	SUNDAY		
30.11.2020	HOLIDAY		


Attested

 12/3/2021
 E. Administration
 Office
 Judge Shamlu

DECEMBER-2020

79.

Date	Name: <u>MURTA TYAGI</u> Designation: <u>C.J. J.D. SHAMLI</u>		Remarks
	In the court room	In the Chamber	
01.12.2020	10:30 to 1:30 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
02.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
03.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
04.12.2020	10:30 to 1:30 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
05.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
06.12.2020	SUNDAY		
07.12.2020	C.L.		
08.12.2020	C.L.		
09.12.2020	C.L.		
10.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
11.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
12.12.2020	SECOND SATURDAY		
13.12.2020	SUNDAY		
14.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
15.12.2020	office inspection	10:00 AM to 10:30 1:30 to 2	⊕
16.12.2020	office inspection	10:00 AM to 10:30 1:30 to 2	⊕
17.12.2020	C.L.		
18.12.2020	C.L.		
19.12.2020	C.L.		
20.12.2020	SUNDAY		
21.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
22.12.2020	10:30 to 1:30, 2 to 4:30	10:00 AM to 10:30, 1:30 to 2, 4:30 to 5	⊕
23.12.2020	inspection	Juvenile home	
24.12.2020	Juvenile day	10:00 AM to	⊕
25.12.2020	WINTER HOLIDAY (CHRISTMAS DAY)		
26.12.2020	WINTER HOLIDAY		
27.12.2020	WINTER HOLIDAY		
28.12.2020	WINTER HOLIDAY		
29.12.2020	WINTER HOLIDAY		
30.12.2020	WINTER HOLIDAY		
31.12.2020	WINTER HOLIDAY		

Attested

 12/3/2021
 Administrative
 Officer
 Judge Shantiraj

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय— माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश सं० 92 दिनांकित 08.03.2021
के अनुपालन में वांछित आख्या

महोदय,

माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश सं० 92/ए.ओ.-2021 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, के प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय सिविल जज सी० डि० कैराना में दिनांक 29.08.2019 से दिनांक 09.11.2020 तक तथा दिनांक 09.11.2020 से दिनांक 08.03.2021 तक न्यायालय सिविल जज जू० डि०, शामली की प्रचलित एवं प्राचीन डेली सिटिंग, प्रचलित एवं प्राचीन जमानत पंजिकाओं, प्रचलित एवं प्राचीन साक्षीगण के अभिकथनों की प्रतियां देने की पंजिका, प्रचलित एवं प्राचीन पंजिका सं० 3 तथा उक्त न्यायालयों के उपरिवर्णित समयावधि में किशोर न्याय बोर्ड के पूर्णकालिक कार्यदिवसों गुरुवार एवं शुक्रवार में किये गये निस्तारण के सम्बन्ध में सी० आई० एस० सर्वर एवं एन० जे० डी० जी० पर उपलब्ध डाटा का अवलोकन करने के उपरान्त विवरण सारणी के स्वरूप में तैयार किया गया है। प्रस्तरवार आख्या निम्नानुसार है :-

1- यह कि प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली प्रशासनिक आदेश सं० 15 दिनांकित 29.10.2018 के अनुसार प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड, शामली के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य संपादित करते हैं, तब वह अपनी डेली सिटिंग में विश्राम कक्ष में आने का समय अंकित कर सम्बन्धित तिथि के सामने स्तम्भ में "जुवेनाइल डे" अंकित करते हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि उन्होंने उस दिन केवल किशोर न्याय बोर्ड, शामली के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य संपादित किया है। प्रशासनिक आदेश सं० 290 दिनांकित 09.11.2020 के द्वारा सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज जू० डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को किशोर न्याय बोर्ड, शामली के प्रधान मजिस्ट्रेट, के रूप में सिविल जज जू० डि०/न्या० मजि० शामली को माननीय महोदय के द्वारा नामांकित किया गया था, परन्तु उन्होंने अपनी डेली सिटिंग में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में नामांकित होने के उपरान्त दिनांक 24.12.2020 को प्रथम बार अपनी डेली सिटिंग में "जुवेनाइल डे" अंकित किया है। इसके पूर्व की तिथियों में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के पूर्णकालिक कार्य दिवसों में "जुवेनाइल डे" अंकित



.2.

नहीं किया गया है, अपितु उनके द्वारा अपने न्यायालय एवं विश्राम कक्ष में उपस्थिति एवं कार्य करने का समय अंकित किया गया है। इस सन्दर्भ में उनके न्यायालय की डेली सिटिंग की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है

2- यह कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी० डि०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना की जमानत पंजिका का दिनांक 29.08.2019 से 06.11.2020 तक तथा न्यायालय सिविल जज जू० डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की जमानत पंजिका का दिनांक 12.11.2020 से दिनांक 05.03.2021 तक का अवलोकन किया गया। उपरिवर्णित उक्त समयावधि में दोनो न्यायालयों में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के पूर्णकालिक कार्यदिवसों में जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया गया है। उक्त विवरण के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा सारणी के स्वरूप में दोनो न्यायालयों के पृथक-पृथक रूप से विवरणपत्र तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

3- यह कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी० डि०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना की साक्षीगण के अभिकथन लेखबद्ध किये जाने की पंजिका का दिनांक 29.08.2019 से 06.11.2020 तक तथा न्यायालय सिविल जज जू० डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की साक्षीगण के अभिकथन लेखबद्ध किये जाने की पंजिका का दिनांक 12.11.2020 से दिनांक 05.03.2021 तक का अवलोकन किया गया। उपरिवर्णित उक्त समयावधि में दोनो न्यायालयों में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के पूर्णकालिक कार्यदिवसों में साक्षीगण के अभिकथन व्यवहार एवं दाण्डिक वादों में लेखबद्ध किये गये हैं। उक्त विवरण के सन्दर्भ में भी प्रार्थी द्वारा सारणी के स्वरूप में दोनो न्यायालयों के पृथक-पृथक रूप से विवरणपत्र तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

4- यह कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी० डि०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना की मूलवाद दायरा पंजिका सं० 3 का दिनांक 29.08.2019 से 06.11.2020 तक तथा न्यायालय सिविल जज जू० डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की मूलवाद दायरा पंजिका सं० 3 का दिनांक 12.11.2020 से दिनांक 05.03.2021 तक का अवलोकन किया गया। उपरिवर्णित उक्त समयावधि में दोनो न्यायालयों में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के पूर्णकालिक कार्यदिवसों में मूलवादों की सुनवाई की गयी है। उक्त विवरण के सन्दर्भ में भी प्रार्थी द्वारा सारणी के स्वरूप में दोनो न्यायालयों के पृथक-पृथक रूप से विवरणपत्र तैयार किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

5- यह कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज सी० डि०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के सी० आई० एस० सर्वर पर उपलब्ध डाटाबेस का दिनांक 29.08.2019 से 06.11.2020 तक तथा न्यायालय सिविल जज जू० डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के सी० आई० एस० सर्वर पर उपलब्ध डाटाबेस का दिनांक 12.11.2020 से दिनांक 05.03.2021 तक का अवलोकन किया गया।




3.

उपरिवर्णित उक्त समयावधि में दोनो न्यायालयों में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के पूर्णकालिक कार्यदिवसों में व्यवहार एवं दाण्डिक वादों को निस्तारित किया गया है। उक्त विवरण के सन्दर्भ में भी प्रार्थी द्वारा सारणी के स्वरूप में दोनो न्यायालयों के पृथक-पृथक रूप से विवरणपत्र तैयार किये गये है, जो संलग्न है।

उक्त विवरण में से कुछ दिनांकों में यथा दिनांक 30.08.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 22.11.2019, 28.11.2019, 17.01.2020, 06.02.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 24.09.2020 एवं 22.10.2020 को काफी अधिक न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रत्येक प्रकार का किया गया है। उक्त विवरण को भी प्रार्थी द्वारा सारणी के स्वरूप में तैयार कर माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

तदनुसार, विवरणपत्र/आख्या श्रीमान जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 23.03.2021


प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
शामली।

o.
A copy be sent
to Sh. Muntaz Ali
Itd. A.S.J. (POCSO).

23/03/2021

See
received copy.
A

88

Sheet 1

83

Judicial Workdone by Sushri Mukta Tyagi, of the Court of Civil Judge J.D./J.M. Shanti on the full Juvenile Days of Thursday & Friday as per bail Register, Witnesses Statement Register, Institution Register and Data available on C.I.S. Server

S.N.	Date	No.s of Bail Application decided	No.s of Statement recorded	Disposal in the date as per CIS Disposal Register	Entertainment of Original Suits in the date as per Register No. 03
1	12-11-2020	1 (C/N 63/2020, P/S Garhi Pukhta)	NIL	NIL	NIL
2	20-11-2020	NIL	NIL	O.S. 69/1996 Decided	O.S. 186/2020 CJ JD S & O.S.95/2020 CJ JD K
3	26-11-2020	NIL	NIL	NIL	O.S. 196/2020 CJ JD S
4	27-11-2020	1 (C/N 11/2020, P/S Garhi Pukhta)	NIL	Civil Suit 186/2020 Dismissed	NIL
5	03-12-2020	2 (C/N 08/2020 P/S Garhi Pukhta & Complaint No.3490/2020 P/S Garhi Pukhta)	NIL	NIL	O.S. 201/2020 CJ JD S & O.S.99/2020 CJ JD K
6	04-12-2020	NIL	NIL	NIL	O.S. 100/2020 CJ JD K
7	10-12-2020	NIL	NIL	NIL	O.S. 101/2020 CJ JD K
8	11-12-2020	NIL	NIL	NIL	NIL
9	01-01-2021	1 (C/N 20/2020, P/S Garhi Pukhta)	NIL	O.S. 87/2019 Dismissed	O.S. 01/2021 CJ JD S & O.S. 01/2021 CJ JD K
10	07-01-2021	2 (C/N 136/2020, P/S Garhi Pukhta & C/N 20/2020, P/S Garhi Pukhta)	1 (O.S. No. 87/2009)	NIL	O.S. 03, 04, 05 of 2021 CJ JD S & O.S. 05/2021 CJ JD K
11	08-01-2021	NIL	NIL	O.S. 206/1999 Disposed Otherwise	NIL
12	14-01-2021	1 (C/N 07/2020, P/S Garhi Pukhta)	NIL	NIL	NIL
13	15-01-2021	1 (C/N 03/2021, P/S Garhi Pukhta)	NIL	NIL	O.S. 08/2021 & 09/2021 CJ JD S
14	21-01-2021	NIL	NIL	Misc. Civil Case 20/2020 Allowed	O.S. 17/2021 CJ JD S
15	22-01-2021	1 (C/N 07/2021, P/S Garhi Pukhta)	3 (2 Statement in O.S. No. 87/2009 & 1 in O.S. 140/2019)	NIL	O.S. 18/2021 CJ JD S
16	28-01-2021	NIL	NIL	NIL	NIL
17	29-01-2021	NIL	2 (1 Statement in O.S. No. 07/2015 & 1 in C.I. Case 525/2019)	Civil Suit 207/2020 Disposed on Compromise	O.S. 17/2021 CJ JD K
18	04-02-2021	NIL	0	NIL	O.S. 19/2021 CJ JD S & O.S. 18/2021 CJ JD K
19	05-02-2021	NIL	3 (2 Statement in C.I. Case 2464/2020 & 1 in O.S. 15/2004)	O.S. 131/2019 Disposed Otherwise	O.S. 20,21,22,23 of 2021 CJ JD S O.S. 19/2021 CJ JD K
20	11-02-2021	NIL	NIL	NIL	NIL
21	12-02-2021	NIL	NIL	Civil Suits 161/2020 & 5/2021 Disposed Otherwise & Ex. 4/2010 Disposed in full satisfaction	NIL
22	18-02-2021	1 (C/N 16/2021, P/S Garhi Pukhta)	NIL	NIL	O.S. 31/2021 CJ JD S & O.S. 27/2021 CJ JD K

84.

84.

23	19-02-2021	2 (C/N 133/2020, P/S Gardi Pukhta & C/N 130/2020, P/S Gardi Pukhta)	NIL	NIL	O.S. 32/2021, 33/2021 CI JD S & O.S. 28/2021 CI JD K
24	25-02-2021	NIL	NIL	O.S. 68/2009 disposed Otherwise	NIL
25	26-02-2021	NIL	NIL	Civil Suits 179/2020 & 209/2020 Disposed Otherwise	NIL
26	04-03-2021	NIL	NIL	NIL	NIL
27	05-03-2021	2 (C/N 238/2017, P/S Gardi Pukhta & C/N 308/2017, P/S Gardi Pukhta)	NIL	Civil Suit 67/2020 Disposed Otherwise	O.S. 36/2021 CI JD S & O.S. 35/2021, 36/2021 CI JD K

Judicial Workdone by Sushri Ruchi Tiwari, of the Court of Civil Judge (S.D./AJCM Kairana on the full Juvenile Days of Thursday & Friday as per bail Register, Witnesses Statement Register, Institution Register and Data available on C.I.S. Server

S.N.	Date	No.s of Bail Application decided	No.s of Statement recorded	Disposal in the date as per CIS Disposal Register	Entertainment of Original Suits in the date as per Register No. 03
1	29-08-2019	1 (C/N 39/2019, P/S Jhunjhana)	6 (Succ. Civil Case 5/2018)		NIL
2	30-08-2019	1 (Comp. Case, P/S Jhunjhana)	3 (Comp. Case 174/2016 & 426/2019)	SCC 1/2018 & Succ. 15/2012 Disposed Otherwise	O.S. 98/2019, 99/2019 & 100/2019 CJ SD K
3	05-09-2019	NIL	1 (Crl. Case No. 85/2019)	NIL	NIL
4	06-09-2019	3 (C/N 415/2019, C/N 369/2019 & 62/621/2009 P/S Jhunjhana)	8 (Crl. Case 74/2018 & 568/2018)	NIL	NIL
5	12-09-2019	4 (C/N 62/2013, C/N 459/2019 & Crl. Case No's. 2528/2017, 112/2019 P/S Jhunjhana)	1 (Crl. Case No. 135/2015)	O.S. 10019/2018 Disposed Otherwise	NIL
6	13-09-2019	2 (Crl. Case No. 2528/2017 & C/N 388/2017 112/2019 P/S Jhunjhana)	NIL	NIL	NIL
7	19-09-2019	1 (Crl. Case No. 592/2013 P/S Jhunjhana)	2 (Crl. Case No. 2216/2017)	NIL	O.S. 102/2019 CJ SD K
8	20-09-2019	1 (C/N 426/2019, P/S Jhunjhana)	6 (Crl. Case No.s 260/2018,931/2014, 318/2016, 947/2009)	O.S. 200/2018 Dismissed	NIL
9	26-09-2019	5 (C/N 62/2013, C/N 200/2019, C/N 2722/2018, C/N 500/2019, C/N 729/2018, C/N 520/2019 P/S Jhunjhana)	9 (Crl. Case No.s 1136/2009,3516/2017, 1146/2019, 1191/2019,368/2016, 688/2016)	NIL	NIL
10	27-09-2019	12 (C/N's 1134/2019, 285/2019,397/2019, 298/2019, 527/2019, 436/2013, 1281/2019, 511/2019, 529/2019 P/S Jhunjhana)	2 (Crl. Case No. 1165/2019)	NIL	NIL
11	03-10-2019	1 (C/N 785/2017, P/S Jhunjhana)	NIL	NIL	NIL
12	04-10-2019	4 (C/N 96/633/2019, C/N 305/2018, C/N 499/2019, C/N 630/2019 P/S Jhunjhana)	4 (Crl. Case No. 9/2018, 10/2018 & Comp. 266/2019)	7 (C.S. 472/2012, 163/2013, 258/2017, 39/2016, 144/2018 & Misc. 44/2016, 44/2012 Dismissed	O.S. 105/2019 CJ SD K
13	10-10-2019	1 (C/N 391/2019, P/S Jhunjhana)	1 (Crl. Case No. 729/2013)	NIL	NIL
14	11-10-2019	NIL	1 (Crl. Case No. 697/2015)	Misc.: 37/2017 & Exec. 6/2014 Dismissed	NIL
15	17-10-2019	2 (C/N 654/2019 & Crl. Case 3586/2017, P/S Jhunjhana)	8 (Comp. Case No. 1200/2019, 1238/2017,105/2016 & O.S 205/2016)	O.S. 84/2017, 150/2016 Dismissed & Misc 32/2018 Allowed	NIL
16	18-10-2019	1 (C/N 160/2000, P/S Jhunjhana)	2 (Compl. Case & O.S. 377/2014)		O.S. 108/2019 CJ SD K
17	24-10-2019	NIL	NIL	Misc 15/2019 Allowed	NIL

86

Sheet 2

86

18	25-10-2019	1 (C/N 610/2019, P/S Jhunjharna)		NIL		NIL		NIL
19	31-10-2019	1 (C/N 694/2019, P/S Jhunjharna)		NIL		NIL		NIL
20	01-11-2019	1 (C/N 301/2019, P/S Jhunjharna)	3 (Compl. Case 1254/2019 & 25/2018)			Contempt 15/2016 Disposed Otherwise		NIL
21	07-11-2019	5 (C/N 656/2019, C/N 578/2017, C/N 708/2019, C/N 161/2018 C/N 301/2016 P/S Jhunjharna)	2 (Compl. Case 1236/2019)			NIL		O.S. 112/2019 CJ SD K
22	08-11-2019	NIL		NIL		NIL		NIL
23	14-11-2019	2 (C/N 755/2019, C/N 216/2019 P/S Jhunjharna)		NIL		NIL		O.S. 116/2019 CJ SD K
24	15-11-2019	3 (C/N 494/2007, C/N 553/2018 C/N 472/2014 P/S Jhunjharna)	4 (Ctl. Case No. 672/2013, 1054/2012 & Comp. 66/2019)			NIL		O.S. 117/2019 CJ SD K
25	21-11-2019	NIL	2 (Ctl. Case No. 35/2018 & 3334/2017)			O.S. 295/2015, 45/2008, 172/2017, 242/2017 160/2016 Dismissed		O.S. 119/2019 CJ SD K
26	22-11-2019	2 (C/N 744/2019, C/N 317/2019 P/S Jhunjharna)	6 (Ctl. Case No. 1114/2019, 1095/2019 1616/2009, 117/2012, 511/2014, 505/2012)			O.S. 204/2017 Dismissed		NIL
27	28-11-2019	1 (Ct. Case 4197/2001, P/S Jhunjharna)	2 (Ctl. Case No. 651/2014 & 716/2013)			NIL		NIL
28	29-11-2019	NIL		NIL		O.S.319/2014 & Exec. 65/1980 Dismissed		NIL
29	12-12-2019	2 (C/N 705/2019 & Ct. Case 4672/2017, P/S Jhunjharna)	1 (O.S. 206/2016)			Contempt 43/2013, Exec. 2/2017 & O.S. 281/2017 Dismissed		O.S. 122/2019 CJ SD K
30	13-12-2019	2 (C/N 836/2019 & Ct. Case 4672/2017, P/S Jhunjharna)		NIL				NIL
31	20-12-2019	1 (C/N 21/2018, P/S Jhunjharna)		NIL				O.S. 123/2019 CJ SD K
32	02-01-2020	NIL		NIL		Succ. Case 1/2019 Decided		NIL
33	03-01-2020	2 (C/N 355/2019, P/S Jhunjharna & C/N 867/2019 P/S Jhunjharna)	1 (Ctl. Case No. 877/2009)					O.S. 01/2020 CJ SD K
34	09-01-2020	1 (C/N 07/2020, P/S Jhunjharna)	2 (Ctl. Case No. 377/2014 & 3392/2017)			O.S. 452/2012, 55/2019 & Misc. 57/2014 Dismissed		NIL
35	10-01-2020	1 (C/N 635/2018, P/S Jhunjharna)		NIL		O.S. 123/2017 & 35/2019 Dismissed		NIL
36	16-01-2020	NIL	3 (O.S. No. 80/2019)			O.S. 156/2013 Decided & O.S. 50/2018 Dismissed		NIL

87

Sheet 2

87

37	17-01-2020	1 (C/N 564/2019, P/S Jhunjhانا)	3 (O.S. No. 205/2016, Crl. Case No. 1264/2009 & Crl. Case No. 520/2017)	O.S. 158/2008 Dismissed	NIL
38	30-01-2020	3 (C/N 179/2015, P/S Jhunjhانا, C/N 691A/2015, P/S Jhunjhانا & C/N 38/2020 P/S Jhunjhانا)	NIL	O.S. 139/2019 Dismissed	NIL
39	31-01-2020	NIL	NIL		NIL
40	06-02-2020	1 (C/N 869/2020, P/S Jhunjhانا)	3 (Crl. Case No. 1390/2018, Crl. Case No. 17/2004 & Comp. Case 24/2018)	O.S. 301/2007 Disposed Otherwise, O.S. 161/2018 & 215/2015 Dismissed	O.S. 05/2020 CJ SD K
41	07-02-2020	3 (C/N 22/2020, P/S Jhunjhانا, C/N 123/2018 P/S Jhunjhانا & C/N 46/2020 P/S Jhunjhانا)	3 (Comp. Case No. 85/2019, Comp. Case No. 377/2014 & Comp. Case 117/2019)	O.S. 171/2018 & 162/2013 Dismissed	NIL
42	13-02-2020	2 (Crl. Case 435/2018, P/S Jhunjhانا & Comp. 4591/2017 P/S Jhunjhانا)	6 (Comp. Case No. 01/2020, Comp. Case No. 4672/2011, Comp. Case No. 377/2011 & Comp. Case 37/2020)	NIL	NIL
43	14-02-2020	NIL	NIL	NIL	NIL
44	20-02-2020	3 (C/N 154/2019, P/S Jhunjhانا, C/N 81/2020 P/S Jhunjhانا & C/N 498/2016 P/S Jhunjhانا)	NIL	O.S. 27/2004 Decided & O.S. 241/2012 & 197/2005 Dismissed	NIL
45	27-02-2020	2 (C/N 48/2020, P/S Jhunjhانا & C/N 731/2015 P/S Jhunjhانا)	3 (Comp. Case No. 45/2020 & Comp. Case 46/2020)	O.S. 298/2007 Dismissed	NIL
46	28-02-2020	4 (C/N 662/2012, C/N 93/2020, C/N 290/2019 & C/N 206/2016 P/S Jhunjhانا)	4 (Crl. Case No. 10022/2014, Crl. Case No. 716/20103 & Comp. Case 260/2012 & Comp. Case No. 98/2018)	O.S. 111/2017 & 161/2018 Dismissed	O.S. 09/2020 CJ SD K
47	05-03-2020	5 (C/N 102/2020, C/N 36/2015, C/N 103/2020, C/N 194/2016 & C/N 06/2020 P/S Jhunjhانا)	1 (Comp. Case No. 53/2009)	O.S. 257/2016 Dismissed	NIL
48	06-03-2020	NIL	NIL	NIL	NIL
49	19-03-2020	4 (C/N 274/2016, C/N 501/2019, C/N 357/2016 & C/N 333/2014 P/S Jhunjhانا)	NIL	NIL	NIL
50	20-03-2020	2 (C/N 50A/405A/2000, P/S Jhunjhانا & C/N 235/2019 P/S Jhunjhانا)	NIL	NIL	NIL
51	28-05-2020	3 (C/N 747/2018, P/S Jhunjhانا & C/N 247/2020 P/S Jhunjhانا)	NIL	NIL	O.S. 13/2020 CJ SD K
52	29-05-2020	6 (4 in C/N 247/2020, /2016, 1 in C/N 50/405/2000 & 1 in C/N 126/2020 P/S Jhunjhانا)	NIL	NIL	NIL

53	04-06-2020	6 (C/N 111/2020, C/N 113/2020, C/N 164/2020 & 3 in C/N 247/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
54	05-06-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
55	11-06-2020	1 (C/N 255/2020, P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
56	12-06-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
57	18-06-2020	2 (C/N 93/2020, C/N 265/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
58	19-06-2020	2 (C/N 266/2020, C/N 247/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
59	02-07-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	O.S. 23/2020 CJ SD K
60	03-07-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	O.S. 23/2020, 25/2020 CJ SD K
61	09-07-2020	2 (C/N 320/2020, C/N 300/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
62	10-07-2020	3 (C/N 156/2020, C/N 786/2019 & Ch. Case No. 467/2019 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
63	16-07-2020	2 (C/N 302/2020, C/N 308/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
64	17-07-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
65	23-07-2020	1 (C/N 350/2020, P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
66	24-07-2020	1 (C/N 360/2020, P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
67	30-07-2020	NIL	NIL	Misc. Civil Case 6/2020 Allowed	NIL	NIL
68	31-07-2020	1 (C/N 321/2020, P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	O.S. 35/2020 CJ SD K
69	06-08-2020	3 (C/N 331/2020, C/N 344/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
70	07-08-2020	2 (C/N 315/2018, C/N 350/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	O.S. 36/2020, 37/2020 CJ SD K
71	13-08-2020	4 (C/N 89/2020, C/N 368/2020, C/N 300/2020 & C/N 350/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	O.S. 40/2020, 41/2020 CJ SD K
72	14-08-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	O.S. 42/2020 CJ SD K
73	20-08-2020	NIL	NIL	O.S. 113/2019 Disposed Otherwise	NIL	NIL
74	21-08-2020	1 (C/N 309/2020, P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
75	27-08-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	O.S. 50/2020 CJ SD K
76	11-09-2020	2 (C/N 224/2020 P/S Jhunjhanna)	NIL	NIL	NIL	NIL
77	24-09-2020	2 (C/N 3/2020, C/N 4/2020 P/S GRP Shamli)	NIL	NIL	O.S. 258/2019 Disposed on Compromise	O.S. 55/2020, 56/2020 CJ SD K

89

Sheet 2

89

78	25-09-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
79	01-10-2020	NIL	NIL	NIL	¶ O.S. 163/2002 Disposed Otherwise	O.S. 69/2020 CJ SD K	
80	08-10-2020	NIL	NIL	NIL	O.S. 69/2017 Rejected	O.S. 72/2020 CJ SD K	
81	16-10-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
82	16-10-2020	NIL	NIL	NIL	O.S. 209/2017 Rejected	NIL	
83	22-10-2020	2 (C/N 165/2020, C/N 111/2020 P/S Babri)	NIL	NIL	NIL	O.S. 82/2020, 83/2020 CJ SD K	
84	23-10-2020	NIL	NIL	NIL	Caust 01/2020 Disposed Otherwise	NIL	
85	29-10-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	O.S. 85/2020, 86/2020 & 87/2020 CJ SD K	
86	30-10-2020	NIL	NIL	NIL	Civil Suit 38/2020 Rejected & P.A. Case 12/2014 Disposed on Compromise	NIL	
87	06-11-2020	1 (C/N 110/2020, P/S Babri)	NIL	NIL	NIL	O.S. 89/2020 CJ SD K	
88	06-11-2020	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	

[Handwritten signature]

90

90

Judicial Workdone by Sushri Ruchi Tiwari, of the Court of Civil Judge (S.D.-)ACJM Kaikana on the full Juvenile Days of Thursday & Friday as per bail Register, Witnesses Statement Register (Highlighted entries in some dates)

S.N.	Date	No.s of Bail Application decided	No.s of Statement recorded	Disposal in the date as per CIS Disposal Register	Entertainment of Original Suits in the date as per Register No. 03
1	30-08-2019	1 (Comp. Case, P/S Jhunjhانا)	3 (Comp. Case 174/2016 & 426/2019)	SCC 1/2018 & Succ. 15/2012 Disposed Otherwise	O.S. 98/2019, 99/2019 & 100/2019 CJ SD K
2	20-09-2019	1 (C/N 426/2019, P/S Jhunjhانا)	6 (Chl. Case No.s 260/2018,931/2014, 318/2016, 947/2009)	O.S. 200/2018 Dismissed	NIL
3	04-10-2019	4 (C/N 96/633/2019, C/N 305/2018, C/N 499/2019, C/N 630/2019 P/S Jhunjhانا)	4 (Chl. Case No. 9/2018, 10/2018 & Comp. 286/2019)	7 (O.S. 472/2012, 163/2013, 258/2017, 39/2016, 144/2018 & Misc. 44/2016, 44/2012 Dismissed	O.S. 105/2019 CJ SD K
4	22-11-2019	2 (C/N 744/2019, C/N 317/2019 P/S Jhunjhانا)	6 (Chl. Case No. 1114/2019, 1095/2019 1616/2009, 117/2012, 511/2014, 505/2012)	O.S. 204/2017 Dismissed	NIL
5	28-11-2019	1 (Chl. Case 4197/2001, P/S Jhunjhانا)	2 (Chl. Case No. 551/2014 & 715/2013)	NIL	NIL
6	17-01-2020	1 (C/N 564/2019, P/S Jhunjhانا)	3 (O.S. No. 205/2016, Chl. Case No. 1264/2009 & Chl. Case No. 520/2017)	O.S. 158/2008 Dismissed	NIL
7	06-02-2020	1 (C/N 869/2020, P/S Jhunjhانا)	3 (Chl. Case No. 1390/2018, Chl. Case No. 17/2004 & Comp. Case 24/2018)	O.S. 301/2007 Disposed Oterwise. O.S. 161/2018 & 215/2015 Dismissed	O.S. 05/2020 CJ SD K
8	13-02-2020	2 (Chl. Case 435/2018, P/S Jhunjhانا & Comp. 4591/2017 P/S Jhunjhانا)	6 (Comp. Case No. 01/2020, Comp. Case No. 4672/2011, Comp. Case No. 377/2011 & Comp. Case 37/2020)	NIL	NIL
9	28-02-2020	4 (C/N 662/2012, C/N 93/2020, C/N 290/2019 & C/N 206/2016 P/S Jhunjhانا)	4 (Chl. Case No. 10022/2014, Chl. Case No. 716/20103 & Comp. Case 260/2012 & Comp. Case No. 98/2018)	O.S. 111/2017 & 161/2018 Dismissed	O.S. 09/2020 CJ SD K
10	24-09-2020	2 (C/N 3/2020, C/N 4/2020 P/S GRP Shanti)	NIL	O.S. 258/2019 Disposed on Compromise	O.S. 55/2020, 56/2020 CJ SD K
11	22-10-2020	2 (C/N 155/2020, C/N 111/2020 P/S Babri)	NIL	NIL	O.S. 82/2020, 83/2020 CJ SD K

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली ।

आदेश सं०-15

दिनांक 29.10.2018

प्रशासनिक आदेश

बार एसोसियेशन कैराना के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, शामली द्वारा बोर्ड की सीटिंग के लिए नियत दिवस शुक्रवार तथा शनिवार में से शनिवार को परिवर्तित करने के आशय से दिये गये प्रार्थनापत्र पर किशोर न्याय बोर्ड, शामली से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नियत दिवसों शुक्रवार एवं शनिवार की अपेक्षा बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार नियत किया जाना प्रस्तावित किया गया ।

तदनुसार बार एसोसियेशन कैराना के प्रार्थनापत्र एवं किशोर न्याय बोर्ड, शामली द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार किशोर न्याय बोर्ड, शामली स्थित कैराना की सीटिंग के दिवस शुक्रवार एवं शनिवार की अपेक्षा बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार निर्धारित किये जाते है ।

प्रशासनिक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आदेश की मूल प्रति को सम्बन्धित गार्डफाइल में अनुरक्षित करते हुए प्रतियां समस्त सम्बन्धित को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये ।


Sd/-

(कौटिल्य गौड)

जनपद न्यायाधीश,
शामली ।

Copy to :- All concerned for information & necessary compliance.

By Order


Admin. Officer

District Court, Shamli

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 290/ A.O. -2020-

Date-09-11-2020

ORDER

As per notification No. 1527/Saat Nyay-02-06-123-G/01, TC-1 Lucknow dated 11-08-2006 and No. 3560/60-1-10-1/13(69)/4 Lucknow dated 16-08-2010 Mahila Avom Bal Vikas Anubhag -1, Uttar Pradesh Shasan, the senoir most Judicial Magistrate (with at least three year experience) shall be the Principal Magistrate of Juvenile Justice Board constituted in the District under section 4(2) Adhyay 3 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015. In view of above provisions **Sushri Mukta Tyagi**, Civil Judge (J.D.)/Judicial Magistrate Shamli at Kairana, is nominated as Principal Magistrate, of Juvenile Justice Board, Shamli at Kairana for disposal of cases of Juveniles in addition to her jurisdiction as Civil Judge(J.D.)/ Judicial Magistrate Shamli at Kairana with immediate effect.

Inform all concerned.


Sd/-

(Dr. Ajay Kumar)

DISTRICT & SESSIONS JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Copy to :- All concerned for information & necessary compliance.

By Order



Admin. Officer

District Court, Shamli

प्रेषक:

मुमताज अली, एच.जे.एस.,
जांच अधिकारी/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो),
शामली स्थित कैराना।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।

विषय:-

आदरणीय महोदय के आदेश संख्या 99/ए.ओ. 2021 दिनांकित 10.03.2021
के सम्बंध में जांच आख्या।

महोदय,

महोदय के आदेश दिनांकित 10.03.2021 के द्वारा उसके सम्मुख श्रीमती ललिता सदस्या किशोर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के उत्तर के आधार पर निम्न दो बिन्दु सृजित कर विस्तृत जांच किये जाने की आवश्यकता है-

(1).क्या किशोर न्याय बोर्ड का कार्य दिसम्बर 2020 तक नियमित न्यायालय से सम्पादित किया गया?

(2).किन परिस्थितियों में मु0अ0सं0 146/2020 अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467,471 भा0द0सं0, थाना कांघला, जिला शामली के अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया?

माननीय महोदय द्वारा उक्त दोनों बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर आख्या शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

श्रीमती ललिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.02.2021 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया किशोर न्याय बोर्ड की सदस्या है, प्रार्थीया ने दिनांक 21.12.2020 को जनपद न्यायाधीश, महोदय के पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड व पेशी कहाँ होती है, प्रार्थी ने सच बता दिया कि प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी इस बात से नाराज होकर, प्रार्थीया से ईर्ष्या रखने लगी और परेशान करने लगी। प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी के समय मुझे पीछे बैठाया जाता था। किशोर न्याय बोर्ड में अब मैं उनके बराबर में बैठती हूँ, प्रधान मजिस्ट्रेट मुझे कहती है कि तू चमार है, बराबर में बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, गन्दी-गन्दी भाषा का इस्तेमाल करती है, कहती है तेरी नौकरी हटवा दूंगी और तेरी उच्चाधिकारियों से शिकायत करूंगी।

इसी रंजिश के कारण प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी ने परेशान करने के उद्देश्य से दिनांक 28.01.2020, 29.01.2021 को दो नोटिसों के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा, जबकि उन्हें मुझे नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैंने उनका सम्मान करते हुए नोटिस का स्पष्टीकरण दिया। दो नोटिस दिनांक 05.02.2021 को बोर्ड की बैठक में दिये और कहा कि हम अपने आदेश स्वयं करेंगे, आप अपने स्वयं करें। प्रार्थीया मानसिक आघात महसूस कर रही है। प्रार्थीया के आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा परेशान करने वाली कार्य शैली से मुक्ति दिलाई जाने की प्रार्थना की गयी है।



आपत्तिकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की प्रति मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, जिलाधिकारी शामली को प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख शिकायत प्रार्थना पत्र में दिया गया है और दिये गये नोटिस की प्रति भी दाखिल की गयी है।

आदरणीय महोदय द्वारा शिकायतकर्ता के उक्त पत्र पर अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 20/पी.ए.एस) जनपद न्यायाधीश 2021 दिनांकित 06.02.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके सम्बंध में प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा दिनांक 19.02.2021 को स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

“श्रीमती ललिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य निराधार है। मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। श्रीमती ललित द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किस प्रकार से श्रीमती ललिता को परेशान किया गया। दिनांक 21.12.2020 के बाद बोर्ड की अनेक बैठके हुई, उनमें श्रीमती ललिता को किस प्रकार मेरे द्वारा ईर्ष्या की भावना से परेशान किया गया, स्पष्ट नहीं है। श्रीमती ललिता द्वारा यह कथन कि उसने किशोर बोर्ड की रिमाण्ड एवं पेशी के बारे में सच बता दिया, यह कथन असत्य है। उक्त कथन से श्रीमती ललिता द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय पर भी आक्षेप लगाया है।” क्योंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2016 द्वारा कहीं भी किशोरों को रिमाण्ड पर देने का प्रावधान नहीं है। जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो बोर्ड उसे सम्पेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेज सकता है।

क्योंकि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 21.12.2020 को आहूत की गयी मितिग के कार्यवृत्त में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सम्बंध में उचित आदेश किशोर न्याय बोर्ड (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 7(2) के अनुसार करें। श्रीमती ललिता को इस आधारभूत नियम का सम्यक ज्ञान नहीं है। वह पूर्णतः विधि शून्य है।

श्रीमती ललिता बोर्ड के समक्ष आने वाले किसी किशोर की कोई काउंसलिंग नहीं करती, अपितु उसे भटका देती है, उसके द्वारा एक भी काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। श्रीमती ललिता द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि उसे किशोर बोर्ड के कार्य के समय नियमित न्यायालय में पीछे बैठाया जाता था, मेरे द्वारा कभी भी न्यायालय में किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें नहीं की गयी है। श्रीमती ललिता द्वारा इस सम्बंध में कोई शिकायत नहीं की गयी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती ललिता के साथ जाति सूचक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया गया, अधोहस्ताक्षरी एल.एल.बी. एवं एल.एम. तथा आयोग द्वारा आयोजित पी.सी.एस. (जे.) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत एक न्यायिक अधिकारी है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना विधि विरुद्ध है। यह उल्लेख नहीं किया है कि उसे कब कहाँ, किसके सामने किस परिप्रेक्ष्य में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है। किशोर बोर्ड के अन्य कर्मचारीगण द्वारा भी लिखकर दिया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऐसा कोई कथन

M

श्रीमती ललिता के लिए नहीं किया गया है। श्रीमती ललिता अधोहस्ताक्षरी से दुर्भावना रखती है, क्योंकि पूर्व में श्रीमती ललिता को लापरवाही पूर्ण कृत्य के लिए नोटिस निर्गत किये। उक्त नोटिसों का जवाब देने में असमर्थ हो गयी तथा अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए अपनी जाति को ढाल बनाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जब श्रीमती ललिता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करने के लिए कहा गया तो श्रीमती ललिता द्वारा कहा गया कि तुम बेमतलब मुझे सलाह मत दो, अपनी सलाह अपने पास रखो, यहाँ सब काम तुम्हारे हिसाब से ही होगा, देखो सी.जे.एम. को उन्होंने बोर्ड का मुआयना समय 02.00 बजे से 04.00 बजे तक किया था, वो भी तुम्हें लिखित में आदेशित किया था, क्या उन्हें नहीं पता कि 02.00 बजे से 04.00 बजे तक बोर्ड कार्यरत रहता है, सारे किशोर अपचारी वहीं रहते हैं और सी.जे.एम. का भी न्यायालय में काम करने का समय होता है। फिर भी सी.जे.एम. ने लिखित में आदेश दिया था कि वे बोर्ड का मुआयना 02.00 बजे से 04.00 बजे तक करेंगे, तुम्हारे पास ही सारे नियम हैं। श्रीमती ललिता बोर्ड में भी अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं जो उनके स्पष्टीकरण दिनांकित 09.02.2021 से स्पष्ट है। जिसमें कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को बोर्ड की बैठक के समय के सम्बंध में कुछ नहीं बताया। माननीया महोदया व सचिन द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि प्रार्थीया द्वारा सचिन को विद्वान अधिवक्तागण से पैसा लेने से मना किया गया है, इसके सम्बंध में माननीया महोदया को लिखित में भी अवगत कराया गया था। किन्तु उक्त सचिन द्वारा उल्टा प्रार्थीया पर दबाव बनाया गया है। इसी से नाराज होकर सचिन को बचाने के उद्देश्य से यह मिथ्या आधारहीन नोटिस दिया है।

इससे पूर्व भी श्रीमती ललिता द्वारा धमकियां दी जाती रही हैं कि श्रीमती ललिता ने मुझे बताया कि मेरा तो श्री राजमंगल सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से घनिष्ठ सम्बंध है। मैं उनके घर जाती हूँ, मैं उनसे न होने वाला काम भी चूटकियों में करवा लेती हूँ। जिसके बाद श्रीमती ललिता द्वारा मुझे कुछ प्रपत्र दिये गये तथा बताया गया कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.03.2020 को मु0अ0सं0 146/2020, अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना कांधला, जिला शामली में दो अभियुक्त जो पंजाब के रहने वाले हैं, का रिमाण्ड किया गया था, जबकि विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 146/2020 में रिमाण्ड धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 में भी याचित किया गया था। श्रीमती ललिता द्वारा यह भी बताया गया कि जब विवेचक द्वारा धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 में रिमाण्ड याचित किया गया था, तब बिना पर्याप्त कारण दर्शाये बिना समुचित आदेश किये श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भा0द0सं0 की गम्भीर धाराएं हटाई गईं। श्रीमती ललिता द्वारा मुझे यह भी बताया गया कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त वर्णित मु0अ0सं0 146/2020 में उस समय कहा गया था कि मैं जेल से तुम्हारे इन लोगों को छुडवा दूंगा, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इसलिए तो मैं इन रिमाण्ड की भा0द0सं0 की धाराओं को विलुप्त किया है। तुम निश्चित रहो, तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अन्तरिम जमानत देने के लिए ही

M

अपनी ड्यूटी लगवाई है। वरना मैं रिमाण्ड क्यों करूँ, मैं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हूँ। श्रीमती ललिता द्वारा मुझे यह भी बताया गया था कि मुझे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया था कि दो साल से मैंने कभी अपनी रिमाण्ड ड्यूटी नहीं लगाई, रिमाण्ड में भी नहीं। देखो मैंने तो जिला जज साहब की सेवा करके थाना झिंझाना का क्षेत्राधिकार अपनी न्यायालय में ले लिया है, क्योंकि मैंने बिडौली चोकी क्षेत्र, जो कि थाना झिंझाना में आता है, अपने मिलने वालों को खनन का पट्टा दिलवा दिया है। अब जिला जज साहब की सेवा करने में और सहायता हो जायेगी, जिससे जिला जज साहब मेरी रोज की कमियों को ढकते रहे।

श्रीमती ललिता के पति इसी न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दीवानी के पद पर कार्यरत है। श्रीमती ललिता की देवरानी भी बलॉक में सदस्या है। देवरानी द्वारा श्रीमती ललिता के पति को इस मामले में आने से मना किया गया है। श्रीमती ललिता द्वारा इतनी धमकी दी गयी है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हमारा आना-जाना है, मेरे पति के कहने पर उन्होंने बहुत से काम किये हैं। श्रीमती ललिता किशोर बोर्ड में अपना प्रभाव रखना चाहती है, उसने धमकी दी कि हमारी उपर तक पहुँच है, आपके नोटिसों से मेरा कुछ नहीं होगा।

मेरे द्वारा श्रीमती ललिता की रोस्टर ड्यूटी की मीटिंग की गयी थी। दिनांक 21.12.2020 के कार्यवृत्त के अनुपालन में निर्देशित किया गया था कि अवकाश के दिनों में स्थाई सदस्या के रूप में श्रीमती ललिता उपस्थित रहेगी, जिससे कि किशोर न्याय बोर्ड शामिली के क्षेत्राधिकार में आने वाले किशोर अपचारियों को यदि उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाये तो वे माननीय जनपद न्यायाधीश, शामिली द्वारा दिये गये कार्यवृत्त में निर्देशों का भली प्रकार से अनुपालन करते हुए यथोचित यथेष्ट कार्यवाही अग्रसारित करेंगे। परन्तु श्रीमती ललिता द्वारा अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन न करते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट समझती है जो कि उनका यह आचरण निन्दनीय है। श्रीमती ललिता द्वारा प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट की मोहर का इस्तेमाल किया जाता है जो भी आदेश अवकाश के दिनों में उनके द्वारा किये जाते हैं, उनमें स्वयं को प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट दर्शाई जाती है। श्रीमती ललिता खुले आम कहती है कि किशोर न्याय बोर्ड, शामिली में जैसा चाहूँगी, वैसा ही होगा।

श्रीमती ललिता के द्वारा दिनांक 09.02.2021 को अपने स्पष्टीकरण में बताया गया है कि दिनांक 14.01.2021 को सचिन द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यवृत्त प्राप्त किया गया। इसकी जानकारी का स्रोत नजारत अनुभाग में है तथा नजारत अनुभाग ने दिनांक 02.01.2021 को श्रीमती ललिता को उपरोक्त जानकारी प्रदान की। श्रीमती ललिता द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण देने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी से यह कहा गया कि तुमने तो जानकारी का स्रोत दिनांक 02.01.2021 को पूछा था, देखा मेरा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का इतना प्रभाव है। तुम्हारे देखते हुए दिनांक 21.01.2021 के बाद दिनांक 01.02.2021 को ही नजारत अनुभाग के सारे ए डी जे को छोड़ते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश जिला जज साहब द्वारा किये गये, इससे ज्यादा हमारा प्रभाव ओर क्या सबूत दें। तु बेकार मुझसे उलझ रही हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी पहुँच उपर तक है। श्रीमती ललिता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य न्यायिक

M

मजिस्ट्रेट द्वारा यह बताया गया है कि यदि उनकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय की जायेगी तो कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से जिला जज साहब से ही आख्या मांगी जायेगी, चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने ही जिला जज साहब के हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, जिससे जिला जज साहब उनके विरुद्ध आख्या नहीं देंगे। जो कार्यवृत्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बोर्ड में प्राप्त कराया गया है, उसकी लिखित प्राप्ति नजारात अनुभाग से नहीं मिल सकती है। क्योंकि किसी प्रपत्र की लिखित प्रपत्र की प्राप्ति सम्बन्धित डाकबही से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर यह कथन और भी विचार करने योग्य है कि जब कार्यवृत्त श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बोर्ड में प्राप्त कराया गया, तब श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी, नजारात नहीं थे और दिनांक 01.02.2021 को जैसे ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास नजारात अनुभाग का प्रभार आया, ऐसे ही श्रीमती ललिता को उक्त जानकारी दी जा सकती है, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की डाकबही से ही हो सकती है कि नजारात से किस प्रकार हुई, यह श्रीमती ललिता द्वारा ही बताया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपित करते हुए करने का श्रीमती ललिता को शोभा नहीं देता है। क्योंकि वह न्याय संस्थान की सीनियर अधिकारी है।

अधोहस्ताक्षरी शामली स्थित कैराना में अगस्त 2018 से न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। आज तक अधोहस्ताक्षरी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। श्रीमती ललिता के शिकायती प्रार्थना पत्र से उन्हें मानसिक आघात पहुँचा है। श्रीमती ललिता द्वारा उपरोक्त असत्य आधारहीन प्रार्थना पत्र से न केवल अधोहस्ताक्षरी की वरन पूर्ण न्यायिक प्रतिष्ठान की छवि धूमिल की गयी है, जिससे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उक्त जवाब के साथ संलग्नक के रूप में—

- 1— श्रीमती ललिता का स्पष्टीकरण दिनांकित 09.02.2021,
- 2— प्रपत्र जिनमें श्रीमती ललिता द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दर्शाते हुए मोहर का प्रयोग किया गया,
- 3— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी रिमाण्ड प्रपत्र दिनांकित 17.12.2020,
- 4— वार्षिक निरीक्षण आख्या 2018-2019, 2019-2020 तथा बोर्ड में नियुक्त अन्य कर्मचारियों का स्पष्टीकरण दाखिल किये गये हैं।

आदरणीय महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 21/पी.ए. (एस) जनपद न्यायाधीश 2021 दिनांकित 20.02.2021 के माध्यम से सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जू० डि०, शामली के द्वारा दिये गये उत्तर दिनांकित 19.02.2021 के सन्दर्भ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्री राजमंगल सिंह यादव से भी तथ्यों के सम्बंध में अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्री राजमंगल सिंह यादव के द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांकित 01.03.2021 प्रस्तुत किया गया, जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि—

h

प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिनांक 24.12.2020 को त्रैमासिक समीक्षा की गयी। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.2021 के पैरा न05 में श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट को यह बताया जाना कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनके घनिष्ठ सम्बंध होने और घर आने-जाने के जो कथन किये गये हैं, निराधार हैं। श्रीमती ललिता कभी मेरे घर नहीं आती और न ही मेरा कोई सम्बंध है और न ही मैंने उसके प्रभाव में आकर कोई न्यायिक कार्य किया है।

जहाँ तक मु0अ0सं0 146/2020, अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 व 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना कांधला में मेरे द्वारा गम्भीर धाराओं को विलुप्त करने का प्रश्न है, उसके सम्बंध में कहना है कि कोविड-19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 395-इन्फ्रा0 दिनांकित 16.03.2020 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.03.2020 के अनुक्रम में जनपद शामली में सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों का समस्त एजेंट कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था। उपरोक्त रिमाण्ड मेरे समक्ष न्यायालय सिविल जज, जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के कोर्ट मोहरिर श्री अश्वनी कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो प्रपत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं, उनके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि रिमाण्ड मु0अ0सं0 146/2020 धारा 420,467, 468,471 भा0द0सं0 व 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना कांधला में प्रभारी अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया। रिमाण्ड प्रपत्र पर सभी अंकन कोर्ट मोहरिर द्वारा की गयी तथा उसी के हस्तलेख में है। कार्य की अधिकता व उस कोविड-19 के कारण प्रार्थी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय का कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने कोई भी गम्भीर धाराएं नहीं हटाई हैं, बल्कि कोर्ट मोहरिर के द्वारा रिमाण्डशीट पर उक्त धाराओं का अंकन नहीं किया गया था। इस प्रकार गम्भीर धाराओं को हटाने का कथन बेबुनियाद है। थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज, जू0डि0, शामली के पास था। उनके द्वारा भी मुझे इस सम्बंध में अवगत नहीं कराया गया। रिमाण्ड प्रपत्रों की छाया प्रति श्रीमती ललिता द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करके प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को प्राप्त कराई गयी है, ये भी ललिता ही बता सकती है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि श्रीमती ललिता ने उन्हें यह भी बताया कि रिमाण्ड के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे लोगों को जेल से छुड़वा दूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में सात साल की सजा तक के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इसलिए तो मैं रिमाण्ड की धाराओं से जानबूझकर विलुप्त किया, तुम निश्चित रहो, तुम्हारा काम हो जायेगा। उपरोक्त तथ्य बिल्कुल गलत व निराधार है। मेरे द्वारा उक्त रिमाण्ड प्रपत्र प्रभारी अधिकारी के रूप में दिनांक 17.03.2020 को किया गया। कोविड-19 के कारण जेल में निरूद्ध सात साल तक की सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को रिहा किये जाने के निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्व मोटो रिट पिटीशन सं0 01/2020 इन-रे कन्टोजीयन कोविड-19 इन प्रीरीजन उत्तर प्रदेश सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 15/2020 दिनांकित 27.03.2020 में दिये गये थे, जिसके अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा आदेश दिनांकित 28.03.2020 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में जाकर विचाराधीन अभियुक्तों को अन्तरिम पर उनके जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण तक छोड़े जाने के लिए



आदेशित किया गया था। प्रार्थी के द्वारा जेल में जाकर अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई ड्यूटी नहीं लगवाई गई थी। अपितु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा समय-समय पर अपने प्रशासनिक आदेशों सभी न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी और उसी अनुक्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी में भी है, क्योंकि उनकी ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगाई गई थी। इस प्रकार से यह कथन कि मेरे द्वारा अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपनी ड्यूटी लगवाई गई, पूर्णतया तथ्यों से परे है। जिस दिन मेरे द्वारा रिमाण्ड किया गया, उस दिन भी अभियुक्तों को जेल में जाकर अन्तरिम जमानत पर छोड़ने का कोई निर्देश भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिये गये थे। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत ही विचार विमर्श करके इन तथ्यों का उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है, जो निराधार व असत्य है।

जहाँ तक रिमाण्ड ड्यूटी लगवाने और थानों के कार्य वितरण का प्रश्न है। न्यायिक कार्य को सूचारू रूप से चलाने व समय समय पर न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के नियुक्त होने के कारण कार्य वितरण का किया जाता रहा है। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा अपनी रिमाण्ड ड्यूटी न लगवाये जाने का प्रश्न है। प्रार्थी ने माह दिसम्बर तक अपनी रिमाण्ड ड्यूटी की है और कभी कभी किसी न्यायिक अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर रिमाण्ड कार्य किया है। प्रार्थी ने रिमाण्ड ड्यूटी करने में पूर्ण सहयोग किया है। जहाँ तक थाना झिझाना का क्षेत्राधिकार अन्तरित किये जाने का प्रश्न है। प्रार्थी के द्वारा नवनियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली का प्रशिक्षण समाप्त होने और न्यायिक कार्य प्रारम्भ करने के कारण फौजदारी मामलों का क्षेत्राधिकार के कारण कार्य वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त जब कभी न्यायिक अधिकारी स्थानान्तरित होता है या उनकी अदालत बन्द होती है, उसी स्थिति में मेरे द्वारा थानों को अन्तरित करने का आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के पश्चात ही उनके निर्देशानुसार दिनांक 17.04.2019 को आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 26.04.2019 को श्री रजत वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया और कहा कि तुम्हारे थानों के कार्य वितरण से मजिस्ट्रेट लोग संतुष्ट नहीं हैं, मैंने थानों के कार्य वितरण के आदेश बनाये हैं और इस आदेश पर आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का अप्रूवल भी नहीं होगा। मेरे द्वारा यह कहने पर कि मुझे किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। दस दिन के अन्दर तीन दिन का कार्य वितरण का आदेश पारित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य वितरण का आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके किया है, तो इस पर आदरणीय श्री रजत वर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश, ने कहा कि देखो यह एन्ट्री (ए. सी. आर.) का समय है और अब यदि आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो यह आपके लिए अहितकर हो जायेगा। मैंने कहा कि मैं आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात कर लूँ तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं करोगे। मुझे यह भी कहा कि इस आदेश पर आदरणीय जिला जज साहब का अप्रूवल भी नहीं होगा। मेरे द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में सरकूलर भी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ, तो मैंने श्रीमान जी सरकूलर भी दिखाया, तब उन्होंने सरकूलर पत्र का आदेश उल्लेख किया। आदरणीय श्री रजत वर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश,

M

शामली ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय के साथ चलिए। लेकिन उक्त आदेश से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना सुश्री रुचि तिवारी को थाना झिंझाना के साथ थाना कैराना का क्षेत्राधिकार दिया गया और सुश्री मुक्ता त्यागी को थाना कांघला का क्षेत्राधिकार दिया गया। जबकि सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा मुख्य रूप से सिविल का कार्य किया जा रहा था। प्रार्थी के न्यायालय में थाना बाबरी, गंदीपुरख्ता व थानाभवन का क्षेत्राधिकार दिया गया। जबकि प्रार्थी का न्यायालय पूर्ण-रूपेण फौजदारी न्यायालय है। प्रार्थी के द्वारा ऐसी परिस्थिति में आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात की गयी तो प्रार्थी ने अपनी आँखों में आसू लिए हुए व आसू भरे हालत में आदेश पर हस्ताक्षर किये। इसकी पुष्टि दिनांक 26.04.2019 को पारित कार्य वितरण आदेश से होती है। जो कि न तो प्रार्थी द्वारा और न ही प्रार्थी के आशुलिपिक के द्वारा तैयार किया गया, अपितु श्री रजत वर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश के द्वारा या तो स्वयं या अपने तत्कालीन वादलिपिक से तैयार करवाया गया था। प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में निष्ठापूर्वक कार्य किया है। प्रार्थी उपरोक्त तथ्यों को लिखना नहीं चाहता था, किन्तु थाने के कार्य वितरण के सम्बंध में प्रश्न उठाया गया है, इसलिए उल्लेख किया जा रहा है।

श्रीमती ललिता मेरे से कभी नहीं मिली ओर न मेरा उससे कोई सम्बंध है। न ही थानो का कार्य वितरण व रिमाण्ड को लेकर उससे कभी कोई बात हुई है। मेरे द्वारा अपने किसी मिलने वाले को किसी खनन का पट्टा नहीं दिलाया गया और न ही मेरे द्वारा जिला जज साहब की कोई सेवा की गयी। लगाये गये आरोप मेरी सत्य निष्ठा को संदिग्ध करने के उद्देश्य से लगाये जाने प्रतीत होते हैं। दिनांक 06.02.2021 से पूर्व श्रीमती ललिता द्वारा प्रधान न्यायाधीश को जो धमकी दिये जाना बताती है, किन्तु प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया। जहाँ तक प्रधान न्यायाधीश का यह कहना कि मुझे श्रीमती ललिता ने बताया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने प्रभाव से नजारत अनुभाग अपने पास ले लिया है, बिल्कुल गलत है।

स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.2021 में प्रार्थी के सम्बंध में उल्लिखित तथ्यों के बारे में जिसे प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली द्वारा अपने को श्रीमती ललिता द्वारा बताया जाना कहा गया है, गलत हैं। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इन तथ्यों के बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया, बल्कि अपने स्पष्टीकरण में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक सीनियर अधिकारी है और ऐसे सीनियर अधिकारी के बारे में अनर्गल बातें सुनने के बाद भी मुझे किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया है।

संलग्नक के रूप में 1- प्रशासनिक आदेश सं० 77/ए.ओ. 2020 दिनांकित 17.03.2020,

2- प्रशासनिक आदेश सं० 88/ए.ओ. 2020 दिनांकित 28.03.2020,

3- प्रशासनिक आदेश सं० 94/ए.ओ. 2020 दिनांकित 15.04.2020,

4- कार्य वितरण आदेश दिनांकित 15.04.2019,

5- कार्य वितरण आदेश दिनांकित 17.04.2019,

6- कार्य वितरण आदेश दिनांकित 26.04.2019,

7- कार्य वितरण आदेश दिनांकित 14.09.2020, प्रस्तुत किये गये हैं।

माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 10.03.2021 के अनुपालन में उक्त



दोनों बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से जांच किये जाने हेतु मेरे द्वारा शिकायतकर्ता के अतिरिक्त निम्न 11 विद्वान अधिवक्तागण को जांच में बुलाया गया, जिसमें एक साक्षी सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आनंद भास्कर भी हैं—

- 1- श्री संजय कुमार कश्यप एडवोकेट,
- 2- श्री विनय कुमार शर्मा एडवोकेट,
- 3- श्री आनंद भास्कर, सहायक अभियोजन अधिकारी,
- 4- श्री इन्तजार अहमद एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कैराना,
- 5- श्री सतेन्द्र सिंह एडवोकेट,
- 6- श्री अशोक कुमार एडवोकेट, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन कैराना,
- 7- श्री श्रीमती ललिता, सदस्या, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
- 8- श्री ईश्वर चन्द जाटव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दीवानी पति श्रीमती ललिता सदस्या, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
- 9- श्री जयपाल सिंह, एडवोकेट,
- 10- श्री धर्मवीर सिंह, एडवोकेट,
- 11- श्री संजय वालिया एडवोकेट,
- 12- श्री मेहरबान अली, एडवोकेट,

श्रीमती ललिता सदस्या, किशोर बोर्ड के द्वारा अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.02.2021 में केवल यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थिनी ने दिनांक 21.12.2020 को जनपद न्यायाधीश, महोदय के पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड व पेशी कहां होती है, सच बता दिया था, कि प्रधान मजिस्ट्रेट के नियमित न्यायालय में होती है, उक्त से नाराज होकर प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी इस बात से नाराज हो गयी और ईर्ष्या रखने लगी, परेशान करने लगी। प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी के समय उसे पीछे बैठाया जाता था। प्रधान मजिस्ट्रेट मुझे कहती है कि तू चमार है, बराबर में बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, गन्दी-गन्दी बातें कहती है, तुम्हारी नौकरी हटवा दूंगी और अब उनके बराबर में किशोर न्याय बोर्ड में बैठती हूँ तथा जब से बराबर में बैठती हूँ, उनका मानसिक उत्पीडन किया जाता है। इन्हीं बिन्दुओं के सम्बंध में उक्त विद्वान अधिवक्तागण को मेरे द्वारा जांच में बुलाया गया।

1. किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही कहां सम्पादित होती थी, इस बिन्दु पर जितने भी विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुए हैं, उन सभी के द्वारा एक मत में यहीं कहा गया है कि जनवरी 2021 से पूर्व दिसम्बर 2020 तक किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही प्रधान मजिस्ट्रेट के नियमित न्यायालय में होती थी। किशोर न्याय बोर्ड के लिए आरक्षित भवन में नहीं होती थी। पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन कैराना श्री इंतजार अहमद के द्वारा यहाँ तक कथन किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड जब से कैराना में आया है, तब से सिविल जज, सी0डि0, कैराना जिला शामली एवं सिविल जज, जू0डि0, शामली में नियमित न्यायालय में ही देखते आये हैं। विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा कथन किया गया है कि श्री ईश्वर चन्द जाटव अधिवक्ता ने बार एसोसिएशन में अपनी पत्नी के उत्पीडन के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे हमने पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष से मीटिंग करके जनपद न्यायाधीश, महोदय के समक्ष समाधान हेतु भेज दिया था।

m

2. शिकायत के दूसरे बिन्दु कि श्रीमती ललिता सदस्या, किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी के समय पीछे बैठाया जाता था, इस बिन्दु पर भी जितने विद्वान अधिवक्तागण से जांच में वार्ता की गयी और साक्ष्य अभिलिखित किया गया, सभी के द्वारा यह बताया गया कि प्रधान मजिस्ट्रेट के नियमित न्यायालय में किशोर न्याय बोर्ड की सुनवाई के समय श्रीमती ललिता सदस्या किशोर न्याय बोर्ड को कभी भी अपने बराबर में डायस पर नहीं बैठाया गया है, बल्कि उसे प्रधान मजिस्ट्रेट अपने से पीछे कुछ दूरी पर बैठाती थी। विद्वान अधिवक्ता श्री विनय शर्मा द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि न्याय कक्ष में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही के दौरान श्रीमती ललिता सदस्या किशोर न्याय बोर्ड को पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपने बराबर में डायस पर नहीं बैठाया गया, अपितु पीठासीन अधिकारी की कुर्सी के पीछे रखे स्टूल पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्या को बैठाया जाता था।

सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आनंद भास्कर के द्वारा जिनके द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्य किया गया है, के द्वारा भी इसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि नियमित न्यायालय में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही के दौरान बोर्ड की सदस्या श्रीमती ललिता कभी डायस पर पीठासीन अधिकारी के बराबर में नहीं बैठी, कभी उसे पेशकार की कुर्सी पर बैठाया जाता था और कभी-कभी पीछे स्टूल पर बैठाया जाता था। अन्य साक्षीगण द्वारा भी यही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। शेष सभी विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सदस्या किशोर न्याय बोर्ड को नियमित न्यायालय में कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी से पीछे स्टूल पर बैठाना बताया गया है।

3. अन्य बिन्दु आचरण विषयक है। श्रीमती ललिता सदस्या, किशोर न्याय बोर्ड के आचरण के बारे में समस्त विद्वान अधिवक्तागण द्वारा एक ही प्रकार का कथन किया गया है कि श्रीमती ललिता का आचरण एवं उसके पति श्री ईश्वरचन्द जाटव का आचरण सही है। उनके द्वारा श्रीमती ललिता व उसके पति ईश्वर चन्द जाटव को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ कभी आते-जाते नहीं देखा गया है। श्रीमती ललिता के ज्ञान के सम्बंध में भी ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसे विधिक ज्ञान की जानकारी न हो, अपितु विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि थाना थानाभवन के एक अपचारी का मामला था, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जब उसे प्रथम बार पेश किया गया था, तब श्रीमती ललिता को ही मुजफ्फरनगर से बुलाकर कार्यवाही सम्पादित कराई गई थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती ललिता को कोई विधिक ज्ञान नहीं है।

4. जहाँ तक श्रीमती ललिता द्वारा जातिगत द्वेष व चमार शब्द कहकर गन्दी-गन्दी भाषा का इस्तेमाल किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में भी तमाम विद्वान अधिवक्तागण, सहायक अभियोजन अधिकारी से वार्ता की गयी, उनके बयान अंकित किये गये। इस बिन्दु पर सभी विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा कहा गया है कि हमारे सामने जातिगत द्वेष से किसी सम्बन्धित शब्द चमार आदि कहकर पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्बोधित नहीं किया गया है, यह केवल श्रीमती ललिता ही बता सकती है और श्रीमती ललिता द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि मुझे प्रधान मजिस्ट्रेट छोटी-छोटी बात पर डांटती है, किसी बात को कहने पर बोलती है कि तुझे कॉमनसेंस नहीं है, कुछ नहीं

M

जानती, पास में बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम चमार हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मुझे प्रधान मजिस्ट्रेट हटवाने की धमकी देती है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वर्तमान समय में प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय का व्यवहार जब से मैं किशोर न्याय बोर्ड में उनके साथ डायस पर बैठने लगी हूँ, मेरे प्रति अच्छा नहीं है व किशोर न्याय बोर्ड की हरकतों से मैं मानसिक प्रताड़ना झेल रही हूँ। श्रीमती ललिता के द्वारा लगाये गये आरोप कि उसे जातिगत शब्दों से चमार आदि कहकर प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी विद्वान अधिवक्ता/साक्षीगण के द्वारा इस कथन का कोई समर्थन नहीं किया गया है, परन्तु जब से श्रीमती ललिता किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय के साथ डायस पर बैठ रही है, और बैठने के समय से उसके साथ प्रधान मजिस्ट्रेट का व्यवहार कठोर और प्रपीड़ा पहुँचाने का रहा है, जिसको लेकर उसके पति को प्रकरण को बार एसोसिएशन कैराना को भी प्रेषित करना पड़ा है। इसके साथ-साथ श्रीमती ललिता द्वारा यह भी साक्ष्य दिया गया है कि उसे मानसिक रूप से इस आधार पर भी प्रताड़ित किया गया है कि उसकी जनवरी व फरवरी के रजिस्टर पर दस्तखत भी नहीं किये गये हैं, जिस कारण उसकी तनखाह भी नहीं निकल पा रही है। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप से सदस्या का मानसिक उत्पीड़न पहुँचाने की सीमा तक का है।

5. **भ्रष्टाचार:** प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा जो श्रीमती ललिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इस सम्बंध में समस्त विद्वान अधिवक्तागण द्वारा एक मत होकर कथन किया गया है कि श्रीमती ललिता का आचरण व व्यवहार ठीक है, उसके बारे में किसी लेनदेन अथवा भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने की बाबत कभी नहीं सुनी गयी है।

किशोर न्याय बोर्ड की धारा 7(4) के तहत यदि बोर्ड के सदस्यों के बीच अन्तरिम निस्तारण में कोई मतभेद हो, तब बहुमत की राय अभिभावी होगी, परन्तु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

यहाँ पर बोर्ड में केवल एक ही सदस्या है और जब बोर्ड में एक ही सदस्या है, तब प्रधान मजिस्ट्रेट की राय ही एक अन्तिम राय है, तब सदस्या किशोर न्याय बोर्ड को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे किसी दृष्टांत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिसमें कोई शिकायत श्रीमती ललिता की रही हो और प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संज्ञान में अथवा जनपद न्यायाधीश महोदय की संज्ञान में लाया गया हो। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा श्रीमती ललिता की शिकायत के बाद जवाबी हमले के रूप में आरोप सदस्या किशोर बोर्ड पर लगाये गये हैं, जो कि वैधानिक रूप से अथवा तथ्यात्मक रूप से पुष्ट नहीं होते हैं।

दिनांक 28.11.2020 को माननीय महोदय के द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि "कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि पिछले सप्ताह तक किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में रखी हुई थी, जो अब न्यायालय सिविल जज जू0डि0, शामली के कार्यालय में रखवा दी गयी है। इसी निरीक्षण टिप्पणी में सिविल जज, जू0डि0, शामली के कार्यालय में रखी एक अलमारी मिली, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड की समस्त पत्रावलियाँ रखी हुई थी। जबकि नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावलियाँ किशोर न्याय बोर्ड में होनी चाहिए थी। उक्त निरीक्षण टिप्पणी को पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवलोकित भी किया गया है। जिससे विद्वान



अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये इस कथन की पुष्टि होती है कि किशोर न्याय बोर्ड का कार्य दिसम्बर 2020 तक सिविल जज, जू0डि0, शामली एवं सिविल जज, सी0डि0, कैराना सुश्री रूचि तिवारी के नियमित न्यायालयों में चलता रहा है।

6. जांच का दूसरा बिन्दु:- किन परिस्थितियों में मु0अ0सं0 146/2020, अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467,468,471 भा0द0स0, थाना कांधला के अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया? इस तथ्य के सम्बंध में मेरे द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आनंद भास्कर को बुलाया गया, जिसने सशपथ कथन किया है कि मैं जुलाई 2018 से कैराना न्यायालय में तैनात हूँ। माह जनवरी 2020 से मैं थाना कांधला का कार्य देख रहा हूँ, मार्च 2020 से सितम्बर 2020 तक थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज जू0डि0, शामली के न्यायालय में था। थाना कांधला के मु0अ0सं0 146/2020, अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 का रिमाण्ड दिनांक 17.03.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली महोदय द्वारा किया गया था, चूंकि कोविड-19 शुरू हो गया था। इस रिमाण्ड याचना में धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम के साथ धारा 420,467, 468,471 भा0द0सं0 की भी धाराएं थी, सभी धाराओं का रिमाण्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा स्वीकार किया गया था, जो कि रिमाण्ड याचना से स्पष्ट है। कोर्ट मोहरिर् श्री अश्वनी कुमार की सहवन त्रुटि से रिमाण्ड व वारन्ट पर धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 का उल्लेख किये जाने से छूट गया था। अगले दिन इस त्रुटि को दूर करने के लिए मेरे द्वारा एवं कोर्ट मोहरिर् श्री अश्वनी कुमार के द्वारा सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जू0डि0, शामली के संज्ञान में लाया गया था, परन्तु उन्होंने इस वारन्ट व रिमाण्डशीट में हुई त्रुटि को सुधार करने से मना कर दिया था। उसके बाद कोविड-19 शुरू हो गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सात साल तक की सजा के अभियुक्तों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जाना था, ये दोनो अभियुक्तगण भूपेश व सुभाषचन्द अन्तरिम जमानत पर छोड़े गये। दिनांक 09.03.2021 को ये दोनों अभियुक्तगण मु0अ0सं0 146/2020, अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467, 468,471 भा0द0सं0 में आत्मसमर्पण करके जेल जा चुके हैं और इस समय जेल में है। इस प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के पार्ट पर कोई त्रुटि नहीं की गयी है। रिमाण्डशीट व वारन्ट बनाने की जिम्मेदारी कोर्ट मोहरिर् की होती है।

पत्रावली पर दाखिल पूर्व जनपद न्यायाधीश, महोदय के आदेश दिनांकित 28.03.2020 के द्वारा दिनांक 30.03.2020 से लेकर दिनांक 08.04.2020 तक के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये थे तथा दिनांक 30.03.2020 से 06.04.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को तथा दिनांक 03.04.2020 एवं 08.04.2020 को सुश्री रूचि तिवारी, सिविल जज, सी.डि./अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के लिए जिला कारागार में जाकर अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला कारागार जाकर अभियुक्त गुरप्रीत एवं सुभाषचन्द के अन्तरिम जमानत के आदेश पारित

N

किये गये। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा दाखिल किये गये स्पष्टीकरण में जो आरोप श्रीमती ललिता के माध्यम से लगाये गये हैं कि श्रीमती ललिता द्वारा मुझे यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त वर्णित मु0अ0सं0 146/2020 के बारे में उस समय कहा गया था कि मैं जेल से तुम्हारे इन लोगों को छोड़वा दूंगा, क्योंकि कोविड-19 में सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, इसलिए धारा विलुप्त की गयी। मु0अ0सं0 146/2020 का रिमाण्ड दिनांक 17.03.2020 को हुआ है। दिनांक 17.03.2020 को किसी भी प्रकार से यह सम्भव नहीं था कि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो जाये कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश पारित होंगे या दिनांक 17.03.2020 में किसी भी प्रकार से यह सोचा जाना सम्भव नहीं था कि भविष्य में सात साल तक की सजा वाले अभियुक्तों को अन्तरिम जमानत पर छोड़े जाने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय से पारित होंगे।

इसके अलावा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 17.03.2020 के रिमाण्ड में वारन्ट में धारा छूटने की त्रुटि को अगले ही दिन सिविल जज, जू0डि0, शामली सुश्री मुक्ता त्यागी को बता दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त त्रुटि को दूर करने से मना कर दिया गया था। उस समय थाना कांधला का क्षेत्राधिकार भी सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जू0डि0, शामली के यहाँ था। उनके संज्ञान में उक्त त्रुटि ला दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने उस त्रुटि को दुरुस्त नही कराया। उक्त त्रुटि दुरुस्त न करना यह दर्शित करता है कि उनके द्वारा किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर ऐसा किया गया।

इसके अलावा श्रीमती ललिता सदस्या, किशोर न्याय बोर्ड मु0अ0सं0 146/2020 के प्रकरण के अभियुक्तों की अधिवक्ता भी नहीं रही है, उसका इस प्रकरण से क्या मतलब हो सकता है? यह प्रधान मजिस्ट्रेट की कथित आपत्ति के अनुसार श्रीमती ललिता के सम्बंध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से थे, तब श्रीमती ललिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पार्ट पर होने वाली इस प्रकार की त्रुटि को क्यों उजागर करेगी। इसके अतिरिक्त यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा जो दस्तावेज साक्ष्य रिमाण्ड पत्रावली दाखिल की गयी है, वे अप्रमाणित छाया प्रतियाँ हैं। आश्चर्यजनक बात है कि अप्रमाणित रिमाण्ड की छाया प्रति कैसे दाखिल कर दी गयी हैं। स्वयं प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली की रिमाण्ड फाईल की भी अप्रमाणित फोटो प्रति दाखिल की गयी है। इसके अलावा थाना कांधला का क्षेत्राधिकार भी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज जू0डि0, शामली के यहाँ रहा है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा वारन्ट में धाराएं छूट जाने की जानकारी सिविल जज, जू0डि0, शामली सुश्री मुक्ता त्यागी को दे दी गयी, इस तथ्य को भी संज्ञान में लाये जाने के बाद दुरुस्त तो नहीं किया गया, अपितु किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त प्रपत्रों की फोटो प्रति कराकर रखी गयी। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के द्वारा अन्तरिम जमानत आदेश पारित किये जाने में उनके पार्ट पर कोई त्रुटि नहीं है तथा वारन्ट में छूटी धाराओं के सम्बंध में भी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

h

प्रकरण में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि श्रीमती ललिता की शिकायत केवल इतनी थी कि दिनांक 21.12.2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड पेशी के बारे में सच बताया दिया, प्रधान मजिस्ट्रेट इस बात से नाराज हो गयी। पहले उसे पीछे बैठाया जाता था, अब बोर्ड में उनके बराबर में बैठती है और बेमतलब मुझे प्रताडित कर रही है। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत के बिन्दुओं की सीमा तक ही जवाब देना था, किन्तु किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के द्वारा इन शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार किया, परन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया कि दिनांक 21.12.2020 को श्रीमती ललिता द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। इसके अलावा नये प्रकार से श्रीमती ललिता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आक्षेप लगाये गये हैं—

“अपने स्पष्टीकरण में माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली महोदय पर भी आक्षेप लगाया है, कौन सा ऐसा कृत्य है जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पार्ट पर आक्षेप की परिधि में आने वाला है। ऐसे किसी तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है।”

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी अंकित किया गया है कि बोर्ड की कार्यवाही में रिमाण्ड देने का प्रावधान नहीं है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ जो अप्रमाणित छाया प्रतियों दाखिल की गयी है, उनमें स्वयं उनके द्वारा रिमाण्ड शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त चूंकि यह न्यायालय अपीलिय न्यायालय भी है। किशोर न्याय बोर्ड की कुछ पत्रावलियों मेरे न्यायालय में आयी है, मेरे द्वारा उन पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली सरकार बनाम अमित, अन्तर्गत धारा 376 भा0द0स0 एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं सरकार बनाम गोल्डी, अन्तर्गत धारा 302,307 भा0द0स0 में स्वयं प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड शब्द का प्रयोग किया गया है।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसे कुछ तथ्यों का उल्लेख श्रीमती ललिता के माध्यम से बताये जाने के अनुसार, किया गया है, जैसे कि श्रीमती ललिता ने मुझसे कहा कि श्रीमान राजमंगल सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मेरे घनिष्ठ सम्बंध है, मैं उनके घर जाती हूँ, मैं उनसे न होने वाले काम भी चुटकियों में करा लेती हूँ, जिसके बाद श्रीमती ललिता द्वारा मुझे कुछ प्रपत्र भी दिये गये और बताया गया कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.03.2020 को मु0अ0सं0 146/2020 अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम में दो अभियुक्तों, जो पंजाब के रहने वाले हैं, का रिमाण्ड किया गया था, रिमाण्ड में धारा 420,467,468,471 भा0द0 स0 की गम्भीर धाराएं हटाई गई और इस सम्बंध में श्रीमती ललिता ने मुझे यह बताया था कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस समय कहा गया था कि मैं जेल से तुम्हारे इन लोगों को छुडवा दूंगा, क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते सात साल तक की सजा वाले अभियुक्तगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने इन रिमाण्ड में भा0द0सं0 की धाराओं को विलुप्त किया है। तुम निश्चित रहो, तुम्हारा काम हो जायेगा, मैंने जेल में जाकर ही अन्तरिम जमानत देने के लिए अपनी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई है। श्रीमती ललिता द्वारा मुझे ये भी बताया था कि देखों तो मैंने जिला जज साहब की सेवा करके थाना झिंझाना का



क्षेत्राधिकार अपने न्यायालय में ले लिया है और यह भी बताया था कि मैंने बिडौली चौकी क्षेत्र में अपने मिलने वाले को खनन का पट्टा दिलवा दिया है अब जिला जज साहब की सेवा करने में ओर मदद हो जायेगी, जिससे जिला जज साहब मेरी रोज की कमियों को ढकते रहेंगे।

प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती ललिता के इस प्रकार के कथन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपित करते हुए श्रीमती ललिता को शोभा नहीं देता, क्योंकि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायिक संस्थान के मजिस्ट्रेटों के सीनियर अधिकारी हैं।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के संज्ञान में जब श्रीमती ललिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संज्ञान वाली बात ला रही थी, जिसे प्रधान मजिस्ट्रेट ने अच्छा नहीं समझा, तब प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा इस तथ्य की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में क्यों नहीं लायी गयी, यदि प्रधान मजिस्ट्रेट का स्वयं का आचरण सदभाविक होता तो निःसन्देह उनके द्वारा उपरोक्त तथ्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दण्डाधिकारी एवं जनपद न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में लाये जाते, परन्तु प्रधान मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह तथ्य अपने वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में नहीं लाये गये जो ये दर्शाता है कि प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्या किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती ललिता का सीधा जवाब न देकर अपने बचाव में इस प्रकार का मिथ्या कथन कार्यवाही को भ्रमित किये जाने के उद्देश्य से बनाए गये हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 17.03.2020 को रिमाण्ड वाले दिन से पहले ही कौन सोच सकता था कि पहले से ही अर्जेंट काम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को करने होंगे और न ही भविष्य की बात के बारे में सोचा जा सकता था कि माननीय उच्चतम न्यायालय अन्तरिम जमानत पर छोड़ने के निर्देश देंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी लगवाई है। उन्हें स्वयं पता है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय ने ड्यूटी लगाई है। प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अपने बचाव हेतु मिथ्या कथनों का सहारा लिया गया एवं तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय पर भी झूठे आरोप लगाये हैं।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया था कि मु0अ0सं0 146/2020 अन्तर्गत धारा 60,63,72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467,468,471 भा0 द0सं0 के अभियुक्तों की अन्तरिम जमानत का आदेश पारित किये जाने के मामले में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्री राजमंगल सिंह यादव के पार्ट पर कोई त्रुटि नहीं की गई। कांधला थाने का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज,जू0डि0, शामली के नियमित न्यायालय में दिनांक 17.03.2020 के अगले दिन सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द भास्कर एवं कोर्ट मोहरिर् द्वारा धारा छूटने की त्रुटि को सुश्री मुक्ता त्यागी के संज्ञान में ला दिया गया था, परन्तु उन्होंने आदेश दुरुस्त करने से इंकार कर दिया तथा किसी उद्देश्य से ग्रसित होकर अभिलेख की छाया प्रतियाँ रखकर विधिक राय मशवरा से अन्यत्र उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभिलेख सुरक्षित रखे गये क्योंकि यदि प्रधान मजिस्ट्रेट का आचरण सदभाविक होता तो इस तथ्य का अविलम्ब अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया



जाता न कि शिकायत के जवाब के माध्यम से लाया जाता।

सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा श्रीमती ललिता के माध्यम से एक और आरोप लगाया गया है कि "देखा मेरे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे देखते हुए दिनांक 21.01.2021 के बाद दिनांक 01.02.2021 को नजारत अनुभाग के सारे ए0डी0जे0 को छोड़ते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के प्रभारी अधिकारी नजारत के आदेश जिला जज महोदय द्वारा किये गये। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि जब कार्यवृत्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बोर्ड में प्राप्त कराया गया, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी नजारत नहीं थे। दिनांक 01.02.2021 को जैसे ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर प्रभारी अधिकारी, नजारत का प्रभार आया, ऐसे ही श्रीमती ललिता को उक्त जानकारी दी जा सकती, यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की डाकबही से ही हो सकती है कि नजारत से किस प्रकार प्राप्त हुई है। प्रधान मजिस्ट्रेट की उक्त आपत्ति विचार योग्य नहीं है कि उसे कार्यवृत्त नजारत अनुभाग के माध्यम से मिला या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के डाकबही से मिला यह विवाद का विषय नहीं है।

श्रीमती ललिता ने बताया कि सारे ए0डी0जे0 को नकारते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रभारी अधिकारी, नजारत बनाया गया है। प्रभारी अधिकारी नजारत का बनाया जाना जनपद न्यायाधीश, महोदय का विवेकाधिकार का विषय है। किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपत्ति करना जनपद न्यायाधीश, महोदय को चुनौती देने के समान है। जनपद न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार पूर्व में भी श्री राजमंगल सिंह यादव बाह्य न्यायालय में प्रभारी अधिकारी नजारत रहे हैं। सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा श्रीमती ललिता के माध्यम से जो आरोप लगाये गये हैं वह अप्रत्यक्ष आरोप घोर कदाचार की श्रेणी के है।

प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 23.03.2021 में भी किशोर न्याय बोर्ड के कार्यों का नियमित न्यायालय से सम्पादित किया जाना दर्शाया गया है। किशोर न्याय बोर्ड के नियमित कार्यदिवसों ब्रहस्पतिवार व शुक्रवार में प्रधान मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने न्यायालय में नियमित जमानत प्रार्थना पत्र व मूल वादों का निस्तारण किया जाना यह दर्शाता है कि किशोर न्याय बोर्ड एवं नियमित न्यायालय के कार्य एक ही जगह से सम्पादित किये गये हैं।

यहाँ यह उल्लिखित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड द्वारा बोर्ड के लिए निर्धारित समय में अपने न्यायालय का नियमित कार्य भी किया गया है।

प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी से पूर्व सुश्री रुचि तिवारी सिविल जज सी0डि0, कैराना प्रधान मजिस्ट्रेट थी। उनके द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के लिए निर्धारित दिवसों में कभी-कभी 8 या 9 साक्षियों का साक्ष्य अपने नियमित न्यायालय के जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के साथ-साथ किया गया है। जोकि श्रीमती ललिता सदस्य किशोर बोर्ड के इन तथ्यों को पुष्ट करता है कि किशोर बोर्ड का कार्य विधि विरुद्ध तरीके से नियमित न्यायालय से सम्पादित किया गया है, जो कि एक गम्भीर वैधानिक त्रुटि है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी एवं सुश्री रुचि तिवारी द्वारा अधिनियम के



प्रावधानों के उल्लंघन में सम्पूर्ण कार्य किया गया है।

जांच का निष्कर्ष

1. सम्पूर्ण जांच में लिये गये साक्ष्यों, प्रशासनिक अधिकारी की आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी जिसे प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड सुश्री मुक्ता त्यागी एवं पूर्व प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड सुश्री रूचि तिवारी द्वारा अवलोकित भी किया गया है, से यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि माह दिसम्बर 2020 तक किशोर न्याय बोर्ड शामली की समस्त कार्यवाही अवैधानिक रूप से किशोर न्याय बोर्ड के प्रावधानों के उल्लंघन में मनमाने तरीके से सिविल जज जू0डि0, शामली एवं पूर्व में सिविल जज सी0डि0, कैराना के नियमित न्यायालय से सम्पादित की गई।

2. जांच में एकत्रित किये गये साक्ष्य से मु0अ0सं0 146/2020 अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम एवं धारा 420,467,471 भा0द0स0 में अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं वारण्ट में धारा 420,467,471 के छूटने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना के पार्ट पर कोई त्रुटि नहीं की गई है, बल्कि सहायक अभियोजन अधिकारी एवं कोर्ट मोहरिर के द्वारा छुटी धारा की जानकारी, सुश्री मुक्ता त्यागी को दिये जाने के बावजूद दुरस्त न करना और अपने वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अवगत न कराना स्वयं सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज जू0डि0, शामली के द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई है।

3. जांच में आये साक्ष्य से प्रधान मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा सदस्या किशोर बोर्ड के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के किसी आरोप की वैधानिक रूप से अथवा तथ्यात्मक रूप से कोई पुष्टि नहीं होती है।

4. जांच में आये साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड एवं पूर्व प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड सुश्री रूचि तिवारी द्वारा सदस्या किशोर बोर्ड श्रीमती ललिता को डायस पर साथ में बराबर में न बैठाकर स्टूल पर पीछे बैठाया जाकर आचरण से सदस्या किशोर बोर्ड श्रीमती ललिता का उत्पीड़न किया गया है।

5. सम्पूर्ण जांच में आये साक्ष्य से, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर बोर्ड के द्वारा श्रीमती ललिता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाये हैं, वह घोर कदाचार की श्रेणी में आता है।

उक्त प्रकरण की जांच आख्या माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

दिनांक: 19.04.2021

Mumtaj Ali
(मुमताज अली),
जांच अधिकारी/
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो),
शामली।

प्रेषक,

मुक्ता त्यागी,
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

2

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

विषय:- दिनांक 21.12.2020 को आहूत की गयी मीटिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 21.12.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या -2421/मेन-बी/एडमिन (ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 19.02.2014 के अनुपाल में माननीय जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

भवदीया

(ह)

16/12/2020

(मुक्ता त्यागी)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

दिनांक-16.12.2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. सदस्या किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
4. जिली प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शामली।
5. प्रभारी सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह(किशोर), शामली।
6. नोडल अधिकारी स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली।
8. विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, शामली।

seen
16/12/20

(विश्राम कक्ष)
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
जनपद शामली।

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 21.12.2020 को न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.02.2014 के आलोक में किशोर न्याय बोर्ड, शामली हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बैठक आहूत की गयी है, जिसमें आप समय सायं 4:30 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें।

दिनांक-15.12.2020

W
16/12/2020
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि:-

1. ✓ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
2. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
3. अपर पुलिस अधीक्षक, शामली।
4. सदस्या किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शामली।
6. प्रभारी सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) शामली।
7. नोडल अधिकारी स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी शामली।
9. विधि सह परिवीक्षा अधिकारी शामली।

Seen
A
16/12/2020

Annexure A-11

प्रेषक,

मुक्ता त्यागी,
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय:- डी.ओ.संख्या-20/पी.ए.(एस.) जनपद न्यायाधीश/2021 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि माननीय महोदय द्वारा दिये गये डी.ओ. नं.-20/पी.ए. (एस.) जनपद न्यायाधीश/2021 दिनांकित 06.02.2021 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि:-

1) यह कि श्रीमती ललिता, सदस्या किशोर न्याय बोर्ड शामली द्वारा नितान्त असत्य निराधार कथन करते हुए प्रार्थनापत्र दिनांकित 06.02.2021 माननीय महोदय के समक्ष मेरी छवि धूमिल करने के दुराशय से प्रस्तुत किया गया है।

2) यह कि श्रीमती ललिता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि दिनांक 21.12.2020 को मीटिंग में माननीय जनपद न्यायाधीश के पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड की रिमांड व पेशी कहाँ होती है, श्रीमती ललिता द्वारा यह कथन किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड की रिमांड व पेशी प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है, उस बात से अधोहस्ताक्षरी श्रीमती ललिता से ईर्ष्या रखने लगी और परेशान करने लगी। किन्तु श्रीमती ललिता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी किस प्रकार से श्रीमती ललिता को परेशान करने लगी। क्योंकि दिनांक 21.12.2020 के बाद से बोर्ड की अनेक बैठकें हुईं किन्तु इन बैठकों में श्रीमती ललिता को किस प्रकार मेरे द्वारा ईर्ष्या की भावना से परेशान किया गया, स्पष्ट नहीं है। यह गलत कथन इनके द्वारा किया गया है।

यह कि श्रीमती ललिता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थनापत्र में जो कथन किया है कि "मीटिंग दिनांकित 21.12.2020 में माननीय जनपद न्यायाधीश के पूछने पर कि किशोर न्याय बोर्ड की रिमांड व पेशी कहाँ होती है तो प्रार्थिया ने सच बता दिया कि प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होती है।" श्रीमती ललिता का उक्त कथन नितान्त असत्य है एवं उक्त कथन से श्रीमती ललिता द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश पर भी आक्षेप लगाया गया है। क्योंकि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 द्वारा कहीं भी किशोरों को रिमांड पर देने का प्रावधान ही नहीं है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 यह प्रावधानित करते हैं कि "जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर बोर्ड

(w)

के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बोर्ड उससे संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेज सकता है।" यहां पर यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि माननीय जनपद न्यायाधीश स्वयं एक उच्च न्यायिक अधिकारी हैं तथा विधि का सम्यक ज्ञान रखते हैं तथा उनके द्वारा दिनांक 21.12.2020 को आहूत की गयी मीटिंग के कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में उचित आदेश किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 7(2) के अनुसार करें। यहां पर यह बात और भी विचारणीय हो जाती है कि श्रीमती ललिता को किशोर न्याय बोर्ड में सदस्या के रूप में कार्य करते हुए 3 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं किन्तु उन्हें किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के इस आधारभूत नियम का सम्यक ज्ञान नहीं है तथा वह पूर्णतः विधि शून्य है। अपने शिकायती प्रार्थनापत्र से उन्होंने न केवल प्रधान मजिस्ट्रेट के ऊपर आक्षेप लगाया है बल्कि माननीय जनपद न्यायाधीश पर भी आक्षेप लगाया है जिससे कि गौरवशाली न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। श्रीमती ललिता द्वारा इसी प्रकार के कथन बालकों से किशोर न्याय बोर्ड में पेश किये जाने पर किये जाते हैं जो बालकों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं क्योंकि जब कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर बोर्ड के समक्ष या एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो बोर्ड की तथा उस एकल सदस्य का यह दायित्व है कि वह उस विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की काउंसिलिंग करें लेकिन श्रीमती ललिता काउंसिलिंग करना तो दूर ऐसे किशोर को अनरगल बातों से भटकाती हैं व अपने एवं अन्य न्यायालय में कार्यरत अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से किशोरों की पत्रावलियों में भ्रष्टाचार करने के दुराक्षय से किशोरों से अनरगल बातें करती हैं और इनके द्वारा एक भी किशोर की पत्रावली पर उसकी काउंसिलिंग रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है।

3) यह कि श्रीमती ललिता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया कि प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेशी के समय मुझे पीछे बैठाया जाता था, यह कथन भी नितान्त असत्य तथा मिथ्या आरोप है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें कभी-भी न्यायालय कक्ष में मेरे द्वारा नहीं की गयी तथा न ही बोर्ड का अन्य कार्य किया गया और यदि श्रीमती ललिता को इस मिथ्या तथ्य की जानकारी थी तो उन्होंने दिनांक 21.12.2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा आहूत बैठक में यह तथ्य क्यों नहीं बताया था। जब भी श्रीमती ललिता के कथनानुसार किशोर न्याय बोर्ड की रिमाण्ड तथा पेशी न्यायालय से की गयी तब श्रीमती ललिता द्वारा ऐसा कोई प्रार्थनापत्र इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्यों नहीं दिया गया। अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में आज तक ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि श्रीमती ललिता द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम अधिकारी को कोई पत्राचार किया गया हो। श्रीमती ललिता स्वयं को शिकायती प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रधान मजिस्ट्रेट के समक्ष मानती हैं तो यह उनका भी दायित्व है कि यदि किशोर न्याय बोर्ड में कोई विधि सम्मत कार्य नहीं हो रहा है तो उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष रखें अथवा उचित माध्यम से नियमों के अनुरूप पत्राचार करें।

W

4) यह कि श्रीमती ललिता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें जातिसूचक शब्द कहे गये तथा उनके साथ गन्दी भाषा का प्रयोग किया गया। यह आरोप नितान्त मिथ्या तथा निराधार है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी एल.एल.बी, एल.एल.एम. तथा आयोग द्वारा आयोजित पी.सी.एस.(जे) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत एक न्यायिक अधिकारी है जिसे विधि का भली प्रकार से ज्ञान है तथा अधोहस्ताक्षरी को यह पता है कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना विधि विरुद्ध है। यहां पर यह तथ्य अत्यंत उल्लेखनीय है कि श्रीमती ललिता द्वारा अपने उपरोक्त मिथ्या कथन में कहीं भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें कब, कहां, किस परिप्रेक्ष्य में और किसके सम्मुख ऐसी बातें कही गयीं। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय बोर्ड में और भी कर्मचारी शासन की ओर से नियुक्त हैं जिनकी आख्या इस स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की जा रही है और जिन्होंने यह कथन किया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऐसा कोई कथन श्रीमती ललिता के लिए नहीं किया गया।

5) यह कि श्रीमती ललिता अधोहस्ताक्षरी से दुर्भावना रखती हैं क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती ललिता को पूर्व में लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए नोटिस निर्गत किये गये हैं क्योंकि श्रीमती ललिता बोर्ड में सही प्रकार से कार्य नहीं करती हैं तथा उनके बोर्ड में किये गये कृत्य घोर लापरवाही तथा उदासीनता से परिपूर्ण हैं। उपरोक्त वर्णित नोटिसों का जवाब देने में जब श्रीमती ललिता असमर्थ हो गयी तब उनके द्वारा अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए अपनी जाति को ढाल बनाया गया। यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि प्रधान मजिस्ट्रेट बोर्ड में उपस्थित ना हो तो बोर्ड का समस्त कार्य सदस्य द्वारा ही सम्पन्न किया जायेगा। श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.12.2020 को पहली बार 2018 में शामली सेशन खंड बनने के उपरांत तथा किशोर न्याय बोर्ड शामली गठित होने के उपरांत त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। जिसका कार्यवृत्त सीलड लिफाफे में प्रधान मजिस्ट्रेट को सम्बोधित करते हुए आधिकारिक तौर पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 15.01.2021 को जब श्रीमती ललिता के कथनानुसार अधोहस्ताक्षरी NICFS की ट्रेनिंग (जो कि मेरे द्वारा न्यायालय परिसर कैराना में ही प्राप्त की गई) में व्यस्त थी तब प्रेषित किया गया। किन्तु अधोहस्ताक्षरी को उक्त कार्यवृत्त दिनांक 22.01.2021 को श्रीमती ललिता द्वारा प्राप्त कराया गया तथा सीलड लिफाफा भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खुला हुआ रखा गया। जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिफाफे के खुले होने का कारण पूछा गया तथा यह भी पूछा कि जब आपने लिफाफा खोलकर पढ़ लिया और उसमें आपने ये पाया कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवृत्त के पालन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया है तो इसे समय से मेरे समक्ष क्यों नहीं रखा जिससे कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर किया जा सके तो श्रीमती ललिता द्वारा कहा गया कि "मुझे तो बोर्ड में आकर बैठने का वेतन मिलता है मैं ये बिना पैसे वाले काम क्यों करूँ, तुम्हें तो ज्यादा वेतन मिलता है ये काम तुम करो, सारे निर्देशन तुम्हारे लिए हैं। यदि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बोर्ड को निर्देशित करते तो मैं भी काम करती। मुआयना बोर्ड का था लेकिन उसमें निर्देशन न मुझे है तथा न ही अन्य किसी कर्मचारी को है केवल तुम्हारे लिए है (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न)। जबकि पिछले वार्षिक निरीक्षणों में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट को एक भी निर्देश नहीं दिया गया था सारे निर्देश

लिपिकगण को दिये गये थे जबकि एक भी लिपिक बोर्ड में माह अगस्त, 2020 तक नियुक्त ही नहीं था।" (पूर्व वार्षिक निरीक्षण की प्रति संलग्न)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जब श्रीमती ललिता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करने के लिए कहा गया तो श्रीमती ललिता द्वारा यह कहा गया कि "तुम बेमतलब मुझे सलाह मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। यहां सब काम क्या तुम्हारे ही हिसाब से होगा, देखो सी.जे.एम को उन्होंने बोर्ड का मुआयना भी दोपहर में 02.00 बजे से 04.00 बजे किया था वो भी तुम्हें लिखित में आदेशित किया था। क्या उन्हें नहीं पता ये नियम कि 02.00 बजे से 04.00 बजे तक बोर्ड कार्यरत रहता है तथा सारे किशोर अपचारी इत्यादि लोग वहीं रहते हैं और सी.जे.एम. का भी न्यायालय में काम करने का समय होता है फिर भी सी.जे.एम. ने लिखित में यह आदेश किया था कि वे बोर्ड का मुआयना 02.00 बजे से 04.00 बजे तक करेंगे (प्रति संलग्न), तुम्हारे पास ही सारे नियम हैं।"

इतना ही नहीं श्रीमती ललिता बोर्ड में भी अभद्र भाषा तथा धमकी का प्रयोग करती हैं जिसके प्रमाणस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 09.02.2021 को दिया गया उनका स्पष्टीकरण है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह लिखित अभिकथन किया गया है कि "यह कि प्रार्थीया द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बोर्ड की बैठक के स्थान के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ पूछा गया है बल्कि माननीय महोदया व सचिन द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा कई बार सचिन को विद्वान अधिवक्तागणों से पैसा लेने से मना किया गया, इसके सम्बन्ध में माननीय महोदया को भी अकेले में अवगत कराया गया। किन्तु उक्त सचिन द्वारा उल्टा प्रार्थीया पर दबाव बनाया गया। इसी बात से नाराज होकर सचिन को बचाने के उद्देश्य से यह मिथ्या आधारहीन नोटिस प्रार्थीया को दिया गया है जो कि बिल्कुल निराधार है और यदि माननीय महोदया इस मिथ्या निराधार नोटिस के आधार पर प्रार्थीया के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थीया नोटिस देने वाले के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करायेगी।" यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि इससे पूर्व भी श्रीमती ललिता द्वारा इस प्रकार की धमकियां दी जाती रही हैं। श्रीमती ललिता ने मुझे बताया कि "मेरा तो श्री राजमंगल यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सीधा बिल्कुल घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा मैं उनके घर अक्सर जाती हूँ और मैं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ना होने वाला काम भी चुटकियों में करवा लेती हूँ।" जिसके बाद श्रीमती ललिता द्वारा कुछ प्रपत्र मुझे दिये गये व बताया कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 17.03.2020 को अपराध सं.-146/2020 अन्तर्गत धारा 60/63/72 एक्साईज एक्ट, थाना कांधला जनपद शामिल में दो अभियुक्त जो कि प्रदेश पंजाब के रहने वाले हैं, का रिमांड किया गया था जबकि विवेचक द्वारा अपराध सं.-146/2020 में रिमांड धारा 60/63/72 एक्साईज एक्ट तथा धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. में याचित किया गया था। श्रीमती ललिता द्वारा यह भी बताया गया कि जब विवेचक द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. भी रिमांड याचित किया गया था तब बिना पर्याप्त कारण दर्शाये/लेखबद्ध किये तथा बिना समुचित आदेश किये श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आई.पी.सी. की गम्भीर धाराएं हटाई गयीं तथा श्रीमती ललिता द्वारा मुझे यह भी बताया

गया कि "श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त वर्णित अपराध संख्या 146/2020 में उस समय कहा गया था कि मैं जेल से तुम्हारे इन लोगों को छुड़वा दूंगा क्योंकि कोविड-19 में लॉकडाऊन की परिस्थितियों के चलते 7 वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, इसलिए तो मैंने रिमाण्ड में जानबूझकर आई.पी.सी. की धाराओं का लोप किया है। तुम निश्चित रहो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अन्तरिम जमानत देने के लिए अपनी ड्यूटी लगायी है वरना मैं रिमाण्ड क्यूं करूं, मैं तो सी.जे.एम. हूँ।" श्रीमती ललिता द्वारा फिर यह भी कहा गया कि "मुझे तो सी.जे.एम. साहब ने यह भी बताया कि 2 साल से मैंने कभी अपनी रिमाण्ड नहीं लगायी, कोविड में भी नहीं और देखो मैंने तो जिला जज साहब की सेवा कर-कर के झिंझाना थाने का क्षेत्राधिकार अपनी कोर्ट में ले लिया है क्योंकि मैंने बिडौली चौकी क्षेत्र जो कि झिंझाना थाने में आती है, मैंने अपने एक मिलने वाले को खनन का पट्टा दिलवा दिया है अब जिला जज साहब की सेवा करने में और सुविधा हो जायेगी, जिससे कि जिला जज साहब मेरी रोज की कमियों को ढकते रहें।"

6) यह कि श्रीमती ललिता के पति इसी न्यायालय में ए.डी.जी.सी. सिविल के पद पर कार्यरत हैं जिनका बोर्ड में आना-जाना लगा रहता है। श्रीमती ललिता की देवरानी भी सी.डब्लू.सी. की अध्यक्ष हैं। जब अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती ललिता के पति श्री ईश्वर जाटव को अनावश्यक रूप से बोर्ड में आने से मना किया गया तब श्री ईश्वर जाटव ए.डी.जी.सी. श्रीमती ललिता द्वारा पुनः अधोहस्ताक्षरी को शिकायत की धमकी दी गयी। साथ ही कहा गया कि "मेरा सी.जे.एम. के घर पर भी आना-जाना है। मेरे पति के कहने पर उन्होंने बहुत से काम किये हैं।"

7) यह कि श्रीमती ललिता आये दिन किशोर न्याय बोर्ड में भी मन मुताबिक अपना प्रभाव रखना चाहती हैं। मेरे द्वारा इन्हें कई बार मौखिक रूप से सचेत किया गया कि किसी भी प्रकार के अवैध कृत्य न किये जायें किन्तु इनके द्वारा धमकी दी गयी कि "मेरा सी.जे.एम. के ऑफिस, घर सब जगह आना-जाना है, ऊपर तक मेरी पहुंच है तुम इन नोटिसों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और मैं जैसे चाहूँ वैसे मामलों को तय करवाऊंगी।"

8) यह कि मेरे द्वारा श्रीमती ललिता की रोस्टर ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 21.12.2020 की मीटिंग के कार्यवृत्त के अनुपालन में निश्चित की गयी कि सभी अवकाश के दिनों में बोर्ड की एकल सदस्य के रूप में श्रीमती ललिता हमेशा उपलब्ध रहेगी जिससे कि किशोर न्याय बोर्ड शामली के क्षेत्राधिकार में आने वाले किशोर अपचारियों को यदि उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाये तो वे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिये गये कार्यवृत्त में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी भली प्रकार से काउंसिलिंग करते हुए उन्हें यथोचित स्थान पर रखने हेतु सम्यक रूप से समुचित कार्यवाही करेंगी। किन्तु श्रीमती ललिता द्वारा उनके कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन न करते हुए तथा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बगैर आयोग की पी.सी.एस.(जे.) परीक्षा पास किये स्वयं के द्वारा अपने को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दर्शाया जा रहा है जो कि पूर्णतः विधि विरुद्ध एवं अत्यंत निन्दनीय कृत्य

है तथा श्रीमती ललिता द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की मोहर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात् जो भी आदेश अवकाश के दिनों में श्रीमती ललिता द्वारा बनाये गये रोस्टर के अनुक्रम में किये जाते हैं उनमें स्वयं को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दर्शाया जाता है जबकि 3 साल किशोर न्याय बोर्ड की सदस्यता के रूप में कार्य करने के उपरांत उन्हें यह पता होना चाहिए कि बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये वे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्वयं को नहीं दर्शा सकती हैं। उनका उपरोक्त कृत्य आई.पी.सी. की धारा 170 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इनके द्वारा आदेश में ऐसी ही कूटरचना की जा रही है जिससे कि स्थानीय जनता में अपना प्रभाव रखने व भ्रष्टाचार करने के लिए सुलभता एवं सुगमता हो जाये और वे खुले आम कहती हैं कि "किशोर न्याय बोर्ड शामिली में, मैं जैसा चाहूंगी वैसा होगा।" श्रीमती ललिता के इस विधि विरुद्ध कृत्य के प्रमाणस्वरूप श्रीमती ललिता द्वारा किये गये आदेशों की प्रति संलग्न की जा रही है।

9) यह कि श्रीमती ललिता द्वारा दिनांक 09.02.2021 को अपने स्पष्टीकरण में यह तथ्य बताया गया है कि दिनांक 14.01.2021 को सचिन द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यवृत्त जो प्राप्त किया गया है, इस जानकारी का स्रोत नजारात विभाग है तथा नजारात विभाग ने दिनांक 01.02.2021 को श्रीमती ललिता को उपरोक्त जानकारी प्रदान की। श्रीमती ललिता द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण देने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी से यह कहा गया कि "तुमने तो जानकारी का स्रोत 29.01.2021 को पूछा था और देखो मेरा और सी.जे.एम. का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे पूछते ही 30.01.2021 व 31.01.2021 को छुट्टी होने के बाद 01.02.2021 को ही नजारात विभाग सारे ए.डी.जे. को बाईपास करके मेरे सारे काम करने वाले सी.जे.एम. के पास चला गया। इससे ज्यादा मेरे प्रभाव का और क्या सबूत दूँ। तुम बेकार मुझसे उलझ रही हो। तुम मेरा पैसे और रिश्त लेना बंद नहीं करा पाओगी, मेरी पहुंच ऊपर तक है। श्रीमती ललिता द्वारा यह भी कहा गया कि सी.जे.एम. साहब ये कहते हैं कि उनकी अगर शिकायत भी माननीय उच्च न्यायालय से की जाये तो कोई कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि उच्च न्यायालय भी जिला जज से ही आख्या मांगेंगे व चूंकि सी.जे.एम. साहब कहते हैं कि वे जिला जज की हमेशा सेवा में आगे रहते हैं जिस कारण उनके विरुद्ध जिला जज आख्या नहीं देंगे।" यहां पर यह कथन अत्यंत विचार करने योग्य है कि जो कार्यवृत्त श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामिली द्वारा बोर्ड में प्राप्त कराया गया है उसकी लिखित प्राप्ति नजारात अनुभाग से कैसे मिल सकती है, क्योंकि किसी प्रपत्र की लिखित प्राप्ति तो सम्बन्धित न्यायालय की डाक बही से ही प्राप्त हो सकती है। यहां पर यह कथन और भी विचार करने योग्य है कि जब कार्यवृत्त श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बोर्ड में प्राप्त कराया गया तब श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी नजारात नहीं थे और दिनांक 01.02.2021 को जैसे ही श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास नजारात अनुभाग का प्रभार आया वैसे ही श्रीमती ललिता को उक्त जानकारी जो कि यदि हो सकती है तो केवल श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की डाक बही इत्यादि प्रपत्रों से हो सकती है, नजारात से किस प्रकार हुई यह श्रीमती ललिता द्वारा ही बताया जा सकता है। किन्तु यहां पर उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कथन श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिप्त करते हुए करना श्रीमती ललिता को शोभा नहीं देता है क्योंकि वे न्यायिक संस्थान के एक सीनियर अधिकारी हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों में मुख्यतः श्रीमती ललिता जो कि नितान्त असत्य आधारहीन कथन करने वाली तथा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीन महिला को जब उनके द्वारा किये गये लापरवाहीपूर्ण कृत्यों तथा असत्य कथन करने हेतु नोटिस दिये गये तो इनके द्वारा दुर्भावना से मेरी छवि धूमिल करने के आशय से यह प्रार्थनापत्र माननीय महोदय को दिया गया है। यहां पर यह तथ्य अत्यंत विचार करने योग्य है कि अधोहस्ताक्षरी को न्यायिक सेवा में अब तक चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा अधोहस्ताक्षरी शामिल स्थित कैराना में अगस्त, 2018 से न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत है किन्तु आज तक अधोहस्ताक्षरी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। उनके इस शिकायती प्रार्थनापत्र से अधोहस्ताक्षरी को मानसिक आघात पहुंचा है तथा श्रीमति ललिता द्वारा अपने इस प्रकार के आधारहीन प्रार्थनापत्रों से अधोहस्ताक्षरी का मानसिक शोषण किया जा रहा है। श्रीमती ललिता द्वारा उपरोक्त असत्य आधारहीन प्रार्थनापत्र से न केवल अधोहस्ताक्षरी की वरन् सम्पूर्ण न्यायिक प्रतिष्ठान की छवि धूमिल की गयी है, जिसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाये।

दिनांक:-19.02.2021

भवदीया

Mukta Tyagi

(मुक्ता त्यागी)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

संलग्नक-

- 1-स्पष्टीकरण श्रीमती ललिता दिनांकित 09.02.2021।
- 2-प्रपत्र जिनमें श्रीमती ललिता द्वारा स्वयं को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दर्शाते हुए मोहर का प्रयोग किया गया।
- 3-श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रिमांड पेपर।
- 4-निरीक्षण आख्या दिनांकित 24.12.2020.
- 5-वार्षिक निरीक्षण 2018-19, 2019-20.
- 6-निरीक्षण आदेश 24.12.2020.
- 7-बोर्ड में कार्यरत शासन से नियुक्त अन्य कर्मचारियों के स्पष्टीकरण।

Annexure A-12

(108)

(314)

By Speed Post

From, **Officer In-Charge,**
District Judge,
Shamli

O/C

To, **The Joint Registrar (J)(Confidential)**
High Court of Judicature at
Allahabad.

No. **37/ AO/ DJ Shamli 2019** Dated **May 10, 2019**


Subject: Regarding Report/Comments in compliance of D.O. No. C.V. / 528 / 2019
Allahabad dated April 04, 2019

Sir

This is in reference to the Hon'ble Court's D.O. No.C.V. 528 /2019 Allahabad: Dated: April. 04, 2019 in relation to Complaint dated 10-10-2018 Shri Mahboob s/o Shri Shamsuddin r/o Village Mavi P/S Kairana District Shamli regarding his grievance in connection to Case Crime No. 579 of 2018, P.S. Kairana. In this regard It is submitted that a report was called from the Chief Judicial Magistrate, Shamli, who reported to the then District Judge on 29-04-2019 submitting that the victim lady was produced by the Police Station Kairana before the Link Magistrate on 06-10-2018 for recording the statement u/s 164 CrPC in the aforesaid matter, but it was found by the Link Magistrate, that prima facie the victim was not competent to give her statement. Therefore the Link Magistrate passed an order on that date for Medical Examination of the victim and after the Medical Examination of the victim, her statement u/s 164 CrPC was recorded by the Link Magistrate on 16-10-2018. After taking cognizance on the Charges filed by the police in the aforesaid matter on 06-12-2018 by the concerned Court the Case has been committed to the Sessions Judge, Shamli on 05-02-2019. Complaint made by the Complainant was false, unreasonable and baseless and an irregularity was done by the court concerned.

With regards.

Your's Faithfully


i/c District Judge,
Shamli,

By E-mail/Regd. Post

Back of (108.)

From,

Alka Srivastava,
The District Judge,
Shamli

To,

The Chief Judicial Magistrate,
Shamli.

Subject: Regarding D.O. No. CV 528 / 2019 dtd. 04-04-2019 on
Complaint made by Mehboob s/o Shamsuddin r/o Vill.
Mavi P/S Kairana

As the Confidential letter received from Hon'ble High Court, Allahabad regarding the Complaint of Complainant Mehboob s/o Shamsuddin r/o Vill. Mavi p/s Kairana District Shamli for the grievance in connection to Case Crime No. 579 of year 2018, P.S. Kairana. As per order dtd. 26-03-2019 Hon'ble Administrative Judge, directing the District Judge, Shamli to take necessary action at his end, you are directed to submit your report within 3 days.

Dated 25-04-2019

(Alka Srivastava)
District Judge,
Shamli

DA
26/4/19

Somprabha Mishra
Joint Registrar (J.)(Confidential)



Registered
'Confidential'
'Vigilance Bureau'
D.O. No. C.V./ 528 /2019
Allahabad
Dated: March/ 4-4 / 2019

Dear Madam,


While enclosing herewith a copy of complaint dated 10.10.2018 made by Shri Mahboob son of Shri Shamshuddin R/o Village- Mavi, P.S.- Kairana, District- Shamli regarding his grievance in connection to Case Crime No. 579 Year 2018, P.S.- Kairana, District- Shamli, I am desired to say that in this connection Hon'ble the Administrative Judge, Shamli has been pleased to pass the order dated 26.03.2019 directing the District Judge, Shamli to take necessary action at his end.

I, would therefore request you to kindly take necessary action in compliance of aforesaid order of Hon'ble the Administrative Judge, Shamli.

With regards.

Encls. As stated

Yours Sincerely


3.4.19
(Somprabha Mishra)

Smt. Alka Srivastava
District & Sessions Judge,
Shamli

संख्या -

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ०प्र०।

Back of (109)

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी महबूब पुत्र शमशुदीन निवासी ग्राम मबी थाना कैराना जिला शामली उत्तर प्रदेश का निवासी है प्रार्थी की पुत्री साईस्ता के साथ दिनांक 01.10.2018 को समय सुबह 5:00 बजे गांव के ही नदीम पुत्र इरशाद व तासिम पुत्र शाहदीन ने सामुहिक बलात्कार कर संज्ञेय अपराध किया, जिसके सम्बंध में प्रार्थी के द्वारा थाना कैराना पर रिपोर्ट दर्ज कराई गयी, जिसका मु०अ०सं० 577/ सन् 2018 है। थाना इन्चार्ज थाना कैराना के द्वारा प्रार्थी की पुत्री साईस्ता के 164 सी०आर०पी०सी के ब्यान कराकर मेडिकल कराया गया, और मेडिकल रिपोर्ट में भी प्रार्थी की पुत्री साईस्ता के साथ मुल्जिमान उपरोक्त द्वारा बलात्कार किये जाने की पुष्टि हुई जिसके उपरान्त थाना इन्चार्ज थाना कैराना ने प्रार्थी की पुत्री साईस्ता को 164 सी०आर०पी०सी के ब्यान हेतु न्यायालय जे०एम० शामली/ कैराना में उपस्थित किया तो उपरोक्त न्यायालय द्वारा साईस्ता को न्यायालय सी०जे० (जे०डी०) के समक्ष उपस्थित करके दोनो मजिस्ट्रेटो ने साईस्ता को उर धमकाकर दो बार 164 सी०आर०पी०सी के ब्यान लेने के बाद साईस्ता को मानसिक रूप से परेशान करके साईस्ता की दिमागी जांच कराने हेतु दिनांक 06.10.2018 को आदेश किया और नियत तिथि 16.10.2018 ब्यान 164 सी०आर०पी०सी वास्ते नियत कर दी है। जबकि प्रार्थी की पुत्री दिमागी रूप से बीमार नहीं है और प्रार्थी की पुत्री का उत्पीडन किया जा रहा है, जो न्यायिक रूप से गैर कानूनी है। ऐसी दशा में प्रार्थी की पुत्री के साथ हुए संज्ञेय अपराध को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की पुत्री साईस्ता के शीघ्र अतिशय धारा 164 सी०आर०पी०सी० के ब्यान कराये जाने अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की पुत्री साईस्ता के शीघ्र अतिशय धारा 164 सी०आर०पी०सी० के ब्यान कराये जाकर प्रार्थीया को न्याय दिलाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक-- 10.10.2018

सहबूब

प्रार्थी

महबूब पुत्र शमशुदीन
निवासी ग्राम मबी थाना
कैराना जिला शामली

Mukta Tyagi
Civil Judge (JR. DIV.) / Judicial Magistrate
Shanli

To

Hon'ble Chief Judicial Magistrate
Shanli

Subject - Regarding D.O. NO. CV 528/2019 dtd.
4-4-19 on complaint made by Mah-
boob s/o Shamsuddin R/o vill. Mani
P/S Kairana.

Respected Sir,

It is humbly submitted regarding
the above complaint subject as under-

1. The victim girl Saishta was brought
before me for recording of the
statement under section 164 Cr.P.C.
on 6-10-19
2. Prima facie it was observed that
she was not mentally fit at that
stage to give her statement under
section 164 Cr.P.C. that is why an
order was made for conducting a
medical checkup of the victim that

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद शामली।

विषय- डी.ओ. न. सी.वी 528/2019 दिनांकित 04-04-2019 शिकायतकर्ता महबूब पुत्र
शमसुदीन निवासी ग्राम मावी थाना कैराना द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थनापत्र के सम्बंध में।
महोदय,


सविनय निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भ में सम्बंधित न्यायालय से आख्या मांगी गयी। सम्बंधित न्यायालय द्वारा आख्या दी गयी है कि 06-10-18 को पीड़िता को बयान के लिये प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के प्रथम दृष्टया बयान न देने की स्थिति में उसके चिकित्सीय परीक्षण का आदेश किया गया चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत दिनांक 16-10-18 को धारा 164 द.प्र.सं. के बयान अंकित किये गये। मामले में दिनांक 06-12-18 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और पत्रावली दिनांक 05-02-19 को न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली को कमिट की जा चुकी है। जो भी शिकायत की गयी है वह मनगढ़न्त, अवांछनीय व बेबुनियाद है और न्यायालय की ओर से कोई भी त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

उपरोक्तनुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

दिनांक - 29-04-19


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

संलग्नक - सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की आख्या मूल रूप में।

whether she is in a fit mental state for giving her independent statement under section 164 Cr.P.C.

3. Her mental checkup was done in Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital Associated to LLRM Medical college Meerut and it was observed, ^{by concerned doctor} as under-

"The Patient Miss Shahista, Age 15 years/ F resident of village, Mani thana Kairana, Distt. Shamli i.e. referred/ CMO Distt. Shamli for psychiatric assessment. On mental status examination, currently affect - Anxious, Thinking - Relenant and coherent.

For proper evaluation and management of Patient she was to admitted for at least 10 days with female constable 24x7)

4. Thereafter on 16-10-18 after the medical of the victim was done, her statement under section 164 Cr.P.C. was recorded.

5. Thereafter the charge sheet was submitted under section 173(2) Cr.P.C. in the matter on 6-12-18 and as the matter was session triable the file was

mitted to Hon'ble Appellate court/
session court on 5-2-19

6. The allegations made by applicant
are false and frivolous to malign
my image and the statement under
section 164 Cr.P.C. were recorded by
me all alone in the court as per
provisions of Cr.P.C. there was no
other person present apart from me
and victim Shaikha.

Above report is humbly submitted.

Dated 27-4-19

Your's sincerely
27/4/19
(Mukta Tyagi)
civil judge (J)
Judicial Magis
Shankar.

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0338

Date (दिनांक): 16/06/2020

P.S. (थाना): काधला

District (जिला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

- a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 22/06/2020
 b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 12:00 वजे
 c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 18:20 वजे
 d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):
 मुकदमा अपराध संख्या 338 /20 धारा 376 आईपीसी थाना कांधला जनपद शामली
 e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): साक्ष्य विवरण
 b) Witness Name(गवाह का नाम):
 c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
 d) Age(उम्र):
 e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):
 Colony/Locality/Area
 (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):
 Tehsil/Block/Mandal
 (तहसील/ब्लॉक/मंडल):
 State (राज्य):
 Pincode (पिन संख्या):

Street Name(गली का नाम):
 Village/Town/City
 (ग्राम/नगर/शहर):
 District (जिला):
 Police Station(पुलिस स्टेशन):
 Country(देश):

f) Description(विवरण):


श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का पर्चा 2 दिनांक 20 जून 2020 को कित्ता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है आज मैं उपनिरीक्षक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मशरूफ हो मय हमराही महिला कास्टेबल शीतल के मुकदमा उपरोक्त की वादिया/पीडिता कुमारी नाजमा के बयान माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी में दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कैराना में आया न्यायालय परिसर में पीडिता कुमारी नाजमा अपनी माता के साथ मौजूद मिली माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन से पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि आज मैं पूरे कोर्ट में अकेली हू सारा काम मुझे करना है और हमारी लिंक मजिस्ट्रेट महोदय की कुटी पर है जो 30 तारीख में वापस आएगी उनके आने के बाद ही बयान अंकित किए जा सकते हैं आप 30 तारीख के बाद न्यायालय में आना आपके बयान अंकित किए जाएंगे आवेदन की मूल प्रति सलग सीडी की जाती है पीडिता इसकी मां के साथ न्यायालय परिसर से रखसत कर मय हमराही महिला कास्टेबल शीतल के वापस आया नकल रपट संलग्न सीडी की जाती है

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. Evidence (क्र.सं.) Type (साक्ष्य के)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
--	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 22/06/2020
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 आज की कार्यवाही का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है

(Handwritten Signature)


f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
--------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 14/04/2021
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित): 920710687

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): JAY KISHOR SINGH
Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं.): 920710687

सुनील सिंह



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD4
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0338
P.S. (थाना): कांथला

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
Date (दिनांक): 16/06/2020
District (जिला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

- a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 01/07/2020
b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे
c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 16:00 बजे
d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):
कार्यालय क्षेत्राधिकारी कैराना व मा0न्या0 कैराना
e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
मु0अ0स0 338/2020 धारा 376 भादवि बनाम अमजद पुत्र महताब निवासी मौ0 खैल कस्बा व थाना कांथला जनपद शामली। दिनांक घटना 15/07/12 से अब तक, समय अ0त0, घटनास्थल वादी का घर मौ0 खैल नई बस्ती मुस्ताफावाड कस्बा व थाना कांथला, दिशा पूरव, दूरी 1 कि0मी0, दिनांक सूचना 16.06.2020 व समय 15.36 बजे।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम):
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
d) Age(उम्र):
e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):

Street Name(गली का नाम):

Colony/Locality/Area

Village/Town/City

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

(ग्राम/नगर/शहर):

Tehsil/Block/Mandal

District (जिला):

(तहसील/ब्लॉक/मंडल):

State (राज्य):

Police Station(पुलिस स्टेशन):

Pincode (पिन संख्या):

Country(देश):

f) Description(विवरण):

श्रीमान जी निवेदन है मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उपनिरीक्षक श्री जय किशोर द्वारा की जा रही थी उनके स्थानांतरण उपरांत हस्त आदेश थानाध्यक्ष महोदय विवेचना मुझ उपनिरीक्षक के सुपुर्त हुए विवेचना ग्रहण की जाती है।..... अब मैं उप निरीक्षक थाने से खाना होकर कार्यालय श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैराना आया पूर्व विवेचक द्वारा किता केस डायरी प्राप्त कर अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन केस डायरी प्रथम पर्चा दिनांक 16/06/2020 को किता किया गया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा नकल चिक नकल रफ्त बयान लेखक f.i.r. समर्थन कायमी महिला कास्टेबल 491 शीतल द्वारा बयान पीडिता कुमारी नाजमा का 161 सीआरपीसी में बयान अंकित कराया जाना बयान की नकल केस डायरी में किया जाना, बयान की वीडियोग्राफी कराया जाना एवं सीडी तैयार कराकर संलग्न किया जाना अंकित किया गया बाद बयान पीडिता कुमारी नाजमा को महिला कास्टेबल शीतल के साथ वास्ते मेडिकल जिला चिकित्सालय शामली खाना किया जाना है एवं गिरफ्तारी अभियुक्त अमजद पुत्र महताब निवासी नई बस्ती किया जाना एवं बयान अभियुक्त अंकित है।द्वितीय पर्चा दिनांक 20/06/2020 को किता किया गया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा अवलोकन मेडिकल अवलोकन एक्सरे रिपोर्ट व प्लेट अवलोकन उम्र से सम्बंधित जिसमें पीडिता की उम्र 20 से 25 वर्ष एवं निशा देही वादिया निरीक्षण घटनास्थल।.....तृतीय पर्चा दिनांक 22/06/2020 को किता किया गया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा महिला कास्टेबल शीतल को हमराह लेकर वादिया नाजमा के माननीय न्यायालय में बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी अंकित कराने जाना जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि लिंक प्रजिस्टेट 30 जून के बाद आएगी तब बयान अंकित होगा बयान हेतु अनुमति संलग्न सीडी।

S.No.(क्र.सं.): 2

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): साक्ष्य विवरण
b) Witness Name(गवाह का नाम):
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
d) Age(उम्र):
e) Address (पता):

(Handwritten signature)



House No.(मकान संख्या) :

Street Name(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

Village/Town/City

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

District (ज़िला) :

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

State (राज्य) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Pincode (पिन संख्या) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अब मैं उप निरीक्षक श्रीमान क्षेत्राधिकारी कार्यालय कैराना से रवाना होकर वाटिया मुकदमा की तलाश करता हुआ नई बस्ती कस्बा कांधला आया पीडिता घर पर मौजूद पीडिता को माननीय न्यायालय में बयान हेतु थाना पहुंचने को कहा गया थाने से मय हमराह म.का. संध्या मय वाटिया कु.नाजमा माननीय न्यायालय कैराना आया पीडिता नजमा का बयान 164 सीआरपीसी कराने हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त की किन्तु माननीय न्यायालय में कार्य सरकार की अधिकता के कारण बयान अंकित नहीं कराया जा सका। मैं उ.नि. वापस थाना आया श्रीमान जी आज की कार्रवाई का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है। 01/07/2020

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. Evidence (क्र.सं.) Type (साक्ष्य के)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
--	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य संकलन
- Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 01/07/2020
- Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
- Remarks (टिप्पणियाँ):
- Description (विवरण):
विवेचना ग्रहण व अवलोकन आदि
- Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
--------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 14/04/2021

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): ARVIND KUMAR

Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.):

अ.नि. क. 115

2

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD5
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0338
P.S. (थाना): काधला

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
Date (दिनांक): 16/06/2020
District (जिला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

- a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/07/2020
b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 वजे
c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 16:00 वजे
d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):
मा0न्या0 कैराना
e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
मु0अ0स0 338/2020 धारा 376 भादवि वनाम अमजद पुन म्हातब निवासी मौ0 खैल कस्बा व थाना काँधला जनपद शामली, दिनांक घटना 15/07/12 से अब तक, समय अ0त0, घटनास्थल वादी का घर मौ0 खैल नई बस्ती मुस्ताफाबाद कस्बा व थाना काँधला, दिशा पूरब, दूरी 1 कि0मी0, दिनांक सूचना 16.06.2020 व समय 15.36 वजे।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम):
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
d) Age(उम्र):
e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल):

State (राज्य):

Pincode (पिन संख्या):

Street Name(गली का नाम):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर):

District (जिला):

Police Station(पुलिस स्टेशन):

Country(देश):


f) Description(विवरण):

श्रीमान जी निवेदन है मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही का पर्चा चतुर्थ दिनांक 1/07/2020 को कितना कर प्रेषित किया जा चुका है आज मैं उपनिरीक्षक टीगर कार्य सरकार से फुर्सत पाकर मशरूफ विवेचना हुआ..... मैं उपनिरीक्षक मय हमराह महिला कांस्टेबल संध्या यादव मय पीडिता कुमारी नाजमा वास्ते कराने बयान अतर्गत धारा 164 सीआरपीसी माननीय न्यायालय कैराना रवाना हुआ माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति के क्रम में पीडिता का बयान माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन द्वारा अंकित किया गया तत्पश्चात बयान अवलोकन हेतु अनुमति लेकर पीडिता कुमारी नाजमा का बयान 164 सीआरपीसी का अवलोकन मुझ उ.नि. द्वारा किया जा रहा है।

S.No.(क्र.सं.): 2

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): धारा 164 सीआरपीसी के तहत गवाह के बयान
b) Witness Name(गवाह का नाम):
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
d) Age(उम्र):
e) Address (पता):

प्रमाणित है



House No.(मकान संख्या) :
Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):
Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :
State (राज्य) :
Pincode (पिन संख्या) :

Street Name(गली का नाम) :
Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :
District (ज़िला) :
Police Station(पुलिस स्टेशन) :
Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अवलोकन पीडिता 164 crpc.मेरा नाम नाजमा उम्र 24 वर्ष पुत्री इनाम निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली ने सशपथ बयान किया कि वह बिल्कुल पढीलिखी नहीं है अमजद मेरे घर के सामने रहता है मैं उसे जानती हू घटना 15/07/2012 की रात समय 10:00 बजे की है मैं अमजद से प्यार करती थी वह मुझे शादी का झासा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा मैं दो बार गर्भवती हुई तो उसने मुझे दबा खिला दी 8 साल से वह मुझे शादी का झासा देता रहा था अब पिछले महीने की 15 तारीख को उसने किसी और से शादी कर ली जब मुझे पता चला तो मैंने यह मुकदमा लिखाया सुनकर समझ कर तस्दीक किया एसडी नाजमा उपरोक्त अंकित बयान पीडिता नाजमा के बोलने पर मेरे द्वारा अक्षरशः न्यायालय में लिखा गया एसडी अपठित CJ(S.D.) acjm kairana दिनांक 2/07/20 एसडी नाजमा

S.No.(क्र.सं.) : 3

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
- b) Witness Name(गवाह का नाम) :
- c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
- d) Age(उम्र) :
- e) Address (पता) :

House No.(मकान संख्या) :
Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):
Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :
State (राज्य) :
Pincode (पिन संख्या) :

Street Name(गली का नाम) :
Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :
District (ज़िला) :
Police Station(पुलिस स्टेशन) :
Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

चूंकि पीडिता बालिग है अतः बयान अवलोकन के बाद मुझे उपनिरीक्षक द्वारा पीडिता कुमारी नाजमा को उसकी इच्छा के अनुसार रूपरू गवाह महिला कास्टेबल 792 सध्या व श्रीमती महमूदा पुत्री श्री स्वर्गीय गफूर अहमद निवासी कांधला देहात कस्बा कांधला कांधला के पीडिता कुमारी नाजमा पुत्री स्वर्गीय इनाम निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली को उसके मामा शकील पुत्र सद्दीक निवासी कस्बा कांधला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली के सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर न्यायालय परिसर से ही रवाना किया गया सुपुर्दगी नामा संलग्न सीडी है। श्रीमान जी अब मैं उपनिरीक्षक माननीय न्यायालय से थाना वापस आया आज की कार्यवाही का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है दि० 02/07/2020

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. Evidence (क्र.सं.) Type (साक्ष्य के	Property Recovered Detail (वरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य सकलन
- b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक) : 02/07/2020
- c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
- d) Remarks (टिप्पणियाँ):
- e) Description (विवरण):
बयान पीडिता धारा 164 दंडप्र०स०
- f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अनुसंधान के अंतर्गत

(Handwritten signature)




5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
--------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 14/04/2021
 Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):
 Name (नाम): ARVIND KUMAR
 Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
 No. (सं.):

Arvind Kumar



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD3
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0172
P.S. (थाना): थाना भवन

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
Date (दिनांक): 21/06/2020
District (ज़िला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 22/06/2020

b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 14:00 बजे

c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 21:00 बजे

d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली एवं थाना थानाभवन जनपद शामली

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

मु0अ0सं0 172/2020 धारा 363/366/506 भादवि बनाम सोनू उपरोक्त 4 नफर वादी राजू उपरोक्त दिनांक घटना 16.6.2020 समय 11.00 बजे घटनास्थल ग्राम रशीद गढ़ दिशा पश्चिम दूरी करीब 03 कि0मी0 दिनांक सूचना 21.06.20 समय 13.43 बजे रपट नं0 29

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम):

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):

d) Age(उम्र):

e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल):

State (राज्य):

Pincode (पिन संख्या):

Street Name(गली का नाम):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर):

District (ज़िला):

Police Station(पुलिस स्टेशन):

Country(देश):

f) Description(विवरण):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही का पर्चा नंबर दो दिनांक 22.6.2020 को कित्ता करके प्रेषित किया जा चुका है आज मैं विवेचक अन्य कार्य सरकार से फुरसत पाकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में पुनः मसरूफ हुआ। आज मैं विवेचक महिला कांस्टेबल 786 रेशमा तथा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीडिता कुमारी रूबी व उसके पिता राजू के साथ थाने से रवाना होकर पीडिता कुमारी रूबी के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट कैराना आया हूँ यहाँ पर कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली महोदय अवकाश पर होने के कारण चार्ज माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन शामली के पास होने के कारण उनके समक्ष पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए आवेटन किया गया परंतु माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज नहीं किए गए पता चला की माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय दिनांक 25.6.2020 को अवकाश से वापस आएंगे उसके बाद ही पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज हो पाएंगे कुमारी रूबी अवयस्क अतः माननीय न्यायालय के अवकाश से वापस आने तक पीडिता को सीडब्ल्यूसी अभिरक्षा में रखने के लिए आदेश करने के संबंध में न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिविजन के समक्ष आवेटन किया गया परंतु माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं किया गया इसके बाद पीडिता कुमारी रूबी को महिला थाना शामली के अभिरक्षा में रखने के लिए लेकर महिला थाना शामली आए थाना प्रभारी महोदय से महिला को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए कहा गया परंतु उनके द्वारा भी मना कर दिया गया उसके बाद सीडब्ल्यूसी प्रभारी श्रीमती शोभा एवं वन स्टप सेंटर की प्रभारी श्रीमती गजाला त्यागी से भी पीडिता कुमारी रूबी को अपनी अभिरक्षा में रखने हेतु आवेटन किया गया परंतु उनके द्वारा भी रखने से इकार कर दिया इसके बाद मैं विवेचक महिला कांस्टेबल रेशमा वही पीडिता मारी रूबी एवं उसके पिता राजू के साथ वापस चढ़कर खाने आया हूँ पीडिता कुमारी रूबी को महिला कांस्टेबल 786 रेशमा की अभिरक्षा एवं सुरक्षा में रखा गया इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक महोदय को अवगत कराया गया

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)



- a) Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य संकलन
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 22/06/2020
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी आज की कार्यवाही का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 24/06/2020
 Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):
 Name (नाम): DHARAMVEER SINGH
 Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
 No. (सं.): 862291468



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0172

Date (दिनांक): 21/06/2020

P.S. (थाना): थाना भवन

District (जिला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

- a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 24/06/2020
 b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 12:16 बजे
 c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 14:00 बजे
 d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):
 ग्राम रशीदगढ़, हीण्ड व उसके आसपास का क्षेत्र एवं थाना थानाभवन जनपद शामली
 e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
 मु0अ0सं0 172/2020 धारा 363/366/506 भादवि बनाम सोनू उपरोक्त 4 नफर वादी राजू उपरोक्त दिनांक घटना 16.6.2020 समय 11.00 बजे घटनास्थल ग्राम रशीद गढ़ दिशा पश्चिम दूरी करीब 03 कि0मी0 दिनांक सूचना 21.06.20 समय 13.43 बजे रपट नं0 29

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अभियुक्त गिरफ्तार

b) Witness Name(गवाह का नाम):

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):

d) Age(उम्र):

e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):

Street Name(गली का नाम):

Colony/Locality/Area

Village/Town/City

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

(ग्राम/नगर/शहर):

Tehsil/Block/Mandal

District (ज़िला):

(तहसील/ब्लॉक/मंडल):

State (राज्य):

Police Station(पुलिस स्टेशन):

Pincode (पिन संख्या):

Country(देश):

f) Description(विवरण):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही का पर्चा नंबर 3 दिनांक 22.06.2020 को कित्ता करके प्रेषित किया जा चुका है आज मैं विवेचक अन्य कार्य सरकार से फुरसत पाकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में पुन मशरूफ हुआ गिरफ्तारी / दाखिला अभियुक्त..... आज मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कांस्टेबल 212 संजय मोतला के थाने से खाना होकर मुकदमा से संबंधित आरोपी सोनू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम रसीदगढ़ की तलाश में ममूर होकर आरोपी सोनू आदि के यहां ग्राम रसीद गढ़ में उसके मकान एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी गई परंतु आरोपी दस्तयाब नहीं हुआ जब मैं उप निरीक्षक हमराही कांस्टेबल के साथ ग्राम रसीदगढ़ से हरण फतेहपुर होते हुए हिंड की तरफ जा रहा था तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली जिस अभियुक्त सोनू की तुमको तलाश है वह हिंड पुलिया पर कहीं जाने के लिए सवारी की इंजिन में खड़ा हुआ है यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है सूचना पर विश्वास करके मैं उपनिरीक्षक हमराही कांस्टेबल मय मुखबिर के साथ उसके बताए स्थान हिंड पुलिया की तरफ चल दिया जब हिंड पुलिया से 50 कदम पहले पहुंचे तो बाईं तरफ हिंड पुलिया पर खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबिर ने बताया कि यही सोनू है और चला गया मैं उपनिरीक्षक हमराही कांस्टेबल के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए व्यक्ति की तरफ चला जैसे ही इस व्यक्ति ने हमें अपनी तरफ और आते हुए देखा तो वह हम पुलिस वालों को देख कर हिंड पुलिया से कैंडी जाने वाली सड़क पर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा कि हम पुलिस वालों ने एक बार गीत दबिश देकर उस व्यक्ति को समय करीब 13:05 बजे पकड़ लिया नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम रसीद गढ़ थाना थाना भवन जिला शामली बताया क्योंकि अभियुक्त सोनू मुकदमा उपरोक्त में नामजद व वांछित अभियुक्त है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर उचित माध्यम से उसके परिजनों को दी जाएगी अभियुक्त सोनू को हमराही कर्मचारी की मदद से पकड़ कर थाना थानाभवन पर ले कर आया हूँ जिसका जीडी में रपट नंबर 19 समय 13.35 पर दाखिला किया गया है गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया। दाखिला गिरफ्तारी की नकल रपट सलग सीडी है।



S.No.(क्र.सं.) : 2

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Street Name(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

District (ज़िला) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अभि० सोनू उपरोक्त हवालात मर्दाना में मौजूद है जिससे पूछताछ करके बयान दर्ज किए जा रहे हैं बयान अभियुक्त..... अभियुक्त सोनू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम रसीद गढ़ थाना थाना भवन जिला शामली ने पूछताछ पर जुर्म से इनकार करते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से अदालत में देना बताया।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. Evidence (क्र.सं.) Type (साक्ष्य के	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य संकलन

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 24/06/2020

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते 14 योम रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। महोदय से निवेदन है कि 14 योम रिमांड स्वीकृत करने की कृपा करें श्रीमान जी आज की कार्यवाही का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 06/08/2020

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): DHARAMVEER SINGH

Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 862291468



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No. (प्रकरण दैनिकी सं.): CD5
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0172
P.S. (थाना): थाना भवन

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
Date (दिनांक): 21/06/2020
District (जिला): शामली

1. General Information (सामान्य जानकारी)

- a) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 25/06/2020
b) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
c) End time of Investigation (जांच अंत समय): 18:30 बजे
d) Places Visited (स्थानों का दौरा किया):
सिविल जज जूनियर डिविजन जेएम शामली थाना थानाभवन जनपद शामली
e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
मु0अ0सं0 172/2020 धारा 363/366/506 भादवि बनाम सोनू उपरोक्त 4 नफर वादी राजू उपरोक्त दिनांक घटना 16.6.2020 समय 11.00 बजे घटनास्थल ग्राम रशीद गढ दिशा पश्चिम दूरी करीब 03 कि0मी0 दिनांक सूचना 21.06.20 समय 13.43 बजे रपट नं0 29

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.): 1

- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम):
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):
d) Age(उम्र):
e) Address (पता):

House No.(मकान संख्या):
Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):
Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल):
State (राज्य):
Pincode (पिन संख्या):

Street Name(गली का नाम):
Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर):
District (जिला):

Police Station(पुलिस स्टेशन):
Country(देश):

f) Description(विवरण):

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही का पर्चा नंबर 4 दिनांक 24 6 2020 को क्लिफ्ट करके प्रेषित किया जा चुका है आज मैं विवेचक अन्य कार्य सरकार से फुरसत पाकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में पुनः मशरूफ होकर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीडिता कुमारी रूबी पुत्री राजू के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज होने हैं अतः मैं विवेचक मय महिला कांस्टेबल 786 रेशमा व पीडिता कुमारी रूबी एवं उसके पिता राजू एवं माता बाला के थाने से खाना होकर पीडिता कुमारी रूबी के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने हेतु न्यायालय कराना आया हूँ यहाँ पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय शामली से पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सिविल जज जूनियर डिविजन जेएम शामली को बयान दर्ज कराने हेतु नामित किया गया इसके बाद मैं माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन जेएम शामली कोर्ट में आया परंतु माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के आज बयान दर्ज नहीं किए गए कल करने को कहा गया क्योंकि पीडिता कुमारी रूबी उपरोक्त नाबालिक हैं माननीय न्यायालय द्वारा बयान दर्ज ना करने के कारण मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही नहीं हो पा रही है नहीं पीडिता की सुपुर्दगी हो पा रही है अतः वाद दर्ज होने बयान धारा 164 सीआरपीसी मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी कल पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा मैं विवेचक वापस सरकार थाने आया हूँ पीडिता कुमारी रूबी को महिला कांस्टेबल 786 रेशमा की सुरक्षा में रखा गया

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S.No. (क्र.सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)




124

- a) Action Taken (कार्यवाही): साक्ष्य संकलन
b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 25/06/2020
c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
d) Remarks (टिप्पणियाँ):
e) Description (विवरण):
श्रीमान जी आज की कार्यवाही का पर्चा सेवा में प्रेषित है विवेचना जारी है
f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अनुसंधान के अंतर्गत
5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S.No. (क्र.सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
--------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 29/06/2020
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): DHARAMVEER SINGH
Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं.): 862291468



डी०ओ० नं० 19/ पी०ए० (एस) जनपद न्यायाधीश/2021
डॉ० अजय कुमार-॥ एच.जे.एस

06.02.2021

विश्राम कक्ष
जनपद न्यायाधीश,
शामली।

सुश्री मुक्ता त्यागी,

श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा, उनके न्यायालय में लंबित दाण्डिक वाद संख्या 1822 वर्ष 2019, अपराध सं० 151 वर्ष 2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० एवं 3(1) द०ध० एस०सी०एस०टी० एक्ट, थाना कांधला के उनकी क्षेत्राधिकारिता से बाहर होने के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.02.2021 पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा कथित वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त दाण्डिक वाद संख्या ~~1822~~ वर्ष 2019, अपराध सं० 151 वर्ष 2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० एवं 3(1) द०ध० एस०सी०एस०टी० एक्ट, थाना कांधला अभियुक्त आशीष उर्फ चाईनीज की पत्रावली है, जिसमें आपके द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए संबंधित थाना द्वारा उपरोक्त धाराओं में प्रेषित आरोप पत्र पर दिनांक 10.07.2019 को प्रसंज्ञान लेते हुए, उक्त पत्रावली अंकित के नाम से पंजीकृत की गई। दिनांक 14.09.2020 को थाना कांधला का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय को अंतरित होने पर आपके द्वारा दिनांक 11.11.2020 को उक्त पत्रावली, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय को अंतरित की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के वादों में प्रसंज्ञान लिए जाने की अधिकारिता उक्त दिनांक 10.07.2019 को आपके न्यायालय को न होने के बावजूद, आपके द्वारा उक्त विशेष अधिनियम के मामले में प्रसंज्ञान लिया गया, अतः आप उपरोक्त के संबंध में तीन दिन के अन्दर अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।


(डॉ० अजय कुमार-॥)

जनपद न्यायाधीश, शामली।

06.02.2021

सेवा में,

सुश्री मुक्ता त्यागी,
सिविल जज (जू०डि०), शामली।

प्रेषक,

मुक्ता त्यागी,
सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.,
शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय:- डी.ओ. संख्या-19/पी.ए.(एस.)जनपद न्यायाधीश/2021 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन यह है कि पत्रावली दाण्डिक वाद सं.-1822 वर्ष 2019, अपराध सं.-151 वर्ष 2019, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3(1) द.ध. एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कांधला में दिनांक 10.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए पत्रावली अंकित के नाम से पंजीकृत की गयी, जिसका कि क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को नहीं था। उपरोक्त प्रसंज्ञान कार्य की अधिकता के कारण सहवन गलती से ले लिया गया है, जो कि मात्र एक अनियमितता है, कोई वैधानिक त्रुटि अधोहस्ताक्षरी द्वारा जानबूझकर नहीं की गयी है। अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त अनियमितता के लिए क्षमा प्रार्थी है तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता के लिए सजग रहेगी।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध सादर अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त भूलवश हुई अनियमितता के लिए क्षमा करें तथा उपरोक्त स्पष्टीकरण पर सहानुभूतपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

सादर!

भवदीया

15/2/21

(मुक्ता त्यागी)

दिनांक-15.02.2021

सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.,

सलग्रक-

शामली।

1-प्रति डी.ओ.सं.-19/पी.ए.(एस.)जनपद न्यायाधीश।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शामली।

उपस्थित:- डॉ० अजय कुमार-II, एच०जे०एस०

फौजदारी निगरानी सं०-09 सन् 2021

सी एन आर नं० यू.पी.एस.एम. 010005312021

सरकार बनाम आशीष उर्फ चाइनीज

निर्णय

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 397 सहपठित 399 के अन्तर्गत विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) द्वारा मु०अ०सं० 151/2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (द)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन 2015), थाना कांधला में लिए गए प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।
2. विपक्षी पर उसके पिता के माध्यम से पर्याप्त तामील होने के बावजूद बार-बार पुकार पर विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में अभियुक्त आशीष उर्फ चाइनीज के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323,504,506 व धारा 3(1) (द)(ध) अनुसूचित जाति एवं-अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन 2015) के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर प्रसंज्ञान लिए जाने का अधिकार केवल मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम) के वादों के श्रवण के अधिकार के विशेष न्यायालय को है। विद्वान अवर न्यायालय को उक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम) के अपराधों में प्रसंज्ञान लिए जाने का कोई क्षेत्राधिकार निहित नहीं था और इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय ने प्रसंज्ञान आदेश स्वयं में क्षेत्राधिकार निहित न होते हुए विधि विरुद्ध तरीके से लिया है और विद्वान अवर न्यायालय के प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश दिनांकित 10.07.2019 को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।
4. इस निगरानी के निस्तारण हेतु इस निगरानी न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत है अथवा नहीं और क्या प्रश्नगत आदेश विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुक्रम में पारित किया है अथवा नहीं?
5. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.04.2019 को वादी मुकदमा प्रकाशा की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323,504,506 व धारा 3(1) (द)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन 2015), के अन्तर्गत नामजद मु०अ०सं० 151/2019 पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना विवेचक ने किशोर अपचारी अंकित एवं अभियुक्त निर्दोष के नाबालिग होने के कारण उनका चालान किशोर न्यायालय के माध्यम से किया और विपक्षी आशीष उर्फ चाइनीज के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 323,504,506 व धारा 3(1) (द)(ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन 2015) के अन्तर्गत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया। विद्वान अवर न्यायालय ने आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए वाद को सरकार बनाम अंकित के नाम से पंजीकृत किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम) के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिए जाने का अधिकार केवल मात्र इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अधिकारिता प्राप्त न्यायालय को ही है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए पत्रावली को सरकार बनाम अंकित के नाम से वाद पंजीकृत

किया है, जिससे यह दर्शित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र का व केस डायरी का अवलोकन विधि-सम्मत तरीके से नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र व केस डायरी का सजगतापूर्ण व सम्यक् परिशीलन न करके विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार की ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विद्वान अवर न्यायालय में निहित नहीं थी, इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्रगत आदेश पारित करते हुए ऐसी अवैधानिकता और अनियमितता कारित की है, जिससे न्याय की घोर हानि हो रही है। प्रश्रगत आदेश न तो विधि-सम्मत है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है, अतः यह फौजदारी निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय का प्रसंज्ञान लिए जाने का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विद्वान अवर न्यायालय का मु०अ०सं० 151/2019, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (द)(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम), 1989 (संशोधन 2015), थाना कांघला में प्रसंज्ञान लिए जाने का आदेश दिनांकित 10.07.2019 अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित हो कि विद्वान अवर न्यायालय पत्रावली को सक्षम न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

दिनांक-23.02.2021

(डॉ० अजय कुमार-II)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुये सुनाया गया।

दिनांक-23.02.2021

(डॉ० अजय कुमार-II)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

तक नहीं हुआ है। इस प्रकार लगभग सात वर्षों से इस प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी यथाशीघ्र इस प्रार्थनापत्र का विधिनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

(129)

मेरे द्वारा कुछ अन्य पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षित पत्रावलियों की सूची विवरणपत्रों के साथ सलग्न की गयी है। सूचीबद्ध विवरणित पत्रावलियों की ऑर्डरशीट प्रिन्टेड फॉर्मेट पर एक ही तिथि में लिखी गयी हैं, जिनमें वाद संख्या, नाम आदि अभिलिखित नहीं किये गये हैं। इन पत्रावलियों में अन्तिम आदेश पत्र पर समस्त पत्रावलियों पर 01.02.2021 की टाईपशुदा ऑर्डरशीट है जिनमें पक्षकारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में नोटिस जारी होकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी हैं, परन्तु किसी भी आदेश पत्रक पर निरीक्षण की तिथि तक पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी आदेशपत्रों पर हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।

Sir
noted
(w)

कुछ पत्रावलियों पर अन्तिम आदेश पत्र पर अनुवान (केस नम्बर, नाम पक्षकार आदि) अभिलिखित नहीं हैं। मु0 रीडर एवं लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि समस्त आदेशपत्रों पर वाद का अनुवान अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित करे।

श्रीमानजी,
अनुपालन किया जा
रहा है।
(w)

मूलवाद 223/08 में प्रार्थना पत्र 8ग दिनांक 24.07.2019 को प्रस्तुत हुआ था, जिसे विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 09.02.2021 के प्रार्थना पत्र पर ही आदेश पारित कर निस्तारित किया गया है, परन्तु प्रार्थना पत्र 80ग के निस्तारण का कोई उल्लेख दिनांक 09.02.2021 के आदेशपत्र में उल्लिखित नहीं है। मु0 रीडर को इस सम्बन्ध में सचेत रहकर कार्य किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिया जाता है।

श्रीमानजी,
आवेष्टा हेतु नोट
कट लिया गया है।
(w)

मूलवाद संख्या 237/09 ब्रजपाल बनाम शशि की पत्रावली के अवलोकन से इंगित होता है कि उक्त वाद दिनांक 15.03.2018 को एकपक्षीय बहस में नियत किया गया और तत्पश्चात पत्रावली एक

AW

इस न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्रों तथा जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण नियत दिनांक पर किया जाता है तथा जमानत प्रपत्रों पर अधिवक्ता द्वारा प्रतिभुओं को सत्यापित करने के उपरान्त जमानत प्रपत्र स्वीकृत कर बन्दी का रिहाई आदेश जिला कारागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में प्रारूप सं० 4 संलग्न है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं बताया गया है कि जिसमें इस प्रक्रिया का अनुपालन न हुआ हो।

130

न्यायालय में सम्बन्धित थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रेषण किया जाता है, जो पंजीकृत होकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजिका का अवलोकन भी किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट के न्यायालय में प्राप्त होने तथा उसके पीठासीन अधिकारी के समक्ष पंजिका के साथ प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित है।

उक्त न्यायालय में परिवाद संस्थित होते रहे हैं, जिनमें अभिकथन धारा 200 द० प्र० सं० प्रस्तुति की दिनांक पर ही यथासम्भव पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाना अवगत कराया गया।

पंजिका संख्या 02 (अर्थदण्ड पंजिका):-

यह पंजिका 13.08.2018 से प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर लेबिल लगाया गया है, उक्त पंजिका सादे कागजों पर लाईन खींचकर पोषित की जा रही है।

निरीक्षण टिप्पणी के साथ संलग्न प्रारूप सं० 8 के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 01.01.2020 को कुल अंकन 2,05,750/- रुपये अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष था, दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक अंकन 49850/- रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया, जो कि सम्पूर्ण वसूला गया है। दिनांक 31.12.2020 को 2,05,750/- रुपये अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष है।

मेरे द्वारा उक्त न्यायालय के वसूली हेतु अवशेष अर्थदण्ड के सम्बन्ध में अर्थदण्ड पंजिका का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त पंजिका में वसूली हेतु अवशेष अर्थदण्ड की प्रविष्टियों में, जो

की दिनांक न्यायालय के सृजन होने व न्यायालय के कियाशील होने के दिनांक से पूर्व की है। मेरे पूछने पर लिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रविष्टियां पूर्व में वाहय न्यायालय कैराना, जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर में स्थापित रहे न्यायालय सिविल जज जू० डि० कैराना द्वारा विभिन्न मामलों में आरोपित किये गये अर्थदण्ड से सम्बन्धित है, यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में किसी सक्षम अधिकारी का आदेश अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय सिविल जज जू० डि०, कैराना समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान में रिक्त मात्र है, जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किसी भी पीठासीन अधिकारी की तैनाती कर दिये जाने पर कियाशील हो जायेगा। अर्थदण्ड की पंजिका का पोषण वित्तीय प्रकार का मामला होता है, वित्तीय मामलों में इस प्रकार की अनियमितता गम्भीरतम त्रुटि की कारक हो सकती है। सम्बन्धित लिपिक को इस सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिया जाता है कि पीठासीन अधिकारी के माध्यम से इस पंजिका में इस गम्भीर अनियमितता को संशोधित, त्रुटिरहित किये जाने में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त पंजिका में सामान्य नियमावली दाण्डिक के नियम 80 के अनुपालन में कोषागार से सत्यापन के उपरान्त फ्लाइ लीफ चरप्पा की जा रही है। लिपिक द्वारा मेरे पूछने पर बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा आरोपित कोई भी अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष नहीं है, अतः कोई अवशेष पत्रावली लंबित नहीं है, और वसूली हेतु शेष अर्थदण्ड दूसरे न्यायालय का होना बताया गया है।

इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है जिसमें सामान्य नियमावली दाण्डिक के नियम 81 के अनुपालन में अर्थदण्ड का रिफंड किया जाना हो, अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा हर माह के प्रारम्भ में प्रमाण पत्र

AW

*सि
complied*

*श्रीमानजी,
अनुपालन किया
जा चुका है।*

सिविल जज जू० डि० कैराना के न्यायालय में लम्बित अवशेष अर्थदण्ड को सम्मिलित करते हुए प्रदान किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी अर्थदण्ड पंजिका पर विशेष ध्यान देंगे।

निरीक्षण वर्ष में उक्त न्यायालय में धारा 203 द० प्र० सं० के अन्तर्गत 10 दाण्डिक वाद एवं धारा 257 द० प्र० सं० के अन्तर्गत 5 दाण्डिक वाद निस्तारित किये गये हैं। धारा 227 एवं 239 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है।

मेरे पूछने पर मु० रीडर द्वारा अवगत कराया गया कि न्यायालय द्वारा निरीक्षण वर्ष 2020 में किसी प्रकरण का प्रशमन नहीं किया गया है।

निरीक्षण वर्ष के दौरान इस न्यायालय में किसी भी वाद के निस्तारण में अभियुक्त को धारा 3 व 4 उत्तर प्रदेश फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है।

निरीक्षण वर्ष 2020 के दौरान इस न्यायालय द्वारा पूर्ण परीक्षण के उपरान्त 5 दाण्डिक वाद निर्णीत किये गये हैं, किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया गया है। इस प्रकार पूर्ण परीक्षण के उपरान्त निर्णीत वादों में दोषसिद्धि का प्रतिशत शून्य तथा दोषमुक्ति का प्रतिशत शतप्रतिशत है।

निरीक्षण वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत सीमित रूप में परिचालित हुआ है, अतः इस न्यायालय का कार्य भी प्रभावित हुआ है, तथा आवश्यक कार्य ही किया गया है, इसलिए अधिवक्तागण के निजी कारणवश स्थगन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में टिप्पणी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निरीक्षण वर्ष 2020 के दौरान इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण के आधार पर 40 दाण्डिक वादों का निस्तारण किया गया है।

मैंने इस न्यायालय में पोषित की जा रही पंजिका संख्या 05 का निरीक्षण के दौरान अवलोकन किया। इस पंजिका में हैडिंग व लेबिल उचित प्रकार से चस्पा नहीं है। लिपिक को निर्देश दिया जाता

श्रीमान जी,
अनुपालन हेतु
नोट कर लिया
गया है। ब
अनुपालन किया जा रहा है।

लेबिल लगाया गया है, हैडिंग उचित प्रकार चस्पा नहीं किया गया है।
कार्यवाहक लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उचित प्रकार हैडिंग
चस्पा किया जाना सुनिश्चित करे।

निरीक्षण टिप्पणी के साथ संलग्न प्रारूप सं० 8 के अवलोकन से
विदित होता है कि इस न्यायालय में दिनांक 01.01.2020 को अंकन
2,05,750 वसूली हेतु अवशेष थे। दिनांक 01.01.2020 से दिनांक
31.12.2020 तक कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया, न ही वसूला
गया। दिनांक 31.12.2020 को 2,05,750 वसूली हेतु अवशेष है।

उक्त पंजिका का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि माह अगस्त
2018 के उपरान्त से इस पंजिका का अनुरक्षण एवं पोषण नहीं किया
जा रहा है। दिनांक 10.08.2018 को जनपद न्यायालय, शामली का
गठन होने के बाद से उक्त पंजिका अनुरक्षण न किया जाना गम्भीर
त्रुटि है। मेरे पूछने पर कार्यवाहक लिपिक द्वारा बताया गया कि माह
सितम्बर 2018 से उक्त पंजिका की प्रविष्टियां न्यायालय सिविल जज
जू० डि० शामली की पंजिका में की जा रही हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में
किसी सक्षम अधिकारी के आदेश को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया
गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाहक लिपिक को सख्त निर्देश दिया
जाता है कि इस त्रुटि को शुद्ध करने हेतु प्रभारी पीठासीन अधिकारी
को आख्यांकित करें। प्रभारी पीठासीन अधिकारी का भी यह
उत्तरदायित्व है कि इस पंजिका को प्रभारी पीठासीन अधिकारी होने के
दायित्वाधीन समय समय पर निरीक्षण किया जाता और मासिक
प्रमाणपत्र चस्पा किया जाता, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। प्रभारी
पीठासीन अधिकारी से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना
अपेक्षित है।

su,
compiled
(u)

श्रीमान जी,
अनुपालन हेतु
नोट किया गया है।

इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है जिसमें
सामान्य नियमावली दण्डिक के नियम 81 के अनुपालन में अर्थदण्ड
का रिफंड किया जाना हो, अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं
है।

A. A. A. ✓

लगे टिकटों पर निरस्त की नोहर लगा कर प्रथम पंचिंग किया करे तथा पत्रावली में संलग्न समन नोटिस व प्रार्थना पत्रों को तुरन्त सूचीबद्ध करें।

निरीक्षण के दौरान मैंने इस न्यायालय में पोषित की जा रही निम्नलिखित गार्ड फाईलों का अवलोकन किया—

- 01— शासनादेश से सम्बन्धित गार्ड फाईल।
- 02— माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की गार्ड फाईल।
- 03— जनपद न्यायाधीश, शामली के आदेशों की गार्ड फाईल।
- 04— विविध प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित गार्ड फाईल।

उपरोक्त सभी गार्ड फाईलों से सम्बन्धित सभी कागजात को गार्ड फाईल में रखा गया है एवं सूचीबद्ध कर चस्पा किया गया है, परन्तु कुछ कागजात को सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तथा यह अद्यतन भी नहीं है, आवश्यक आदेश गार्ड फाईलों में पोषित नहीं है।

कार्यवाहक लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह तुरन्त सभी आवश्यक अद्यतन आदेश तथा प्रपत्रों को सूचीबद्ध कर गार्ड फाईल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।

धनवापसी पंजिका:-

यह पंजिका दिनांक 01.01.2014 से सफेद कागजों पर लाईन खींचकर प्रारम्भ की गयी है। इस पंजिका पर हैडिंग व लेबिल लगाया गया है। उक्त पंजिका का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि माह अगस्त 2018 के उपरान्त से इस पंजिका का अनुरक्षण एवं पोषण नहीं किया जा रहा है। दिनांक 10.08.2018 को जनपद न्यायालय, शामली का गठन होने के बाद से उक्त पंजिका अनुरक्षण न किया जाना गम्भीर त्रुटि है। मेरे पूछने पर कार्यवाहक लिपिक द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2018 से उक्त पंजिका की प्रविष्टियां न्यायालय सिविल जज जू0 डि0 शामली की पंजिका में की जा रही है, परन्तु इस सम्बन्ध में किसी सक्षम अधिकारी के आदेश को अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाहक लिपिक को सख्त निर्देश दिया जाता है कि इस त्रुटि को शुद्ध करने हेतु प्रभारी पीठासीन अधिकारी

✓

श्रीमान जी,
अनुपालन हेतु
नोट किया गया।
✍

श्रीमान जी,
अनुपालन हेतु
नोट कर लिया गया है।
✍

Sir
complied
✍

को आख्याकित करें। प्रभारी पीठासीन अधिकारी से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

135.

निरीक्षण के दौरान मैंने इस न्यायालय के कार्यालय में लिपिक द्वारा पोषित की जा रही निम्नलिखित पंजिकाओं का अवलोकन किया:-

पंजिका संख्या 03 (दायरा मूलवाद):-

यह पंजिका दिनांक 01.01.2021 से प्रारम्भ है। इस पंजिका पर लेबिल व हैडिंग उचित प्रकार से नहीं लगा है। लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब लेबिल व हैडिंग उचित प्रकार लगाया जाना सुनिश्चित करें। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि क्र० सं० 21 पर दिनांक 09.02.2021 को मूलवाद संख्या 21/2021, शैफुलइस्लाम प्रति हिफजुर्रहमान से संबंधित है। लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि इसके पश्चात् कोई मूलवाद इस न्यायालय को किसी भी न्यायालय से अन्तरण द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई मूलवाद इस समय उनके पास इस पंजिका में दर्ज करने हेतु शेष है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें स्तम्भानुसार प्रविष्टि नहीं की जा रही है। उक्त पंजिका प्रतिमास प्रभारी पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की जा रही है। कार्यवाहक लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में स्तम्भानुसार प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें, तथा प्रतिमाह प्रभारी पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करें।

श्रीमान जी,
भविष्य हेतु
नोट किया गया।
✍

मेरे मांगे जाने पर कार्यवाहक लिपिक पंजिका संख्या 67 (निस्तारण मूलवाद), एवं पंजिका निस्तारण निष्पादन वाद नहीं दिखा पाये हैं, उक्त पंजिकाओं को पोषित कर अनुरक्षण करने के लिए कार्यवाहक लिपिक को निर्देशित किया जाता है

श्रीमान जी,
भविष्य हेतु
नोट किया गया।
✍

पंजिका संख्या 68 (दायरा निष्पादन वाद) :-

यह पंजिका दिनांक 01.01.2021 से प्रारम्भ की गयी है। यह पंजिका सादे कागजों पर लाईन खींचकर पोषित की जा रही है। इस

AW

ANNEXURE A-26**C.L. No. 39/2002 Dated: 26th November, 2002**

I am directed to send herewith a copy of orders dated 1st October, 2002 passed by Hon'ble the Supreme Court in Special Leave Petition (Cri.) No. 2745 of 2002. Sunderbhai Ambalal Desai Vs. State of Gujarat and to request you kindly to bring the contents of the order of Hon'ble the Supreme Court to the notice of all the officers concerned in your judgship and to ensure strict compliance of the directions as contained in the aforesaid orders of the Apex court.

(See for Judgment A.I.R. 2003 S.C. 638)

Annexure A-27.

137

D.O. No. 22/ P.A. (S) District Judge/2021

Dr. Ajay Kumar-II (H.J.S.)

Chamber

District Judge,

Shamli.

Date: 23.02.2021

Sushri Mukta Tyagi,

Kindly refer to 'Release Application' dated 09.12.2020 for the release of M/cycle Regn No. UP12P-4253 moved by it's registered owner Vishal Kumar in Case Crime No. 146/2020 u/s 307,323,504,506,34 I.P.C. P.S. Garipukhta, District Shamli, which has been disposed by you as P.O. Civil Judge Junior Division/J.M. Shamli at Kairana vide order dated 06.02.2021. The said release application has been disposed in ignorance of Judgment of Hon'ble Supreme Court passed in Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of Gujrat AIR 2003 S.C. 638 circulated amongst all Judicial Officers of State of Uttar Pradesh for strict compliance vide Hon'ble High Court's C.L. No. 39/2002, Dated 26th November, 2002.

You are advised to be careful in future while deciding release applications and you are directed to ensure strict compliance of the directions as contained in the aforesaid order of the Hon'ble Supreme Court circulated vide above C.L.

The above aspects are drawn to your kind notice, please note.


(Dr. Ajay Kumar-II)

District Judgem Shamli.

To,

Sushri Mukta Tyagi,

Civil Judge (J. D.), Shamli at Kairana

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शामली।

उपस्थित:- डॉ० अजय कुमार-II, एच०जे०एस०

फौजदारी निगरानी सं०-10 सन् 2021

सी एन आर नं० यू.पी.एस.एम. 010006172021

विशाल कुमार पुत्र स्व० श्री धर्मपाल, निवासी ग्राम काजीखेड़ा, थाना तितावी तहसील व जिला मुजफ्फरनगर।

..... निगरानीकर्ता,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली,

.....विपक्षी,

निर्णय

1. निगरानीकर्ता द्वारा यह फौजदारी निगरानी दं०प्र०सं० की धारा 397 के अन्तर्गत उसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मोटरसाईकिल रिलीज कराने के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 06.02.2021 से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2021 को योजित की गई है।
2. संक्षेप में वे तथ्य जिनके आधार पर यह निगरानी योजित की गई है, इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से मु०अ०सं० 146/2020, अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 506, 34 भा०दं०सं० के अभियोग में निरूद्ध मोटरसाईकिल स्पलैन्डर पंजीयन संख्या UP12P-4253 को अपनी सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु विद्वान अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांकित 09.12.2020 प्रस्तुत किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा संबंधित थाना की आख्या आहूत की गई, जिसमें कथित मोटरसाईकिल को मु०अ०सं० 146/2020 में प्रयुक्त वाहन तथा माल मुकदमाती होने की आख्या प्रस्तुत की। विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त यह पाया कि उक्त वाहन उपरोक्त मुकदमे में प्रयुक्त किया गया है तथा माल मुकदमाती है और विवेचना लंबित है। इस प्रकार प्रश्नगत मोटरसाईकिल की निर्मुक्ति को लेकर निगरानीकर्ता/प्रार्थी का निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, जिससे विक्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गई है।
3. प्रश्नगत आदेश को निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी उक्त मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी है। विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.02.2021 से निगरानीकर्ता/प्रार्थी की सख्त हकतलफी व नुकसान है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय में मोटरसाईकिल से संबंधित सभी कागजात प्रस्तुत किए गए और यह भी अंडरटेकिंग के लिए आवेदन किया कि जब भी पुलिस व न्यायालय को उक्त मोटरसाईकिल की आवश्यकता होगी अपने खर्च से पेश करेगा और विक्रय नहीं करेगा तथा प्रश्नगत वाहन के रंग-रूप में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं करेगा, परन्तु अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46) ए.सी.सी. 233 (एस.सी.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत नीति-निर्देशक सिद्धान्तों पर कोई गौर न करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 06.02.2021 को निरस्त किए जाने तथा प्रश्नगत वाहन को उचित धनराशि की जमानत व अंडरटेकिंग लेकर निगरानीकर्ता/प्रार्थी के हक में रिलीज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को विस्तार से सुना तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन व विश्लेषण किया।
4. इस निगरानी के निस्तारण हेतु इस निगरानी न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत है अथवा नहीं और क्या प्रश्नगत आदेश विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुक्रम में पारित किया है अथवा नहीं?

5. विद्वान अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता ने मोटरसाईकिल स्पलैन्डर पंजीयन संख्या UP12P-4253 को अवमुक्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2020 को प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता ने स्वयं को उक्त वाहन का पंजीकृत वाहन स्वामी बताते हुए, उक्त वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रपत्र व प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति से दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत वाहन स्वामी है। उक्त प्रार्थना पत्र विद्वान अवर न्यायालय में लगभग दो माह तक लंबित रहा। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर संबंधित थाना की आख्याएँ दिनांकित 11.12.2020, 16.12.2020 व 06.02.2021 उपलब्ध हैं, जिन आख्याओं में इस बात का उल्लेख है कि उक्त प्रश्रगत वाहन माल मुकदमाती है तथा थाना हाजा पर दाखिल है। इन आख्याओं में इस बात का भी उल्लेख है कि उक्त प्रश्रगत, वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ है और यह अभियुक्त रवि से बरामद हुआ है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने प्रश्रगत आदेश दिनांकित 06.02.2021 के द्वारा यह पाते हुए कि उक्त प्रश्रगत वाहन घटना में प्रयुक्त किया गया है तथा माल मुकदमाती है और प्रकरण में विवेचना लंबित है, उक्त प्रश्रगत वाहन को अवमुक्त किए जाने योग्य न पाते हुए, वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र निरस्त किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46) ए.सी.सी. 233 (एस.सी.)** में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत वाहनों को निर्मुक्त किए जाने के लिए नीति-निर्देशक सिद्धान्त जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जब्त किए गए वाहनों को लम्बे समय तक थाना पर निरुद्ध रखने का कोई महत्व नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस विधि व्यवस्था में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का विधि-सम्मत तरीके से व तत्परता से प्रयोग करने के निर्देश देते हुए ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पन्द्रह दिन से एक माह की अवधि में करने के निर्देश निर्गत किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था पर विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **मनोज कुमार उर्फ भीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011(74) ए.सी.सी. 846** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जहाँ निगरानीकर्ता को भा०दं०सं० की धारा 395, 397 के अपराध में शामिल होने के आधार पर वाहन सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया हो, वहाँ विद्वान अवर न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त सुन्दर भाई अम्बालाल वाली विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपर सत्र न्यायालय के वाहन निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के आदेश को अपास्त करते हुए, प्रश्रगत वाहन को पंजीकृत वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिए जाने के आदेश निर्गत किए हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **आदेश कुमार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. 869** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जहाँ कोई वाहन किसी अपराध की विषय-वस्तु होने के कारण पुलिस द्वारा जब्त किया गया हो, वहाँ ऐसे वाहन को अधिक समय तक न्यायालय या पुलिस की अभिरक्षा में नहीं रखना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बालाल उपरोक्त व श्रीमती बसव्वा कोम डी० पाटिल बनाम राज्य 1977 (14) ए.सी.सी. 2020 (एस.सी.)** में प्रतिपादित मतों के आलोक में ऐसे वाहन को पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए। इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय में योजित फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र के आवेदक द्वारा प्रश्रगत वाहन से घटना कारित करते हुए एक मृत्यु कारित की गई थी और उक्त आवेदक आदेश कुमार को अपराध में दोषसिद्ध किया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक या टाटा मोटर्स के हक में, प्रश्रगत वाहन अवमुक्त करने के आदेश निर्गत किए हैं। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता प्रश्रगत अपराध में नामजद अभियुक्त नहीं है और प्रश्रगत वाहन अभियुक्त रवि के पास से घटना में बरामद हुआ है, परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर विद्वान अवर न्यायालय का ध्यान नहीं गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने दं०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत वाहनों की सुपुर्दगी के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने के लिए उपरोक्त विधि-व्यवस्थाओं में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का अवलोकन किए बिना प्रश्रगत आदेश पारित किया है।

7. विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित किए गए साक्ष्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब्त किए गए वाहन को निर्मुक्त किए जाने को लेकर दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धान्तों पर कोई ध्यान न देकर सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो किसी भी तरह विधि-सम्मत नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र में लिखित कथनों व अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्यों का सजगतापूर्वक व सम्यक परिशीलन न करके अपने क्षेत्राधिकार का विधि-सम्मत तरीकों से प्रयोग न करते हुए, ऐसी अवैधानिकता कारित की है, जिससे न्याय की घोर हानि हो रही है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश न तो विधि-सम्मत है, न ही न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है, अतः यह फौजदारी निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.02.2021 निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

वर्तमान फौजदारी निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.02.2021 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय द०प्र०सं० की धारा 451 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के प्रकाश में विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करते हुए निगरानीकर्ता के निर्मुक्ति प्रार्थना पत्र का पुनः विधि अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

कार्यालय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित करे। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय में दिनांक 22.03.2021 को पेश हों।

दिनांक-17.03.2021

(डॉ० अजय कुमार-॥)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुये सुनाया गया।

दिनांक-17.03.2021

(डॉ० अजय कुमार-॥)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

आपत्तप्रीत जनपद-पापाधीश, शापली

मुंआमं - 733 एन-2008

सं वनाग जगलट सिद्धे झादि

विस- 60, 63, 72 एक् आल

PS - जिंझाना

वाल - F.I.R

4/
23/3/2024



Date of Application. 23/3/2024
Date of Notice.....23/3/2024
Date of Delivery.....23/3/2021
Signature of H.C.....

23/03/2024

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फॉर्म -1)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): शामली
FIR No. (प्र.सू.रि. 0733
P.S. (थाना): झीझाना
Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 12/10/2018 03:29 बजे
Year (वर्ष): 2018

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अवकारी अधिनियम	60
2	उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अवकारी अधिनियम	63
3	उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अवकारी अधिनियम	72

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
Day (दिन): शुक्रवार
Time Period (समय अवधि): पहर 1
Date From (दिनांक से): 12/10/2018
Time From (समय से): 00:55 बजे
Date To (दिनांक तक): 12/10/2018
Time To (समय तक): 00:55 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 12/10/2018
Time (समय): 02:51 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामाचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004
Date & Time (दिनांक और समय): 12/10/2018 02:51 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 13 किमी

(b) Address (पता): बिडौली चौकी चैक पोस्ट

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):
District (State) (ज़िला (राज्य)):
Beat No. (बीट सं.):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): उमिता श्री अनिल पंवार

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976

(e) UID No. (यू.आई.डी. सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):


Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.): Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना झीझाना शामली, झीझाना, शामली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	थाना झीझाना शामली, झीझाना, शामली, उत्तर प्रदेश, भारत



Seen

To

JM(S)

15-10-18

uc

4
70(18)

143

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जगतार सिंह		पिता का नाम : चरण सिंह	1. बांखलपुर, डेराबस्सी, सास नगर, पंजाब, भारत
2	कुलवीर सिंह		पिता का नाम : प्रीतम सिंह	1. बांखलपुर, डेराबस्सी, सास नगर, पंजाब, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो)

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

फर्द बरामदगी 700 पेटी अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का व गिरफ्तार 02 नफर अभि० एक 10 टायरा टुक न० HR 68B -7268 मे भरी हुई 700 पेटी अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का KING,S GOLD SPEACIAL WHISKY :- आज दिनांक 11.10.18 को मैं SI अनिल पंवार मय का० 450 राहुल सिंह, का० 545 सोनू चौधरी, का० 369 योगेश कुमार के बहवाले रफत न० 39 समय 23.41 बजे रवाना होकर गश्त व देखरेख करते हुए पुलिस चौक पोस्ट चौकी बिडौली पहुंचकर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन मै मामूर थे तभी आबकारी निरी० श्री आनन्द कुमार सिंह S.S.F(A) स०पुर कैम्प शामली मय आबकारी का० राजवीर सिंह, का० धर्मेश ल्यागी, का० प्रेमपाल सिंह के गस्त करते हुए आ गये तभी जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक 10 टायरा टुक न० HR 68B -7268 जिसमें मे 700 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का हरियाणा यमुना नदी पुल की ओर से आ रही है। अगर सघनता से चैकिंग की जाये तो मय अवैध शराब के पकडे जा सकते है। इस पर मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालो ने आबकारी निरीक्षक मय हमराहीयान को सूचना से अचगत काराकर पुलिस चौक पोस्ट बिडौली पर बैरियर लगाकर हरियाणा पुल की तरफ से आने वाले वाहनो की सघनता से चैकिंग करने लगे। मुखबिर ने दूर से देखकर बताया कि जो टुक पुल की तरफ से आ रहा है। यह वही टुक है जिसमें अवैध 700 पेटी अंग्रेजी शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का भरी है और मुखबिर चला गया तो आने जाने वाले लोगो को मकसद ब्रताकर गवाही के लिए कहा गया तो भलाई/बुराई व दुश्मनी के कारण कोई तैयार नहीं हुये। हम पुलिस वालो एवं आबकारी वालो ने संयुक्त रूप से मौके पर ही पुलिस चौक बिडौली के सामने एक टुक 10 टायरा न० HR 68B -7268 को हमराहीयान कर्म०गण की मदद से समय करीब 00.55 बजे पकड लिया। टुक ड्राइवर परिचालक को नीचे उतारकर मय आबकारी विभाग के निरीक्षक एवं कर्म०गणो की टुक के पीछे जाकर देखा तो टुक की वाडी के अन्दर एक वाडी नुमा लोहे का केचिन बना प्रतित हा जिस पर हम पुलिस बल द्वारा उस बोक्स के नट बोल्ट खोलकर देखा तो केचिन के अन्दर शराब की पेटिया भरी है। दोनो व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये शराब के बारे में पूछा गया तो ड्राइवर ने अपना नाम जगतार सिंह पुत्र चरण सिंह नि० बांखलपुर थाना डेरा बशी जिला S.S नगर मोहाली पंजाब बताया जिसके कुर्ते की वायी जेब से 50-50 के 27 नोट एवं 10-10 के 06 नोट बरामद हुए तथा परिचालक ने अपना नाम कुलवीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह नि० बांखलपुर थाना डेरा बशी जिला S.S नगर मोहाली पंजाब बताया जिसकी पहनी पेन्ट की वायी जेब से 100-100 के 04 नोट एवं 50-50 के 05 नोट बरामद हुये शराब के बारे में सख्ती से पूछने पर एक स्वर में बताया कि साहब इस टुक में अरूणाचल प्रदेश की अवैध अंग्रेजी मार्का शराब भरी है। हमें यह टुक चण्डीगढ से अरूणाचल प्रदेश में छोडना था हम लोग अवैध शराब का कारोबार करते है। अब आपने हमें पकड लिया है। अभि०गण से गाडी के कागजात व लाइसेन्स व शराब का लाइसेन्स तलब किये गये तो दिखाने में कासिर रहे। केचिन में लदी शराब की पेटियो को नीचे उतारकर मय आबकारी विभाग के निरीक्षक व हमराहीयान के गिना गया तो KING,S GOLD SPEACIAL WHISKY की 700 पेटियां शराब अरूणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुयी। बरामदा शराब में से एक बोतल निकालकर देखा तो उस पर अंग्रेजी में KING,S GOLD SPEACIAL WHISKY अरूणाचल प्रदेश FOR SALE IN



ARUNACHAL PRADESH लिखा हुआ है। बरामदा शराब में से एक पेट्टी को बतौर नमूना एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार कर तथा शेष को चिटबन्दी किया गया। अभि०गणों को इनके जर्म धारा 60/63/72 EX ACT से अवगत कराकर जायज हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया एवं दौराने गिर० मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पूर्णतः अक्षरशः पालन किया गया तथा मौके पर मुझ SI ने फर्ट ब्रिजली व टार्च की रोशनी में लिखकर हमराहीयान व आवकारी अधिकारी कर्म०गण को पदकर सुनाकर गवाही हेतु हस्ताक्षर कराये गये फर्ट की एक प्रति अभियुक्तों की रजामन्दी से अभि० जगतार सिंह उपरोक्त को दी गयी तथा गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर द्वारा उचित माध्यम अभि० के बतायेनुसार दी जायेगी। बरामद जामातलाशी की नाम वार चिट बन्दी की गयी तथा फर्ट पर अभियुक्तों के अहलामात बनवाये गये। SD/ अनिल पंवार (अपठित) उ०नि० अनिल पंवार थाना झिझाना जनपद शामली दिनांक 12.10.18, SD/ का० 450 राहुल सिंह, SD/का० 545 सोनू चौधरी SD/ का० 369 योगेश कुमार SD/ निरी० आनन्द कुमार सिंह आवकारी S.S.F(A) स०पुर कैम्प शामली, SD/ का० राजवीर सिंह, SD/ का० धर्मेस त्यागी, SD/ का० प्रेमपाल सिंह। नोट:-फर्ट की एक प्रति दोनो अभि०गण की सहमति से अभि० जगतार सिंह को देकर दोनो के अहलामात बनवाये जाते हैं। SD/उ०नि० अनिल पंवार थाना झिझाना जनपद शामली दिनांक 12.10.18 नोट: रो०आम में खुलासा C/C का० 348 संजीव राठी द्वारा किया गया तथा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर का० 236 जितेन्द्र सिंह द्वारा शब्द दर शब्द किता कराई गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

- (1) Registered the case and took up the investigation: PS JHINJHANA(I (Inspector)) / 9454404068 or
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No.(to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

- (4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PS JHINJHANA
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404068

Printed By
Words: 5/20/2021

सत्य प्रतिलिपि

23/3/2021
सुरक्ष प्रतिलिपि/शामली

Annexure A-30

145.

41
23/3/2021

ज्यापालप श्रीमान जनपद ज्यापाधीडा, शायली

क्र. ७०१० - ७३३ एन - २०१८

सं. भाप जगतार सिंह कापि

वस - ६०, ६३, ७२ Ex. Act -

PS - मिश्राना

जन्म - आदेश ३१/१०/१८

Date of Application. 23/3/2021
Date of Issue. 23/3/2021
Date of Delivery. 23/3/2021
Signature of B.C.

23/3/2021



न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली

31.10.2018:

आदेश

आवेदक हाई फील्ड डिस्टलरी एण्ड बोटलर्स प्रा0लि0 द्वारा विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश अधिकृत स्वामी की ओर से मुअ.सं. 733/2018 अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना में निरुद्ध माल किंग्स गोल्ड स्पेशल विस्की 850 पेटियों, जो गाड़ी ट्रक पंजियन नं0 HR-68B-7268 मे लदा है, सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रार्थी की डिस्टलरी से 850 किंग्स गोल्ड स्पेशल विस्की अरुणाचल मार्का की 850 पेटियों अरुणाचल प्रदेश के लिए चण्डीगढ से ट्रक HR-68B-7268 से ले जायी जा रही थी। थाना पुलिस झिंझाना द्वारा के द्वारा वैध कागजात होने के बावजूद भी थाने पर निरुद्ध कर मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त माल थाने में रहने से खराब होने का अन्देशा है। अतः उक्त माल प्रार्थी के पक्ष में रिलीज किया जावे।

थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत माल जो गाड़ी ट्रक पंजियन नं0 HR-68B-7268 मे लदा है, मुअ.सं. 733/2016 अन्तर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना में निरुद्ध है, जो माल मुकदमाती है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत माल "हाई फील्ड डिस्टलरी एण्ड बोटलर्स प्रा0लि0" का है और विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश को उक्त कम्पनी द्वारा उक्त माल की अवमुक्ति के बाबत अधिकृत किया गया है। स्वामित्व के सम्बंध में प्रार्थी की ओर से बिल/कैस मीमो, अर्थोटी लैटर, फार्म डी 20-ए, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, एक्सआईज डिपार्टमेन्ट अरुणाचल प्रदेश द्वारा जारी प्रपत्र नं0 120575 एवं डी0एल0 की फोटोकापी दाखिल किये गये। चूंकि उक्त प्रश्नगत माल थाने पर रखे रहने से खराब होने का अन्देशा है और किसी अन्य के द्वारा उक्त प्रश्नगत माल को क्लेम नही किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रश्नगत माल प्रार्थी/अधीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किये जाने का पर्याप्त आधार है।

G
9/11/18

अतः उक्त प्रश्नगत माल प्रार्थी स्वामी के पक्ष में अकंन 4,00,000/-रुपए (चार लाख) का एक निजी बंधपत्र दाखिल करने पर प्रदत्त किया जावे एवं पहचान के संबंध में पहचान-पत्र की छायाप्रति दाखिल करे सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त प्रश्नगत माल किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हे अविलम्ब प्रार्थी/अधीकृत स्वामी के पक्ष में प्रदत्त करे।
जिलाधिकारी शामली के महोदय सम्बन्धित जेडीकरण की कार्यवाही पर इस आदेश का 31/10/18 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

आदेश

Photo Copy prepared By
Words..... 200/.....

23/3/2021

सत्य प्रतिनिधि
23/3/2021
सुपुर्दगी अधिकारी/शामली

आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी दिनांकित 24.02.2021

आज मेरे द्वारा दिनांक 24.02.2021 को माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 8/viii b-4 दिनांकित 11 जनवरी, 1952 के अनुपालन में जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना के समस्त न्यायालयों का औचक निरीक्षण समय 10.55 बजे से 11.10 के मध्य निम्न क्रमानुसार किया गया:-

- 1- सर्वप्रथम न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री मुक्ता त्यागी डायस पर उपस्थित नहीं मिलीं।
- 2- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), कैराना के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री रुचि तिवारी डायस पर उपस्थित नहीं मिलीं।
- 3- इसके पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री अरुण सिंह निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।
- 4- इसके पश्चात् न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(रेप व पॉक्सो), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री रजत वर्मा निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।
- 5- इसके पश्चात् न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री राजमंगल सिंह यादव निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।
- 6- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ.टी.सी, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री सुधा शर्मा डायस पर उपस्थित नहीं मिलीं, परन्तु मेरे न्यायालय कक्ष में पहुँचने के तुरन्त बाद निर्धारित वेशभूषा में न्यायालय कक्ष में आ गई थीं।
- 7- इसके पश्चात् न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री सुबोध सिंह डायस पर उपस्थित नहीं मिले।
- 8- इसके पश्चात् न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पॉक्सो), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री मुमताज अली डायस पर उपस्थित मिले।

सभी न्यायिक अधिकारीगण सामान्य नियमावली के नियम 10 (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह औचक निरीक्षण टिप्पणी सभी न्यायिक अधिकारीगण के मध्य परिचालित हो, तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जावे।


(डॉ० अजय कुमार-II)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

24.02.2021

Circulation Index for Surprise Inspection dated 24-02-2021			
S N	Name of Officer	Court	Signature of Reciepent
1	Sh. Mumtaz All	ASJ/SJ (POCSO) Shamli	M 24.2.2021
2	Sh. Rajat Verma	ASJ(Rape & POCSO) Shamli	R 24/2/21
3	Sh. Subodh Singh	ADJ (FTC) Shamli	S 24.2.21
4	Sh. Raj Mangal Singh Yadav	C.J.M. Shamli	R 24/2/21
5	Sushri Ruchi Tiwari	Civil Judge S.D. Kairana	R 24.2.21
6	Smt. Pratibha	Civil Judge S.D. Shamli	R 24-2-2021
7	Sushri Mukta Tyagi	Civil Judge J.D. Shamli	R 24/2/21 1:25 PM
8	Sushri Sudha Sharma	Civil Judge J.D. FTC Shamli	S 24/2/21 1:28 PM
9	Sh. Arun Singh	J. M., Shamli	S 24/02/21

प्रेषक,

मुमताज अली,

अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/

जांच अधिकारी,

जनपद न्यायालय शामली/

स्थित कैराना।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

जनपद न्यायालय, शामली,

स्थित कैराना।

विषय:- गोपनीय जांच आख्या प्रशासनिक आदेश संख्या 348/ए.ओ.-2020 दिनांकित
24.12.2020 के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, शामली के शिकायती प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जी द्वारा एक गोपनीय जांच (Discreet Enquiry) जांच कर, आख्या महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया था।

श्रीमान जी के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रकरण की गम्भीरता व जांच की गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक अधिकारीगण को अपने चैम्बर में बुलाया जाकर, उनसे वार्ता कर उनके कथन का संक्षिप्त विवरण एवं लिखित विवरण का अवलोकन कर, समस्त तथ्यों के सम्बन्ध में जांच आख्या माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

जांच आख्या में हुआ विलम्ब उक्त न्यायिक अधिकारीगण के मेरे समक्ष पहुंचने में हुई देरी के कारण हुआ है।

आख्या महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं उचित आदेश हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:जांच पत्रावली।


(मुमताज अली), 5/3/2021

अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/

जांच अधिकारी,

जनपद न्यायालय शामली/

स्थित कैराना।

दिनांक: मार्च 05, 2021

प्रेषक,

मुमताज अली,

अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/

जांच अधिकारी,

जनपद न्यायालय शामली/स्थित कैराना।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

जनपद न्यायालय, शामली,

स्थित कैराना।

विषय: सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.), शामली के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.6.2020 के तथ्यों के संकलन हेतु गठित गोपनीय जांच (Discreet Enquiry) के सम्बन्ध में जांच आख्या।

महोदय,

सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.), शामली द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.6.2020 तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, शामली के समक्ष श्री अरूण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के विरुद्ध उनके द्वारा सोशल नेट वर्किंग साईट फेस बुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रस्तुत किया, जिस पर तत्कालीन प्रभारी जनपद न्यायाधीश, शामली द्वारा दिनांक 1.7.2020 को श्री अरूण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली से आख्या आहूत की गयी। श्री अरूण सिंह द्वारा प्रकरण में अपनी आख्या दिनांक 3.7.2020 को प्रस्तुत की गयी।

चूंकि दोनों न्यायिक अधिकारी सोशल नेट वर्किंग साईट फेसबुक का उपयोग करते हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में तथ्यों के संकलन हेतु दिनांक 24.12.2020 को एक गोपनीय जांच (Discreet Enquiry) करने के लिए मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक आचारण नियमावली 1956 के नियम 6 व अन्य नियमों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त तथ्यों की जांच आख्या एक मास के अन्दर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए।



सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.6.2020 में कथन किया कि मैं जनपद न्यायालय, शामली में सिविल जज (जू.डि.) के रूप में कार्यरत हूँ, 2015 बैच की हूँ, श्री अरुण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सोशल नेट वर्किंग साइट फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी "15 और 16 वालों ने चापलूसी के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिए, अब ये एक्सपैक्टेड 18 वालों से भी करने लगे हैं" पोस्ट की उक्त टिप्पणी में श्री अरुण सिंह द्वारा 2015 एवं 2016 बैच के बारे में चापलूस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि सम्पूर्ण 2015 एवं 2016 बैच के लिए अपमानकारी, आपत्तिजनक और उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। श्री अरुण सिंह, 2018 बैच के आफिसर हैं, उन्हें न्यायिक सेवा के सम्पूर्ण बैच के अधिकारियों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह कृत्य न्यायिक कदाचार की श्रेणी का है। इस जनपद में मैं 2015 बैच की एक मात्र अकेली अधिकारी हूँ। इस कारण मेरे द्वारा इस प्रकरण की रिपोर्ट की जा रही है।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं कि न्यायिक अधिकारी का आचरण सोशल नेट वर्किंग साइट पर कैसा होना चाहिए, श्री अरुण सिंह द्वारा की गई टिप्पणी उक्त परिपत्रों में जारी दिशा निर्देशों की अवमानना की श्रेणी की है। फेसबुक पर की गई टिप्पणी को संलग्नक के रूप में दाखिल किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह के विरुद्ध उक्त निंदनीय टिप्पणी के लिए कठोर कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं जांच की गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.), शामली को दिनांक 27.1.2021 को 5.00 बजे शाम बुलाया गया। जांच में सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा, जो आरोप श्री अरुण सिंह पर लगाए गए हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरण मेरे द्वारा अंकित किया गया है, जो कि मेरी रिपोर्ट का भाग है। उक्त प्रकरण में सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा बताया गया कि श्री अरुण सिंह, प्रशिक्षण के दौरान मुझसे अनर्गल बातें करते थे। कहते थे कि आप मुझसे कम उम्र की हैं, मैंने भी आपके बैच में इंटरव्यू दिया था। मेरे बारे में कुछ बातें दूसरे जनपद के अधिकारी को बताता था, वो मुझसे फोन करके पूछते थे कि आप वेटिंग की कैंन्डीडेट हैं, जब मैं पूछती कि मेरा नम्बर किसने दिया तो वह बताते कि

m

आपका नम्बर अरुण सिंह ने दिया। श्री अरुण सिंह हमारे सामने चेतना नाम की लड़की के बारे में बात करते थे कि उसके पिता रोज शादी के लिए बात करते हैं, मैं मना करता हूँ। श्री अरुण सिंह इस अन्दाज में बात करते, जो कि एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता। मेरे पास और भी मैटीरियल है, पेश करूंगी। माह फरवरी के आखरी सप्ताह तक मौखिक रूप से पूछने पर कि आप अन्य कोई साक्ष्य पेश करने की बात कह रही थी, यदि है तो उपलब्ध करा दें, परन्तु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, अपितु उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति मय फेसबुक पोस्ट की फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत की है।

उक्त गोपनीय जांच में मेरे द्वारा श्री अरुण सिंह को भी बुलाया गया। श्री अरुण सिंह द्वारा की गई वार्ता में जो उसने बताया, उसका लिखित कथन, उसके द्वारा दाखिल किया गया, चूंकि श्री अरुण सिंह के द्वारा अपना कथानक लिखित में दाखिल किया है, इसलिए उसका संक्षिप्त विवरण मेरे द्वारा अंकित नहीं किया गया है। श्री अरुण सिंह के द्वारा अपने कथानक के रूप में दाखिल किए गए लिखित कथन के साथ फेसबुक, व्हाट्स एप पर हुई चैट की 6 पेज की छाया प्रति, चिकित्सीय रिपोर्ट, अवकाश के आदेश तथा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के रिटायरमेंट फोटो दाखिल किए हैं। श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

प्रार्थी की जिस फेसबुक पोस्ट की शिकायत, सुश्री मुक्ता त्यागी जी ने की है, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि वह पोस्ट किसी से सम्बन्धित नहीं है। उक्त फेसबुक पोस्ट को विभिन्न व्हाट्स एप ग्रुप में अनाधिकृत रूप से सुश्री मुक्ता त्यागी जी ने ही वायरल किया है। सुश्री मुक्ता त्यागी स्वयं फेसबुक पर मौजूद हैं। फेसबुक आई. डी. की कापी संलग्न की है। इस पोस्ट के वायरल होने से प्रार्थी को मानसिक अवसाद और बदनामी झेलनी पड़ी है। असल में इसके पीछे श्री रजत वर्मा सर हैं, उन्हीं के इशारे पर प्रार्थी का उत्पीड़न किया जा रहा है।

श्री रजत वर्मा सर, जातिगत द्वेष से पीड़ित हैं और उन्हीं के इशारे पर प्रार्थी को सुश्री मुक्ता त्यागी तथा सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज, सीनियर डिवीजन द्वारा

R

प्रशिक्षण के दौरान जातिगत सवाल पूछकर परेशान किया गया। नियुक्ति/चार्ज के समय से ही श्री रजत वर्मा सर द्वारा प्रार्थी की कैटेगरी व रैंक पूछी गई। दिनांक 22/23 मार्च, 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 की वजह से जजशिप शामली को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया, प्रार्थी स्टेशन लीव लेकर अपने घर चला गया। दौरान लॉक डाउन प्रार्थी का ईलाज चल रहा था। दिनांक 30.5.2020 को श्री रजत वर्मा सर द्वारा मुझे फोन करके शामली बुलाया गया। मुख्यालय पर जूनियर अधिकारी होने के बावजूद तत्कालीन जिला जज साहब श्री शिवमणि शुक्ल जी के रिटायरमेंट पार्टी का न्यौता श्री संजय भटनागर, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां देने हेतु जबरदस्ती भेजा गया, कोरोना पेशेंट के ईलाज में लगे श्री संजय भटनागर ने प्रार्थी को तत्समय कोरोना के पीक टाइम में अस्पताल आने का कारण पूछा, बताने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्रार्थी को समझाया कि न्यौता तो फोन पर भी दिया जा सकता है, अस्पताल में कोरोना मरीजों का ईलाज चल रहा है, आपने यहां नहीं आना चाहिए था। दिनांक 31 मई, 2020 को तत्कालीन जिला जज साहब की पार्टी आर्गेनाईज की गई। जिला जज साहब के जाने के बाद प्रार्थी का उत्पीड़न श्री रजत वर्मा सर द्वारा बढ़ गया और उन्हीं के इशारे पर सुश्री मुक्ता त्यागी ने जून माह के आखिरी दिनों में फेसबुक स्टेटस का स्क्रीन शॉट लेकर कई व्हाट्स एप ग्रुप में शेयर किया गया, जिसकी कापी संलग्न है। उक्त व्हाट्स एप चैट में सुश्री रूचि तिवारी द्वारा भी चापलूसी का विस्तृत मतलब होना बताया, जबकि उस पोस्ट में न तो किसी का नाम है और न ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के किसी बैच का विवरण है। चैट से सुश्री मुक्ता त्यागी व सुश्री रूचि तिवारी द्वारा अपने जातिगत द्वेष के चलते मामले को बढ़ाचढ़ाकर प्रार्थी का अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न किया गया। अगले ही दिन श्री रजत वर्मा सर द्वारा एक शिकायती पत्र सुश्री मुक्ता त्यागी जी से दिलवाकर प्रार्थी को अवसादग्रस्त कर दिया गया। प्रार्थी को सीनियर के आदर सम्मान का भली प्रकार से ज्ञान है। प्रार्थी जजशिप में सभी सीनियर अधिकारियों का सम्मान करता आया है, जबकि प्रार्थी ने खुद सुश्री रूचि त्यागी व सुश्री मुक्ता त्यागी को खास कर मुख्य

Pr

न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ श्री रजत वर्मा सर के चैम्बर में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुना है।

उक्त प्रकरण में सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन द्वारा जो मौखिक कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, वह उस समय के हैं, जब श्री अरुण सिंह, प्रशिक्षण पर थे। ऐसे तथ्यों का कोई उल्लेख सुश्री मुक्ता त्यागी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.6.2020 में नहीं हैं। प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षु अधिकारी का आचरण ऐसा रहा, तब इस तथ्य को जनपद न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में लाना चाहिए था, परन्तु जनपद न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया और न ही इस सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचित किया गया।

फेसबुक चैट को लेकर, जो शिकायत प्रस्तुत की गई है, उक्त के सम्बन्ध में श्री अरुण सिंह द्वारा की गई चैट की फोटो दाखिल की गई है। प्रथमतः ये स्पष्ट है कि दोनों न्यायिक अधिकारी सोशल नेट वर्किंग साईट प्रयोग करते हैं। श्री अरुण सिंह के द्वारा फेसबुक की पोस्ट पर किसी न्यायिक अधिकारी के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, विभाग का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त फेसबुक पोस्ट को सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन द्वारा स्वयं व्हाट्स एप ग्रुप पर वायरल किया गया। सुश्री मुक्ता त्यागी भी स्वयं फेसबुक का प्रयोग करती हैं, यह उन्होंने स्वीकार किया है। 15 और 16 को सोशल मीडिया के माध्यम से चैट करते-करते 15 और 16 का मतलब मूर्खतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। उक्त प्रकरण में चापलूस शब्द की व्याख्या भी की गई है। उक्त चैट में सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज, सीनियर डिवीजन भी शामिल रही हैं, जो कि दाखिल की गई फेसबुक व व्हाट्स एप की फोटो प्रतियों से स्पष्ट हो रहा है। दोनों अधिकारी वरिष्ठ हैं। इस प्रकरण को गम्भीरता से प्रशिक्षु अधिकारी को समझाकर संजीदगी के साथ निस्तारित करा देने का उत्तरदायित्व सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन व सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज, सीनियर डिवीजन पर था, परन्तु इसे इस प्रकार निस्तारित न कर स्वयं वायरल कर वाद विवाद का माहौल पैदा कर प्रकरण को बढ़ावा दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह द्वारा अपने लिखित कथन में ये भी आरोप लगाए हैं कि उनका जातिगत द्वेषभावना से ग्रसित होकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और यह उत्पीड़न भी श्री

M

रजत वर्मा सर के इशारे पर किया जा रहा है, उनके इशारे पर ही प्रशिक्षण के दौरान सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जूनियर डिवीजन एवं सुश्री रूचि तिंवारी, सिविल जज, सीनियर डिवीजन द्वारा उनसे जातिगत सवाल पूछकर परेशान किया गया। नियुक्ति के समय से ही श्री रजत वर्मा सर द्वारा प्रार्थी की कैटेगरी व रैंक पूछी गई।

श्री अरुण सिंह द्वारा उत्पीड़ित किए जाने का एक और तथ्य का उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22/23 मार्च, 2020 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 की वजह से जजशिप, शामली स्थित कैराना अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दी गई। श्री अरुण सिंह अनुमति प्राप्त कर अपने घर दूसरे जनपद चले गए। दौरान लॉक डाउन उनके द्वारा ईलाज चलना भी बताया गया, जिसके चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किए गए। दिनांक 30.5.2020 को मुख्यालय पर जूनियर अधिकारी होने के बावजूद श्री अरुण सिंह को श्री रजत वर्मा सर द्वारा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय की रिटायरमेंट पार्टी का निमन्त्रण मुख्य चिकित्साधिकारी को देने के लिए श्री अरुण सिंह को उसके गृह जनपद से बुलाया गया तथा जब श्री अरुण सिंह मुख्य चिकित्साधिकारी को निमन्त्रण देने पहुंचे तथा मुख्य चिकित्साधिकारी श्री संजय भटनागर द्वारा कहा गया कि न्यौता तो फोन पर भी दिया जा सकता था, आपको यहां नहीं आना चाहिए था, अस्पताल में कोरोना के मरीजों का ईलाज चल रहा है। उक्त घटनाक्रम में नये न्यायिक अधिकारी का प्रताड़ित महसूस होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण निमयावली 1956 का नियम 3 आचरण की अलिखित संहिता निर्दिष्ट करता है,— तथा सरकारी सेवक से, अपने निजी जीवन में भी शिष्ट नागरिक की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। शासन के मतानुसार यदि सरकारी सेवक द्वारा किया गया कार्य उसकी पदीय गरिमा के लिए अशोभनीय एवं अयोग्य हो तो वह दुराचरण माना जा सकता है, भले ही वह कार्य उसके पदीय कर्तव्यों से सम्बन्धित न हो।

उक्त प्रकरण में दोनों न्यायिक अधिकारियों के द्वारा सोशल नेट वर्किंग साईट, फेसबुक, व्हाट्स एप पर की गई पोस्ट को लेकर चैटिंग प्रारम्भ की गई और की गई चैटिंग में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया, जो कि दोनों तरफ से शोभानीय नहीं



थे। इस चैटिंग में अन्य अधिकारी भी शामिल रहे हैं। उक्त प्रकरण को लेकर न्यायिक अधिकारियों के मध्य वाद-विवाद बढ़ाने का यह फोरम नहीं था। इस प्रकरण को इस फोरम के माध्यम से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए था, यदि कोई आपत्ति थी, तब केवल उसे जनपद न्यायाधीश महोदय को रिपोर्ट किया जा सकता था, न कि सार्वजनिक पटल पर वाद विवाद किया जाना, न्यायिक अधिकारीगण का यह आचरण एवं व्यवहार, उनके पद एवं उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं गोपनीय जांच में एकत्रित साक्ष्य से दोनों न्यायिक अधिकारी सुश्री मुक्ता त्यागी एवं श्री अरुण सिंह का सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक एवं व्हाट्स एप पर की गई चैटिंग सम्बन्धित आचरण एवं व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण निमयावली के नियम-3 के अनुरूप नहीं है।

गोपनीय जांच आख्या माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

Mumtaj Ali
5.3.2021
(मुमताज अली)

संलग्नक: सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज, अपर जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) /
जू.डि. के कथन का संक्षिप्त विवरण मय जांच अधिकारी,
फोटो कापी शिकायत। जिला शामली,
2.श्री अरुण सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत लिखित स्थित कैराना।
कथन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य। दिनांक: मार्च 05, 2021

मुक्ता त्यागी

सिविल जज (वृ.उि०)

शामली /

प्रभारी मुख्य आगिक मजिस्ट्रेट

सेवा में, शामली।

माननीय जनपद-भागाध्यक्ष
शामली।

विषय - आभालय मुख्य आगिक मजिस्ट्रेट शामली में
कार्ररत स्टेनोग्राफर दिनेश कुमार द्वारा आभाल-
लय समय से पूर्व बिना पूर्व अनुमति/पूजन
आभालय परिसर छोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 30-6-2020
को लंच बाद श्रीमान मुख्य आगिक मजिस्ट्रेट
शामली के आदेश दिनांकित 30-6-2020 के अनुरूप
मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य आगिक मजिस्ट्रेट के जेल
निरीक्षण पर जाने के कारण उनके आभालय के
बेल, रिमाण्ड, बेल बॉन्ड व अन्य आवश्यक कार्र
मेरे द्वारा सम्पादित किने जाने थे। दिनांक 30-6-2020
को समय 4:30 बजे शाना कोतवाली शामली से
मु०अ०सं० 24/2020, द्वारा 60,63 रिमाण्ड रजिस्टर,
272, 273 आ० सं० में रिमाण्ड प्रस्तुत की गयी
जिसमें समय 4:30 बजे बेल विज्ञान अधिकारिता
द्वारा प्रस्तुत की गयी। बेल के निस्तारण हेतु
बम्बं मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य आगिक मजिस्ट्रेट

स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार को बुलाया गया किन्तु यह सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमान मुख्य आधिक मजिस्ट्रेट के आयालय, कार्यालय एवं विज्ञान कक्ष में ताला पड़ा हुआ है। मैं द्वारा और बृहत्ताद करके पर श्रीमान मुख्य आधिक मजिस्ट्रेट के आयालय में कार्यालय लिपिक ने मैं लम्हा आकर यह कथन किया कि स्टेनोग्राफर दिनेश कुमार पिछले 3 दिन से अवकाश पर है। मैं द्वारा श्रीमान मुख्य आधिक मजिस्ट्रेट के आयालय में कार्यालय कर्मचारीगणों की उपस्थिति पंजिका मंगवाये जाने पर उपरोक्त वाद लिपिक द्वारा यह कहा गया कि कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजिका साहब अपनी अलमारी में रखते हैं तथा चाबी अपने पास रखते हैं तथा अपने साथ ही ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार छुड़ी पर थे अथवा नहीं। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि यदि श्री दिनेश कुमार अवकाश पर न हों तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की इजाजत।

दिनांक-30-6-2020

Call for comments of the concerned employees

सचिव
मा.प्र.
1/7/20

30/6/20

अवधीभा

30/6/2020

(मुस्ता खानी)

सिविल जज (बगडि)

प्रभारी मुख्य आधिक


मजिस्ट्रेट

शामली,

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
29.06.2020

आदेश

दिनांक 30.06.2019 को मेरे द्वारा जिला कारागार मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया जाना है। उपरोक्त कारण से दिनांक 30.06.2019 को लंच के बाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के समस्त बेल, बेल बॉन्ड, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के द्वारा संपादित किये जायेंगे। संबंधित सूचित हों।


29/06/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राथमिक शिष्टयुक्त पुलिस ठाणे वरामे हे

अज्ञानमे - मायापण जमानत साठ हे ० समसाह्य केपना
मुंबयमा अपराध सेव्या २४ सल २०
अज्ञानमे वनाम कुठवापाल अज्ञानमे

UR 60/63 EXPT
22-23 IIF
थाना केतवापण सामने

~~प्राथमिक शिष्टयुक्त पुलिस ठाणे वरामे हे
पुलिस कन्स्टेबल गिरि विवासा गांव झाल अज्ञानमे
अज्ञानमे विवासा गांव विवासा गांव अज्ञानमे पर अज्ञानमे
किया जावा है AT-4.30 PM~~

१) यह कि प्राथमिक शिष्टयुक्त का प्राथमिक जमानत प्रथम हे
अज्ञानमे प्राथमिक जमानत केसा भी अज्ञानमे
विचार करी नही है।

२) यह कि प्राथमिक शिष्टयुक्त से चा-सावा विवासा हे
उसमे ऐसा नही अज्ञानमे नही किया है जैसा FIR
मे चर्चा से अज्ञानमे किया गया है।

३) यह कि प्राथमिक शिष्टयुक्त से जो अज्ञानमे प्रथम हे
अज्ञानमे अज्ञानमे नही हे उस अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे

४) यह कि प्राथमिक शिष्टयुक्त प्रथम अज्ञानमे अज्ञानमे हे
वैरान अज्ञानमे अज्ञानमे जमानत हे अज्ञानमे अज्ञानमे को
तैयार हे अज्ञानमे जमानत जमानत का अज्ञानमे नही करेगा

अतः अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
मुठ अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
को अज्ञानमे जमानत अज्ञानमे अज्ञानमे लेकर अज्ञानमे अज्ञानमे
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे

अज्ञानमे अज्ञानमे

अज्ञानमे अज्ञानमे

प्राथमिक शिष्टयुक्त
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे
अज्ञानमे अज्ञानमे अज्ञानमे

Sm

Finally request to call
criminal stay from P
concerned

Anam
M

30/06/2020

Sm

As per demand submitted
~~in~~ Krishna Pal C.M.O-24/2020
O/S 60, 63 Result, 272/273 IPR
P.S K. Stambli is detained in
Judicial custody. Offence is
non-bailable, non-removable
Part application strongly
opposed.

Anam
M

30/06/2020

Back of (158)

30-6-2020 अभिपुस्त
की ओर से जमानत प्राप्त
अन्तर्गत मु०अ०सं० 24/2020
द्वारा 60, 63 बन्धनार्थक
272, 273 भा० द० सं०, ए०
कोतवाली शामली, जिला
प्रस्तुत किया गया।

अभिपुस्त के विज्ञान
कर्मता व विज्ञान अभिपुस्त
आधिकारी को मुना। प्र
का अवलोकन किया।

अभिपुस्त द्वारा कारित
राय गम्भीर व अजमानत
है। आधार जमानत अप
है। जमानत प्राप्त व
किया जाता है।

I/c ^(H)
30/06/20


159

ADVOCATE

No. :

NOTICE OF ENGAGEMENT

In the court of Chief Judicial Magistrate Kairana
No.



State

Appellant/Complaint/Plaintiff

Krushnopal Singh Munim

versus

Accused / Opposite Party

Respondent/Defendant **4566**No.

In the above case I appear for Krushnopal Singh Munim

Distt Shamli U.P.

Shri Kanhaiya Prasad Katarwala Shamli

2019


Distt Shamli

Shri Kanhaiya Prasad Katarwala

ADVOCATE

Advocate
Cwil Court Kairana
Reg. NU. 4416/92

Date 20/6/2020



Annexure A-34

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

प्रशासनिक आदेश सं० 175/ A.O. -2020-

Date-21-07-2020

प्रशासनिक आदेश

सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज जू० डि०, शामली द्वारा एक पत्र दिनांकित 30.06.2020 तत्कालीन प्रभारी जनपद न्यायाधीश, के समक्ष न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में नियुक्त आशुलिपिक दिनेश कुमार के विरुद्ध निम्न कथनों के साथ प्रस्तुत किया था कि दिनांक 30.06.2020 को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के द्वारा भोजनावकाश के उपरान्त जिला कारागार के निरीक्षण हेतु मुजफ्फरनगर जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के बेल, रिमांड, बेल बॉर्डस आदि आवश्यक कार्य उन्हे सम्पादित करने थे। उक्त दिनांक को समय 4:30 पी एम पर थाना कोतवाली शामली के मु० अ० सं० 24/2020, धारा 272,273 भादंसं एवं धारा 60/63 आबकारी अधि० में रिमांड के उपरान्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके निस्तारण के लिए उनके द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में नियुक्त आशुलिपिक दिनेश कुमार को बुलवाया गया तो वाद लिपिक न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हे आकर बताया गया कि आशुलिपिक दिनेश कुमार पिछले तीन दिन से अवकाश पर है। उपस्थिति पंजिका को दिखाने के लिए कहने पर लिपिक द्वारा बताया गया कि कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजिका विश्राम कक्ष में रखी आलमारी में है। अतः यह स्पष्ट न होने के कारण कि आशुलिपिक दिनेश कुमार, अवकाश पर थे अथवा नहीं, सुश्री त्यागी द्वारा आशुलिपिक दिनेश कुमार के अवकाश पर न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही किये जाने हेतु उक्त पत्र प्रस्तुत किया गया।

तत्कालीन प्रभारी, जनपद न्यायाधीश द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी श्री दिनेश कुमार आशुलिपिक से अपने आदेश दिनांकित 30.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण आहूत किया गया, जिसके द्वारा अपने लिखित कथन दिनांकित 06.07.2020 में स्पष्ट किया गया कि वह दिनांक 27.06.2020 को चतुर्थ शनिवार को न्यायालय में आया था, तथा उसके द्वारा दिनांक 27.06.2020 को ही दिनांक 29.06.2020 एवं 30.06.2020 के आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र न्यायालय में कार्यरत मु० रीडर को दे दिया गया था, जिसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.06.2020 को स्वीकृत किया गया, चूंकि दिनांक 28.06.2020 को रविवार का अवकाश था। यह भी कथन किया गया है कि उक्त दिनाकों में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली का कार्य प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मौखिक आदेशानुसार न्यायालय जनपद न्यायाधीश में नियुक्त अतिरिक्त आशुलिपिक श्री कौशल कुमार पाराशर द्वारा किया गया था। समर्थन में अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 27.06.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 29.06.2020 में पारित किया गया है।

मेरे द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के कर्मचारीगण की उपस्थिति पंजिका, आकस्मिक अवकाश पंजिका तथा मूल अवकाश प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया, जिससे दिनांक 29.06.2020 एवं 30.06.2020 को आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार के आकस्मिक अवकाश पर होने की पुष्टि होती है।

स्पष्ट है कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में नियुक्त आशुलिपिक दिनेश कुमार, दिनांक 29.06.2020 एवं 30.06.2020 को आकस्मिक अवकाश पर थे। प्रार्थनापत्र से स्पष्ट है कि उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय कारागार निरीक्षण पर थे और यदि उनके आशुलिपिक उस दिन अवकाश पर न होते तो अपने पीठासीन अधिकारी के साथ होते।

सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा भी उक्त कर्मचारी के विरुद्ध उसके अवकाश पर न होने पर ही कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था, और उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी उस दिन अवकाश पर था, अतः कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थनापत्र सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज जू० डि०, शामली तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

A. K. Prasad
जिला न्यायाधीश

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद शामली।

द्वारा,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

विषय:- आदेश दिनांकित 30-06-2020 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।


महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 27-06-2020 चतुर्थ शनिवार को न्यायालय में उपस्थित आया था। प्रार्थी के भाई की शादी होने के कारण पीठासीन अधिकारी को मौखिक रूप से अवगत कराने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 29-06-2020 एवं 30-06-2020 के आकस्मिक अवकाश एवं न्यायालय समयोपरान्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में कार्यरत मुंसरिम/रीडर को देकर अपने ग्रह जनपद मुरादाबाद चला गया। दिनांक 29-06-2020 को प्रार्थी के आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रार्थी के अवकाश के दौरान माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशानुसार न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश में नियुक्त आशुलिपिक श्री कौशल पराशर द्वारा न्यायालय का कार्य सम्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक-06-07-2020

प्रार्थी




विनेश कुमार

आशुलिपिक

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

शामली।

संलग्नक:-पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

सादर! अग्रसारित

06/7/20

No.	Name and Designation of the Employee	Mr. Vinay Tiwari Clerk	Mr. Rakesh Kumar Clerk	Mr. Shubham Clerk	Driver	mail delivery peon	Inspector	Seen
1	Mr. Dinesh Kumar Steno							
2	Mr. Dinesh Kumar Steno							
3	Mr. Dinesh Kumar Steno							
4	Mr. Dinesh Kumar Steno							
5	Mr. Dinesh Kumar Steno							
6	Mr. Dinesh Kumar Steno							
7	Mr. Dinesh Kumar Steno							
8	Mr. Dinesh Kumar Steno							
9	Mr. Dinesh Kumar Steno							
10	Mr. Dinesh Kumar Steno							
11	Mr. Dinesh Kumar Steno							
12	Mr. Dinesh Kumar Steno							
13	Mr. Dinesh Kumar Steno							
14	Mr. Dinesh Kumar Steno							
15	Mr. Dinesh Kumar Steno							
16	Mr. Dinesh Kumar Steno							
17	Mr. Dinesh Kumar Steno							
18	Mr. Dinesh Kumar Steno							
19	Mr. Dinesh Kumar Steno							
20	Mr. Dinesh Kumar Steno							
21	Mr. Dinesh Kumar Steno							
22	Mr. Dinesh Kumar Steno							
23	Mr. Dinesh Kumar Steno							
24	Mr. Dinesh Kumar Steno							
25	Mr. Dinesh Kumar Steno							
26	Mr. Dinesh Kumar Steno							
27	Mr. Dinesh Kumar Steno							
28	Mr. Dinesh Kumar Steno							

Annexure A-35

500

163

D.O. No. 19/P.A.(S)/District Judge/2020

Dr. Ajay Kumar-II (H.J.S.)

Chamber,
District Judge,
Shamli.

Date: 24.08.2020


Dear Sh. Verma,

Kindly refer to a complaint received in the office of District Judge against stenographer of Chief Judicial Magistrate Court. On 30th June, 2020 Civil Judge Junior Division was Incharge of Court of Chief Judicial Magistrate for few hours, while C.J.M. was on Jail Inspection and it was alleged in the complaint that services of stenographer of Chief Judicial Magistrate, Court were required by Civil Judge (Jr. Div.) for disposal of a bail application on that day. On being enquired by Civil Judge Junior Division, the stenographer was not found to be available and matter was referred to District Judge.

You were on summer vacation between 21.06.2020 to 30.06.2020 and Sh. Subodh Singh was Incharge District Judge for this period. However, you being on summer vacation on date 30.06.2020, sought explanation from the employee concerned. In this connection your attention is invited to following:-

1. You sought an explanation on 30th June, 2020 under your signature, when you were on summer vacation.
2. You have sought explanation from the concerned employee without any authority and capacity to do so on that day.
3. Calling for explanation of an employee is a statutory duty, which can be exercised either by the officer where employee is deputed to work or by District Judge and in the present case neither the employee was deputed to work with you and nor you were incharge District Judge on that day.

The above aspects are drawn to your kind notice, please note.


(Dr. Ajay Kumar-II)
District Judge,
Shamli.

To,

Sh. Rajat Verma
A.D. &S.J. (Rape &POCSO)
Shamli.

Annexure A-36

Court No. - 52

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 25509 of 2018

Applicant :- Mohammad Shadab

Opposite Party :- State Of U.P.

Counsel for Applicant :- Pankaj Kumar Tyagi

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Rajul Bhargava,J.

Heard Sri Pankaj Kumar Tyagi, counsel for the applicant and learned AGA for the State.

The present bail application has been filed by the applicant in Case Crime No. 201 of 2018, u/s 363, 366, 376D IPC and section 3/4 POCSO Act, P.S. Kairana, District Shamli with the prayer for enlarging him on bail.

Having heard learned counsel for the parties and considering the fact that the victim is less than 16 years of age and she has levelled allegation of gang rape against the applicant, I do not find it to be a fit case for enlarging the applicant on bail.

The bail application is, accordingly, rejected.

Order Date :- 23.8.2018

Dhirendra/

किया गया। दिनांक 12.03.2020 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, शामली द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्ष आ०म०शामली को पूर्व तिथियों पर भेजे गये जमानतीय वारंट रू० 10000 का उल्लेख करते हुए पत्र प्रेषित किया गया, जिसके साथ नवीन जमानतीय वारंट रू० 10000 प्रेषित किये गये, तथा 72 घंटों के अन्दर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 12.03.2020 को पारित आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक शामली को भी प्रेषित की गयी। थानाध्यक्ष आ०म०शामली द्वारा दिनांक 14.03.2020 को प्रेषित किये गये अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया गया कि मुकदमा उपरोक्त का अभियुक्त दीपू दिनांक 01.12.2018 से जिला कारागार में निरूद्ध है, जो नियत तिथि पर जिला कारागार से पत्रावली सं० सत्र परीक्षण सं० 79 वर्ष 2019, मु० अ० सं० 349 वर्ष 2018, धारा 363,366,376 भा० द० वि० एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना आ०म०शामली, राज्य प्रति अनुज में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना में उपस्थित होता है, जिसमें दिनांक 19.03.2020 नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद पॉक्सो वाद है ही नहीं, अपितु उक्त पत्रावली मु० अ० सं० 349 वर्ष 2018, धारा 363,366,376 भा० द० वि० एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना आ०म०शामली के सहअभियुक्त दीपू को अव्यस्क घोषित करने के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड, शामली के द्वारा निस्तारित की गयी पत्रावली थी, जिसे पॉक्सो वाद के रूप में प्रविष्ट कर लिया गया है, जबकि उक्त पत्रावली अन्य वाद सं० 79 वर्ष 2019, मु० अ० सं० 349 वर्ष 2018, धारा 363,366,376 भा० द० वि० एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना आ०म०शामली, राज्य प्रति अनुज में केवल सम्मिलित की जानी थी। अभियुक्त के विरूद्ध जमानतीय वारंट जारी करने के समय भी उपरोक्त गम्भीर त्रुटि की ओर पीठासीन अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। उक्त पत्रावली को मूल पत्रावली में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है।

Annexure

A-37

165.

Sd/- Noted for
Compliance
1/2

AW

पॉक्सो वाद संख्या 20/2019, उत्तर प्रदेश राज्य प्रबन्धन आयोग
 धारा 363,366,376 भा0 द0 वि0 एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कैराना :-

166

पी.एस. टी. संख्या 20/2019, सरकार बनाम शादाब, अन्तर्गत धारा 363,366,376डी भा०द०सं० व 5/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना कैराना की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस पत्रावली में आरोप दिनांक 18.02.2019 को विरचित किया गया है और पत्रावली में अभियोजन के पांच साक्षी परीक्षित कराए जा चुके हैं। पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी विदित होता है कि इस पत्रावली में तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त शादाब का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 499/2020 दिनांक 10.06.2020 को तथा सहअभियुक्त जान मौहम्मद का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1018/2020 दिनांक 23.07.2020 स्वीकार किया गया है। उक्त दोनों अभियुक्तगण के ही जमानत प्रार्थनापत्र सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किये जाने के बाद और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के बाद साक्षीगण के पक्षद्रोही होने के आधार पर विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने परिपत्र संख्या 2934/1988 दिनांकित 01.04.1988 द्वारा यह स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत हैं कि यद्यपि सत्र न्यायाधीशों को माननीय उच्च न्यायालय के समान द०प्र०सं० की धारा 439 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र नवीन आधारों पर संघार्य करने का क्षेत्राधिकार है, जब उसका जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में निरस्त हो चुका हो, परन्तु सत्र न्यायाधीशों को अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपवाद की परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और सामान्यतः सत्र न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में, जहाँ जमानत प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हो, स्वयं को दूर रखना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करें।

*Sir Motilal
for compliance*

वाद लिपिक द्वारा निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि इस न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में दाखिल

Annexure A-38

यमालप जीमान A.D.5 (पोम्पो) शाहली

मुठअवता - 201

सत - 2018

सरकाट वनाम शादाब भादि

U/S - 363, 366, 370/PC व 5/6 पोम्पो
अव्य.


PS - कुयना

नकल - आवेडा 10/06/2020

17
15/03/2021



Date of Application. 15/3/21
Date of Notice. 15/3/21
Date of ... 15/3/21
Signature of ...


15/3/2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट),
जनपद शामली स्थित कैराना।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 499/2020
सी.एन.आर. नं. यू.पी.एस.एम. 0100536342020

शादाब पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 सफा कालोनी करबा व धाना कैराना, जिला शामली।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ.प्र. राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।.....विपक्षी।

धारा- 363, 366, 376डी भा.द.सं. व
5/6 पोक्सो अधिनियम।
धाना कैराना, जिला शामली।
मु.अ.सं. 201/2018

10.06.2020

प्रार्थी/अभियुक्त शादाब पुत्र खुर्शीद की ओर से मु.अ.सं. 201/2018,
अन्तर्गत धारा 363, 366, 376डी भा.द.सं. व धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम, धाना कैराना,
जिला शामली में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से
विद्वान अपर शासकीय दाण्डिक न्यायालय में उपस्थित हुए तथा सम्पूर्ण केस डायरी
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त शादाब पर आरोप है कि वह पीड़िता को बहला फुसलाकर ले
गया व उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक का तर्क है कि नाबालिग पीड़िता के
साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है व यदि
उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है व गवाहों पर
दबाव डाल सकता है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक का यह भी तर्क है कि
प्रार्थी/अभियुक्त इस बात को न्यायालय में छिपाकर आया है कि उसका जमानत प्रार्थना
पत्र पूर्व में अपर सत्र न्यायालय व तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निरस्त हो
गया था इसके विरोध में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान
जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 1 व 2 की ओर आकृष्ट किया जिसमें इस तथ्य का
उल्लेख है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायालय व
तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुका है। इस प्रकार
प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य छिपाया नहीं गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है
व उसे मामले में उसे फर्जी तरीके से झूठा फंसाया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है व न्यायालय
द्वारा उस पर संज्ञान लेकर आरोप भी विश्चित किया जा चुका है एवं न्यायालय के समक्ष
कुछ गवाहों के बयान भी अंकित हो चुके हैं। यद्यपि पीड़िता ने पुलिस को दिये गये
बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. व न्यायिक मजिस्ट्रेट को बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.
प्र.सं. में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त पर बलात्कार का
आरोप लगाया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पीड़िता ने अभियोजन
कथानक से पूर्णतः इन्कार किया है वह पक्षद्रोही घोषित हो गयी। इसी प्रकार अभियोजन
पक्ष की ओर प्रस्तुत किये गये गवाह साक्षी पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 3 व पी.डब्लू. 4 ने भी
अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है व उन्हें भी पक्षद्रोही घोषित किया जा
चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.04.2018 से अभिरक्षा में होना बताया गया है।
मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना
जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शादाब पुत्र खुर्शीद को 1,00,000/-रुपये के दो जमानती व
इतनी ही धनराशि का एक स्व बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट)
शामली, स्थित कैराना।

सत्य प्रमाणित
15/3/21

Words..... Book By 15/3/21



Seen

He

11-6-2020

गणपति श्रीमान A.D.ज (पोम्सा) शाहली

क्र.आ.मा. - 201

मा. - 2018

18
15/3/21

सहायक बतल जात भौधमपु शाहि

U/s - 363, 366, 376D IPC बस 16 पोम्सा शाहि

PS - कथना

तल. - भापडा 23/7/2020



Date of Application... 15/3/2021
 Date of Notice... 15/3/2021
 Date of Delivery... 15/03/21
 Signature of I.L.C.....

15/3/2021

18/3/21

170

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट),
जनपद शामली स्थित कैराना।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1018/2020
सी.एन.आर. नं. यू.पी.एस.एम. 010096502020

जान मौहम्मद उर्फ नोनू पुत्र सलमूदीन, निवासी मौ0 उत्तरी रामपुरी गली थाना
, कोतवाली नगर जिला मु0नगर शामली.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ.प्र. राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।.....विपक्षी।

धारा- 363, 366, 376डी भा.द.सं. व
5/6 पोक्सो अधिनियम।
थाना कैराना, जिला शामली।
मु.अ.सं. 201/2018

23.07.2020

प्रार्थी/अभियुक्त जान मौहम्मद उर्फ नोनू पुत्र सलमूदीन, की ओर से
मु.अ.सं. 201/2018, अन्तर्गत धारा 363, 366, 376डी भा.द.सं. व धारा 5/6 पोक्सो
अधिनियम, थाना कैराना, जिला शामली में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से
विद्वान अपर शासकीय दाण्डिक न्यायालय में उपस्थित हुए तथा सम्पूर्ण केस डायरी
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त जान मौहम्मद उर्फ नोनू पर आरोप है कि वह पीड़िता को
बहला फूसलाकर ले गया व उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक का तर्क है कि नाबालिग पीड़िता के
साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है
व यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है व
गवाहों पर दबाव डाल सकता है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष
है व उसे मामले में फर्जी तरीके से झूठा फंसाया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है व
न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लेकर आरोप भी विरचित किया जा चुका है एवं
न्यायालय के समक्ष कुछ गवाहों के बयान भी अंकित हो चुके हैं। यद्यपि पीड़िता ने
पुलिस को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. व न्यायिक मजिस्ट्रेट को बयान
अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए
प्रार्थी/अभियुक्त पर बलात्कार का आरोप लगाया है, किन्तु न्यायालय के समक्ष
उपस्थित होकर पीड़िता ने अभियोजन कथानक से पूर्णतः इन्कार किया है वह पक्षद्रोही
घोषित हो गयी। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर प्रस्तुत किये गये गवाह साक्षी
पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 3 व पी.डब्लू. 4 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं
किया है व उन्हें भी पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। सहअभियुक्त शादाब का
जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2020 को स्वीकार किया जा
चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांकित 27.07.2018 से अभिरक्षा में होना बताया गया है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना
जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जान मौहम्मद उर्फ नोनू पुत्र सलमूदीन, को
1,00,000/-रुपये के दो जमानती व इतनी ही धनराशि का एक स्व बंधपत्र प्रस्तुत
करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

Photo Prepared By
Word 300
15/3/21

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (पोक्सो एक्ट)
शामली, स्थित कैराना।

सदर प्रजापालय

15/03/2021

मु.अ.सं. 201/2018

Annexure A-40

171

1

D.O. No. 23 / P.A.(S) / District Judge / 2021

Dr. Ajay Kumar-II (H.J.S.)

Chamber,
District Judge,
Shamli.
Date: 25.02.2021

Dear Sh. Verma,

During the course of annual inspection of the Court of A.S.J. (POCSO), it surfaced on the record of P.S.T. No. 20/2019 titled State vs. Shadab and another, case crime No. 201/2018 under section 363,366, 376D I.P.C. and section 5/6 POCSO Act, P.S. Kairana, that 2nd Bail Application No. 499/2020 of accused Shadab, in this P.S.T. was entertained by you as the then Presiding Officer of this Court and decided on 10.06.2020. Similarly 2nd Bail Application of co-accused Jaan Mohmmad bearing no. 1018/2020 in the same pending P.S.T. was also entertained by you and decided on 23.07.2020. After going through the material on record, it was found that both the above 2nd 'Bail Applications' have been decided on the ground of hostility, of witnesses of fact. You may be aware that it is settled principle of law that mere hostility of witness is no ground for granting bail.

Accused/aplicant of Bail Application No. 499/2020 has clearly mentioned in para no.1 & 2 of the bail application that his first bail applications were already rejected by the Court of A.S.J. Court No. 8 Muzaffarnagar, thereafter by Hon'ble High Court. A careful perusal of the website of Hon'ble High Court reveals that first bail application of the accused Mohammad Shadab bearing Criminal Misc. Bail Application No. 25509/2018 in aforesaid Crime No. 201/2018 was rejected by Hon'ble High Court on merit on 23.08.2018

Bail order dated 10.06.2020 of Bail Application No. 499/2020 also finds mention of first bail application being rejected by the A.S.J. Court and thereafter by Hon'ble High Court, whereas bail order dated 23.07.2020 even do not find mention that it is a 2nd Bail Application.

The said "Bail Application no. 499/2020" in aforesaid P.S.T. is apprently allowed by you without maintaining Judicial propriety, as held by Hon'ble High Court in Ram Chandra Shukla vs State Of U.P. 1999(11) AWC 2998, wherein Hon'ble High Court has held in para no. 3 and 6 as under

"3. In our opinion, once the High Court rejects bail, the subordinate court has no business to grant bail. It is gross indiscipline and the entire judicial system will be subverted if this is done. All the judicial officers of the subordinate judiciary should realise that the High Court is superior to the subordinate judiciary. Once the High Court has rejected bail, no District and Sessions Judge or Addl. District and Sessions Judge can grant bail. Thus, the petitioner as Addl. District and Sessions Judge has committed gross insubordination by granting bail once the bail had been rejected by the High Court."

AW

“6. Let a copy of this judgment be circulated by the Registrar of this Court to the all District and Sessions Judges and Addl. District and Sessions Judge of the State so that they may know the law on this point that once the High Court rejects bail, the subordinate Judiciary cannot grant bail and it will be treated as a serious misconduct if they do so.”

The Aforesaid Judgment has been circulated vide C.L. No. 23/Alld: Dated 17th September, 1999.

The above legal position and C.L. No. 23 are brought to your Kind notice, please note.


(Dr. Ajay Kumar-II)

District Judge,

Shamli.

25/02/2021

To,

Sh. Rajat Verma
A.D. &S.J. (Rape &POCSO)
Shamli.

प्रेषक:

सुरेन्द्र कुमार, एच.जे.एस.,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय:

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 4733/2018, दिलशाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.02.2018 के अनुपालन में आख्या।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482द0प्र0सं0 क्रमांक 4733/2018 दिलशाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 20.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अनुपालन आख्या छः सप्ताह के भीतर प्रेषित की जानी थी। कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार उपरोक्त आदेश की अनुपालना में कोई आख्या माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित नहीं की गई है और न ही कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है।

यहाँ यह निवेदन किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार स्थानान्तरण होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद शामली में दिनांक 02.03.2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उक्त प्रकरण आते ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आख्या अविलम्ब तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक:-16.03.2021

संलग्नक:

1. अनुपालन आख्या,
2. समझौतानामा की छाया प्रति,
3. शपथ पत्रों की छाया प्रतियां।

भवदीय,
16/03/2021

(सुरेन्द्र कुमार),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

जनपद न्यायाधीश शामली
संख्या... 96 ... दिनांक... 17.03.2021
अवसरान्त

जनपद न्यायाधीश
शामली,

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना, जनपद शामली।

विषय: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 4733/2018, दिलशाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.02.2018 की अनुपालन में अनुपालन आख्या।

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482द0प्र0सं0 कमांक 4733/2018 दिलशाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है:-

"In the facts and circumstances of the case, in this case also it is directed that if any compromise is being filed supported with an affidavit before the trial court, that will be verified by the trial court as per rules and trial court will submit its report within six weeks."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2018 के अनुपालन में इस न्यायालय में लम्बित सत्र परीक्षण सं0 737/2014, मु0अ0सं0 562/2013, सरकार बनाम दिलशाद आदि, अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,323,325,504,506 भा0द0सं0, थाना कैराना, जिला शामली में पक्षकारों की ओर से दाखिल सुलहनामा पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया, जिसे पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया, उनकी तस्दीक उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गयी तथा पक्षकारों की फोटों पहचान का अवलोकन करने के बाद आख्या तैयार की गयी, ऐसा आदेश पारित किया गया।

मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-

"माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 4733/2018, दिलशाद व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.02.2018 के अनुपालन में पक्षकारों की ओर से सुलहनामा दाखिल किया गया। उपरोक्त सुलहनामा पर उपरोक्त सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर/निशानी अगूठा है, जिसे उनके विद्वान अधिवक्तागण ने शिनाख्त की है। उपरोक्त समझौतानामा सभी पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे उन्होंने तस्दीक किया। सुलहनामे के साथ-साथ सभी पक्षकारों ने अपने-अपने शपथ पत्र भी दाखिल किये हैं, जिस पर उनके फोटों भी चस्पा हैं तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त आख्या तैयार की जाती है।"

इस सम्बंध में दिनांक 03.03.2021 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र 19ग इस आशय का दिया गया कि-

Sunanda

“माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना को अभियुक्तगण व वादी के मध्य सुलहनामा उनके अधिवक्ता के द्वारा तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त सुलहनामा दिनांक 16.03.2018 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना द्वारा तस्दीक किया गया था, उसके उपरांत उक्त आदेश की आख्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जानी थी, परन्तु किन्ही कारणवश आदेश की आख्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित नहीं की जा सकी। अतः उक्त सत्र परीक्षण में सुलहनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांकित 16.03.2018 की आख्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये जावे।”

कार्यालय लिपिक की आख्या के अनुसार इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश की अनुपालना में कोई आख्या माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित नहीं की गई और न ही कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.02.2018 के अनुपालन में आख्या तैयार करना अनिवार्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध असल सुलहनामा, जिस पर मुलजिमान व अभियोगी पक्ष के हस्ताक्षर व निशानी अगूँठा लगे हैं, उभयपक्ष के अधिवक्तागण की मोहर व हस्ताक्षर हैं, का अवलोकन किया गया। सुलहनामा में लिखा गया है कि “उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुझ अभियोगी द्वारा अभियुक्तगण दिलशाद आदि के विरुद्ध थाना कैराना में दर्ज कराई गई थी। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तहरीर में मैने गांव में झगड़ा होने की बात लिखाई थी, मौके पर काफी भीड जमा हो गई थी, हमारे कुछ लोगों को चोटें आई थी। उपरोक्त मामले में गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों ने दिनांक 15.11.2017 को अभियोगी पक्ष एवं मुलजिमान के बीच आपसी समझौता करा दिया है और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र नम्बर 4733/2018 अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 प्रस्तुत करके उपरोक्त मुकदमे के सम्बंध में समझौतानामा दाखिल किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समझौतानामा स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष समझौतानामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराने हेतु आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त एस0टी0 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समझौतानामा स्वीकार किया जावे।” सुलहनामा के साथ मोहब्बत अली पुत्र इलयास, इनाम पुत्र कुतबूदीन, राकिब पुत्र मुकरिम, हामिद पुत्र गफूर, हारून पुत्र शकूर, अब्बास उर्फ बासा पुत्र जहूर, दिलशाद पुत्र शोखा, इरफान पुत्र हनीफ, सदाकत पुत्र हनीफ, शराफत पुत्र हनीफ, मैसर पुत्र हबीब, तसव्वर पुत्र असगर, अमजद पुत्र असगर, वैशर पुत्र हनीफ, सरवर पुत्र तसव्वर, मनव्वर पुत्र शोखा, बाकर पुत्र कौशर, इश्तकार पुत्र कौशर एवं नासिर पुत्र हबीब के शपथ पत्र मय फोटों चस्पा तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध है। सभी के शपथ पत्रों में भी सुलहनामा के कथनों को दोहराया गया है। मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त सुलहनामा सभी पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व

S. S. S.

समझाया गया तथा तस्दीक किया गया है। सभी शपथ पत्रों पर उनके फोटों भी चस्पा है तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न हैं। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने खुले न्यायालय में समझौता होने का कथन किया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस पत्रावली में अभियोजन की ओर से पूर्व में मात्र दो साक्षीगण पी0डब्लू0-1 मोहब्बत अली एवं पी0डब्लू0-2 इनाम को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया, लेकिन अब सुलहनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा शपथ पत्र भी दिए गए हैं।

यहाँ यह भी निवेदन किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार स्थानान्तरण होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.03.2021 को जनपद शामली में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अनुपालन आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-16.03.2021

भवदीय,
16/03/2021
(सुरेन्द्र कुमार),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

Contac

09936660277

176

07398444662

पवन कुमार मिश्र

(P. K. MISHRA)

एडवोकेट

हाईकोर्ट इलाहाबाद

चैम्बर नं०: 41.H, हाईकोर्ट इलाहाबाद

निवास / कार्यालय

182B /3C, Chack Lal Mohammad,

Naini Alld

(Near Inter National Academy) Naini

C.M.W.P / F.A.F.O / C.R / Bail / Cr. Misc Application / Cr. M.W.P / No. 4733 of 2018

DISTRICT...Shanli.....

Dilshad and 11 others.....

Petitioner / Applicant

VERSUS

State & U.P. and others.....

Respondent / Defendant

Order Dated: 20/02/18.....



Court No. - 11

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 4733 of 2018
 Applicant :- Dilshad And 11 Ors
 Opposite Party :- State Of U.P. And Another
 Counsel for Applicant :- Pavan Kumar Mishra
 Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Abhai Kumar.J.

1200
3
 Heard learned counsel for the applicants as well as learned AGA for the State and perused the record.

This petition has been filed with the prayer to quash the entire proceedings of Session Trial No. 737 of 2014 arising out of Case Crime No. 562 of 2013 in pursuance of compromise dated 15.11.2017, under Sections 147, 148, 149, 307, 325, 323, 504, 506 IPC, Police Station - Kairana, District - Shamli pending in the court of learned A.D.J. Ist, Kairana, District-Shamli and further prayed to stay the proceedings of the aforesaid case.

It is submission of the learned counsel that cross case was also filed by the opposite party no. 2 and in that case also a petition has been filed being Application U/S 482 No. 5003 of 2018, wherein a direction was issued to the lower court to get the compromise verified.

In the facts and circumstances of the case, in this case also it is directed that if any compromise is being filed supported with an affidavit before the trial court, that will be verified by the trial court as per rules and trial court will submit its report within six weeks.

Till the next date of listing, further proceedings against the applicants in Session Trial No. 737 of 2014 arising out of Case Crime No. 562 of 2013, under Sections 147, 148, 149, 307, 325, 323, 504, 506 IPC, Police Station - Kairana, District - Shamli pending in the court of learned A.D.J. Ist, Kairana, District-Shamli shall remain stayed.

The office is directed to send a copy of this order to the court concerned within a week for ensuring its compliance.

Connect and list with Application U/S 482 No. 5003 of 2018 before the appropriate bench.

The case will not be treated as tied up or part heard to this bench.

Order Date :- 20.2.2018
 Ranjeet Sahu

AUTHENTICATED COPY
 SECTION OFFICER
 COMPUTERISED COPYING SECTION
 HIGH COURT ALLAHABAD

Back of (177)



Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line



Embossing to be done above this line



Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No. of Pages
50225 of 2018	23.2.2018	A482	4733	2018	Allahabad	20.2.2018	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- Name :- Jayant Kumar Singh Rana Designation :- Review Officer Employee No. :- E10606 Date of Printing:- 24.2.2018	Signature :- Name :- R. K. Gupta Designation :- Section Officer Employee No. :- 3265 Authenticated Copy ready on:-	26 FEB 2018

24 FEB 2018

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.
In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

178

?Court No. - 11

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 4733 of 2018

Applicant :- Dilshad And 11 Ors

Opposite Party :- State Of U.P. And Another

Counsel for Applicant :- Pavan Kumar Mishra

Counsel for Opposite Party :- G.A.

1720
4

Hon'ble Abhai Kumar,J.

Heard learned counsel for the applicants as well as learned AGA for the State and perused the record.

This petition has been filed with the prayer to quash the entire proceedings of Session Trial No. 737 of 2014 arising out of Case Crime No. 562 of 2013 in pursuance of compromise dated 15.11.2017, under Sections 147, 148, 149, 307, 325, 323, 504, 506 IPC, Police Station - Kairana, District - Shamli pending in the court of learned A.D.J. Ist, Kairana, District-Shamli and further prayed to stay the proceedings of the aforesaid case.

It is submission of the learned counsel that cross case was also filed by the opposite party no. 2 and in that case also a petition has been filed being Application U/S 482 No. 5003 of 2018, wherein a direction was issued to the lower court to get the compromise verified.

In the facts and circumstances of the case, in this case also it is directed that if any compromise is being filed supported with an affidavit before the trial court, that will be verified by the trial court as per rules and trial court will submit its report within six weeks.

Till the next date of listing, further proceedings against the applicants in Session Trial No. 737 of 2014 arising out of Case Crime No. 562 of 2013, under Sections 147, 148, 149, 307, 325, 323, 504, 506 IPC, Police Station - Kairana, District - Shamli pending in the court of learned A.D.J. Ist, Kairana, District-Shamli shall remain stayed. ♦

The office is directed to send a copy of this order to the court concerned within a week for ensuring its compliance.

Connect and list with Application U/S 482 No. 5003 of 2018 before the appropriate bench.

The case will not be treated as tied up or part heard to this bench.

Order Date :- 20.2.2018

Ranjeet Sahu

Visit <http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do> for more Judgments/Orders delivered at Allahabad High Court and Its Bench at Lucknow. **Disclaimer**

प्रेषक:

सुरेन्द्र कुमार, एच.जे.एस.,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय:

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 5003/2018, इनाम आदि बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2018 के अनुपालन में
आख्या।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482द0प्र0सं0 क्रमांक
5003/2018 इनाम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 16.02.2018 को माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अनुपालन आख्या छः सप्ताह के भीतर प्रेषित की जानी थी।
कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार उपरोक्त आदेश की अनुपालना में कोई आख्या माननीय उच्च
न्यायालय प्रेषित नहीं की गई है और न ही कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है।

यहाँ यह निवेदन किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के
आदेशानुसार स्थानान्तरण होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद शामली में दिनांक 02.03.2021 को
कार्यभार ग्रहण किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उक्त प्रकरण आते ही माननीय उच्च
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आख्या अविलम्ब तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या माननीय न्यायालय के
समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक:-16.03.2021

संलग्नक:

1. अनुपालन आख्या,
2. समझौतानामा की छाया प्रति,
3. शपथ पत्रों की छाया प्रतियां।

भवदीय, सुरेन्द्र कुमार
16/03/2021

(सुरेन्द्र कुमार),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश शामली
संख्या 97 दिनांक 17.03.2021
अप्रसारित

जनपद न्यायाधीश
शामली

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना, जनपद शामली।

विषय: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 5003/2018, इनाम आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2018 की अनुपालन में आख्या।

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482द0प्र0सं0 क्रमांक 5003/2018 इनाम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-

"In the facts and circumstances of the case, in case any such compromise application supported with an affidavit is filed, the trial court, after due verification of signatures and photographs of both the sides shall submit its report within six weeks."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.02.2018 के अनुपालन में इस न्यायालय में लम्बित सत्र परीक्षण सं0 1109/2014, मु0अ0सं0 563/2013, सरकार बनाम इनाम आदि, अन्तर्गत धारा 147,148,149,323,324,504,506 भा0द0सं0, थाना कैराना, जिला शामली में पक्षकारों की ओर से दाखिल सुलहनामा पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया, जिसे पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया, उनकी तस्दीक उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गयी तथा पक्षकारों की फोटो पहचान का अवलोकन करने के बाद आख्या तैयार की गयी, ऐसा आदेश पारित किया गया।

मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-

"माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 संख्या 5003/2018 इनाम आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2018 के अनुपालन में पक्षकारों की ओर से सुलहनामा दाखिल किया गया। उपरोक्त सुलहनामा पर उपरोक्त सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर/निशानी अगूठा है, जिन्हें उनके विद्वान अधिवक्तागण ने शिनाख्त किया है। उपरोक्त समझौतानामा सभी पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे उन्होंने तस्दीक किया। सुलहनामे के साथ-साथ सभी पक्षकारों ने अपने-अपने शपथ पत्र भी दाखिल किये हैं, जिस पर उनके फोटों भी चस्पा हैं तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्त आख्या तैयार की जाती है।"

इस सम्बंध में दिनांक 03.03.2021 को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र 23ग इस आशय का दिया गया कि-



“उपरोक्त सत्र परीक्षण में पक्षगणों के मध्य समझौता हो गया था और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में पक्षकारों का समझौतानामा तस्दीक करके माननीय न्यायालय द्वारा आख्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजी जानी थी। अतः उक्त सत्र परीक्षण में पक्षकारों का समझौता तस्दीक होने की आख्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये जावे।”

कार्यालय लिपिक की आख्या के अनुसार इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश की अनुपालना में कोई आख्या माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित नहीं की गई और न ही कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.02.2018 के अनुपालन में आख्या तैयार करना अनिवार्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध असल सुलहनामा, जिस पर मुलजिमान व अभियोगी पक्ष के हस्ताक्षर व निशानी अगूँठा लगे हैं, उभयपक्ष के अधिवक्तागण की मोहर व हस्ताक्षर हैं, का अवलोकन किया गया। सुलहनामा में लिखा गया है कि “उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुझ अभियोगी द्वारा अभियुक्तगण इनाम आदि के विरुद्ध थाना कैराना में गय्यूर पुत्र हनीफ द्वारा तहरीर लिखवाकर दर्ज कराई गई थी। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तहरीर में मैने गांव में झगड़ा होने की बाबत लिखाई थी, मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, हमारे कुछ लोगों को चोटें आई थी। उपरोक्त मामले में गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों ने दिनांक 15.11.2017 को अभियोगी पक्ष एवं मुलजिमान के बीच आपसी समझौता करा दिया है और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र नम्बर 5003/2018 अन्तर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 का प्रस्तुत करके उपरोक्त मुकदमे के सम्बंध में समझौतानामा दाखिल किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समझौतानामा स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष समझौतानामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराने हेतु आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त एस0टी0 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समझौतानामा स्वीकार किया जावे।” सुलहनामा के साथ इनाम पुत्र कुतबूदीन, शब्बीर पुत्र अलीवाज, रूफला पुत्र अलीवाज, अफरून पुत्र रूफला, मोहम्मद अली पुत्र इलियास, नबाब पुत्र कामिल, इरफान पुत्र गफूर, शरीफ पुत्र रोशन, तहसीन पुत्र जहूरा, मुबारिक पुत्र अलीशेर, हारून पुत्र शकूर, मेहरबान पुत्र यामीन, मुकरिम पुत्र शफी, राकिब पुत्र मुकरिम, अफसर पुत्र इस्लाम, अनवर पुत्र किताबू, राशिद पुत्र मुकरिम, अलीजंग पुत्र नियाज हसन, वैशर पुत्र हनीफ, तसव्वर पुत्र असगर, मैसर पुत्र हबीब, दिलशाद पुत्र शौखा एवं कोशर पुत्र हबीब के शपथ पत्र मय फोटों चस्पा तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध है। सभी के शपथ पत्रों में भी सुलहनामा के कथनों को दोहराया गया है। मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त सुलहनामा सभी पक्षकारों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया तथा तस्दीक किया गया है। सभी शपथ पत्रों पर उनके फोटों भी चस्पा है तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न हैं। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने खुले न्यायालय में समझौता होने का कथन किया है। यहाँ यह भी

Signature

उल्लेखनीय है कि इस पत्रावली में अभियोजन की ओर से पूर्व में मात्र दो साक्षीगण पी0डब्लू0-1 बैशर पुत्र हनीफ एवं पी0डब्लू0-2 तसव्वर पुत्र असगर को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया, लेकिन अब सुलहनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा शपथ पत्र भी दिए गए हैं।

यहाँ यह भी निवेदन किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार स्थानान्तरण होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.03.2021 को जनपद शामली में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अनुपालन आख्या माननीय न्यायालय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-16.03.2021

भवदीय,
16/03/2021

(सुरेन्द्र कुमार),
अपर सत्र न्यायाधीश,
कैराना, जिला शामली।

Contact No-09936660277

07398444662

183.

पवन कुमार मिश्र

(P. K. MISHRA)

एडवोकेट

हाईकोर्ट इलाहाबाद

चैम्बर नं०: 41.H, हाईकोर्ट इलाहाबाद

निवास / कार्यालय

182B /3C, Chack Lal Mohammad,

Naini Alld

(Near Inter National Academy) Naini

C.M.W.P./F.A.F.O./C.R./Bail/ Cr. Misc Application/Gr.M.W.P/ No..5003..of 2018

DISTRICT....Shamli.....

Enam and othrs


Petitioner / Applicant

VERSUS

State of U.P. and othrs

Respondent / Defendant

Order Dated: ...16/02/18.....



Court No. - 52

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 5003 of 2018

Applicant :- Enam And 17 Ors
Opposite Party :- State Of U.P. And Anr
Counsel for Applicant :- Sushil Ojha
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Rajul Bhargava, J.

Vakalatnama filed by Sri Pawan Kumar Mishra on behalf of complainant/opposite party no.2 is taken on record.

It is contended by learned counsel for the applicants that the parties shall filed joint compromise affidavit before the court concerned.

In the facts and circumstances of the case, in case any such compromise application supported with an affidavit is filed, the trial court after due verification of signatures and photographs of both the sides shall submit its report within six weeks.

List this case on 16th of April, 2018.

Till the next date of listing, further proceedings against the applicants in Sessions Trial No.1109 of 2014 (State Versus Enam and others) arising out of Case Crime No.563 of 2013 under Sections 147, 148, 149, 307, 452, 436, 427, 504 and 506 I.P.C., Police Station Kairana, District Shamli, pending in the court of Additional District Judge-1st, Shamli shall remain stayed.

The office is directed to send a copy of this order to the court concerned within a week's for ensuring its compliance.


Order Date :- 16.2.2018
MN/-

AUTHENTICATED COPY
M. Sushil Ojha
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD

Back of 184.



Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line





Embossing to be done above this line



Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No. of Pages
50223 of 2018	23.2.2018	A482	5003	2018	Allahabad	16.2.2018	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :-  Name :- Jayant Kumar Singh Rana Designation :- Review Officer Employee No. :- E10606 Date of Printing :- 24.2.2018	Signature :-  Name :- S. K. Ratnakar Designation :- Section Officer Employee No. :- 4023 Authenticated Copy ready on:-	26 FEB 2018

24 FEB 2018

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.
In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 52

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 5003 of 2018

Applicant :- Enam And 17 Ors
Opposite Party :- State Of U.P. And Anr
Counsel for Applicant :- Sushil Ojha
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Rajul Bhargava,J.

Vakalatnama filed by Sri Pawan Kumar Mishra on behalf of complainant/opposite party no.2 is taken on record.

It is contended by learned counsel for the applicants that the parties shall filed joint compromise affidavit before the court concerned.

In the facts and circumstances of the case, in case any such compromise application supported with an affidavit is filed, the trial court after due verification of signatures and photographs of both the sides shall submit its report within six weeks. List this case on 16th of April, 2018.

Till the next date of listing, further proceedings against the applicants in Sessions Trial No.1109 of 2014 (State Versus Enam and others) arising out of Case Crime No.563 of 2013 under Sections 147, 148, 149, 307, 452, 436, 427, 504 and 506 I.P.C., Police Station Kairana, District Shamli, pending in the court of Additional District Judge-1st, Shamli shall remain stayed.

The office is directed to send a copy of this order to the court concerned within a week's for ensuring its compliance.

Order Date :- 16.2.2018

MN/-

Visit <http://egalix.allahabadhighcourt.in/egalix/StartWebSearch.do> for more Judgments/Orders delivered at Allahabad High Court and Its Bench at Lucknow. Disclaimer

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

Order No. 05/ A.O. -2021-

Date- 02-01-2021

प्रशासनिक आदेश

श्री रजत वर्मा, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली द्वारा दिनांक 04.03.2020 को अपने पत्र के माध्यम से विशेष सत्र परीक्षण संख्या 2857/2018 सरकार बनाम दर्शन, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना झिझाना की पत्रावली के गुम हो जाने को लेकर, उनके यहाँ तैनात पूर्व लिपिक श्री कैलाश चन्द पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किये जाने पर, तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांकित 17.03.2020 द्वारा उक्त प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच संस्थित करते हुए उन्हें जाँच अधिकारी नियुक्त कर अपनी आख्या दस दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किए गए। जाँच अधिकारी श्री रजत वर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.01.2021 प्रस्तुत कर उक्त जाँच में साक्षी के उपस्थित न होने के कारण जाँच पूर्ण न हो पाने पर, उक्त जाँच को पूर्ण करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कैलाश चन्द इसी माह की 31 तारीख अर्थात् 31.01.2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री कैलाश चन्द द्वारा पूर्व में जाँच अधिकारी के साथ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कैराना में कार्य किया जाना भी बताया गया है।


जाँच अधिकारी द्वारा बताया गया है कि श्री कैलाश चन्द को बयान हेतु नोटिस प्रेषित किए गए थे, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जाँच पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस जाँच पत्रावली में केवल मात्र श्री कैलाश चन्द को दिनांक 06.11.2020, 25.11.2020 व दिनांक 17.12.2020 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, इससे पूर्व किसी अन्य कर्मचारी का साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु या कोई अन्य तथ्य संकलित किए जाने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है और न ही कोई नवीन तथ्य अभी तक संकलित किया गया है।

किसी भी विभागीय प्रारम्भिक जाँच का उद्देश्य मात्र तथ्यों का संकलन किया जाना होता है, जिससे नियमानुसार विभागीय जाँच किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो सके।

श्री कैलाश चन्द, जिन्हें वर्तमान में सिविल जज जू०डि०, त्वरित न्यायालय मुजफ्फरनगर में पेशकार के तौर पर कार्यरत होना बताया गया है, की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2021 है और इस पृष्ठभूमि में यह अत्यन्त आवश्यक था/है कि उक्त प्रारम्भिक जाँच बिना किसी देरी के अत्यधिक तत्परता के साथ पूर्ण की जाती, जिससे उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारम्भिक जाँच के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी है, तो वह कार्यवाही उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व ही नियमानुसार की जा सके। यदि उक्त प्रारम्भिक जाँच को पूर्ण करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया जाता है, तो निःसन्देह उक्त प्रारम्भिक जाँच उक्त कर्मचारी श्री कैलाश चन्द की सेवानिवृत्ति के बाद ही पूर्ण होगी और ऐसी स्थिति में नियमानुसार (सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए के अनुसार) उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई नियमित विभागीय कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः इन परिस्थितियों में यह प्रारम्भिक जाँच वर्तमान जाँच अधिकारी श्री रजत वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) शामली से वापस लेकर श्री मुमताज अली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), शामली को नवीन जाँच अधिकारी नियुक्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वे एक सप्ताह के अन्दर इस प्रारम्भिक जाँच को पूर्ण कर अपनी आख्या प्रशासनिक कार्यालय में नियमानुसार उपलब्ध करवावे।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।


(डा० अजय कुमार)

जनपद न्यायाधीश,

शामली।

02/01/2021

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।


विषय:-

प्रारम्भिक जाँच आख्या संख्या 02/2020 व प्रारम्भिक जाँच संख्या 05/2020 पूर्ण किये जाने हेतु समय की याचना हेतु।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उपरोक्त दोनों प्रारम्भिक जाँच मेरे न्यायालय में लम्बित है, किन्तु साक्षी के उपस्थित न होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों जाँच पूर्ण कर के माननीय महोदय को प्रेषित करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने की कृपा करें।



(रजत वर्मा)

जाँच अधिकारी,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(रेप एवं पॉक्सो) शामली।

O. to
Report regarding
retirement date of
Sh. Kailash Chandra
दिनांक:- 01/01/2021

Ripat

माननीय महोदय,

सादर प्रार्थना है कि प्रभारी
प्रशासनिक मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत
कराया गया है कि उपरोक्त दोनों जाँच
में प्रभारी कर्मचारी श्री कैलाशचंद्र की
सेवानिवृत्ति दि. 31.01.2021 को होनी है।
रिपोर्ट सादर सेवा में प्रस्तुत है।



Admin Officer
District Court, Shamli

o/c

प्रेषक,

डा० अजय कुमार,
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद शामली।

प्रेषित,

श्री रजत वर्मा,
जांच अधिकारी/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(रिप एंड पॉक्सो) शामली।

पत्रांक:

02/A.O./LDB 2021/D.J. Shamli, Dated: 01-01-2021

विषय:

प्रारम्भिक जांच सं० 01/2020 एवं 05/2020 की अद्यतन कार्यवाही/स्थिति की सूचना प्रेषित करने हेतु

महोदय,

उपरोक्त प्रारम्भिक जांच संख्या 01 वर्ष 2020, एवं 05 वर्ष 2020 आपके न्यायालय में लंबित है, जिन्हे पूर्ण कर आख्या प्रेषण करने हेतु आपके द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय चाहा गया है।

उक्त सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त दोनो प्रारम्भिक जांच संख्या 01 वर्ष 2020, एवं 05 वर्ष 2020 में अभी तक पूर्ण की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(डा० अजय कुमार)
जनपद न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।

प्रेषक,

रजत वर्मा
जाँच अधिकारी/
अपर जिला जज (रेप एवं पॉक्सो),
शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शामली।

विषय:-


प्रारम्भिक जाँच संख्या 02/2020 एवं 05/2020 की अद्यतन
कार्यवाही/स्थिति की सूचना प्रेषित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय महोदय द्वारा वांछित आख्या हेतु अद्यतन कराना है कि उक्त दोनों जाँच में श्री कैलाश चन्द्र (जो वर्तमान में जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के पद पर तैनात हैं) को ब्याज हेतु नोटिस प्रेषित किए गए थे किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए हैं। उपरोक्त दोनों मामलों में दिनांक 02.01.2021 उनकी उपस्थिति हेतु नियत है।

आख्या माननीय महोदय के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत की जाती है।

भवदीय



(रजत वर्मा)

जाँच अधिकारी/
अपर जिला जज,

(रेप एवं पॉक्सो) शामली।

दिनांक:- 01-01-2021

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

Order No. 06/ A.O. -2021-

Date- 02-01-2021

प्रशासनिक आदेश


प्रशासनिक आदेश संख्या 271/ए.ओ. दिनांकित 21.10.2020 के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 402/2016 राज्य प्रति हारून आदि अन्तर्गत धारा 307 भा०द०सं०, थाना कैराना निर्णीत दिनांकित 03.04.2019, की पत्रावली को अभिलेखागार दाखिल किये जाने के समय असल निर्णय संलग्न न होने के कारण उक्त पत्रावली को अभिलेखागार दाखिल करने वाले श्री कैलाश चन्द के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच संस्थित करते हुए श्री सुबोध सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. शामली को जाँच अधिकारी नियुक्त कर पन्द्रह दिवस के अन्दर अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था और उक्त जाँच अधिकारी के अर्जित अवकाश पर जाने के कारण उक्त जाँच को प्रशासनिक आदेश संख्या 277/ए.ओ. दिनांकित 27.10.2020 के द्वारा श्री रजत वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो), शामली के न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया गया था और श्री रजत वर्मा को अपनी आख्या पन्द्रह दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। जाँच अधिकारी श्री रजत वर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.01.2021 प्रस्तुत कर उक्त जाँच में साक्षी के उपस्थित न होने के कारण जाँच पूर्ण न हो पाने पर, उक्त जाँच को पूर्ण करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कैलाश चन्द इसी माह की 31 तारीख अर्थात् 31.01.2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री कैलाश चन्द द्वारा पूर्व में जाँच अधिकारी के साथ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कैराना में कार्य किया जाना भी बताया गया है।

जाँच अधिकारी द्वारा बताया गया है कि श्री कैलाश चन्द को बयान हेतु नोटिस प्रेषित किए गए थे, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जाँच पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस जाँच पत्रावली में केवल मात्र श्री कैलाश चन्द को दिनांक 06.11.2020, 25.11.2020 व दिनांक 17.12.2020 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, किसी अन्य कर्मचारी का साक्ष्य अभिलिखित किये जाने हेतु या कोई अन्य तथ्य संकलित किए जाने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है और न ही कोई नवीन तथ्य अभी तक संकलित किया गया है।

किसी भी विभागीय प्रारम्भिक जाँच का उद्देश्य मात्र तथ्यों का संकलन किया जाना होता है, जिससे नियमानुसार विभागीय जाँच किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो सके। श्री कैलाश चन्द, जिन्हें वर्तमान में सिविल जज जू०डि०, त्वरित न्यायालय मुजफ्फरनगर में पेशकार के तौर पर कार्यरत होना बताया गया है, की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2021 है और इस पृष्ठभूमि में यह अत्यन्त आवश्यक था/है कि उक्त प्रारम्भिक जाँच बिना किसी देरी के अत्यधिक तत्परता के साथ पूर्ण की जाती, जिससे उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारम्भिक जाँच के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी है, तो वह कार्यवाही उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व ही नियमानुसार की जा सके। यदि उक्त प्रारम्भिक जाँच को पूर्ण करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया जाता है, तो निःसन्देह उक्त प्रारम्भिक जाँच उक्त कर्मचारी श्री कैलाश चन्द की सेवानिवृत्ति के बाद ही पूर्ण होगी और ऐसी स्थिति में नियमानुसार (सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए के अनुसार) उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई नियमित विभागीय कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः इन परिस्थितियों में यह प्रारम्भिक जाँच वर्तमान जाँच अधिकारी श्री रजत वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) शामली से वापस लेकर श्री मुमताज अली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), शामली को नवीन जाँच अधिकारी नियुक्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वे एक सप्ताह के अन्दर इस प्रारम्भिक जाँच को पूर्ण कर अपनी आख्या प्रशासनिक कार्यालय में नियमानुसार उपलब्ध करवावें।

समस्त सम्बन्धित सूचित हो।


(डा० अजय कुमार)

जनपद न्यायाधीश,

शामली।

02/01/2021

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 327/A.O. -2020-

Date-11-12-2020

ORDER

Shri Vishal Kesarwani, Process Server {under suspension} has joined as a class IV employee of this judgeship on 23-03-2019 under **Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013** and is under **probation for a period of two years.**

Shri Vishal Kesarwani on his arrest in case crime number 02/ 2020 under section 354 B I.P.C. & 7/8 POCSO, Act was put under suspension vide Administrative Order No. 215/A.O. dated 03-09-2020.

Shri Vishal Kesarwani after his release on bail in the said crime number, submitted his joining on 24th of November, 2020, who was allowed suspension allowance vide Administrative Order No. 299/A.O. dated 24-11-2020.

A report was called from the Administrative Committee of the Judgeship as to whether the employee has discharged his service during the period of his probation satisfactorily and the Administrative Committee has submitted it's report dated 9th of December, 2020.

I have carefully gone through the entire service record of Shri Vishal Kesarwani as well as the report of the Administrative Committee and following facts emerges :-

1. The then District Judge after going through the report dated 06-01-2020 of the then Officer Incharge, Nazarat regarding unauthorised absence of Sh. Vishal Kesarwani from duty as Chowkidar on 30th December, 2019, issued a warning in writing dated 14-01-2020 finding him negligent as well as careless in performance of his official duties.
2. The then Officer Incharge Nazarat while recording his annual remarks for the year 2019-2020 has not certified the integrity of Shri Vishal Kesarwani and also recorded the fact of his coming late on duty, which remarks were also confirmed by the then District Judge.
3. The Officer Incharge Nazarat for the period 1st April, 2020 to 10th August, 2020 in his report dated 31st October, 2020 has also informed that he has found the employee negligent in performing his duties.
4. An FIR as case crime number 02/ 2020 under section 354 B I.P.C. & 7/8 POCSO Act, P.S. Kairana, District Shamli was registered against Shri Vishal Kesarwani for an incident pertaining to a minor girl within the premises of District Court Complex, when the Court was closed for sanitization and he was arrested in connection with the said crime in which after recording of statement of victim under section 164 Cr.P.C. and completion of investigation Charge sheet has been filed against him in the competent Court of law.

Sd/-
D.J.

-2-

5. A minor punishment of stoppage of one increments for two years along-with a censure has also been awarded to him in connection with theft of battery and wire of generator set in the intervening night of 1st and 2nd December, 2020, vide Administrative Order No. 315/ A.O. - 2020 Dated 04-12-2020.

6. The Administrative Committee of District Court, Shamli after considering the entire service record of Shri Vishal Kesarwani has found him unsuitable for Government Service. Tentatively agreeing with the report of the Administrative Committee, the undersigned has also gone through the entire service record of the employee.

From the above facts and series of events, it is apparent that Shri Vishal Kesarwani has failed to maintain the minimum standard of suitability for retention in service as a class IV employee under the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013.

The relevant rules regarding Probation and Discharge of a Probationer under the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 reads as under :-

19. Probation-

(1) All appointments to the Service by direct recruitment shall be on probation for the period of two years.

(2) All appointments by promotion shall be on probation basis for a period of two years.

(3) The period of probation for reasons to be recorded in writing, may be extended by the appointing authority by such period not exceeding the period of probation specified in sub-rule (1) or (2). (4) At the end of period of probation or the extended period of probation the appointing authority shall consider the suitability of the person so appointed or promoted to hold the post to which he was appointed or promoted, and- (i) if it decides that he is suitable to hold the post to which he was appointed or promoted and has passed the examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation it shall, as soon as possible, issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation and such an order shall have effect from the date of expiry of the period of probation, including extended period, if any, as the case may be. (ii) if the appointing authority considers that the person is not suitable to hold the post to which he was appointed or promoted, as the case may be, he shall by order- (a) If he is a promotee, revert him to the post which he held prior to his promotion. (b) If he is a probationer, discharge him from service;

(5) A person shall not be considered to have satisfactorily completed the period of probation unless a specific order to that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily completed the period of probation.

20. Discharge of a probationer during the period of probation:-

(1) Notwithstanding anything contained in rule 19, the appointing authority may, at any time during the period of probation, discharge from service, a probationer on account of his unsuitability for the service.

Sd/-
D.S.

-3-

(2) An order under sub-rule (1) shall indicate the grounds for the discharge but no disciplinary inquiry shall be necessary.

Shri Vishal Kesarwani, Process Server is found to be unsuitable to continue and retain in Government job under Rule 20(1) of the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 and hence by exercising the power under said rule, the services of Shri Vishal Kesarwani are hereby discharged simpliciter with immediate effect and he be informed accordingly.

Inform all concerned.

Date: 11th December ,2020

Sd/-
(Dr. Ajay Kumar-II)
District Judge / Competent Authority
Shamli at Kairana.

Copy for information and necessary action to:-

1. Account Section, Judgeship Shamli
2. Nazarat Section, Judgeship Shamli
3. Computer Section, Judgeship Shamli
4. Employee concerned

By Order

 11.12.2020

(Lalit Shyam)
Administrative. Officer
District Court, Shamli

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 328/A.O. -2020-

Date-11-12-2020

ORDER

Shri Ashwani Kumar, Process Server {under suspension} has joined as a class IV employee of this judgeship on 19-03-2019 under **Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013** and is under **probation for a period of two years.**

Shri Ashwani Kumar on his arrest in case crime number 02/ 2020 under section 354 B I.P.C. & 7/8 POCSO, Act was put under suspension vide Administrative Order No. 216/A.O. dated 03-09-2020.

Shri Ashwani Kumar after his release on bail in the said crime number, submitted his joining on 24th of November, 2020, who was allowed suspension allowance vide Administrative Order No. 300/A.O. dated 24-11-2020.

A report was called from the Administrative Committee of the Judgeship as to whether the employee has discharged his service during the period of his probation satisfactorily and the Administrative Committee has submitted it's report dated 9th of December, 2020.

I have carefully gone through the entire service record of Shri Ashwani Kumar as well as the report of the Administrative Committee and following facts emerges :-

1. An FIR as case crime number 02/ 2020 under section 354 B I.P.C. & 7/8 POCSO Act, P.S. Kairana, District Shamli was registered against Shri Ashwani Kumar for an incident pertaining to a minor girl within the premises of District Court Complex, when the Court was closed for sanitization and he was arrested in connection with the said crime in which after recording of statement of victim under section 164 Cr.P.C. and completion of investigation Charge sheet has been filed against him in the competent Court of law.

2. The Administrative Committee of District Court, Shamli after considering the entire service record of Shri Ashwani Kumar has found him unsuitable for Government Service. Tentatively agreeing with the report of the Administrative Committee, the undersigned has also gone through the entire service record of the employee.

From the above facts and series of events, it is apparent that Shri Ashwani Kumar has failed to maintain the minimum standard of suitability for retention in service as a class IV employee under the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013.

Sd/-
D.J.

-2-

The relevant rules regarding Probation and Discharge of a Probationer under the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 reads as under :-

19. Probation-

(1) All appointments to the Service by direct recruitment shall be on probation for the period of two years.

(2) All appointments by promotion shall be on probation basis for a period of two years.

(3) The period of probation for reasons to be recorded in writing, may be extended by the appointing authority by such period not exceeding the period of probation specified in sub-rule (1) or (2). (4) At the end of period of probation or the extended period of probation the appointing authority shall consider the suitability of the person so appointed or promoted to hold the post to which he was appointed or promoted, and- (i) if it decides that he is suitable to hold the post to which he was appointed or promoted and has passed the examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation it shall, as soon as possible, issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation and such an order shall have effect from the date of expiry of the period of probation, including extended period, if any, as the case may be. (ii) if the appointing authority considers that the person is not suitable to hold the post to which he was appointed or promoted, as the case may be, he shall by order- (a) If he is a promotee, revert him to the post which he held prior to his promotion. (b) If he is a probationer, discharge him from service;

(5) A person shall not be considered to have satisfactorily completed the period of probation unless a specific order to that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily completed the period of probation.

20. Discharge of a probationer during the period of probation:-

(1) Notwithstanding anything contained in rule 19, the appointing authority may, at any time during the period of probation, discharge from service, a probationer on account of his unsuitability for the service.

(2) An order under sub-rule (1) shall indicate the grounds for the discharge but no disciplinary inquiry shall be necessary.

Shri Ashwani Kumar, Process Server is found to be unsuitable to continue and retain in Government job under Rule 20(1) of the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 and hence by exercising the power under said rule, the services of Shri Ashwani Kumar are hereby discharged simpliciter with immediate effect and he be informed accordingly.

Inform all concerned.


Date: 11th December ,2020

Sd/-
(Dr. Ajay Kumar-II)
District Judge / Competent Authority
Shamli at Kairana.

Copy for information and necessary action to:-

1. Account Section, Judgeship Shamli
2. Nazarat Section, Judgeship Shamli
3. Computer Section, Judgeship Shamli
4. Employee concerned

By Order

 11.12.2020

(Lalit Shyam)
Administrative. Officer
District Court, Shamli

Annexure A-47

196

प्रेषक,

राजमंगल सिंह यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद, शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद, शामली।


विषय- आवास आवंटन के सम्बंध में।

महोदय,


सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी वर्तमान में आवंटित आवास सं. जे-3 जजेज कालोनी कैराना, शामली में रह रहा है। वर्तमान में नगर पालिका शामली द्वारा न्याय विभाग को आवंटित एक आवास शामली में खाली है। जिसमें प्रार्थी रहने का इच्छुक है। माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के लिये वर्तमान में कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि नगर पालिका द्वारा न्याय विभाग को आवंटित आवास प्रार्थी को आवंटित कर दिया जाता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के लिये एक सरकारी आवास उपलब्ध हो सकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को नगर पालिका द्वारा न्याय विभाग को आवंटित शामली स्थित आवास आवंटित करने के सम्बंध में समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय, 
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

दिनांक-11-07-19

Attested

Administrative Officer
Judgemp Shamli.

To

The District Judge,
Shamli

Sir,

It is submitted that since there is no suitable residence for District Judge, Shamli, I have no objection in vacating the official quarter, T-1, which is presently in my occupation.

Rajat Velma
31/7/19

RAJAT VELMA

Addl. District Judge,
Kerana, Shamli

Attested



12/3/2021

K Administrative Officer
Judgeship Shamli

Note for the District Judge, Shamli, Allotment of residences for Judicial Officers.

It is submitted that there is no official Residence/Sessions House for the District Judge in Shamli, No suitable residence of the status of District Judge, is available for rent.

Shri R.P. Bharti, Former Addl. Civil Judge (J.D.) had vacated his Quarter, situated in Pani Tanki Colony, Shamli and is lying vacant.

Shri Rajmangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli has submitted an application to vacate his residence, J-3, Civil Court Kairana, which is presently in his occupation. Shri Rajat Verma, Additional District and Sessions Judge, Kairana has also submitted his no objection in vacating his residence, J-1, Civil Court, Kairana, which is presently in his occupation. The said Govt. Quarter is presently best suited for the status of the District Judge, Shamli.

In view of the above, the following arrangement is made for allotment of Quarters, Subject to your kind approval:-

01- J-1, Civil Courts, Kairana

District Judge,
Shamli

02- J-3, Civil Courts, Kairana

Sh. Rajat Verma,
Addl. Distt. Judge, Kairana, (Shamli)

03- Pani-Tanki Colony,
Shamli

Sh. Rajmangal Singh yadav,
Chief Judicial Magistrate,
Shamli

Approved.
31.7.2019

(Rajat Verma)
31/7/19
O/C- Nazarat,

Attested
12/8/2019
1/2 Administrative Officer
Judgeship Shamli

To,

Annexure A-50

199.

The District Judge

Shanli

Through Nazarat in charge, Shanli.

Request for allotment of Govt. quarter-

Sir,

It is respectfully submitted as under -

1. That I am presently residing in Pani tanki colony, Shanli.
2. That I am unmarried and I was posted in Shanli judgeship via high court notification dated 10-8-19
3. That it has come to my know-
ledge that a Govt. quarter situ-
ated in civil court campus Kairana
is going to fall vacant.
4. That the residence which I am occupying presently is in a dilapidated condition and during rainy season, the water gets piled up in the region.
5. That I am not used to driving on highway and as such I am facing difficulty in coming to

6. That Respected Ms. Ruchi Tiwari, is also occupying a Court. quarter in the civil court campus, Kairana. It will be comfortable for me if a Court. quarter is allotted to me in the neighbourhood of the only female judicial officer in the Jt. ship.

It, is, therefore humbly requested to give me first priority to allot me the Court. quarter in civil court Kairana campus which is due to fall vacant.

With utmost regards.

Date- 3-8-19

Yours faithfully

3/8/19

Mukta Tyagi
civil judge (J.R. Di)
Shamli

Attested


12/8/2019

1/2 Administrative Officer
Judgeship Shamli.

Annexure A - 51
Note for the District Judge Shamli
Allotment of Govt. Quarters

(200)

It is submitted that vide order dated 25-07-2019, the then District Judge, Shamli allotted the official Residences to the Judicial officers of Shamli Judgeship in the following manner:-

- | | |
|--|---|
| 1- Shri Raj Mangal Singh Yadav
Chief Judl. Magistrate, shamli | Pani Tanki Colony,(Ground Floor)
Shamli |
| 2- Shri Rajat Verma
Addl. Distt. & Sesiions Judge, Kairana | J-3, Civil Court Campus
Judges Colony, Kairana |
| 3- District Judge,
Shamli | J-1, Civil Court Campus
Judges Colony, Kairana |

Shri Raj Mangal Singh Yadav who was in occupation of the Residence J-3, Civil Court Campus, Judges Colony, Kairana, when the order dt. 25-07-2019 was passed by the then District Judge, has already vacated the said house and has taken possession of the Residence located at Pani Tanki Colony, Ground Floor Shamli.

Shri Rajat Verma, Addl. District Judge, Kairana is due for transfer in April 2020 and as such less than 8 months remains for him in Kairana Shri Verma is still in possession of Residence J-1, Civil Court Campus Judges Colony, Kairana.


In the given scenario it will not be proper that Shri Verma vacates the official Residence which is in his occupation since March 2018, particularly when he is due for transfer in April 2020.


Hence Shri Verma may be permitted to stay in House no. J-1, Civil Court, Campus, Judges Colony Kairana.

Central Nazir Shamli Judgeship has given his report informing that the House situated in Pani Tanki Colony, Shamli, First Floor under occupation of Ms. Mukta Tyagi, Civil Judge (J.D.), Shamli, requires some repairs which can be done only when the said House is vacated. It is pertinent to mention here that aforesaid Ms.Tyagi has submitted a representation showing her willingness for allotment of Official Residence in Civil Court Campus, Judges Colony Kairana on the ground that the House presently occupied by her (situated in Pani Tanki Colony F Floor) is in a dilapidated condition and because being female, it gets difficult for her to drive all the way from Shamli to Kairana for her official duty and return to her residence daily.

In such a situation it will be proper that Ms. Tyagi be allotted the House no. J-3. Civil Court Campus, Judges Colony, Kairana, which is lying vacant. The aforesaid arrangement of official Residence will come into force immediately after the approval of Respected District Judge, Shamli.

Date- 27-08-2019


Rajat Verma
O/C Nazarat
Addl. District Judge, Kairana



Attested
27/8/2019
Officer
Administration
Judgeship Shamli

To,

Annexure A-52

(201)

The District Judge

Shamli

Subject: Request for allotment of government quarter.


Respected Sir,

It is submitted that I have taken charge as Civil Judge (Junior Division) FTe, Shamli on 16-12-2019. I am not availing the facility of government quarter in Shamli.

I, therefore, very humbly request you to kindly allot me a government residence so that I can shift in bag and baggage.

Yours Faithfully
Ludha Sharma
02/01/2022
Ludha Sharma
Civil Judge (JD) FTe
Shamli.

Attest


25/12/2021
A.O. Shamli
District Court, Shamli

From,

I/C Nazarat/
Add. Distt. Judge, Kairana,
Shamli.

To,

The District Judge,
Shamli.

Sub: Allotment of Govt. Quarter

Sir,

It is submitted that Shri Rajneesh Mohan Verma has handed over the charge of Civil Judge (S.D.), Shamli on 23-12-2019, as he has been transferred to J.T.R.I. Lucknow as Deputy Director. He is in occupation of the residence J-2, Judges Colony, Court Campus, Kairana, Shamli.

Sushri Sudha Sharma, Civil Judge (J.D.) F.T.C., who has not yet been allotted any Govt. Quarter, has moved an application for allotment of residence.

Being a female and considering the security concerns in Kairana, it will be fit that Sushri Sharma may be allotted a Govt. Residence in Civil Court campus where there is proper security.

In view of the above, House no. J-2, Judges Compound, Civil Court Campus, Kairana may be allotted to Sushri Sudha Sharma, subject to your kind approval.

Date- 02-01-2020

Your's faithfully,

[Signature]
I/C Nazarat/
Add. Distt. Judge, Kairana,
Shamli.

Approved
[Signature]
21/1/2020

Attested
[Signature]
25/1/2020
Admin. Officer
District Court, Shamli


Annexure A-54
(A-54)

203


आदेश

जज कम्पाउण्ड, न्यायालय परिसर, कैराना
में स्थित आवास संख्या J-2, सुश्री सुधा शर्मा, सिविल
जज (जूडि०)/फास्ट ट्रैक कोर्ट शामली को आवन्टित
किया जाता है।

दिनांक:- 03.01.2020


3/1/2020
प्रभारी अधिकारी, नजारत/
अपर जिला जज, कैराना
शामली।

Attested


25/1/2021
A. O.
District Court, Shamli

Annexure A-55

815

204

By Speed Post

From,

Officer In-Charge,
District Judge,
Shamli

O/C

To,

The Joint Registrar (J)(Confidential)
High Court of Judicature at
Allahabad.

No.

372 / AO/ DJ Shamli 2019

Dated May 10, 2019

Subject:

Regarding Report/Comments in compliance of D.O. No. C.V. / 291 / 2019
Allahabad dated February 23, 2019 and its subsequent concerned letter of
District Judge, Muzaffar Nagar bearing No. 788/L.D.. 2019 dated March 30,
2019

Sir

This is in reference to the Hon'ble Court's D.O. No.C.V. 291 /2019 Allahabad: Dated: Feb. 23, 2019 and subsequent letter of District Judge, Muzaffar Nagar bearing No. 788/L.D.. 2019 dated March 7, 2019, in relation to Complaint dated 03-08-2015 of Km. Asma d/o Layak Ali, r/o Moh. Shahmubarik, Jhinhana P.S. Jhinhana District Shamli, regarding the Final Report Case in Crime No. 272 of 2011, Under Sections 459,376,120B P.S. Jhinhana as well as Crl. Complaint Case No. 7258 of 2011, State Vs. Waseem & Ors., U/S 376D/395 IPC P/S Jhinhana. In this regard It is submitted that the report was called by the Chief Judicial Magistrate, Shamli from the concerned Court, who submitted his report to the then District Judge on 01-05-2019, and submitted that aforesaid Case, Crl. Complaint Case No. 7258 of 2011, State Vs. Waseem & Ors. U/S 376D/395 IPC P/S Jhinhana was received by transfer in that Court on 09-02-2019 and the next date fixed was 19-04-2019. On the date fixed i.e.19-04-2019 the concerned P.O. was performing the duty of Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Shamli, hence 24-04-2019 was fixed for hearing and after perusal, the aforesaid case was pending for appearance of the accused persons, since the case was pending at this stage for quite some time, a short date i.e. 27-04-2019 was fixed, and the arrest warrants of the accused persons, as well as notice to the Complainant were issued for the next date. A letter to the Supdt. Of Police, Shamli was also issued for effective service and compliance All the necessary steps for expeditious disposal of the case shall be taken in the aforesaid matter in future too.

With regards.

Your's Faithfully

i/c District Judge,
Shamli,

Back of 204.

पंजीकृत

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

प्रेषित,

जनपद न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।

पत्रांक :-

780/L-D 2019,

दिनांक : मार्च 30, 2019

विषय :-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्रांक डी0ओ0 नं0
सी0वी0 / 291 / 2019 इलाहाबाद दिनांकित फरवरी 23, 2019 के
अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) (गोपनीय), माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद से प्राप्त उपर्युक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की आख्या
दिनांकित 12.03.2019 के अनुसार उक्त प्रकरण की पत्रावली नवसृजित जनपद
न्यायालय, शामली स्थित कैराना से सम्बन्धित होने के कारण दिनांक 26.09.2018 को
न्यायालय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कैराना जिला शामली को प्राप्त करायी जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त उपरोक्त पत्र समस्त
संलग्नकों व मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की आख्या दिनांकित 12.03.2019
के साथ मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया
प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सादर।

(संजय कुमार पचौरी)

जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (7 परत)

पत्रांक :- /

दिनांक : मार्च 30, 2019

प्रति संयुक्त निबन्धक (न्यायिक) (गोपनीय), माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

0 / 1. / 2019
repar
income
i.e

Annexure A-56



205.

Sushil Kumar Rastogi
I/c Joint Registrar (J.) (Confidential)

Registered
'Confidential'
'Vigilance Bureau'
D.O. No. C.V./ 29 /2019
Allahabad
Dated: Feb./ 23 / 2019

Dear Sir,


While enclosing the copy of complaint dated 03.08.2015 made by Asma D/o Layak Ali R/o Mohalla Shah Mubarik, Town & P.S.- Jinjhana, District- Shamli in connection to Case Crime No. 272/2011 u/s 479, 376, 120B IPC and Suit No. 7258/2011, pending before CJM, Muzaffarnagar, in this connection, I am desired to say that **Hon'ble the Administrative Judge, Muzaffarnagar** has been pleased to pass the order dated **13.02.2019 directing the District Judge, Muzaffarnagar to look into the matter and take necessary action according to law.**

I, would therefore request you to kindly take necessary action in compliance of aforesaid order of Hon'ble the Administrative Judge, Muzaffarnagar.

With regards.


Encls. As stated

Yours Sincerely


(Sushil Kumar Rastogi)

Shri Sanjay Kumar Pachori
District & Sessions Judge,
Muzaffarnagar

Call report from court
concerned within a week.


06/3/19
बावजूद भी मुलजिमान न न्यायालय म समाप्त हुए जाय न पता

श्रीमान मुलजिमान मुख्तियार
हॉटेल नो. 1 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

श्रीमान जी,

निवेदन है कि दिनांक 02.05.2011 को रात्रि के करीब डेढ बजे मेरे मकान पर वसीम व नसीम पुत्रगण रईस, तसलीम व आसिफ पुत्रगण सददीक व शौकीन पुत्र खुशीद, रिजवान पुत्र शकील निवासीगण मौहल्ला शाहमुबारक वस्खा व थाना झिंझाना जिला शामली (उत्तर प्रदेश) ये सभी हमारे मकान के अन्दर आ गये और सभी मुलजिमानो ने हमारा घर खगाला और हमारे से पचास हजार रूपये नकद व सोने की चैन व सोने के कानो के कुण्डल व दो चाँदी की पांजेब निकाल ली तथा मेरी माँ व मेरे भाई दानिश व बहन शाजिया को एक कमरे के अन्दर बन्द कर दिया तथा मेरे कमरे में आकर सबने मिलकर मेरे साथ अलग-अलग बलात्कार किया। इस घटना की रिपोर्ट पर मेरी माता आमना ने थाना झिंझाना जनपद शामली में मुकदमा अपराध संख्या 272 सन 2011 धारा 459, 376, 120 बी.आई.पी.सी. विरुद्ध मुलजिमान दर्ज करायी। जिसमें थाना झिंझाना की पुलिस ने बसाज मुलजिमान बाद विवेचना फाईनल रिपोर्ट लगाई।

उक्त फाईनल रिपोर्ट पर प्रार्थीया की माता ने मान्य न्यायालय सी.जे.एम. मुजफ्फरनगर में प्रोटेस्ट पेटिशन दायर किया। जिसका मान्य न्यायालय सी.जे.एम. महोदय मुजफ्फरनगर ने दिनांक 04.11.2011 को निस्तारण करते हुए अन्तिम रिपोर्ट को परिवाद के रूप में ग्रहण किया और प्रार्थीया की माता आमना के धारा 200 सी.आर.पी.सी. के बयान कलमबन्द किये तथा धारा 202 सी.आर.पी.सी. के गवाहान के बयान कलमबन्द किये। जिस पर वाद संख्या 7258 सन 2011 परिवाद के रूप में दर्ज किया तथा इसके बाद दिनांक 21.10.2013 को अभियुक्तगण वसीम, नदीम, तसलीम, शौकीन, रिजवान, आसिफ को धारा 376 व 395 आई.पी.सी. में तलब किया गया और मुलजिमान को नियत तारीख के लिये समन किया और समन की तामील होने के बावजूद भी जब मुलजिमान हाजर अदालत नहीं हुए तो मान्य न्यायालय ने मुलजिमान के खिलाफ बी.डब्लू तथा एन.बी.डब्लू व धारा 82/83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की परन्तु उनके बावजूद भी मुलजिमान न न्यायालय में समर्पित हुए और ना ही पुलिस ने

Registrar (Confidential)

11/11/11

11/11/11

3/11/11

मुलजिमान को गिरफ्तार किया। थाना झिंझाना जिला शामली उत्तर प्रदेश की पुलिस मुलजिमान से पूरी तरह साज किये हुए है और 6 के 6 मुलजिमान थाने से 100 कदम की दूरी पर अलग-अलग मकानों में रह रहे है परन्तु थाना झिंझाना की पुलिस ने धारा 82,83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही जान बूझकर मुलजिमान से साज करके केवल खाना पूर्ति करते हुए थोडा-2 सा सामान सभी मुलजिमानों का कुर्क कर मान्य न्यायालय सी.जे.एम.महोदय मुजफ्फरनगर को लिस्ट भेज दी।

श्रीमान जी मुलजिमान अब प्रार्थीया को लगातार धमकिया दे रहे है कि तू हमारा कुछ नही बिगाड सकती तूने अपने सारे जोर लगा लिये है हमें कोई गिरफ्तार नही कर सकता और ना ही हम न्यायालय में समर्पण करेगे। प्रार्थीया अपनी माता आमना को लेकर जो कि विधवा है सैकडो बार एस.ओ.थाना झिंझाना, सी.ओ.शामली व एस.पी.शामली जनपद शामली उत्तर प्रदेश से मिल कर अपनी बात बता चुकी है तो पुलिस वाले प्रार्थीया का मजाक बनाते है और कहते है कि तू उनसे अपना फैसला कर ले तू उनका कुछ नही बिगाड सकती। श्रीमान जी प्रार्थीया मजबूर होकर आखिरी उम्मीद के साथ श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र द्वारा डाक भेज रही है ताकि आप मुझे इंसाफ दिलाये कृपा होगी।

दिनांक 03.08.2015

नि.डा.असमा

प्रार्थीया

असमा पुत्री लायक अली
निवासी मौहल्ला शाह मुबारिक
कस्बा व थाना झिंझाना जिला
शामली(उत्तर प्रदेश)

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद—मुजफ्फरनगर।

विषय—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के डी.ओ. नं. सी.वी. 291/2019 इलाहाबाद दिनांकित फरवरी 23, 2019 के सम्बन्ध में माननीय महोदय द्वारा मांगी गयी आख्या। माननीय महोदय,


ससम्मान् निवेदन करना है कि उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 23.02.2019 के अनुक्रम में आपके द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.03.2019 के अनुपालन में निवेदन करना है कि प्रार्थिया आसमां पुत्री लायक सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मेरे द्वारा परिवाद संख्या 7258/2011 धारा 376घ,395 भा0दं0सं0 थाना झिंझाना जिला शामली की पत्रावली को कार्यालय से तलब किया गया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय लिपिक द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी कि उपरोक्त फौजदारी परिवाद की पत्रावली दिनांक 26.09.2018 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना जिला शामली को प्राप्त करा दी गयी है।

माननीय महोदय हो यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर दिनांक 25.04.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया है तथा जनपद शामली का न्यायिक क्षेत्राधिकार पृथक हो जाने के कारण उपरोक्त परिवाद को कार्यालय आख्या के अनुसार दिनांक 26.09.2018 का जनपद शामली स्थित कैराना में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में भेजी जा चुकी है। पत्रावली के अभाव में अन्य कोई जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है। कार्यालय लिपिक की आख्या संलग्न है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक—12.03.2019
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,


(आर० के० गौतम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

Seon


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर।

पत्र :-
श्री. ली. जे. एन, मीरजापूर
शाहपद शासनाची

लेखा क्र :-
मुख्य - याचिका क्र. 1/2019
शाहपद शासनाची

विषय :- शासनाच्या उच्च - अशासनाच्या, सोलापूर जिल्हा
याचिका क्र. 1/2019, सोलापूर जिल्हा
विशेषित पत्र क्र. 23, 2019 चे अनुपालन चे
लिखाणे

महोदय,
सहायक विभाग निवेदन क्र. 1/2019 अन्वयेत विभाग
क्र. 272/2011 अंतर्गत पाव - 479, 376, 120 BLP
याचिका दि. 19.04.19, शाहपद शासनाची चे यानुसार चे शासनाच्या
महोदय क्र. 23/2019 अन्वयेत आल्या चे लिखाणे चे
निगमनालागत निवेदन आल्या हे कि :-

1) - उपरोक्त यानुसार जे लिखित पत्रांचे दि. 09.02
चे अंतर्गत क्र. 1/2019 अन्वयेत उच्च - अशासनाच्या
याचिका क्र. 1/2019 दि. 19.04.19 निमित्त अर्ज दि. 19.04.19
के दि. 19.04.19 चे दि. 19.04.19 निमित्त अर्ज दि. 24.04.19 निमित्त
अर्ज अर्ज

2) - दि. 24.04.19 चे उपरोक्त यानुसार चे अनुपालन

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

जनपद शामली।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त डी.ओ. न. सी.वी/291/2019 इलाहाबाद दिनांकित 23-02-2019 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त के सम्बंध में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से आख्या मांगी गयी जिसके सम्बंध में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना द्वारा यह आख्या दी गयी है कि मु.अ.सं. 272/2011 अंतर्गत धारा 479, 376, 120B भा.द.सं. थाना झिंझाना जनपद शामली से सम्बंधित पत्रावली दिनांक 09-02-19 को अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई। जिसमें दिनांक 19-04-19 नियत थी। दिनांक 19-04-19 को किशोर न्याय बोर्ड दिवस नियत था। उपरोक्त पत्रावली में दिनांक 24-04-19 नियत की गयी। दिनांक 24-04-19 को उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के एन.बी.डब्लू. धारा 82, 83 द.प्र.सं. की कार्यवाही की आदेशिकाएं चली आ रही थी। उपरोक्त प्रकरण में उसके पश्चात दिनांक 27-04-19 नियत की गयी। दिनांक 27-04-19 को प्रकरण में अभियुक्तगण के गैर जमानतीय अधिपत्र जरिये पुलिस अधीक्षक शामली जारी किये गये और परिवादिया को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। उपरोक्त प्रकरण में अगली नियत तिथि दिनांक 09-05-19 नियत है। इस प्रकार से मामले में परिवादिया को उपस्थित होने तथा अभियुक्त की हाजरी के लिये आदेशिकाएं जारी की गयी हैं।

उपरोक्तनुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

शामली।

दिनांक - 01-05-19

संलग्नक - अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना की आख्या मूल रूप में।

के NBW, चार - 82, 03 comp.c की अनिच्छा
की आदिशिकाएँ चली आ रही थीं। उपरोक्त
योजना के अन्तर्गत दि. 27.04.19 निम्न की
गयी

3) - दि. 27.04.19 को योजना के अनुपालन के
दौर सामाजिक आन्दोलन और प्रोत्साहन
आगामी कार्य निम्न जैसे और प्रोत्साहन के
उपलक्ष्य होने हेतु नीचे कार्य निम्न जैसे।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निम्न दि. 09.05
निम्न है

आज का क्रम ही को लोक के लक्ष्य प्रिय
लक्ष्य

दिनांक - 29.04.19

संलग्नक - पत्र प्रोत्साहन
आगामी

महोदय
29.04.19
श्री. लो. जे. लो. लो.
सम्पद आगामी

के NBW, पार्स - 82, 83 comp.c की अनिर्णय
की आदेशिकाएँ नहीं आ रही थीं। उपरोक्त
योजना के अन्तर्गत दि. 27.04.19 निम्न की
गयी

3) - दि. 27.04.19 को योजना के अनुयायियों के
केर सामाजिक आन्दोलन के माध्यम से पु.लाल अर्थात्
आमली जारी निकले जाते और प.लाल के
उपरोक्त होने हेतु निकल जारी निकले जाते।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निम्न दि. 09.05.
निम्न है

आलोक श्रीमान् जी को लक के लार्ड प्रिन्स

लार्ड

दिनांक - 29.04.19

अंशदाता - प.लाल अर्थात्
आमली

मार्क

Hiwani
29.04.19
श्रीमान् श्रीमान्

श. लो. जे. ल. के
शिवदा आमली

प्रेषक:

रुचि तिवारी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कैराना।

प्रेषिति,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद शामली।

विषय :- अभियुक्तगण पर वारण्ट की तामिला कराये जाने के सम्बंध में:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि इस न्यायालय में वाद वाद सं० 560/9/2018 आमना बनाम वसीम आदि अन्तर्गत धारा 376घ,395 थाना झिंझाना लम्बित है, जिसमें अभियुक्तगण वसीम, नदीम, तसलीम, शौकीन, रिजवान एवं आसिफ के बार-बार एन०बी०डब्लू० एवं धारा 82 व 83 द०प्र०सं० की आदेशिकाएँ भेजे जाने पर भी तामिला नहीं हो रहे हैं और अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिस कारण न्यायालय में लम्बित उक्त वाद में अग्रिम विधिक कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जो कि घोर आपत्तिजनक है।

अतः आप इस पत्र के साथ संलग्न एन०बी०डब्लू० एवं धारा 82 व 83 द०प्र०सं० की आदेशिकाओं का निष्पादन कराकर उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कराकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2019 को उपस्थित कराने के सम्बंध में समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रुचि तिवारी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कैराना।

दिनांक :- 27.04.2019

संलग्नक-

1. अभियुक्तगण के गैरजमानतीय अधीपत्र
2. धारा 82 व 83 द०प्र०सं० की आदेशिकाएँ

आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी दिनांकित 25.02.2021

आज मेरे द्वारा दिनांक 25.02.2021 को माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 24/viii b-4 दिनांकित 9 फरवरी, 1971 के अनुपालन में जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना के समस्त न्यायालयों का आकस्मिक निरीक्षण समय 02.00 बजे से 02.15 के मध्य निम्न क्रमानुसार किया गया:-

- 1- सर्वप्रथम न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री सुबोध सिंह डायस पर उपस्थित नहीं मिले।
- 2- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एफ.टी.सी., शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री सुधा शर्मा डायस पर उपस्थित नहीं मिलीं।
- 3- इसके पश्चात् न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री राजमंगल सिंह यादव निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।
- 4- इसके पश्चात् न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(रेप व पॉक्सो), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री रजत वर्मा डायस पर उपस्थित नहीं मिले।
- 5- इसके पश्चात् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री अरूण सिंह निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।
- 6- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), कैराना के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री रुचि तिवारी निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिलीं।
- 7- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी सुश्री मुक्ता त्यागी का आज किशोर न्याय बोर्ड में कार्य निष्पादित किया जाना बताया गया।
- 8- इसके पश्चात् न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिलीं।
- 9- इसके पश्चात् न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय (पॉक्सो), शामली के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री मुमताज अली निर्धारित वेशभूषा में डायस पर उपस्थित मिले।

कल दिनांक 24.02.2021 की प्रातः 10.55 बजे से 11.10 बजे के मध्य किए गए आकस्मिक निरीक्षण उपरान्त, दिए गए निर्देशों के बावजूद आज के आकस्मिक निरीक्षण में कुछ न्यायिक अधिकारीगण डायस पर उपस्थित नहीं मिले हैं, अतः सभी न्यायिक अधिकारीगण सामान्य नियमावली के नियम 10 (यथा संशोधित) का भविष्य में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह औचक निरीक्षण टिप्पणी सभी न्यायिक अधिकारीगण के मध्य परिचालित हो, तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जावे।

-Sd-

(डॉ० अजय कुमार-II)

सत्र न्यायाधीश, शामली।

25.02.2021

Back Of (210)

Circulation Index for Surprise Inspection dated 25-02-2021			
S N	Name of Officer	Court	Signature of Reciepent
1	Sh. Mumtaz Ali	ASJ/SJ (POCSO) Shamli	
2	Sh. Rajat Verma	ASJ(Rape & POCSO) Shamli	
3	Sh. Subodh Singh	ADJ (FTC) Shamli	
4	Sh. Raj Mangal Singh Yadav	C.J.M. Shamli	
5	Sushri Ruchi Tiwari	Civil Judge S.D. Kairana	
6	Smt. Pratibha	Civil Judge S.D. Shamli	
7	Sushri Mukta Tyagi	Civil Judge J.D. Shamli	
8	Sushri Sudha Sharma	Civil Judge J.D. FTC Shamli	
9	Sh. Arun Singh	J. M., Shamli	

Annexure A-59

211

थाना कैराना से सन्दी चेत आदि 92

क्र.सं.	मु.अ.सं.	नाम पक्षकार	अन्तर्गत धारा
✓1.	257/2019	सरकार/अफसर - 18/6/19	13 जी
✓2.	361/2019	सरकार/शहनवाज - 10/8/19 CS	13 जी
✓3.	360/2019	सरकार/बिन्दर - 10/8/19 CS	13 जी
✓4.	292/2019	सरकार/मुस्तकीम - 12/6/2019 CS	13 जी
✓5.	221/2019	सरकार/नौशाद - 18/6/2019 CS	13 जी
✓6.	336/2019	सरकार/नौशाद 19/7/2019	11 ठ पशु कूरता अधि.
✓7.	302/2019	सरकार/दीपक - 21/6/19 CS	13 जी
✓8.	258/2019	सरकार/मुबारिक - 15/6/19	13 जी
✓9.	253/2019	सरकार/बलेश्वर - 18/6/19 CS	13 जी
✓10.	160/2019	सरकार/उमरदीन - 24/5/19	3/7
✓11.	255/2019	सरकार/फरमान - 8/7/19 CS	11 पशु
✓12.	366/2019	सरकार/बिन्दर - 22/7/19	3/4
✓13.	288/2019	सरकार/जीशान - 9/7/19	3/11
✓14.	301/2019	सरकार/नीरज - 21/6/19	13 जी
✓15.	362/2019	सरकार/नीरज - 10/8/19	13 जी
✓16.	365/2019	सरकार/शिवकुमार - 24/7/19 CS	15(2), 15(3) इ.मे
✓17.	355/2019	सरकार/सोनू - 26/7/19 CS	13 जी

Approved by -

Palak Singh

पलक सिंह

(M/R)

सि.डी.ए. (कै.डी.) कानपुर

Check

Palak Singh

Palak Singh

(M/R)

CJSD(K)

Relevant page of annual inspection note
of UTSO Korraha
25

मेरे निरीक्षण के समय उक्त न्यायालय में 17 ऐसे आरोपपत्र मय केस डायरी पाये गये, जो कालबाधित हो चुके हैं, तथा न्यायालय द्वारा इन पर प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है, यह आपत्तिजनक है। वाद लिपिक को इस सम्बन्ध में चेतावनी दी जाती है। उक्त न्यायालय को वर्तमान में दाण्डिक न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, अतः उक्त प्रकरणों को सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अन्तरण, संस्थान अथवा प्रेषण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है।

निरीक्षण के समय मैंने उक्त न्यायालय में स्थगित वादों की कुछ पत्रावलियों का अवलोकन किया तो पाया कि कुछ पत्रावलियों में अपीलीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश संलग्न नहीं है। लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थगनादेशों को तलाश कर पत्रावली पर सम्मिलित करें। पीठासीन अधिकारी से इस सम्बन्ध में विशेष रूचि लेना अपेक्षित है।

निरीक्षण के समय यह तथ्य भी मेरे संज्ञान में आया कि न्यायालय में लम्बित कुछ पत्रावलियों में सूचीपत्र पूर्ण नहीं है, जो कि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मुन्सरिम/रीडर एवं सत्र लिपिक व वाद लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे सूचीपत्र में सम्बन्धित अभिलेखों को दर्शित करते हुए सूचीपत्र पूर्ण करें ताकि पत्रावलियों में संलग्न अभिलेखों की समुचित रूप से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पत्रावलियों में जो प्रपत्र संलग्न है, उन पर लगे न्याय शुल्क स्टाम्प को निरस्त एवं छिद्रित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भी मुन्सरिम/रीडर व सत्र लिपिक व अपील लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय कक्ष एवं कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत होने वाले आवेदनों पर लगे न्याय शुल्क स्टाम्प को विधिवत रूप से निरस्त एवं छिद्रित कर उनका इन्द्राज स्याह रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 04.02.2021

Sd/-
(डा० अजय कुमार-II)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शामली।

2
22/3/2024

आपालय आवन C. J. M. शास्त्री

मु० अ० न० - 718 ज० - 2015

स० बनाय भुयसप आवि


U/S - प० 10C व 4 लोक स० न० भ० वि०

PS - कियना

अ० - उ० प० 05/01/19



Date of Application. 22/3/2024
Date of Notice..... 23/3/2024
Date of Delivery..... 23/3/2024
Signature of H.C.....


23/3/2024

(5) J.D.P. 1/15
गुणवत्ता - 7/8/15

० असा मुखाव गादि

युक्त ५ भाग ५ असा
असा मुखाव असा असा
गुणवत्ता असा गु. असा लं 7/8/15
असा असा - 427 EPC असा
असा 4 PDPP Act, असा असा,
असा असा असा असा असा
असा

असा असा - असा असा
असा असा
असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा

असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा - 427 EPC असा
असा - 4 PDPP Act असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा
असा असा असा

असा

असा असा असा असा असा
असा 25-25 असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा
असा असा असा असा असा

05.08.19

Photocopy made By
Words... 23/3/21

23/3/2021

असा असा असा असा

2
22/3/2024

जापालप शिमान C.J.M. डामली

गुण संख्या - 718

सन् 2015

संज्ञा बन्नाम अरुदाप डादि

पुस-पुस्तक ipc कय लौकलक मिक डादि

PS - सुयना

जन्म - 23/3/2021



Date of Birth: 22/3/2024
Date of Issue: 23/3/2021
Date of Signature: 23/3/2021


23/3/2021



216.

र चापालप श्रीमान् A.C.J. म् आल्ल किरावा

वडेशरवा - 740/2018

आकार वाम मु-शाड काड

आ धारा- 127, 128 व

प लोक समाप्ति निष्पत्ति

थाना - किरावा

उद्योग पत्र वारं आवमसमपति: निं 130-07/08/2018

श्रीमान् जी

निवेदन है कि प्राथमिक अन्वेषण प्रमाण
व्यतिरिक्त ही प्राथमिक को जानकारी हुई है कि
वड-उपरोक्त प्राथमिक के विरुद्ध आठ चापालप
के समक्ष विचारणीय है प्राथमिक-आपावत
का समापन करके ही और सुचना मिलने से शत्रु
को आठ चाठ के समक्ष प्रकट करे है।

अतः श्रीमान् जी को निवेदन है कि प्राथमिक
को-प्राथमिक से लेकर जमानत प्राथमिक पत्र का
व्यतिरिक्त और-आपोचित निस्वास्था करने की
कृपया करे।

दिनांक
05/08/2018

अवेस
मुस्ताफ

प्राथमिक/अभिप्रेत

- 1- अवेस 10 कागिन
 - 2- मुस्ताफ 80 कागिन
- विवासीगण वझे खी
थाना - किरावा
जिला - आवासी
शरारु

2
Accounts to be
taken into
Judicial custody
05.08.18

Parmed Kachan
Advocate
Reg. No. 4742/19, (General)
Mobile-9412589397

200 (By) 23/8/2018

23/8/2018
मुस्ताफ

to be charged under
Armed and Dangerous -
718/2015 U/S 427 IPC and
to 454 PDPP Act PS Review
is named and charged

Shano
APD
05/18/19

A-59

भाषात्मक शीघ्रता C. J. M. शाहली

22/3/2021

मुंबई नगर - 718 एन - 2015

सर्व वनाय मुद्राशुल्क आदि

ULS - पक्ष / पक्ष 4 लाख सन्निधि अर्थात

PS - शिवाजी

मल. - प्रा. पत्र वास्तु पत्रांतर्गत जं. 119



Date of Application. 22/3/2021
Date of Notice. 23/3/2021
Date of Disposal. 23/3/2021
Signature of F.C. [Signature]

23/3/2021

व्यवसायिक क्रियाएं A.C.T. के अन्तर्गत कराना
वाइ सरदा - 740 / सन् - 2016

सरकार बनाम सु-शाद
क्रि. धारा - 427. IPC व
पब्लिक अफेन्स क्रि. अधि.
धारा - कराना


अर्थीजन पर वास्तु जमानत :-

- 1- यह है कि आर्थीजन कर्ता निर्दोष है। आर्थीजन को सुन एवं
अर्थीजन परसाया गया है।
- 2- यह है कि आर्थीजन द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया
गया है जिससे कि अथवा सुचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है।
- 3- यह है कि आर्थीजन को गौण की राजनीति के आधार पर
सुना फसाया गया है।
- 4- यह है कि आर्थीजन का उक्त घटना से कोई सम्बन्ध नहीं
है और न ही घटना स्थल से आर्थी के पद के
सम्बन्ध में भी कभी जानकारी हुई है।
- 5- यह है कि आर्थीजन अपनी जमानत करना चाहता है और
जमानत लेने उचित धरणा के जमानती व सुचकता
के लिए तैयार है।

क्रि. क्रियाएं जी से आर्थी है कि आर्थीजन से उचित
धरणा के जमानती व सुचकता लेकर रिहा फरमाने की
कृपया करें। कृपया लोगों

दिनांक 05/08/2016 अरुण
मुन्ना

अर्थी / आर्थी.
1- अरुण डी० कामिल
2- सुखरुण डी० कामिल
निर्वाण पत्रिका खुद
धारा - कराना क्रि. अधि.
जमानती
कारण



Words..... 128/..... 23/3/2016

23/3/2016

व्यायालय श्रीमान C.J.M. शागली स्थित कैराना

काद सं/मु0अ0स0- 210 सन् 2017

सरकार बनाम जयप्रकाश शर्मा

धारा- 60, 63, 72 Ex Act

थाना- अंजना

नकल:- आदेश 05/07/19

40
23/3/2021

Date of Application. 23/03/2021
Date of Filing. 01/04/2021
Date of Disposal. 01/04/2021
Signature of H.C.



01/04/2021

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना, शामली स्थित कैराना।

मु.अ.सं. 210/2019

सरकार

बनाम

जयभगवान आदि

अन्तर्गत धारा 60/63/72 उ.प्र.उत्पाद शुल्क/
आबकारी अधिनियम,
थाना झिंझाना, जिला शामली।
मु.अ.सं.-210/2017

05.07.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिलीज प्रार्थी मुख्तयार खास महेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतू, निवासी मौहम्मदपुर, थाना निदाना, जिला रोहतक (हरियाणा) द्वारा महिन्द्र क्लासिक बोलेरो पिकप रजि. संख्या यू.के. 15 सी.ए. 0497, को अपने पक्ष में रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार अवगत कराना है कि थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 210/2019, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम से संबंधित वाहन पिकअप बुलेट मैक्स ट्रक संख्या यू.के. 15 सी.ए. 0497 को दिनांक 05.05.2019 को समय 21.30 बजे बिडौली चैक पोस्ट पर दौराने चैकिंग एस. आइ. अनिल गारासर द्वारा पकड़ी है जिसमें से कुल 62 पेटी अवैध अंगेजी शराब बरामद हुई थी। उक्त नुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना मुझ एस. आइ. द्वारा सत्यादित की जा रही है। दौराने विवेचना पायागया कि उक्त वाहन का प्रयोग शराब की अवैध तस्करी में किया गया है। नियमानुसार उक्त वाहन को जब्तीकरण हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, शामली को द्वारा सचल नाध्यम प्रेषित की जा चुकी है। उक्त वाहन थाना हाजा पर जामिन है। उक्त वाहन का कोई कागजात बरामद नहीं हुआ था। गाड़ी के स्वामी की जानकारी करने हेतु गाड़ी पर लगी नम्बर प्लेट पर लिखे नम्बर के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् आर.टी.ओ. को प्रेषित की गयी तो कार्यालय से दुप्लीकेंट आर.सी. प्राप्त हुई जिसके आधार पर उक्त वाहन के स्वामी का नाम व पता मनोज पुत्र केशन सिंह, निवासी ग्राम मलारा बाग घेरवा कोटद्वार हरिण है। उक्त जब्तीकरण की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी शामली से आख्या तलब की गयी। जिलाधिकारी शामली के पत्रांक 106/रीडर/01.07.2019 के द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन के जब्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत वाहन अवमुक्त किये जाने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/मुख्तयार खार महेन्द्र सिंह, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिलीज किये जाने महिन्द्र क्लासिक बोलेरो पिकप रजि. संख्या यू.के. 15 सी.ए. 0497 दिनांकित 14.05.2019 तदनुसार निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना,
शामली स्थित कैराना।

Photo Copy
words

250/ 01/07/2021

सत्य प्रतिनिधि
01/07/2021

मुख्य प्रतिनिधि/...

Annexure A-62

221

न्यायालय श्रीमान C.J.M शामली स्थित कैराना

बाद सं०/मु०अ०सं०- 210

सन् 2021

सरकार

बनाम

..... जयशंकर

धारा- 60, 63, 72 Ex A & L

थाना- सिडौरा

नकल:- 31/02/2021

40
23/3/2021



Date of Application.

Date of Notice... 14/2021

Date of Delivery... 01/4/2021

Signature of H.C.....

14/2021

रिलीज27.02.2020

आवेदक/प्रार्थी मनोज सिंह पुत्र केशर सिंह की ओर से मु.अ.सं. 210/2019 धारा 60/63/72 एक्स.एक्ट थाना झिंझाना, के अभियोग में निरुद्ध वाहन पीकअप बुलेरो मैक्स पंजीकरण संख्या यू.के. 15, सी.ए. 0497, को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं सहायक अभियोजन अधिकारी तथा थाने की आख्या एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाना झिंझाना की आख्यानुसार वाहन पीकअप बुलेरो मैक्स पंजीकरण संख्या यू.के. 15, सी.ए. 0497, तथा मु.अ.सं. 210/2019 धारा 60/63/72 एक्स.एक्ट में दाखिल है। थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन थाना झिंझाना पर निरुद्ध है, इस संबंध में जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त हो चुकी है। जिसके थाने पर निरुद्ध रहने से खराब होने की आशंका है आवेदक द्वारा उक्त वाहन के समर्थन में प्रश्नगत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, व आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है। आवेदक / प्रार्थी उक्त द्वारा पंजीयन प्रमाण के अनुरूप प्रश्नगत वाहन आवेदक/प्रार्थी की सुपुर्दगी में सशर्त दिये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/प्रार्थी मनोज सिंह द्वारा अंकन 4,50,000/-रुपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र, समान धनराशि का एक जमानती व अंडरटेकिंग इस आशय से देगा कि प्रश्नगत वाहन के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका विक्रय नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं के व्यय पर प्रश्नगत वाहन को न्यायालय अथवा विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दाखिल किये जाने के उपरांत, थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत वाहन धारा 60/63/72 एक्स.एक्ट से अलग किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो प्रश्नगत वाहन आवेदक/प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाये।

वह दौरान वाद प्रश्नगत वाहन के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका विक्रय नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं के व्यय पर प्रश्नगत वाहन को न्यायालय अथवा विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आवेदक/प्रार्थी समस्त प्रपत्रों की एक-एक प्रति दाखिल करे।

Photo Copy
Words
250/-
01/4/20

27-02-20
सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम.
कैराना, शामली स्थित कैराना

सत्य प्रतिलिपि
01/4/2021

प्रतिनिधिक/शामली

Annexure A-63

1

02

993.

डी.ओ. नं० 23/पी.ए. (एस)जनपद न्यायाधीश/2020
डॉ. अजय कुमार-द्वितीय H.J.S.

22-09-2020

विश्राम-कक्ष
जनपद न्यायाधीश,
शामली।

सुश्री रूचि तिवारी,

1. जमानत प्रार्थना पत्र सं० 668/2020, अन्तर्गत धारा-302, 120 बी भा० द० सं०, थाना कोतवाली शामली, अपराध सं०-850/2019, सत्र वाद सं०-413/2019, विनेशपाल बनाम सरकार का निस्तारण करते समय इस अपराध के सत्र वाद सं०-413/2019, सरकार बनाम विनेशपाल आदि की पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य संज्ञान में आया कि इस अपराध के सह अभियुक्त रचित की संरक्षिका द्वारा अपने पुत्र को किशोर घोषित कराये जाने के प्रार्थना पत्र पर किशोर न्याय बोर्ड, शामली ने उक्त रचित को वाद संख्या 46/11 वर्ष 2019 में पारित अपने आदेश दिनांकित 03.01.2020 के द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर घोषित किया है। किशोर न्याय बोर्ड के वाद सं० 05/9/2020 (सत्र वाद सं० 413 ए/2019) सरकार बनाम विनेशपाल की पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त रचित का रिमाण्ड न्यायालय मुख्य दण्डाधिकारी, शामली के यहां लम्बित रहने के दौरान उक्त रचित को किशोर घोषित करने का प्रार्थना पत्र किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया और रिमाण्ड की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद पत्रावली को सत्र न्यायालय में सत्र सुपुर्द कर दिये जाने के बाद सत्र न्यायालय में विचारण लम्बित रहने के दौरान उक्त रचित को किशोर घोषित किया गया है। उक्त रचित को किशोर घोषित किये जाने के प्रार्थना पत्र को किशोर न्याय बोर्ड में योजित किये जाने से लेकर, उसके निस्तारण तक उक्त रचित कभी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था।

2. किशोर न्याय बोर्ड को किशोर न्याय अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की आयु का निर्धारण करने का अधिकार है। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये बालक को बोर्ड के समक्ष तत्काल भेजे जाने की अधिकारिता है। इस अधिनियम की धारा 10 (1) किसी अभिकथित बच्चे को गिरफ्तार किये जाने पर विवेचक को ऐसे बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने को निर्देशित करती है। इस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विधि का उल्लंघन करने हेतु बच्चे के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जाँच की जाती है और निसन्देह ऐसे बच्चे को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 9 (1) के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष भेजा गया होगा या धारा 10 (1) के अन्तर्गत पुलिस/विवेचक द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया होगा। इस अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत विधि विवादित किशोर को जमानत दिये जाने का प्रावधान है और इस धारा में भी ऐसे विधि विवादित किशोर को गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किये जाने पर या विधि विवादित किशोर के बोर्ड के समक्ष स्वयं उपस्थित होने पर या ऐसे विधि विवादित किशोर को बोर्ड के समक्ष लाये जाने पर ही किशोर को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अन्तर्गत किसी बालक की आयु का निर्धारण इस अधिनियम की धारा 14 व 36 की कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से होता है। धारा 14 विधि विवादित किशोर के निस्तारण/जाँच से संबंधित है, जिसके अन्तर्गत बालक को या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रेषित किया गया होगा या पुलिस/विवेचक के द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया होगा।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 9 (1) या धारा 10 (1) के अन्तर्गत ऐसे बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे बालक की धारा 14 के अन्तर्गत जाँच करने के उद्देश्य से ऐसे बालक को किशोर घोषित करवाने के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। इस अधिनियम में ऐसा निर्धारित नहीं है कि कोई ऐसा किशोर/बालक, जिसका रिमाण्ड/

Sw


विचारण/अपील किसी अन्य न्यायालय में चल रही हो, तो ऐसा किशोर बालक उस न्यायालय में चल रही रिमाण्ड/विचारण/अपील की कार्यवाही से अलग हटकर स्वतः किशोर न्याय बोर्ड में स्वयं को ऐसे अपराध में विधि विवादित किशोर घोषित करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हो।

4. वर्तमान प्रकरण में उक्त रचित को न तो विवेचनाधिकारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा संदर्भित किया गया। किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली के आदेश प्रपत्रों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त रचित को किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा भी कभी अपने समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष न तो उक्त रचित की रिमाण्ड की कार्यवाही कभी हुई और न ही उसके समक्ष किशोर घोषित करवाये जाने के प्रार्थना पत्र के समय विचारण की कोई कार्यवाही लम्बित थी। किसी भी स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या सत्र न्यायालय को उक्त किशोर घोषित करने प्रार्थना पत्र के लम्बित होने या निर्णीत होने की जानकारी नहीं दी गई है।
5. किशोर न्याय बोर्ड की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पत्रावली सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद दिनांक 05-09-2020 तक किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा हत्या के इस जघन्य अपराध में 17 वर्षीय किशोर का आज्ञापक प्रारम्भिक निर्धारण नहीं किया गया है, जो आयु निर्धारण के बाद तत्काल निर्धारित किया जाना चाहिये।

अतः आप उपरोक्त के सन्दर्भ में 3 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त रचित का रिमाण्ड या धारा 14 किशोर न्याय अधिनियम की जाँच, किशोर न्याय बोर्ड के यहां लम्बित न होते हुए भी, उक्त रचित को किशोर घोषित करने का प्रार्थना पत्र क्यों और किन परिस्थितियों में सन्धार्य व निर्णीत हुआ और क्यों व किन परिस्थितियों में उक्त रचित की हत्या के जघन्य अपराध में आज्ञापक प्रारम्भिक निर्धारण आज तक नहीं किया गया है।

यह भी अवगत करवायें कि आप के यहाँ किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार कितने जघन्य अपराधों के मामलों विचाराधीन हैं और कितने मामलों में किशोरों का आज्ञापक प्रारम्भिक निर्धारण आज तक किया गया है।

आप अपना पक्ष 3 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करें।


डॉ. अजय कुमार-द्वितीय
जनपद न्यायाधीश,
शामली।

सेवा में,

सुश्री रूचि तिवारी,
प्रधान मजिस्ट्रेट,
किशोर न्याय बोर्ड, शामली/
सिविल जज सी०डि०/ए.सी.जे.एम.
कैराना।

डी०ओ० नं० 24 / पी०ए० (एस) जनपद न्यायाधीश/2020

03.11.2020

डॉ० अजय कुमार-II एच.जे.एस

विश्राम कक्ष
जनपद न्यायाधीश,
शामली।

सुश्री रुचि तिवारी,

1. आपको डी०ओ० नं० 20 / पी०ए०(एस०) जनपद न्यायाधीश 2020 दिनांकित 22.09.2020 के द्वारा वाद संख्या 46/2011 वर्ष 2019 में अपना निम्न बिन्दुओं पर पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था:-
 - i. किशोर रचित का रिमाण्ड या उसकी धारा 14 किशोर न्याय अधिनियम की जांच किशोर न्याय बोर्ड के यहाँ लंबित न होते हुए उक्त रचित को किशोर घोषित करने का प्रार्थना पत्र क्यों और किन परिस्थितियों में संधार्य व निर्णीत हुआ।
 - ii. क्यों और किन परिस्थितियों में उक्त रचित की हत्या के जघन्य अपराध में उसका आज्ञापक प्रारम्भिक निर्धारण नहीं हुआ।
2. आपने अपने पत्र दिनांकित 19.10.2020 के द्वारा यह अवगत कराया है कि उक्त रचित को विधिक प्रक्रिया के अनुसार किशोर घोषित किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त रचित को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रेषित नहीं किया गया था और न ही उक्त रचित को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत विवेचक द्वारा ही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त रचित को किशोर घोषित किए जाने का प्रार्थना पत्र निर्णीत किए जाने की तिथि तक, उसके रिमाण्ड की कोई कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित नहीं थी और न ही उक्त किशोर की किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14 की कार्यवाही ही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित थी। आपने भी अपने उत्तर में उपरोक्त तथ्यों से इंकार नहीं किया है। इन तथ्यों की पुष्टि संबंधित पत्रावली से भी होती है। इस प्रकार उक्त रचित को किशोर न्याय अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन बोर्ड के समक्ष लाए बिना उसे किशोर घोषित करने का प्रार्थना पत्र सन्धार्य व निर्णीत हुआ है, जो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित नहीं होता है।
3. किशोर न्याय अधिनियम किसी अभिकथित बच्चे के रिमाण्ड या किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14 की जाँच की कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित न रहने पर ऐसे अभिकथित बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वतः किशोर घोषित करने की अधिकारिता नहीं देता है और यदि इस प्रकार की अधिकारिता किशोर न्याय अधिनियम में अन्तर्निहित होती तो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी अभिकथित बच्चे की किसी अपील आदि की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराए बिना किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अभिकथित बच्चे को किशोर घोषित किए जाने वाले प्रार्थना पत्रों को सन्धार्य करते हुए उन्हें किशोर घोषित कर उपरोक्त लम्बित कार्यवाहियों को प्रभावित कर सकता है, जो विधि की मंशा कदापि नहीं है। न्यायालयों की हाइरार्की का सम्मान करना न्यायिक अनुशासन का अभिन्न भाग है।
4. जहाँ तक सत्र न्यायालय द्वारा उक्त रचित की पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किए जाने का प्रश्न है, उक्त प्रेषण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक आदेश के अनुक्रम में किया गया है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश के किसी अन्य सक्षम अपीलीय या निगरानी न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने से पूर्व, ऐसे न्यायिक आदेश का सम्मान करना भी न्यायिक अनुशासन का अभिन्न अंग है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी माननीय


उच्च न्यायालय में ही योजित हो सकती है और केवल मात्र निगरानी की कार्यवाही ही निगरानी न्यायालय स्वप्रेरणा से सन्धार्य कर सकता है। किशोर न्याय बोर्ड के सभी आदेशों के विरुद्ध मात्र अपील ही सत्र न्यायालय/ बालक न्यायालय में योजित की जा सकती है। न्यायिक आदेश के किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा या निगरानी न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने से पूर्व ऐसे न्यायिक आदेश का सम्मान किया जाना भी न्यायिक व्यवस्था का एक अंग है, जो किसी विधिक त्रुटि को क्षम्य नहीं करता है।

5. आपने अपने पत्र से अवगत कराया है कि उक्त रचित को 16 वर्ष 07 माह 25 दिन का होने के कारण दिनांक 16.10.2020 को बालक न्यायालय / पॉक्सो न्यायालय को उसकी पत्रावली को प्रेषित किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त किशोर का जघन्य अपराधों में प्रारम्भिक निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार उसके जमानत प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.01.2020 को निर्णीत करने के काफी अर्से बाद किया गया है।

6. यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उक्त किशोर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 01/12ए, सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.01.2020 द्वारा उसकी पत्रावली दिनांक 07.02.2020 नियत कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रेषित किए जाने से पूर्व ही दिनांक 17.01.2020 को निर्णीत कर दिया गया है। उक्त रचित का जमानत प्रार्थना पत्र किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा दिनांक 17.01.2020 को उस समय निर्णीत किया गया है, जब उक्त रचित के रिमाण्ड या जांच की कोई भी कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित नहीं थी और उस तिथि पर उक्त रचित की विचारण की कार्यवाही केवल मात्र सत्र न्यायालय में ही लम्बित थी। जमानत प्रार्थना पत्र सन्धार्य किए जाने व निर्णीत किए जाने की तिथि तक उक्त किशोर को पुलिस द्वारा दृश्यमान रूप से बालक के रूप में गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही वह किशोर बोर्ड के समक्ष उपसंजात हुआ और न ही लाया गया, इस प्रकार किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सत्र न्यायालय की अभिरक्षा में निरुद्ध उक्त किशोर का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय को कोई सूचना दिए बिना ही उक्त किशोर के किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए बिना ही निर्णीत कर दिया गया है।

7. यदि उक्त रचित को किशोर घोषित करवाने के प्रार्थना पत्र को सन्धार्य किए जाने के समय या निर्णीत किए जाने के समय या उसका जमानत प्रार्थना पत्र सन्धार्य या निर्णीत किए जाने के समय यह भली-भांति जाँच लिया होता कि उक्त रचित की रिमाण्ड या जांच की कोई कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड में लम्बित है अथवा नहीं, तो इस तरह की विधिक त्रुटि कदापि न होती।

अतः आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप भविष्य में किशोर घोषित करवाए जाने वाले प्रार्थना पत्रों को या किशोर के जमानत प्रार्थना पत्रों को सन्धार्य किए जाने के समय किशोर न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे पुनः कोई वैधानिक त्रुटि न हो।


(डॉ० अजय कुमार-II)

जनपद न्यायाधीश, शामली।

03.11.2020

सेवा में,

सुश्री रुचि तिवारी,
प्रधान मजिस्ट्रेट,
किशोर न्याय बोर्ड, शामली/
सिविल जज सी०डि०/ए०सी०जे०एम,
कैराना।

Annexure A-65

227

न्यायालय श्रीमान CJ(ज) FIC शाहली स्थित कैराना

वाद सं० / मुण्डणसं० - 3072

सं० 2010

सरकार

बनाम

वकील शाहि

धारा-498A, 323, 504, 506 IPC


थाना- फाहिला

नकल:- प्रावनापत्र 25/11/2020 का सं०-1958

27/3/2024

Date of Application, 27/3/2024
Date of Notice, 27/3/2021
Date of Delivery, 27/3/2021
Signature of H.C.....

27/3/2021





19/29

228

भायलम श्री मान सिंह जलजुर्गेडो FTC महेदम शासना / कौरना
जानपत्र मर

सदकार

जगम

वकील भादि



CHAUHAN
ADVOCATE
Reg. No. 8947/12
Civil Court KAIRANA, (Shamli)
Mobile- 9932777

धारा - 498A 323 504 506 507 PC

शासना - कांचना

कुंआणम - 344/2019

मिमतदिनांक - 28/11/2020

जानपत्र वास्तु लिख जाने - भायलम कौरना दैतु -



Reg. No. 694
Civil Court KAIRANA, (Shamli)
Mobile- 9932777

श्रीमान जी,

मिसेवन महेदम श्रीमान कौरना दैतु कौरना कौरना

के लिखित भायलम कौरना दैतु कौरना कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

भातः श्रीमान जी के कौरना दैतु कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

Call for report from Apo
25/11/2020

Accused Pakeel, Shale, wajeed taken in custody
25/11/2020

दिनांक 25/11/2020

हकीम वकील

कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

1. वकील श्री कौरना कौरना

2. श्रीमान श्री कौरना कौरना

3. कौरना श्री कौरना कौरना



कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना कौरना

सत्य प्रतिलिपि कौरना कौरना

Copy prepared By
ords.....

Sir,
As per document in case no. 344/19 Accused wakil, Wazid and Shaheed has been charge-sheeted u/s- 498A, 323, ~~304~~, 504, 506 from P.S. Kondhla

[Signature]
25/11/2020



जीमानंत,

आत्मसन्तुष्टता प्राप्त हो
को Note प्रेस बनाई
+ प्रेषित प्रमाणिकाओं को
स्वास्थ्य डी.के. 141 की
अनुमति स्वास्थ्य 2021 म
दे जमा की

[Signature]

Allowed
Jsy
25/11/2020

न्यायालय श्रीमान C3 (J.D) FTC शाहली स्थित कैराना

वाद सं० / मु०अ०सं०-3०72

सन् 2019

सरकार

बनाम

वकील आदि

धारा-490A, 323, 504, 506 / 17C

थाना- काख्यला

नकल:- पार्षनापत्र 25/11/2020 काठमाडौं-1920

27/3/2021

Date of Application: 27/3/2021
Date of Filing: 27/3/2021
Date of Issuance: 27/3/2021
Signature of H.C.:

27/3/2021



आयालय सीमान्त सिविल जज जूरी डिप्टी एच जे वर्यु 211/2020/सीमान्त
जमानत प्रारंभ मर

सरकार

जमानत

वकील कार्यालय

धारा - 498A 323 504 508 512

क्रमांक - 344/2019

दिनांक - 26/11/2020

वापस - 30/12/2019

जमानत प्रारंभ पर सिविल जज वकील सीमान्त, वाणिज्य प्रमुख दिनांक
दिवासी नई वसी मीं मुस्तफा वाद काया व वाया कायमा दिनांक
211/2020 सिविल जज कार्यालय पर उम्मत करते है। ->



- (1.) यह सि धार्यालय/कार्यालय को उक्त आदेश में सुझाव फर्जी बताया गया है। जमानत उक्त आदेश से धार्यालय/कार्यालय को अतन्व वास्तु सिविल प्रकार का नहीं है।
- (2.) यह सि धार्यालय/कार्यालय को कोई फर्ज कमजोरता इतिहास नहीं है। कोर ना भी फर्ज मजामता है।
- (3.) यह सि धार्यालय/कार्यालय ने कोई दाव देहल की सिविल प्रकार की कोई मांग नहीं की है।
- (4.) यह सि उम्मत फर्जी व सुझाव उक्त आदेश पर सिविल है।
- (5.) यह सि उम्मत सिविल को कोई भी सिविल प्रकार लेवी डेन्ल नहीं है।
- (6.) यह सि धार्यालय/कार्यालय ने उक्त धारा 498A 323 504 508 512 का कोई अययम सिविल प्रकार का कार्यालय नहीं किया है।
- (7.) यह सि धार्यालय/कार्यालय के सिविल उक्त धारा 498A 323 504 508 512 का कोई अययम नहीं करता है।

Permitted
regard to note phos
85/11/20

Sir, As per document in case No. 394/2020 Accused Wazid, Shokeel and Wazid are detained in custody after surrender U/s- 498A, 323, 504, 506 IPC from P.S. Kerdhla offence is grave and non-bailable. So bail application strongly opposed.

M. P. S.
25/11/2020




श्रीमान्,
जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर
कोर्ट न्यायालय, कोल्हापूर
अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात
25/11/2020

(8.) यह कि छात्रीगण/भा.वि. का विपक्षी कौशल से विधीयुक्त
का कोई विवाद नहीं है आपस दोनो पक्षों का सम्मान
है युक्त है कि वि. युक्त का कोई कोठ देना ^{नहीं} देखा है।
आपस में सुनने समझने के माध्यम से मामला विपक्ष युक्त
है।

(9.) यह कि यह कि युक्त का उपाय समझ - सामान्य से
स्वीकार के युक्त है।

(10.) यह कि छात्रीगण/भा.वि. उपाय की मांग करते ही गवाह
तैयार व फरार होने का कोई विधीयुक्त का उद्देश्य
नहीं है।

अतः श्रीगण जी से धारणा है कि छात्रीगण/भा.वि. का
उपाय पर विचार किया जाये आपसी भावित सुधा देना
करना ही जाये



दिनांक
25/11/2020

SANJEEV CHAUHAN
ADVOCATE
Reg No. 8947/12
Civil Court KAIRANA, (Shamli)
Mobile- 9690327777

- छात्रीगण/भा.वि.
- 1- वकील पुत्र ^{रफा न} विमलेश्वर
 - 2- शकील पुत्र ^{दीपक 21/4} विमलेश्वर
 - 3- कश्मिद पुत्र विमलेश्वर
- विवाहीगण अधिवक्ता श्री
कुमरफावांदा कान्हा शर्मा - भा.वि.
दिनांक 25/11/2020
द्वारा साक्षर

Photo Copy Prepared By
Words..... 350/..... 27/3/2021

27/3/2021

न्यायालय श्रीमान (J (JD) FTC शागली स्थित कैराना

वाद सं० / मु०अ०स०- 3072

सं० 2019

सरकार

बनाम

वकील आदि

धारा-498A, 323, 504, 506 IPC

थाना- फाचला

नकल:- O.S cell

27/3/2021

Date of Application 27/3/2021
 Date of Notice 27/3/2021
 Date of Delivery 27/3/2021
 Signature of H.C. 27/3/2021



27/3/2021

दही


2019
1

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / जे०एम० शामली

वाद सं०- 3072 / 9

सन् 2019

3072/19



सरकार बनाम वकील छप्पे

धारा- 498A, 323, 804, 806 CrPc

थाना- कौथला

मु०अ०सं०- 344/19

28/09/19 आज यह केस डायरी मय चार्जशीट प्राप्त हुई। अवलोकन किया गया, प्रसंज्ञान लिया गया आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर हो, अभियुक्त के विरुद्ध समन दिनांक 31/10/19 के लिए जारी हो।

सिविल जज (जू०डि०)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।



31/10/19 - वादपुकारा अण्ण भुक्किम गोम्हासिरे
पुनः समन दि० 11/12/19 के विरुद्ध
जारी है।

(MDC)

11/12/19

वाय पुकाशा अण्ण भुक्किम गोम्हासिरे
पुनः समन दि० 11/12/19 के विरुद्ध
जारी है।

(MDC)

326

Crl. Case 3072 / 2019 UPSM 0400518820

11/02/20 वाद पुकारा गया मुल्निज गैर एडवाइज
पुनः समन दि० 14/04/20 के लिए
जारी है।

14/4/20
11/5/20

(अपवाद)


89

कोविड-19 के कारण मा० उच्च न्यायालय के
आदेश से दिनांक 23-03-2020 से 07-05-2020
तक एका पक्ष के द्वारा न्यायाधीशों को
एक पक्ष के द्वारा न्यायाधीशों को यह
कार्य करने से रोका गया है।
दिनांक 29/6/20 सं० ज० (ज० दि०)
शामली

29/6/20 वाद पुकारा गया मुल्निज गैर
एडवाइज है पुनः समन दिनांक 29/8/20
के लिए जारी है।

29/8/20
31/8/20

अवकाश
वाद पेश हुआ। अभियुक्त गैर एडवाइज
पुनः समन दिनांक 6/11/2020 के लिए
जारी है। (अपवाद)



30/10/20 G.O. F. 7-C
Transfer to J.M. Court from C.J. (J. B.S)
W/O Order dated 1/08/2020 of C.J.M.
Court Put up on Date

06-11-2020
26-11-2020
sumon जारी
पेश हुआ। अभियुक्त गैर एडवाइज
पुनः समन दिनांक 26/11/2020 के लिए
जारी है।
S.S.P.
CJ J.M.
FTC

24/11/2020

पत्रावली पेश हुई।
 आभियुक्तगण दिलशाद, जरीफत, वाजिदा को और
 से प्रार्थनापत्र आत्मसमर्पण मय जमानत पेश
 हुआ। सुना व प्रयोग का अवलोकन किया
 गया हुआ कि आभियुक्तगण उपरोक्त हाल
 संलग्न 25,000/- के दो-दो जमानत व इनकी
 ही पनराशि का मजबूत बंधपत्र दायर कर
 जाने पर जमानत पर रिल किया जाता है।
 जमानत नामे दायर होकर स्वीकृत
 किया गए। पत्रावली कारण हाजिरी दिनांक
 26/11/2020 को पेश है।



वाजिदा



[Signature]
 CJ, JD/FTC
 Sharnli at Kairana

26/11/2020

पत्रावली पेश हुई।
 कोई हाजिर नहीं आया। आभियुक्तगण दिलशाद,
 जरीफत व वाजिदा को स्पेशल अन्य आभियुक्तगणों
 के समन दिनांक 03/12/2020 को रिल
 जारी है। 90 महीने अवकाश पर है।

[Signature]
 CJ, JD/FTC
 Sharnli at Kairana

03/12/2020

AMT

पतावली पेश हुई।
कोई टाउकर नहीं आया।
आशुभक्तगज के
समय दिनांक 16/12/2020 के
लिए जारी है।

AMT
CS 33
FTC

03-12-2020

वाद पेश हुआ। अमित शर्मा व वाजिद



की आवेदन की भोर से प्रा. पत्र वास्तु कराने अमानत
प्रस्तुत हुआ। अमित को व्यक्ति अभिरक्षा में लिया
में लिया गया। आदेश हुआ कि अमित द्वारा केवल
पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के शी-शी अमानती
के अतिरिक्त कचपत्र शामिल करने पर अमानत
पर रिहा किया जाए। अमानत प्रपत्र शामिल
होकर स्वीकृत। पतावली नियत दिनांक को पेश
है।

CS 33
FTC

16/12/2020

पतावली पेश हुई। P.O. महीपका प्रारम्भ पर
है अशुभक्तगज में टाउकर। अशुभक्तगज के
समय जारी है। पतावली दिनांक 16/01/2021
को पेश है।

CS 33
FTC

16/01/2021

श्री. शशीकांत 10/02/2021



पनावली पेशा हजे P.O महेदपा
पारीकाण पट ही आमोराबा शकीला
दिलशाद जरीफन वाजिद वाजिद
हाजिद हाथ व अग्निक वकील अनुपस्थित
वासने वसन दिनांक 10/02/21 को पेशा ही

11/02/2021
F.T.C (S)

वाजिद

10-02-2021

11-02-2021

वाक पेशा हुमा / श्री. शशीकांत, वाजिद,
दिलशाद, जरीफन व वाजिद श्री हाजिद
माफ / पनावली वासने FO दिनांक
11/02/2021 को पेशा ही

Handwritten signature
F.T.C

11-02-2021

23-02-2021



वाक पेशा हुमा / श्री. दिलशाद हाजिद /
श्री. पनावली वासने FO दिनांक
23/02/2021 को पेशा ही / श्री. वाजिद माफ
नापिक काम से विरत ही

Handwritten signature
F.T.C

वकील

आज यह वाद पेश हुआ। अतिरिक्त वकील की शोश
के जर्नल पत्र के न्यायिक अतिरिक्त पेश हुआ।
आदेश हुआ कि अतिरिक्त का न्यायिक अतिरिक्त
में लिया जाये। वाद जर्नल पत्र जमानत पेश हुआ।
आदेश हुआ कि अतिरिक्त द्वारा अंजन पञ्चीस - पञ्चीस
द्वारा रूपये का निजी अतिरिक्त दाखिल करने पर
जमानत पर रिया किया जाये। बन्धपत्र व अतिरिक्त
दाखिल होकर स्वीकृत पत्रावली दिनांक

03-03-2024 को पेश है।

CSJD
FTC

03/03/2024
08/03/2024
वकील

वाद पुनरा गया। अतिरिक्त वकील हाजिर।
अतिरिक्त का हाजिर। माफ पत्रावली दाखिल
आगे दिनांक 08/03/2024 को पेश है।

CSJD
FTC

08/03/2024
16/03/2024

वकील
अतिरिक्त

अतिरिक्त
अतिरिक्त

अतिरिक्त
अतिरिक्त

वाद पुनरा गया। अतिरिक्त
हाजिर अतिरिक्त अतिरिक्त का
आगे अतिरिक्त पत्रावली
पर अतिरिक्त पत्रावली
आगे PE दिनांक 16/03/2024
को पेश है।

CSJD
FTC

16-03-2021

25-03-2021
कि. अ. उ. अ. अ.

वकील

वाक पुकारा गया / आर्थिक शकल व
पकील तर्क हाजिरी अन्य भी हाजिरी
माफी / स्थापित / वक वारे PE
दिनांक 25/03/2021 को पेश हो।

✓
C.S.D
F.T.C

25/03/2021

वकील
कि. अ. उ. अ. अ.

वाक प्रस्तुत हुआ / P.O. आज जायालय सुवायेने के
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 08/4/21 को PE
देवु पेश हो। आर्थिक उ. उ. अ. अ.)

✓
C.S(D) F.T.C.

वाजिद
कि. अ. उ. अ. अ.

कि. अ. उ. अ. अ.

photo Copy prepared By
Words..... P.S. 25/3/2021

सत्य प्रतिलिपि
25/3/2021
पुनः प्रतिलिपिक/सामली

डी०ओ० नं० 25/पी०ए० (एस) जनपद न्यायाधीश/2020
डॉ० अजय कुमार-II एच.जे.एस

01.12.2020

विश्राम कक्ष
जनपद न्यायाधीश,
शामली।

सुश्री सुधा शर्मा,

1. मु०अ०सं०-344/2019, वाद सं०-3072/2019, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 504, 506 भा०द०सं०, थाना कांधला में अभियुक्तगण वकील, शकील आदि के द्वारा आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र कागज सं० 19 ख/1, दिनांक 25-11-2020 को आपके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपके द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी से आख्या आहूत की गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपनी आख्या में उक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्राप्त होना बताया, जिस आख्या के आलोक में आपके द्वारा उक्त तीनों आवेदकगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र कागज सं० 19 ख/2 व 19 ख/3 प्रस्तुत किये गये, जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या अंकित की गई कि उक्त तीनों आवेदकगण/अभियुक्तगण आत्मसमर्पण के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं और जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।
3. इसके पश्चात आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र वापिस लेने का अनुरोध किया, जिस पर आपके द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार किया गया और आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को बल न दिये जाने के कारण खारिज किया गया। उक्त न्यायिक कार्यवाही का कोई उल्लेख दिनांक 25-11-2020 का आदेश पत्रक लिखते हुए नहीं किया गया और आवेदकगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिये जाने के बाद उनका अभिरक्षा वारण्ट बना कर जिला कारागार भी प्रेषित नहीं किया गया। तदपश्चात आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने पर नोट प्रेस किये जाने की प्रार्थना को आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि तीनों आवेदकगण/अभियुक्तगण को आपके द्वारा अभिरक्षा में लिया जा चुका था। आपने तीनों आवेदकगण/अभियुक्तगण को अभिरक्षा से मुक्त किए जाने का कोई आदेश भी अलग से पारित नहीं किया और न ही उन्हें अभिरक्षा वारण्ट बनाकर जिला कारागार ही भेजा गया।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण को एक बार न्यायिक अभिरक्षा में ले लिये जाने के बाद उनका आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के आधार पर निरस्त करते हुये आपने अपने न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने वाले आदेश का पुनर्विलोकन करते हुये एक तरह से बिना जमानत प्रार्थना पत्र के या बिना अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र के, अभिरक्षा में लिये गये आवेदकगण/अभियुक्तगण को मुक्त कर दिया है, जिन्हें न तो जमानत पर मुक्त किया गया, न विचारण उपरान्त दोषमुक्ति पर मुक्त किया गया, न ही अन्तरिम जमानत पर मुक्त किया गया है और न ही उन्मोचन पर मुक्त किया गया है। द०प्र०सं० के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। न्यायिक

AW

Back of (237)

2

अभिरक्षा में लिये जाने के बाद अभियुक्त को या तो जमानत पर मुक्त किया जा सकता है या अन्तरिम जमानत पर मुक्त किया जा सकता या दोषमुक्त किये जाने पर या उन्मोचित किये जाने पर मुक्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में तीन दिवस के अन्दर आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उक्त अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के बाद, उनका आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र क्यों व किन परिस्थितियों में बल न दिये जाने के कारण निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा से किस आदेश के अन्तर्गत मुक्त किया गया है और दिनांक 25.11.2020 को न्यायालय में हुई कार्यवाही का आदेश पत्रक पर अलग से आदेश क्यों पारित नहीं किया गया? आप अपना पक्ष तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।


(डा० अजय कुमार-II)

जनपद न्यायाधीश, शामली।

01.12.2020

सेवा में,

सुश्री सुधा शर्मा,
सिविल जज (जू०डि०) एफ.टी.सी,
शामली।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
शामली।

विषय: D.O. No. 25/ P.A (S) District Judge / 2020 dt. 01.12.2020
के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक D.O. के संबंध में मैं विनम्रतापूर्वक
निम्नलिखित निवेदन करती हूँ -

- 1) मु. अ. सं. 344/2019 वाद सं. 3072/2019 अंतर्गत धारा 498-A, 323, 504, 506 IPC धाना कांथला में अभियुक्तगण वकील, शकील आदि के द्वारा मेरे समक्ष आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर मेरे द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या आहूत की गयी। अपनी आख्या में उन्होंने उक्त आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विकृत आरोप पत्र दाखिल होने का कथन किया जिसके आलोक में मेरे द्वारा आवेदकगण/ अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया गया।
- 2) मेरे द्वारा उक्त आदेश पारित करते ही आवेदकगण/ अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करना प्रारंभ कर दिया। उसी दौरान अभियुक्तगण/ आवेदकगण का स्वास्थ्य खराब हो गया तथा उन्हें खंसी भी होने लगी।


- 3) जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान ही मैंने द्वारा आवेदकगण/ अभियुक्तगण के अधिवक्ता से पूछा गया कि क्या आवेदकगण/ अभियुक्तगण कोरोना से पीड़ित तो नहीं हैं? क्या आवेदकगण/ अभियुक्तगण का COVID-19 का टेस्ट कराया गया है या नहीं? इस पर उन्होंने बताया कि क्योंकि आवेदकगण/ अभियुक्तगण का COVID-19 का टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण COVID-19 से पीड़ित हैं या नहीं।
- 4) अद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश का इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं है किंतु जनपद शास्त्री में कार्यरत अन्य न्यायिक अधिकारीगण कोरोना महामारी के चलते प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को आत्मसमर्पण करने पर तभी जेल भेजने का आदेश पारित करते हैं जब अभियुक्त COVID-19 से पीड़ित न हो।
- 5) आवेदकगण/ अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा उस क्रम में जमानत प्रार्थना पत्र एवं आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण का स्वास्थ्य खराब होने पर संबद्ध न दिए जाने की प्रवृष्टि अंकित कर दी गयी थी।

मेरे द्वारा सद्भावना रखते हुए तथा COVID-19 महामारी (239) के चलते अभियुक्तगण/प्राचींगण एवं अन्य लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों को बल न दिए जाने पर निरस्त कर दिया गया। इसी कारण से पत्रावली के आदेश पत्रक पर अलग से आदेश पारित नहीं किया गया।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय के सम्मुख सद्भावना के साथ एतदनुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु विनम्र प्रार्थना के साथ प्रस्तुत है। भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी।

Date - 04.12.2020

भवदीया


सुषमा शामी

सिविल जज (जू.डि) F.T.C
शामली

Annexure A-68

प्रेषक,
राजमंगल सिंह यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली

सेवा में,
आदरणीय जनपद न्यायाधीश
शामली

विषय- आदरणीय महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त डी०ओ०नं०/
610/2021 इलाहाबाद दिनांकित 8 मार्च 2021 के के अनुक्रम में मांगी गयी रिपोर्ट के संबंध
में,

महोदय,
महोदय उपरोक्त डी०ओ० के साथ संलग्न सुश्री मुक्ता त्यागी सि०जज
जू०डि०/जे०एम० शामली द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 07.03.21 में प्रार्थी के संबंध में जिन
तथ्यों का उल्लेख किया गया, निम्नानुसार संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें-

1. महोदय प्रार्थी सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज सि०डि० कैराना एवं सुश्री मुक्ता त्यागी सि०जज जू०डि०/जे०एम० शामली से कोई ईर्ष्या या वैमनस्य नहीं रखता है, और न ही प्रार्थी ने कभी दोनों विद्वान न्यायिक अधिकारियों पर कभी किसी न्यायिक आदेश को पारित करने के लिये दबाव बनाया अपितु प्रार्थी अपने न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों का सुचितापूर्वक निर्वहन करता है एवं किसी के न्यायिक कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता है।
2. जहाँ तक धारा 377 भा०द०स० के मामलों पुरुष (Male) पीडित के धारा 164 द०प्र०स० के बयान को लिखे जाने का संबंध है, मेरे समक्ष कभी भी इस प्रकार की बात उपरोक्त दोनों विद्वान न्यायिक अधिकारी द्वारा न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में उठायी गयी। जबकि सुश्री मुक्ता त्यागी सि०जज जू०डि०/जे०एम० शामली, एवं सुश्री रूचि तिवारी सिविल जज सि०डि० कैराना द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में मुझसे लिखित रूप में मार्गदर्शन कई बार मांगा गया है, एवं 164 द०प्र०स० के बयान एवं रिमांड कार्य के संबंध में भी लिखित रूप से मार्गदर्शन मांगा गया है, जबकि स्वस्थ परम्परा यह है कि किसी समस्या के संबंध में मौखिक रूप से पूछताछ अपने वरिष्ठ से की जाती है, क्योंकि जिस विषय के संबंध में द०प्र०स० में उपबंध है उसके बारे में सभी न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा होती है कि उसको विधि के उपबंधों का ज्ञान है और उसके संबंध में लिखित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है इस तथ्य को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ली गयी मासिक बैठक दिनांकित 11.07.19 के कार्यवृत्त के पैरा 35 में उल्लेख किया गया है(संलग्नक-1 लगायत 9)। उपरोक्त पत्राचार केवल प्रार्थी को परेशान करने के लिये प्रेषित किया गया और उक्त मामले में लगभग बीस दिन बाद पीडिता के बयान अंकित किये गये, जिससे पीडिता को कई दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रहना पडा। कोई भी विधि या माननीय उच्च न्यायालय से निर्गत सर्कुलर लेटर महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा धारा 377 भा०द०स० के मामलों पुरुष (Male) पीडित के धारा 164 द०प्र०स० के बयान को लिखे जाने से निवारित नहीं करती है,। महोदय सुश्री रूचि तिवारी एवं सुश्री मुक्ता त्यागी के अतिरिक्त इस समय माह सितम्बर 2020 से श्रीमती प्रतिभा सिविल जज सी०डि०/ए०सी०जे०एम, शामली को भी धारा 377 भा०द०स० के मामलों पुरुष (Male) पीडित के धारा 164 द०प्र०स० के बयान को लिखे के लिये मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है किन्तु उनके द्वारा आज तक ऐसी कोई समस्या मेरे समक्ष नहीं बतायी गयी। महोदय जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक मेरे अलावा मात्र सुश्री रूचि तिवारी एवं सुश्री मुक्ता त्यागी ही मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहे थे, और अन्य कोई अधिकारी नहीं थे। दिनांक 10.08.18 को शामली सेशन खंड घोषित होने से लेकर माह जनवरी 2021 तक न तो कभी मुझसे और न कभी भी आदरणीय जनपद

न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रत्येक माह ली जाने वाली मासिक बैठक में भी अपनी इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया जबकि अपनी समस्याओं के संबंध में मुझसे दोनों ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में मार्गदर्शन मांगा जाता रहा है। मुझसे आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कभी भी इस विषय पर कोई बात नहीं की। माह फरवरी 2021 में दिनांक 25.02.2021 को आयोजित मासिक बैठक में सर्वप्रथम सुश्री सुधा शर्मा सि०जज जू०डि०/जे०एम० (FTC)शामली द्वारा यह बात माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष उठायी गयी, तब आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सभी अधिकारियों की उपस्थिति में मुझे निर्देशित किया कि यदि धारा 377 भा०द०स० के अपराध के संबंध में पुरुष पीडित का धारा 164 द०प्र०स० के अंतर्गत बयान लिखने के लिये आता है तो यथासंभव किसी पुरुष न्यायिक अधिकारी को बयान लिखने के लिये आदेशित किया करें। मैंने कहा कि आदरणीय महोदय आपके द्वारा इस संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा। सुश्री सुधा शर्मा सि०जज जू०डि०/जे०एम० (FTC)शामली द्वारा भी मुझे कभी भी अपनी इस समस्या से अवगत नहीं कराया गया। महोदय यह भी अवगत कराना है कि माह जनवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक मुख्यालय पर मेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मजिस्ट्रेट जजशिप शामली में न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं कर रहा था। इस प्रकार से प्रार्थी ने कभी किसी दुर्भावना से या किसी को परेशान करने के लिये किसी को धारा 164 द०प्र०स० के बयान लिखने के लिये निर्देशित नहीं किया अपितु अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक कार्य किया है।

महोदय जहाँ तक आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ए.डी.जे. के द्वारा धारा 164 द०प्र०स० के द्वारा भेजे गये बयानों का प्रश्न है, प्रार्थी ने हमेशा विधिपूर्वक उनके आदेशों का पालन किया है और कभी भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की है। शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न एनेक्जर-1 के अनुसार मु०अ०स० 134/2019, धारा 377, 506, भा०द०स० एवं 3/4 पोक्सों एक्ट थाना आदर्शमंडी के मामले में दिनांक 06.07.2019 को आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा मुझे बयान अंकित करने के लिये आदेशित किया गया है। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र को विद्वान ए०सी०जे०एम०, कैराना को बयान लिखे जाने के लिये कहा गया। सामान्य अनुक्रम में मेरे समक्ष जो भी बयान लिखे जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे द०प्र०स० में सी०जे०एम० के लिये कार्य अंतरण के सांविधिक उपबंधों के अधीन रहते हुये मेरे द्वारा अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाता है, और इसी के अनुक्रम में मेरे द्वारा बयान लिखने के लिये कहा गया है। महोदय इस आदेश के पूर्व आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा जितने भी बयान लिखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र मुझे प्रेषित किये गये हैं, चाहे व पुरुष पीडित हो महिला पीडित हो, आदेश होता था कि **Ld.CJM to arrange.** (संलग्नक-10, 11) किन्तु इस मामले में अलग ही आदेश पारित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि डी०ओ०लेटर के साथ संलग्नक-1 एक गोपनीय दस्तावेज होता है और बंद लिफाफे में रखा जाता है, और बिना आदेश के इसकी प्रति या छायाप्रति प्राप्त नहीं की जा सकती। इस दस्तावेज की छायाप्रति कैसे प्राप्त की गयी, यह भी विचारणीय बिन्दु है। इस प्रकार से या तो उसी समय किसी अधिकारी द्वारा शिकायत करने के उद्देश्य से छायाप्रति करायी गयी, या तो सीलबंद लिफाफा से छेड़छाड़ करके उक्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्राप्त की गयी। इस प्रकार से प्रार्थी ने कोई भी न्यायिक अनुशासनहीनता नहीं की है, और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

अपितु आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा दिनांक 13.05.20 को मु०अ०स० 238/20 धारा 363,376 भा०द०स० एवं 3/4 पोक्सों एक्ट, थाना-कांघला में पीडिता धारा 164 द०प्र०स० के प्रार्थना पत्र जिसमें पीडिता कु० जानी का बयान होना था, पर आदेश पारित किया कि- **Ld. C.J.M to record the statement**। विवेचक ने मेरे समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो मैंने आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से मिलकर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत सी०एल०नं-24 एडमिन जी।। दिनांकित 27.08.13 इलाहाबाद एवं सी०एल०नं०- 13639 दिनांकित 16.09.14 इलाहाबाद के द्वारा यह दिशा निर्देश है कि यदि मुख्यालय पर महिला न्यायिक अधिकारी उपस्थित है तो बलात्कार की पीडिता का बयान महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा ही लिखा जायेगा, और यदि मुख्यालय पर महिला न्यायिक अधिकारी उपस्थित नहीं तो पुरुष अधिकारी द्वारा न्यायालय में नियुक्त किसी महिला कर्मचारी

की उपस्थिति में लिखा जायेगा। मैंने कहा कि सर यदि मैंने बयान लिखा तो माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सर्कुलर लेटर का उल्लंघन हो जायेगा, और मैं फंस जाऊंगा, जबकि दो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर आज उपस्थित हैं। तो आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि मैंने आदेश कर दिया है और आपको बयान लिखना होगा। मैं परेशान होकर आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया, तब आदरणीय जिला जज साहब ने कहा चलो ठीक है, मैं अभी श्री रजत वर्मा सर से बात करता हूँ। तब आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब के कहने के बाद आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये आदेश—Ld. C.J.M to record the statement में संशोधन करते हुये or arrange for the same शब्द बढ़ा दिया और आदेश पारित किया कि—Ld. C.J.M to record the statement or arrange for the same.(संलग्नक-12) उक्त प्रार्थना के पहले जितने भी प्रार्थना पत्र आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा मेरे समक्ष 164 द0प्र0स0 के बयान के लिये मार्क किये जाते थे उसमें— Ld. C.J.M to arrange. का आदेश होता था और मेरे द्वारा अक्षरशः उनके आदेशों का अनुपालन किया जाता था। इस प्रकार से प्रार्थी उपरोक्त घटनाक्रम से खुद मानसिक रूप से परेशान हुआ है, और प्रार्थी को फंसाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से मेरे द्वारा कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया गया और न ही कोई अनुशासनहीनता की गयी और न ही किसी अधिकारी को परेशान किया गया। मेरे बारे में जो भी बातें लिखी गयी हैं वो गलत हैं। मेरे द्वारा आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के द्वारा या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जब कभी भी किसी न्यायिक कार्य के अलावा अन्य कार्य के लिये आदेशित किया गया मैंने उसका अनुपालन किया और कभी भी श्री रजत वर्मा सर ने मेरी अनुशासनहीनता के संबंध कोई शिकायत आदरणीय जनपद न्यायाधीश से नहीं की। अपितु प्रार्थी आदरणीय श्री रजत वर्मा सर के उक्त आदेश से स्वयं परेशान हुआ है। महोदय यह भी कहना है कि कई अवसर पर सुश्री रुचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी ने धारा 164 द0प्र0स0 के बयान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन न लिखकर बिना किसी कारण के दूसरे-तीसरे दिन लिखा, जबकि धारा 164 का बयान उसी दिन हो जाना चाहिये, क्योंकि इसमें पीडिता की अभिरक्षा का बहुत ही संवेदनशील प्रश्न निहित होता है, और पीडिता को पुलिस अभिरक्षा में रहना पड़ता है। उपरोक्त तथ्य सी.जे.एम. होने के नाते मेरी निजी जानकारी में है क्योंकि धारा 164 इन तथ्यों से मुझे अवगत कराया जाता था।

महोदय इसी प्रकार से प्रार्थी दिनांक 30.06.20 को त्रैमासिक जेल निरीक्षण के लिये जिला कारागार मुजफ्फरनगर गया हुआ था, और मेरे न्यायालय का कार्य सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा किया जा रहा था। महोदय उस दिन मेरे न्यायालय में नियुक्त आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार आकस्मिक अवकाश पर था। मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों ने पूछने पर सुश्री मुक्ता त्यागी को बताया कि दिनेश दो दिन से अवकाश पर है, इस बात पर उपस्थिति पंजिका मँगाई गयी और उपस्थिति पंजिका प्राप्त न होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भेजा गया। महोदय दिनांक 30.06.20 को आदरणीय श्री रजत वर्मा सर रेसेज पर थे, और प्रभारी जिला जज आदरणीय श्री सुबोध सिंह ए0डी0जे0 साहब थे। किन्तु सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने प्रभाव से आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से जबकि वह रेसेज पर थे, दिनांक 30.06.20 में स्पष्टीकरण तलब करा लिया (संलग्नक-13,14) इस प्रकार से प्रार्थी को उपरोक्त लोगों के द्वारा स्वतः परेशान किया जाता है।

महोदय प्रार्थी किसी भी अधिकारी से कोई विद्वेष नहीं रखता है। महोदय मु0अ0स0 155/20 धारा-376, 354ग,386,120 भा0द0स0, थाना-थानाभवन, में दिनांक 11.06.20 को विवेचक के द्वारा मामले में पीडिता के धारा 164 द0प्र0स0 के बयान दुबारा इस आधार पर अंकित किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया कि पीडिता ने पुलिस अधीक्षक शामली को प्रार्थना पत्र दिया है कि जब मैं जज के सामने पहुँची तो जज ने मुझे बहुत धमकाया और कहा कि तुम पत्रकार का नाम इसमें से हटा दो। मैंने जज को कहा कि मैंने जो तहरीर में लिखा है, वह एक सच्ची घटना है और यही मेरा बयान है, लेकिन जज मुझे लगातार धमकाती रही जिससे मैं काफी डर गयी और सही से बोल नहीं पायी। महोदय उक्त बयान

सुश्री रूचि तिवारी द्वारा लिखा गया था। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र का उसी दिन गुण-दोष पर निस्तारित करते हुये निरस्त किया गया (संलग्नक-15, 16) इस प्रकार से प्रार्थी कभी भी किसी अधिकारी से किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखता है।

इसी प्रकार से माह जून 2020 में आदरणीय श्री रजत वर्मा सर प्रभारी जिला जज के रूप में कार्य कर रहे थे। माह जून में सी0जे0एम0 होने के नाते मैंने आदरणीय श्री रजत वर्मा सर से कहा कि सर मानीटरिंग सेल की मीटिंग इस माह आयोजित करनी है तो सर ने कहा कि मैं आपके साथ मीटिंग नहीं करूँगा, जब आप रेसेस पर चले जायेंगे तब मैं आपके प्रभारी अधिकारी के साथ मानीटरिंग सेल की मीटिंग आहूत करूँगा। जिससे प्रार्थी काफी परेशान हुआ (संलग्नक-17) इस प्रकार से उपरोक्त तीनों ही अधिकारियों ने कई अवसरों पर प्रार्थी को परेशान एवं अपमानित किया है।

3. महोदय प्रार्थी के बारे में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने सुश्री रूचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी का प्रत्येक अल्टरनेट महीनों में रिमांड ड्यूटी जानबूझकर लगायी, और परेशान करने के लिये पन्द्रह-पन्द्रह दिन के लिये रिमांड की अवधि नियत की, और रिक्वेस्ट करने पर कि यह उचित नहीं है तो वह नहीं माने, और रिमांड ड्यूटी लगाते रहे, यह कथन बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। प्रार्थी के बारे में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी ने आकस्मिक परिस्थितियों में भी अपनी रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी और हमारी बात को खारिज कर दिया, यह तथ्य भी बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। शिकायत पत्र के संलग्नक एनेक्जर 2 के संबंध में) यह भी तथ्य बिल्कुल गलत है कि मैंने अपनी कभी रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी।

महोदय प्रार्थी द्वारा निम्न अवसरों पर स्वयं की रिमांड ड्यूटी न्यायिक अधिकारियों के अनुरोध पर लगायी गयी है-

1. माह अगस्त 2018 पूरे महीने के लिये (संलग्नक- 18),
2. माह दिसम्बर 2018 पूरे महीने के लिये (संलग्नक-18) तत्कालीन सिविल जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली, श्री रजनीश मोहन वर्मा, तत्कालीन सिविल जज जू0डि0/जे0एम शामली सुश्री रूचि तिवारी एवं तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा माह दिसम्बर में शीतावकाश में मौखिक अनुरोध करने पर कि शीतकालीन अवकाश में उनका बाहर जाने का कार्यक्रम है।
3. माह मार्च 2019 में रिमांड ड्यूटी संलग्नक के अनुसार सुश्री मुक्ता त्यागी तत्कालीन जे0एम0 शामली की थी, और दिनांक 20.03.19, 21.03.19, एवं 22.03.19 को होली का अवकाश था। सुश्री मुक्ता त्यागी अवकाश लेकर अपने घर गयी थी। दुर्भाग्यवश प्रार्थी की पत्नी का इस अवधि में बच्चे का मिसकैरिज हो गया था, और प्रार्थी की पत्नी बीमार हो गयी इस कारण प्रार्थी अपने गृह जनपद इलाहाबाद नहीं जा सका। चूँकि प्रार्थी मुख्यालय पर था इसलिये प्रार्थी ने सुश्री मुक्ता त्यागी को टेलीफोन करके कहा कि मैं मुख्यालय पर रुका हूँ, मैं आपकी रिमांड कर दूँगा आप अपने घर पर होली के त्यौहार पर रहिये। इस पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा मुझे धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया (संलग्नक-19)
3. दिनांक 28.04.19 को सि0जज सी0डि0/ए0सी0जे0एम0 शामली के आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश लेने पर, (संलग्नक-20)
4. दिनांक 14.03.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी के रिमांड के स्थान पर प्रार्थी द्वारा रिमांड करने की सहमति दी गयी। (संलग्नक-21)

महोदय जहाँ तक माह मार्च 2020 में रिमांड ड्यूटी में सहयोग न करने की बात है जिसके संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक 2 लगाया गया है उसके संबंध में प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार से है-

1. यह कि माह जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक जजशिप शामिली में प्रार्थी के अलावा केवल सुश्री रुचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी ही मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य सम्पादित कर रहे थे।

2. माह मार्च 2020 में सुश्री रुचि तिवारी जी की रिमांड ड्यूटी पूर्व से निर्धारित थी।

3. दिनांक 20.02.20 को सुश्री रुचि तिवारी द्वारा प्रार्थना पत्र रिमांड ड्यूटी बदले जाने के लिये दिया गया कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम जाना है। मुझसे मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया कि सर आप रिमांड यदि संभव हो तो एक दो दिन की देख लीजियेगा। मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से मौखिक रूप से विचार विमर्श करके दिनांक 24.02.20 को आदेश पारित किया गया (संलग्नक-22)

4. प्रार्थी को भी बाहर जाना था इसलिये सुश्री मुक्ता त्यागी की रिमांड ड्यूटी मेरे द्वारा लगायी गयी (संलग्नक-23)

5. दिनांक 25.02.20 को पुनः प्रार्थना पत्र सुश्री रुचि तिवारी द्वारा भेजा गया कि सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा दिनांक 08.03.20 से 11.03.20 तक के लिये रिमांड करने की जो सहमति दी गयी है उसको उन्होंने वापस ले लिया है, और किराी अन्य मजिस्ट्रेट की नियुक्त किया जाये। इस प्रकार से न तो सुश्री रुचि तिवारी द्वारा और न ही सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा मुझसे पूँछा गया कि सर आपका घर इलाहाबाद है आपको तो इलाहाबाद नहीं जाना है। चूँकि प्रार्थी को बाहर जाना था इसलिये प्रार्थी ने दिनांक 25.02.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा रिमांड कार्य सम्पादित करने का आदेश पारित किया क्योंकि अन्य कोई मजिस्ट्रेट जजशिप में कार्यरत नहीं था।

6. बाद में आदरणीय तत्कालीन जिला जज साहब ने मुझसे कहा कि सुश्री मुक्ता त्यागी को अपने ट्रांसफर के संबंध में दिनांक 14.03.20 को इलाहाबाद जाना है, एक दिन की रिमांड हो सके तो देख लेना। मैंने कहा कि सर मुझसे किसी ने अपनी बात नहीं कही, और यदि मैं दिनांक 14.03.20 को मुख्यालय पर रहूँगा तो निश्चित रूप से सहयोग करूँगा। इस संबंध में आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया और कहा कि सुश्री मुक्ता त्यागी की दिनांक 14.03.20 की रिमांड देख लीजिये यदि संभव हो तो। मैंने कहा कि मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, आपके आदेश का अनुपालन होगा, यदि मैं मुख्यालय पर रहूँगा तो निश्चित सहयोग करूँगा, किन्तु संबंधित मजिस्ट्रेट ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। फिर मैंने दिनांक 14.03.20 के रिमांड कार्य में सहयोग प्रदान करने की सहमति दी। बाद में दिनांक 02.03.20 को सुश्री मुक्ता त्यागी ने मुझे फोन किया कि और कहा कि सर मेरी जिला जज साहब से बात हो गयी है आपने उनसे दिनांक 14.03.20 को रिमांड की सहमति तो दे दी है और दिनों के लिये सहमति के लिये उन्होंने कहा कि सी.जे.एम. साहब से बात कर लो। मैंने कहा कि मेरा बाहर जाने का कार्यक्रम है इसलिये मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार से प्रार्थी ने किसी को परेशान नहीं किया अपितु उपरोक्त पत्राचार से स्वयं परेशान हुआ।

महोदय जहाँ तक 15-15 दिन की रिमांड ड्यूटी लगाये जाने का प्रश्न है तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके कोविड महामारी के दौरान लॉक डाउन लागू होने पर उक्त ड्यूटी दोनों ही न्यायिक अधिकारियों की लगायी गयी क्योंकि दोनों ही अधिकारी कोर्ट कैम्पस कैराना में ही रहते हैं, और आवास से कोर्ट की दूरी लगभग सौ मीटर से भी कम है। जबकि प्रार्थी कोर्ट कैम्पस से बारह किमी० दूर शामिली में निवास करता है। कोविड 19 के माहौल भारत सरकार के गाइडलाईन में बहुत ही कम बाहर निकलना हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कोविड 19 के दौरान बहुत ही सीमित मात्रा में न्यायिक कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार से प्रार्थी ने किसी को परेशान करने की नियत से रिमांड ड्यूटी नहीं लगायी गयी अपितु कोविड के कारण अपरिहार्य स्थिति में ऐसी व्यवस्था आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करने के बाद की गयी। न तो मुझसे और न ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से इस संबंध में किसी समस्या से दोनों ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। माह दिसम्बर 2020 में रिमांड ड्यूटी श्रीमती प्रतिभा सि०जज०सी०डि०/ए०सी०जे०एम० शामिली के द्वारा की गयी (संलग्नक-24)

महोदय उपरोक्तानुसार प्रार्थी ने रिमांड ड्यूटी को लेकर सभी न्यायिक अधिकारियों का सहयोग किया है और कभी किसी को परेशान नहीं किया है और न ही अपने पद का दुरुपयोग किया है। अपितु प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करता है। महोदय प्रार्थी ने जो भी रिमांड के संबंध में आदेश पारित किये हैं, आदरणीय जिला जज साहब से पूर्व विचार विमर्श करके किया है और उसकी प्रति आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया है। कभी कोई शिकायत मासिक बैठक में भी नहीं की गयी। उपरोक्त रिमांड के संबंध में आक्षेप करना एक प्रकार से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों पर भी आक्षेप लगाया गया है, जो कि न्यायिक प्रतिष्ठान की सुचिता के लिये उचित नहीं है।

महोदय यह तथ्य यद्यपि प्रार्थी उल्लिखित नहीं करना चाहता क्योंकि यह न्यायिक प्रतिष्ठान के मूल्यों के विपरीत है किन्तु प्रार्थी के उपर आरोप लगाया गया तो प्रार्थी इस तथ्य को माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहा है। महोदय मई 2019 में सुश्री रुचि तिवारी की रिमांड ड्यूटी थी। दिनांक 19.05.19 दिन रविवार को रिमांड ड्यूटी उनके द्वारा न करके किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गयी। जबकि सुश्री रुचि तिवारी द्वारा न तो मुझे इस तथ्य से अवगत कराया गया और न ही कोई मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस तथ्य की जानकारी जब मुझे दूसरे दिन रिमांड मेरे समक्ष प्रस्तुत करने से हुयी तो मैंने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी प्रशासन जनपद न्यायालय शामली श्री रजत वर्मा सर से इस बारे में कहा कि इसकी सूचना मैं भेज दूँ, क्योंकि प्रशासनिक आदेश को न मानना अनुशासनहीनता है, तो श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, आप जानते नहीं कि मैं यहाँ पर ए0डी0जे0 प्रथम हूँ, और आप ठीक से कार्य नहीं कर पायेंगे। प्रार्थी ने उपरोक्त परिस्थितियों में इस तथ्य की सूचना नहीं भेजी। (संलग्नक-25, 26, 27)

महोदय इसी प्रकार से माह अक्टूबर 2020 में सुश्री रुचि तिवारी की रिमांड ड्यूटी धारा 167 द0प्र0स0 के अंतर्गत जेल में बंद बंदियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये करने के लिये लगायी गयी थी। महोदय मु0अ0स0 83/20 धारा 147,148,452,323,324,506,326 थाना-झिंझाना, में अभियुक्त गयूर का दिनांक 11.10.20 को 13.10.20 तक के लिये एवं मु0अ0स0 438/20 धारा 147,148,452,504,323,506,307 थाना कैराना में अभियुक्त अहसान,आमिल, और बिल्लू का रिमांड उपरोक्त धाराओं में दिनांक 10.10.20 को 13.10.20 तक के लिये स्वीकृत किया गया। प्रथम रिमांड के दिन ही रिमांड के संबंध में दो-दो आदेश पारित किये गये। एक तरफ तो रिमांड स्वीकृत भी गया और दूसरी ओर आदेश पारित किया गया कि धारा 307, एवं 326 का प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है। पुनः दिनांक 13.10.20 को जब अभियुक्तगण का उपरोक्त मामलों में जरिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग रिमांड कराने के लिये कोर्ट मोहरीर गया तो रिमांड करने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं इन मामलों में रिमांड नहीं करूँगी जबकि उस दिन जरिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग से रिमांड करने की ड्यूटी सुश्री रुचि तिवारी की लगी हुयी थी। महोदय उस दिन आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में मानीटरिंग सेल की मीटिंग आयोजित की गयी थी। सुश्री रुचि तिवारी ने मुझे फोन किया किन्तु साइलेंट मोड में मीटिंग में होने के कारण प्रार्थी फोन नहीं उठा सका। बाद में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समझाने के बाद लगभग सात बजे शाम को एक दिन का रिमांड सुश्री रुचि तिवारी द्वारा स्वीकृत किया गया, और अगले दिन प्रार्थी के समक्ष रिमांड पेश करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार से मेरे आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया जाता रहा है। (संलग्नक-28, 29, 30)

4. महोदय जहाँ तक आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रार्थी का पक्ष लिये जाने का प्रश्न है बिल्कुल गलत है। प्रार्थी को अब तक आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निम्न डी.ओ. लेटर दिया गया है-

1. डी0ओ0 नं0 15/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 18.01.21

2. डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21

प्रार्थी के बारे में कथन किया गया है कि प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों के पक्ष में वाहन रिलीज किये है। चूँकि इस संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है अतः इसके विषय में इतना ही कहना है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधि के उपबंधों के अनुसार सद्भाविक होकर करता है।

5. जहाँ तक मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना काँधला में मेरे द्वारा गंभीर धाराओं को हटाने का प्रश्न है, इसके संबंध में मुझे सर्वप्रथम जानकारी आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21 के द्वारा हुयी।

उसके संबंध में यह कहना है कि कोविड 19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 395/इंफ्र सेल दिनांकित 16 मार्च 2020 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.03.20 के अनुक्रम में जनपद शामली के सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समस्त अर्जेंट कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था (संलग्नक-31)। उपरोक्त रिमांड मेरे समक्ष न्यायालय सि0जज0 जू0डि0/जे0एम0, शामली जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में सुश्री मुक्ता त्यागी कार्यरत हैं, के कोर्ट मोहररि श्री अश्विनी द्वारा कराया गया था। जो प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ मुझे उपलब्ध करायी गयी है उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि रिमांड रिक्वेस्ट प्रपत्र पर मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना काँधला में प्रभारी अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा रिमांड स्वीकृत की गयी है। रिमांड प्रपत्र पर सभी अंकन कोर्ट मोहररि द्वारा की गयी है और उसी के हस्तलेख में है। कार्य अधिकता एवं उस दिन कोविड महामारी के कारण प्रार्थी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने कोई भी गंभीर धाराये नहीं हटायी बल्कि कोर्ट मोहररि द्वारा रिमांड शीट एवं वारंट पर उक्त धाराओ का अंकन नहीं किया गया। यदि प्रार्थी को गंभीर धाराये हटाना होता तो फिर रिमांड क्यों स्वीकृत करता। उसी दिन प्रार्थी द्वारा अन्य रिमांड भी किये गये। इस प्रकार गंभीर धाराओं के हटाने और अभियुक्त को लाभ पहुँचाने का तथ्य बेबुनियाद है और प्रार्थी ने सद्भाविक रूप से अपने न्यायिक कार्य को सम्पादित किया है। उक्त मामला थाना काँधला से संबंधित है और उस समय थाना काँधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी पीठासीन अधिकारी न्यायालय सि0जज0 जू0डि0/जे0एम0 शामली के पास था।

महोदय सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने डी0ओ0 नं0 20/पी.ए.एस जनपद न्यायाधीश/2021 के अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में यह कहा है कि श्रीमती ललिता ने उन्हें यह बताया कि रिमांड के समय ही सी0जे0एम0 ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे लोगों को जेल से छुडवा दूँगा क्योंकि कोविड 19 में लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, इसलिये तो मैंने रिमाण्ड में जानबूझकर धाराओं का लोप किया है। तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अंतरिम जमानत देने की अपनी ड्यूटी लगायी है, वरना रिमांड मैं क्यों करूँ।

उपरोक्त तथ्य बिल्कुल गलत और निराधार है। मेरे द्वारा उक्त रिमांड प्रभारी अधिकारी के रूप में दिनांक 17.03.20 को किया गया है। कोविड19 के कारण जेल में निरुद्ध सात साल तक के सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को रिहा किये जाने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा suo moto writ petition No-01/2020 In Re Contagion Covid 19 In Prison एवं उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं0 कैम्प मेमो/एस0एल0एस0ए0-15/2020(पी0एस0सरन) दिनांकित 27 मार्च 2020 में दिये गये थे। जिसके अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांकित 28.03.20 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में जाकर विचाराधीन अभियुक्तों अंतरिम जमानत

प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया था। प्रार्थी द्वारा जेल में जाकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में अपनी कोई ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी। अपितु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अपने प्रशासनिक आदेशों से सभी न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी और उसी के अनुक्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है (संलग्नक-32.33) यह तथ्य सुश्री मुक्ता त्यागी की जानकारी में भी है क्योंकि उनकी भी ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगायी गयी थी। इस प्रकार से यह कथन कि मेरे द्वारा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपनी ड्यूटी लगायी गयी पूर्णतया तथ्यों से परे है, और आदरणीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशों पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मेरे द्वारा रिमांड किया गया उस दिन तो कोविड 19 के आलोक में अभियुक्तों को जेल में जाकर अंतरिम जमानत पर छोड़ने का कोई निर्देश भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था। इस प्रकार से यह दर्शित होता है कि बहुत ही विचार विमर्श करके इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य है। प्रार्थी की ओर से जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है, और कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी कुमार के द्वारा रिमांड शीट एवं वारंट पर धाराओं का अंकन नहीं किया गया। सुश्री रुचि तिवारी और सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा कोर्ट मोहर्रिर श्री अश्विनी कुमार की लापरवाही के संबंध में मुझे लिखित में अवगत भी कराया गया है (संलग्नक-6.7) कोविड काल में प्रार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में समस्त न्यायालयों का कार्य सम्पादित किया है। वर्तमान में मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0स0 व धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना कौंधला मे मामले के अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर जिला कारागार में निरूद्ध है।

महोदय उपरोक्त के संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा मुझे डी0ओ0 नं0 21/पी0ए0(एस) जनपद न्यायाधीश /2021 दिनांकित 20.02.21 दिया गया था जिसका प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01.03.21 को स्पष्टीकरण भेजा गया गया है। उसकी प्रति संलग्न की जा रही है (संलग्नक- 34)

6. महोदय प्रार्थी पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा धारा 457,380 भा0द0स0 में जमानत देने, गोवध अधि0 ने निरूद्ध पशुओं को अभियुक्त के पक्ष में रिलीज करने एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हुये बहुत से गलत आदेश पारित करने एवं जूडिशियल ब्लंडर करने का कथन किया है और यह भी कहा है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का निहित हित है इसलिये सी0जे0एम0 को कुछ नहीं कहते और सी0जे0एम0 को नजारत प्रभारी बना दिया। महोदय जहाँ तक जमानत देने, पशुओं को रिलीज करने, और जूडिशियल ब्लंडर करने का कथन है इसके संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी अपने न्यायालय का कार्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुये पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करता है। जहाँ तक नजारत का प्रभारी बनाये जाने का प्रश्न है प्रार्थी को भी जो कार्य दिया जाता है उसको प्रार्थी निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। प्रार्थी पूर्व में भी मई 2017 से लेकर फरवरी 2018 तक नजारत प्रभारी कैराना में रहा है। वर्तमान में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना में पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 02.03.20 को कार्य भार ग्रहण करने पर नजारत का कार्य उनके द्वारा देखा जा रहा है। महोदय यह भी कहना है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय का प्रार्थी से कोई निहित हित नहीं है। यदि ऐसा होता तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मुझे क्यों दो डी0ओ0 लेटर देते अपितु मेरी शिकायत को अपने आप ही समाप्त कर देते।

महोदय सुश्री मुक्ता त्यागी, सुश्री रुचि तिवारी, एवं आदरणीय श्री रजत वर्मा सर द्वारा मेरे न्यायिक कार्यों पर लंबे समय से नजर रखना यह दर्शाता है कि ये सभी लोग मेरे से ईर्ष्या एवं द्वेषभाव रखते हैं। जबकि किसी भी अधिकारी के न्यायिक कार्यों पर नजर रखना जूडिशियल ऐटीकेट के विरुद्ध है, क्योंकि उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को मेरे न्यायिक कार्य को पर्यवेक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी कभी भी किसी न्यायिक अधिकारी के न्यायिक कार्य पर न तो नजर रखता है और न ही हस्तक्षेप करता है।

7. महोदय जहाँ तक प्रत्येक माह की बैठक में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त अधिकारियों को अन्य अधिकारियों के समक्ष अपमानित करने का प्रश्न है, बिल्कुल गलत है। मेरे समक्ष कभी भी किसी अधिकारी को अपमानित नहीं किया गया, अपितु जो भी दिशानिर्देश दिये जाते थे, वह सभी के लिये होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात नहीं होती थी। मेरे समक्ष कभी किसी अधिकारी को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपमानित नहीं किया गया, और न ही किसी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समक्ष उपरोक्त अधिकारियों को अपमानित किया गया।

8. जहाँ तक दिनांक 21.12.21 को आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में सी०एल० न० 2421/एम०ए०एन/एडमिन (ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 19.02.2014 के अनुपालन में बैठक आयोजित करने का प्रश्न है उक्त बैठक सुश्री मुक्ता त्यागी प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली के द्वारा अपने पत्र दिनांकित 16.12.20 के द्वारा आयोजित की गयी थी जिसकी सूचना मुझे पत्र द्वारा दी गयी थी (संलग्नक-35)। उक्त बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्वक वातावरण में हुयी थी। अन्य जो तथ्य मीटिंग के संबंध में लिखे गये हैं बिल्कुल गलत है। सुश्री मुक्ता त्यागी ने कोई विरोध नहीं किया था। प्रार्थी के द्वारा न कोई तथ्य छिपाया गया और न ही बैठक को छोड़कर प्रार्थी गया, अपितु बैठक समाप्त होने पर आदरणीय जनपद न्यायाधीश द्वारा सभी को चाय भी पिलायी गयी।

जहाँ तक दिनांक 21.12.20 की बैठक के बाद तुरंत दिनांक 24.12.20 को मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड शामली की समीक्षा जजशिप शामली के गठित होने के तीन साल में पहली बार त्रैमासिक समीक्षा दुर्भावना से किये जाने का प्रश्न है बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनउ के पत्रांक सं०-7361/जे.जे.सी/2020 लखनउ दिनांकित 09.12.20 के अनुक्रम में सभी जनपदों के सी०जे०एम० से जे०जे०एक्ट की धारा 16 के प्रावधानों के संबंध में आख्या मांगी गयी थी। मेरे द्वारा कई जनपदों के अपने समक्ष से इस विषय पर बात की गयी तो बताया गया कि पहले कभी भी इस प्रकार की समीक्षा नहीं की गयी है। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक एवं धारा 16 के उपबंधों के अनुक्रम में दिनांक 14.12.20 को मेरे द्वारा पत्र भेजकर जे०जे०बोर्ड में लंबित सभी प्रकार के मामलों का विवरण दिनांक 15.12.20 तक मांगा गया। मेरे द्वारा दिनांक 24.12.20 को समीक्षा करने के लिये पत्र दिनांक 24.12.20 को प्रेषित किया गया और उसकी प्रति सूचनार्थ आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को भी भेजी गयी। तदोपरांत मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा की गयी (संलग्नक-36,37)

महोदय जहाँ तक बोर्ड की सदस्य श्रीमती ललिता से बोर्ड की बैठक के बारे पूछे जाने का प्रश्न है, मेरे द्वारा श्रीमती ललिता से यह प्रश्न पूछा ही नहीं गया था कि बोर्ड की बैठक कहाँ होती है। अपितु यह प्रश्न मैंने बोर्ड में कार्यरत आशुलिपिक सचिन जो कि मुझे दस्तावेजों का अवलोकन करा रहा था, उससे पूछा था और उसने बताया था कि पहले बोर्ड की बैठकें प्रधान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुआ करती थी (संलग्नक-38 समीक्षा का कार्यवृत्त दिनांकित-24.12.20) इस प्रकार से यह बात तथ्यों से परे केवल दुर्भावना वश उल्लिखित की गयी है। प्रार्थी ने जे.जे.बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य श्रीमती ललिता से यह पूछा था कि क्या मामलों को देखते हुये बोर्ड की बैठकें बढ़ायी जानी आवश्यक है तो यह बताया गया कि नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पूछने पर यह भी बताया गया था कि बोर्ड के कार्य दिवसों में मेरे द्वारा अपने न्यायालय के पेशी का कार्य भी किया जाता है। जहाँ तक जे०जे० बोर्ड के कक्ष में उपस्थित होकर समीक्षा करने का प्रश्न है, चूँकि जे०जे० बोर्ड के लिये अलग से कोई कार्यालय नहीं और न ही विश्राम कक्ष है इसलिये जे०जे०बोर्ड की बैठक के कक्ष में ही समीक्षा करना पडा। विश्राम कक्ष और कार्यालय के लिये मेरे द्वारा समीक्षा बैठक में पत्राचार करने के लिये निर्देशित भी किया गया था। इस प्रकार से प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन और माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक के अनुपालन में जे०जे०बोर्ड की समीक्षा बिना किसी राग द्वेष के किया

था। इसके संबंध में जो भी तथ्य शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखे गये हैं, बिल्कुल गलत हैं।

महोदय मेरे संबंध में यह कथन किया गया है कि श्रीमती ललिता ने सुश्री मुक्ता त्यागी को बताया कि सी०जे०एम० शामली से उसका व उसके पति का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल गलत तथ्य है। महोदय इस तथ्य के संबंध में सुश्री मुक्ता त्यागी ने डी०ओ० सं० 20/पी०ए०(एस) जनपद न्यायाधीश/2021 के अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में उल्लेख किया गया है। अन्य तथ्य भी प्रार्थी के बारे में सुश्री मुक्ता त्यागी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया है, जिसके संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मुझे डी०ओ० सं० 21/पी०ए०(एस)जनपद न्यायाधीश/2021 दिया गया और प्रार्थी ने दिनांक 01.03.21 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है (संलग्नक-34)

महोदय जहाँ तक प्रार्थी द्वारा सुश्री सुधा शर्मा को अपमानित करने का कथन किया गया बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। सुश्री सुधा शर्मा ने प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में मेरे न्यायालय में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। जहाँ तक सुश्री सुधा शर्मा द्वारा अपने न्यायालय में अभियुक्त के अभिरक्षा और जमानत के संबंध के प्रकरण में मेरे द्वारा अपमानित करने का कथन किया गया है बिल्कुल गलत है। सुश्री सुधा शर्मा द्वारा कभी भी मुझसे इस बारे में कोई राय नहीं मागी गयी और न ही मैंने उनसे कभी कुछ कहा और न ही उक्त तथ्य मेरे संज्ञान में आया। अपितु एक दिन सुश्री सुधा शर्मा द्वारा आदरणीय जिला जज साहब को बताया गया कि सर मेरे कजिन की डेथ हो गयी है, तब आदरणीय जिला जज साहब ने मुझसे कहा कि सुश्री सुधा से पूँछ लेना कि उसे किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत तो नहीं है। मेरे पूँछने पर सुश्री सुधा ने कहा कि नहीं सर घर से भैया आ गये हैं और कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूँगी। महोदय आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने विश्राम कक्ष में सुश्री सुधा शर्मा का जन्म दिन पता चलने पर सभी अधिकारियों को अपनी ओर से मिष्ठान खिलाया गया और चाय भी पिलायी। महोदय इसके विपरीत सभी तथ्य गलत हैं। मैंने कभी भी सुश्री सुधा को अपमानित नहीं किया है।

महोदय जहाँ तक मेरे द्वारा देर रात तक रुक कर आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ बैठकर आदरणीय श्री रजत वर्मा सर, सुश्री रुचि तिवारी, और सुश्री मुक्ता त्यागी के न्यायालयों की पत्रावलियों का निरीक्षण करके उनकी गलतियों को ढूँढकर उनको डी०ओ० लेटर दिलाने का कथन है, बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। यदि प्रार्थी इतना प्रभावी होता तो फिर आदरणीय जिला जज साहब प्रार्थी को दो डी०ओ०लेटर क्यों देते। महोदय कोविड 19 के कारण 5 जनवरी 2021 तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बहुत सीमित मात्रा में आवश्यक कार्य ही किये जा रहे थे। उसके बाद न्यायालयों में साक्ष्य उल्लिखित करने, एवं अन्य कार्यों को करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ। उपरोक्त के अनुक्रम में न्यायालय में कार्य की अधिकता हो गयी और देर शाम तक प्रार्थी को अपने कार्य को निपटाने के लिये रुकना पड़ता है। महोदय प्रार्थी को अपने न्यायालय के न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं। महोदय वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2005 तक की अपीलों में अपीलांट की मृत्यु होने के संबंध में अनुपालन आख्या मांगी गयी है जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है और प्रार्थी को देर शाम तक रुकना पड़ता है। महोदय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों का पोर्टल पर विवरण भरा जा रहा था। जिसके संबंध में आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक कमेटी बना रखी है और उसी के अनुक्रम में देर शाम तक रुकना पड़ता था, प्रार्थी ही नहीं अपितु सभी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण रुकते थे। अपितु आदरणीय श्री रजत वर्मा सर भी इस कार्य के लिये कई बार देर शाम तक प्रार्थी के साथ रुके हैं। महोदय प्रार्थी ने जब कभी किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली के स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष भेजा जाता था, तब संबंधित न्यायालय के वादलिपिक से पत्रावली मंगाकर देखी जाती थी। मेरे द्वारा अन्य किसी प्रयोजन के लिये कभी भी कोई पत्रावली नहीं मंगायी गयी और न ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कभी भी आदरणीय श्री रजत वर्मा सर, सुश्री रुचि

तिवारी, और सुश्री मुक्ता त्यागी के न्यायिक कार्यों की कमियों को बताया गया और न ही कभी किसी अधिकारी को डी०ओ० देने के लिये कहा गया अपितु प्रार्थी को स्वयं ही आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने दो-दो डी०ओ० लेटर दिया है। इसके विपरीत सभी तथ्य गलत एवं बेबुनियाद हैं।

इस प्रकार से प्रार्थी के विरुद्ध जितने भी कथन किये गये वह बिल्कुल गलत हैं। प्रार्थी ने कभी भी किसी को परेशान, या अपमानित नहीं किया है और न ही कोई अनुशासनहीनता की है और न ही विधिविरुद्ध आदेश पारित करके किसी को लाभ पहुँचाया है। अपितु प्रार्थी को ही उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है और झूठे तथ्यों पर प्रार्थी को परेशान करने के लिये शिकायत किया है। प्रार्थी अपने न्यायिक कार्यों को सदैव ही निष्ठापूर्वक, करता है और अपने साथी अधिकारियों के साथ भातृत्व भावना के साथ कार्य करता है। अतः प्रार्थी के आख्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

उपरोक्तानुसार आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक-12.04.21

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय
rajmangal
 12-4-21
 (राजमंगल सिंह यादव)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 शामली

प्रेषिका,

मुक्ता त्यागी

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त पीड़िता कु० मंजू बोलने व सुनने में असमर्थ है । अतः माननीय महोदय से ससम्मान करबद्ध निवेदन है कि पीड़िता कु० मंजू के बयान अंकित कराने हेतु उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

दिनांक-2-7-19

2/7/19
न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

नियंत्रण कार्यालयी करना
सुनिश्चित करें
2/7/19

0
revised

प्रेषिका,

मुक्ता त्यागी

न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

विषय- मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मु०अ०सं० 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा० दं० सं० थाना कांधला में पीड़िता कु० मंजू के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय से मार्गदर्शन याचित किया गया था जिस पर माननीय महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे । किन्तु माननीय महोदय द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में उल्लिखित नहीं किया गया था । अतः माननीय महोदय से ससम्मान करबद्ध निवेदन है कि नियमानुसार कार्यवाही किस प्रकार की जाये विस्तृत रूप में बताने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

दिनांक-3-7-19

3/7/19
न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली ।

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रेषिती,

सुश्री मुक्ता त्यागी,
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।


विषय- आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 03-07-19 के स्पष्टीकरण के सम्बंध में।

आपको अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा मु.अ.सं. 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा.द.सं. थाना कांधला में पीड़िता कुमारी मंजू का बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. अंकित कराये जाने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है और बयान दर्ज करने की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी चाही गयी है। उपरोक्त के सम्बंध में आप से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण वांछित है-

- 1- आपके द्वारा पत्र में जिस पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है वह थाना कांधला से सम्बंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 26-04-19 के अनुसार थाना कांधला के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्राप्त है। जिसमें वर्तमान में आप पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। किन्तु परिस्थितियों में आपके द्वारा अपने ही थाने के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान दर्ज किये जा रहे हैं।
- 2- यह भी बताने का कष्ट करें कि किन उपबन्धों के अंतर्गत आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है जबकि द.प्र.सं. की धारा 164 में पीड़िता के बयान दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
- 3- यह भी बताने का कष्ट करें कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. आपके न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं।

उपरोक्त के सम्बंध में दो दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे कि माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को भी समस्त तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

दिनांक-04-07-19


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

From:- Mukta Tyagi
Civil Judge (Jr. Div.)
Shamli

To:-
Hon'ble CJM
Shamli

Subject:- Regarding the recording of statement u/s- 164 crpc in case crime no. 211/19 u/s 452, 354, 323, 504, 506 ipc, Ps Kandhla.

Respected Sir.

Following explanation is humbly submitted in persuance of the direction/explanation sought by you regarding the above captioned subject:-

1- I.O. in the case crime no. 211/19 had forwarded an application for recording the statement u/s- 164 crpc of the victim before the court of Civil Judge (Jr. Div.) Shamli, and it was duly forwarded by me to the link officer. The link officer had marked it to ACJM. Kairana for recording the statement u/s- 164 crpc of the victim then after it was brought to my knowledge by ACJM Kairana that the victim is a dumb girl and she was not able to speak anything.

Then I.O. has forwarded an application as to the recording of statement u/s 164 crpc of the dumb girl, in which with utmost regard I have requested to Hon'ble CJM, Shamli to provide the guidance and procedure by which I can dispose off the application lawfully.

2- It is humbly submitted that although there is complete procedure given u/s- 164 crpc regarding the recording of Statement of victim however there is no procedure provided as to the process of recording of Statement of deaf and dumb victim.


Further we were being taught and trained in Judicial Training & Research Institute, U.P that CJM is the head of magistrate's and magistrate can seek guidance and direction from CJM if they are stuck somewhere.

3- It is humbly submitted that the application of recording the Statement u/s- 164 crpc is still pending before the court of Civil Judge (Jr. Div.) because the victim is dumb & deaf and still no Clear directions/ guidance was obtained from Hon'ble CJM due to which the delay is being caused in disposing the application.

The above explanation is being duly forwarded to the Hon'ble CJM, Shamli

With utmost Regard's

your's faithfully


Mukta Tyagi

Civil Judge (Jr. Div)

Shamli

Date- ~~06~~ 07-2019

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रेषिती,

सुश्री मुक्ता त्यागी,

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

शामली।

विषय- आपके पत्र दिनांकित 03-07-19 एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 6-7-19 जो कि मु.अ.सं. 211/19 अंतर्गत धारा 452,354,323,504,506 भा.द.सं. थाना कांघला में पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. से सम्बंधित है।

महोदया,

अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांकित 02-07-19 के द्वारा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. उपरोक्त मामले में दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया था जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये पृष्ठांकन किय गया था। पुनः आपने पत्र द्वारा दिनांक 03-07-19 के द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी। जिसके सम्बंध में आपसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपके द्वारा पत्र में जिस पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है वह थाना कांघला से सम्बंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 26-04-19 के अनुसार थाना कांघला के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्राप्त है। जिसमें वर्तमान में आप पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। किन परिस्थितियों में आपके द्वारा अपने ही थाने के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान दर्ज किये जा रहे हैं, यह भी बताने का कष्ट करें कि किन उपबन्धों के अंतर्गत आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है जबकि द.प्र.सं. की धारा 164 में पीड़िता के बयान दर्ज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. आपके न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं।

आपके स्पष्टीकरण के अनुसार पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिये आपके द्वारा लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का आदेश किया गया है और लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना को बयान दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित किया गया या नहीं इसका उल्लेख आपके स्पष्टीकरण में नहीं है और न ही इस तथ्य का उल्लेख है कि न्यायालय ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा आपसे पीड़िता के बयान दर्ज करने के सम्बंध में कोई लिखित पत्राचार किया गया है। न्यायालय एस.सी.जे.एम., कैराना के द्वारा प्रार्थनापत्र उचित आदेश पारित करने के लिये आपके पास भेजा गया या नहीं इसका भी कोई उल्लेख आपने नहीं किया है।

आपके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विवेचक द्वारा आपके समक्ष एक प्रार्थनापत्र मूक एवं बधिर पीड़िता के बयान के लिये दिया गया, किन्तु उस प्रार्थनापत्र पर आपके द्वारा पीड़िता को देखकर उसके मूक व बधिर होने के सम्बंध में कोई आदेश पारित किया गया है या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। विवेचक द्वारा आपके समक्ष जो प्रार्थनापत्र दिया गया है उसकी कोई प्रति भी नहीं प्रस्तुत की गयी है।

आपके द्वारा मुझसे मार्गदर्शन चाहा गया है, किन्तु आपको किस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है अतः

पत्र में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से आशक्त व्यक्तियों के लिये धारा 164 (5) द.प्र.सं. में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी विधि व्यवस्थाओं में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जे.टी.आर.आई. में भी प्रशिक्षण के दौरान धारा 164 द.प्र.सं. का बयान अंकित करने के सम्बंध में न्यायिक अधिकारियों को बताया जाता है।

आपके स्पष्टीकरण से दर्शित होता है कि आपके द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थनापत्र आपके न्यायालय में लम्बित है। इस सम्बंध में दिनांक 11-07-19 को मासिक बैठक में भी चर्चा की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

अतः विधि के उपबन्धों के अनुसार यथाशीघ्र आप प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. का निस्तारण करें।

दिनांक-17-07-19

Jainwangs
17/7/19
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

जनपद शामली।

Wf
18-7-19

मुक्ता छागों

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

संख्या-6

257

संबंध में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

विषय - दिनांक 1-9-2020 व दिनांक 2-9-2020 को की-सी
से होने वाली निश्चित रिमाण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

सलमान निवेदन है कि दिनांक 3-9-2020 को
सिविल जज (सी.डि.), कैराना / अपर मुख्य न्यायिक मजि-
स्ट्रेट, कैराना द्वारा अध्यादेश द्वारा को अवगत कराया
गया कि दिनांक 1-9-2020 व 2-9-2020 को द्वारा
की-सी होने वाली निश्चित रिमाण्ड के समय न्याया-
लय सिविल जज (जू.डि.) में तैनात कोर्ट मोहम्मद
विकास पंवार व अश्वनी कुमार के अनुपास्थित होने
कारण द्वारा की-सी रिमाण्ड नहीं हो सका।
अतः महोदय से निवेदन है कि थाना कांठला की
उक्त तिथियों की रिमाण्ड के सम्बन्ध में आवश्यक
दिशा निर्देश पारित करने की कृपा करें।
सादर।

दिनांक 8-9-2020

भवदीया
8/9/2020
(मुक्ता छागी)
सिविल जज (जू.डि.) /
न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली।

श्रीमान् मुल्क-सोपान मंडल
विशाल राज (सी.ई.)/अ
ACSM

संलग्न-7

श्रीमान् मुल्क-सोपान मंडल
समाली-

दि. 01.09.20 तथा 02.09.20 को V.C ल होने वाली
निमित्त रिमाउ को संघ के
मार्गदर्शक,

श्रीमान् विशाल निवेदन है कि श्रीमान् मुल्क-सोपान
मंडल को आवक दि. 31.08.20 को अनुपालन को लेती
है। दि. 01.09.20 से 15.09.20 तक रिमाउ हुई है। यहाँ
रिमाउ को निमित्त रिमाउ जो कि 31.08.20 को रिमाउ को,
आवक है अपेक्षित रिमाउ को करंट न प्राप्त होने
कारण - आचार्य विशाल राज (सी.ई.), समाली द्वारा आवक
दि. 01.09.20 तथा 02.09.20 को रिमाउ को अभी दि.
20 तथा 02.09.20 को कोविड-19 को कारण - आचार्य
मंडल को दि. 01.09.20 तथा 02.09.20 को
विशाल राज (सी.ई.), समाली को वेगान को रिमाउ
कर पत्र तथा श्री अश्वनी कुमार शुक्ला को दि. 01.09.20
निमित्त रिमाउ कराने हेतु अपेक्षित सभी आवक को
आवक दि. 01.09.20 तथा 02.09.20 को रिमाउ अपेक्षित
है नहीं हो सकें। अतः अपेक्षित पत्र मार्गीय मंडल
द्वारा एवं आवक को रिमाउ हेतु प्रेषित रिमाउ
है।

दि.

01.09.20
श्रीमान् विशाल राज (सी.ई.), समाली

श्रीमान् विशाल राज
(सी.ई.), अ
ACSM, मंडल

खंलाण्ड- 8

प्रेषक,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रेषिनी,

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली

जनपद, शामली।


विषय- दिनांक 01-09-2020 का एवं दिनांक 02-09-2020 का वी.सी. सं होने वाले नियमित रिमाण्ड के सम्बंध में।

महोदया,

आपका पत्र दिनांकित 08-09-2020 मुझे शाम छः बजे के बाद प्राप्त हुआ जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक 01-09-2020 एवं दिनांक 02-09-2020 को वी.सी. सं होने वाले नियमित रिमाण्ड के सम्बंध में न्यायालय में तैनात कोर्ट मोहररि श्री विकास कुमार एवं श्री अश्वनी कुमार की अनुपस्थिति के कारण रिमाण्ड नहीं हो सका।

अतः धाना कांशला से सम्बंधित दिनांक 01-09-2020 एवं दिनांक 02-09-2020 के रिमाण्ड के सम्बंध में दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है।

आपके पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 01-09-2020 एवं दिनांक 02-09-2020 को न्यायालय परिसर में कोरोना मरीज पाये जाने के कारण न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के आदेश से बन्द किया गया था। आपको यह भी अवगत करना है कि इसके पूर्व भी कोरोना मरीज मिलने के कारण दिनांक 27-07-2020 एवं दिनांक 28-07-2020 एवं दिनांक 28-08-2020 एवं दिनांक 29-08-2020 को आकस्मिक परिस्थितियों में न्यायालय बन्द किया गया था। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि उक्त तिथियों को आपके द्वारा धारा 167 द.प्र.सं के अंतर्गत निरुद्ध बंदियों का रिमाण्ड कार्य किस प्रकार निष्पादित किया गया। सिविल जज (सी.डि.) / ए.सी.जे.एम. कैराना द्वारा अपने वाद लिपिक श्री अतुल कुमार द्वारा दिनांक 04-09-2020 को मेरे आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार के मोबाईल पर यह प्रार्थनापत्र प्रेषित करवाया गया था कि कोर्ट मोहररि श्री विकास कुमार एवं श्री अश्वनी कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया था और उसी दिन आपको वी.सी. सं पत्र प्रेषित करने का उल्लेख उस पत्र में किया गया है। उक्त पत्र में रिमाण्ड के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। मात्र कोर्ट मोहररि के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही गयी है। जबकि दिनांक 07-09-2020 एवं दिनांक 08-09-2020 को न्यायालय खुला था और मुझे इस सम्बंध में दिनांक 08-09-2020 को शाम को छः बजे के बाद अवगत कराया गया था। यह भी बताने की कष्ट करें कि दिनांक 01-09-2020 एवं दिनांक 02-09-2020 को जितने रिमाण्ड नियत थे क्या उन्हें अंतिम तिथि पर कोर्ट मोहररि द्वारा आपके समक्ष जतिर आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था या नहीं। उपरोक्त के सम्बंध में आज दोपहर दो बजे तक अवगत करने का कष्ट करें जिससे रिमाण्ड के सम्बंध में उचित आदेश पारित किया जा सके।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

दिनांक 09-09-2020



मासिक बैठक दिनांक 11.07.2019 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 11.07.2019 को अपराह्न 04:00 बजे समस्त न्यायिक अधिकारीगण की मासिक बैठक अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में आयोजित की गयी।

मासिक बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित आये-

1. श्री रजत वर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना।
2. श्री सिद्धार्थ वाघव, सिविल जज सी0डि0, कैराना।
3. श्री राजमंगल सिंह यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
4. श्री रजनीश मोहन वर्मा, सिविल जज, सी0डि0, शामली, स्थित कैराना।
5. सुश्री रुवि तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना।
6. सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज, जू0डि0, शामली।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जिला शामली, एवं श्री सुबोध सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट अवकाश पर होने के कारण मासिक बैठक में शामिल नहीं हो सके।

1. सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समयबद्धता (Punctuality) का विशेष ध्यान रखें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे प्रातः 10.00 बजे तक अपने विश्राम कक्ष में उपस्थित होने के पश्चात समय 10.30 ए.एम. व 02.00 पी.एम. पर निर्धारित वेशभूषा में न्यायालय कक्ष में बैठना सुनिश्चित करें।
2. सभी मासिक विवरण व अन्य विवरण जो भी माननीय उच्च न्यायालय अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किये जाने हों, उन्हें कम्प्यूटर से टाईप कराकर समय से भेजना सुनिश्चित करें। हस्तलिखित एवं अस्पष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित न करने के लिए अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त विवरण समय से प्रेषित किया जा सके।
3. सभी न्यायिक अधिकारी अपने यहाँ के लम्बित मामलों को एन.जे.डी.जी. (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) पर दर्शाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक वाद में तिथि नियत कर उसे आगे फावर्ड करते रहें। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से मॉनिटरिंग करते हुए पत्रावलियों की सही ढंग से फीडिंग व फॉर्वाडिंग कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पत्रावली में गलत तिथि सी0आई0एस0 पर दर्ज न की गयी हो।
4. फीडिंग फॉर्वाडिंग के संबंध में नोडल अधिकारी कम्प्यूटर के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन

१

में दिन-प्रतिदिन की मॉनीटरिंग की जा रही है। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर के द्वारा बताया गया कि बी0एस0एन0एल0 लीज लाइन एवं बी0एस0एन0एल0 की सेवाएं पूर्णतया बाधित हो जाने के कारण इण्टरनेट की सेवा नहीं मिल पा रही है। फलस्वरूप सर्वर से डाटा NGDG पर दिन-प्रतिदिन अपलोड करने में एवं डाटा सिंक्रोनाईज करने में परेशानी आ रही है। जिस कारण से न्यायालयों में पत्रावलियों के फॉरवर्ड होने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही विवरण नहीं पहुंच पा रहा है। इस सन्दर्भ में सिस्टम ऑफिसर के द्वारा बी0एस0एन0एल से आवश्यक पत्राचार भी किए गए हैं। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे बी0एस0एन0एल0 के संबंधित कर्मचारियों से वार्ता कर उक्त बाधा को अतिशीघ्र दूर कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

5. सभी न्यायिक अधिकारियों से माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 28/मीडिएशन/अधीनस्थ न्यायालय/इलाहाबाद/2019 दिनांकित 01 जून 2019 पर चर्चा की गई। अभी जजशिप शामली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन न हो पाने के कारण, मीडिएशन सेन्टर का गठन नहीं हुआ है। इस सम्बंध में शासन स्तर से आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं और जल्द ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली के गठन होने की सम्भावना है। अतः सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिएशन सेन्टर को सन्दर्भित की जा सकने वाली पत्रावलियों को चिन्हित करने का प्रयास करें।

6. सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने न्यायालय में अनुरक्षित स्याह रजिस्टर (रजिस्टर नं० 103) का समय-समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। अभी भी यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रार्थना पत्रों पर लगने वाले टिकटों को संबंधित कर्मचारीगण द्वारा सही से निरस्त एवं पंच नहीं किया जा रहा है। सभी न्यायिक अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी टिकट सही ढंग से निरस्त व पंच किये गये हों।

7. जजशिप शामली के सभी न्यायालयों में प्रत्येक प्रकार के गुण-दोष के आधार पर निर्णीत वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण प्रपत्र माह जून, 2019, के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णीत वाद निम्नलिखित हैं:-

(a) प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शामली के न्यायालय में कोई वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत नहीं किये गये हैं।

(b) अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, जिला शामली के न्यायालय में कोई भी वाद गुण दोष के आधार पर निर्णीत नहीं किए गए हैं।

(c) अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 शामली स्थित कैराना, के न्यायालय में कोई वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत नहीं किया गया है।

९

- (d) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 4 वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किये गये हैं।
- (e) सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में गुण-दोष के आधार पर 2 वाद निर्णीत किये गये हैं।
- (f) सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 10 वाद वाद गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किये गये हैं।
- (g) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 6 वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किये गये हैं।
- (h) सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 4 वाद वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किया गया है।

8. सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे प्राचीन वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें और इस सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी समस्त परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारीगण यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में गुण-दोष के आधार पर वादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाये, जिससे कि लम्बित वादों की संख्या में कमी हो सके। साथ ही संस्थित वाद व निस्तारित वादों का अनुपात किसी भी परिस्थिति में कम न हो।

9. बैठक में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं0 11242/Admin.E-II, dated:Allahabad:16-09-2017 फौजदारी एवं दीवानी के लम्बित प्राचीन वादों को शून्य किये जाने के सम्बंध में माननीय कमेटी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत एक्शन प्लान के कार्यान्वयन/अनुपालन के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

परिवार न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 02 वाद लम्बित है एवं वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के सिविल वाद 743 व भरण-पोषण के 342 वाद लम्बित है। परन्तु माह जून में कोई भी वाद निर्णीत नहीं हुआ है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 36 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में एक्शन प्लान के तहत कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है। तथा वर्ष 2001 से 2019 तक के 33 सिविल वाद तथा 4473 फौजदारी वाद लम्बित है, माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली स्थित कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 03 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में एक्शन प्लान के तहत कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है। माह मई 2019 में वर्ष 2001 से 2019 तक के 50

सिविल वाद तथा 516 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 510 वाद लम्बित है, माह जून 2019 में 01 वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 9737 वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 33 वाद निस्तारित किये गये हैं।

सिविल जज सी0डि0, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 75 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है और वर्ष 2001 से 2019 तक के 1596 सिविल वाद तथा 1017 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 12 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये हैं।

सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 27 सिविल वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 747 सिविल वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 10 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये हैं।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 89 फौजदारी वाद लम्बित है, परन्तु माह जून 2019 में कोई भी वाद एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया गया है। वर्ष 2001 से 2019 तक के 9028 वाद लम्बित है। माह जून 2019 वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक का 61 वाद निस्तारित हुआ है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में वर्ष 2000 तक के 138 सिविल वाद एवं 115 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में एक्शन प्लान के अन्तर्गत कोई भी वाद निस्तारित नहीं किये गये हैं। वर्ष 2001 से 2019 तक के 1035 सिविल वाद तथा 4744 फौजदारी वाद लम्बित है। माह जून 2019 में वर्ष 2001 से वर्ष 2019 तक के 22 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये हैं।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

10. सभी न्यायालयों से दस प्राचीनतम वादों से संबंधित प्राप्त कराई गई सूची के अनुसार

अपर जनपद न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में वर्ष 1984 का सत्र परीक्षणीय वाद राज्य बनाम विजय सिंह तथा वर्ष 1990 का वाद राज्य बनाम अनिल विचाराधीन है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 के न्यायालय में वर्ष 1998 के 2 वाद ब्रह्म सिंह बनाम सुखपाल एवं रामनाथ बनाम घनश्याम विचाराधीन है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0 कैराना में वर्ष 1997 का वाद राजेन्द्र बनाम ईश्वर तथा

१

वर्ष 2000 का वाद भीरहसन बनाम फीको विचाराधीन है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में वर्ष 1991 के 2 वाद राज्य बनाम चरणसिंह तथा राज्य बनाम जिन्द्रो विचाराधीन है।

सिविल जज सी0डि0 शामली के न्यायालय में वर्ष 1995 का 2 वाद सुनील बनाम सुशीला तथा वर्ष 1999 का वाद सोहनवीर बनाम नीरज विचाराधीन है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय में वर्ष 1990 का 2 वाद राज्य बनाम कृष्णपाल तथा राज्य बनाम अता मोहम्मद विचाराधीन है।

सिविल जज जू0डि0 शामली के न्यायालय में वर्ष 1989 के 2 वाद विजय सिंह बनाम मुरारी लाल वाद संख्या 152 एवं वाद संख्या 153 विचाराधीन है।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त वादों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

11. सभी न्यायालयों से निर्णीत पत्रावलियों के अभिलेखागार में प्रेषित किये जाने के बाबत समीक्षा की गयी।

परिवार न्यायालय शामली में कोई भी वाद निस्तारित नहीं होने के कारण निर्णीत पत्रावली अभिलेखागार में प्रेषित नहीं की गयी।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कैराना-शामली का माह मई तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली में कोई भी वाद निस्तारित न होने के कारण निर्णीत पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित नहीं की गयी।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली का माह मई तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, शामली का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, कैराना का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी निर्णीत पत्रावली को अभिलेखागार प्रेषित नहीं किया गया।

न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली का माह मई 2019 तक निर्णीत पत्रावलियों का बस्ता अभिलेखागार में दाखिल है।

इस प्रकार सभी न्यायालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार निर्णीत पत्रावलियों के अभिलेखागार में दाखिल करने की स्थिति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना को छोड़कर

सन्तोषजनक है। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे निस्तारित वादों की पत्रावलियों को प्रत्येक माह समय से अभिलेखागार प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

12. समस्त न्यायिक अधिकारीगण के समक्ष लम्बित विभागीय जॉच के सम्बंध में चर्चा की गयी तो सिविल जज (सी०डि०) कैराना के समक्ष एक जॉच लम्बित है। अन्य किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष कोई विभागीय जॉच लम्बित नहीं है। सिविल जज (सी०डि०) कैराना को निर्देशित किया गया कि उक्त जॉच के सम्बंध में त्वरित गति से कार्यवाही कर अपनी आख्या प्रेषित करें।

13. सभी न्यायालयों में माह जून 2019 में परीक्षित साक्षियों की संख्या एवं बयानों से प्राप्त धनराशि के सम्बंध में चर्चा की गयी।

परिवार न्यायालय, शामली न्यायालय में 2 साक्षी परीक्षित हुए एवं बयानों से 20 रुपये की आय प्राप्त हुई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में 22 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 220.00 आय प्राप्त हुई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, शामली के न्यायालय में 18 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 180.00 आय प्राप्त हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 26 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 260.00 आय प्राप्त हुई।

सिविल जज (सी०डि०) शामली/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 14 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 140.00 आय प्राप्त हुई।

सिविल जज सी०डि०, कैराना के न्यायालय में 16 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 200.00 आय प्राप्त हुई।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 16 साक्षी परीक्षित हुआ तथा बयानों से रुपये 160.00 की आय प्राप्त हुई।

सिविल जज, जू०डि०, शामली/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 30 गवाह परीक्षित किये गये तथा बयानों से रुपये 300.00 आय प्राप्त हुई।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी साक्षी जो न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित होता है, उसका साक्ष्य उसी दिन अवश्य लेखबद्ध हो।

14. बैठक में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित एवं सुपुर्द किये गये वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 305 वाद सत्र सुपुर्दगी

१

हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 25 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।

सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 8 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 05 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 95 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि माह जून 2019 में 14 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में माह जून 2019 में कुल 37 वाद सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित रहे, जबकि जून 2019 में 07 वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये है।

इस प्रकार सत्र सुपुर्दगी हेतु लम्बित वादों की संख्या अत्यधिक है। अतः सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों, को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने न्यायालयों में लम्बित सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय वादों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। यदि पत्रावली हाजिरी में हो तो प्रोसेस जारी कर तामीला कराना एवं शीघ्रातिशीघ्र मामले को सत्र न्यायालय सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। यदि किसी मामले में कुछ अभियुक्तगण उपस्थित आ रहे हों और शेष अभियुक्तगण की हाजिरी सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो या फरार चल रहे हों, तो ऐसे मामलों में हाजिर अभियुक्तगण की पत्रावलियों को पृथक कर सत्र न्यायालय सुपुर्द करना सुनिश्चित करें, जिससे उनके मामले का निस्तारण शीघ्र हो सके।

सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय ऐसे वाद जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हो, आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरान्त धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन त्वरित गति से करते हुए बिना किसी विलम्ब के मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

न्यायिक अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे सत्र न्यायालय सुपुर्द करते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्तगण जमानत पर है, उनमें जमानत सम्बंधी समस्त प्रपत्र व बंधपत्र आदि पत्रावली में संलग्न हो। साथ ही यदि किसी मामले में दौरान विवेचना 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया है, तो उक्त बयान सील कवर में पत्रावली के साथ सत्र न्यायालय के रीडर को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

15. सभी न्यायालय में विचाराधीन बन्दियों के सम्बंध में चर्चा की गयी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना-शामली के न्यायालय में विचाराधीन बन्दियों के 91 मामले लंबित हैं जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय से निरूद्ध बन्दियों की संख्या 57 है। किसी भी विचाराधीन बन्दी से संबंधित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, शामली के न्यायालय में 82 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय से कोई भी बंदी जेल में निरूद्ध नहीं हैं। किसी भी विचाराधीन बन्दी से संबंधित किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 89 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से 12 अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध हैं। 27 बंदियों के विचाराधीन वादों का निस्तारण किया गया। जिनमें से 3 वाद ऐसे निस्तारित किये गये जिनमें अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है।

सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 23 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से जेल में निरूद्ध 1 विचाराधीन बंदी के वाद का निस्तारण किया गया है। दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरूद्ध बंदी का कोई भी वाद इस न्यायालय में लंबित नहीं है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 72 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से दो वर्ष से अधिक समय तक के कितने अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध हैं एवं कितने वादों का निस्तारण हुआ अथवा नहीं, का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 27 अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिनमें से चार अभियुक्त दो वर्ष से अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध हैं प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी विचाराधीन बंदी के किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया। विचाराधीन बन्दियों की संख्या अत्यधिक है। अतः सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे विचाराधीन बन्दियों के वादों में विशेष रूचि लेते हुए साक्षियों को तलब कर, त्वरित गति से धारा 309 द0प्र0सं0 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऐसे वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही धारा 436ए द0प्र0सं0 से आक्षादित मामलों में उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

16. माह जून 2019 में निस्तारित निष्पादन वादों के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना के न्यायालय में 01 निष्पादन वाद लम्बित हैं। माह जून 2019 में कोई निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

सिविल जज, सी0डि0, शामली के न्यायालय में 73 मूल निष्पादन वाद तथा 11 लघु निष्पादन वाद लम्बित है। परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

सिविल जज, सी0डि0, कैराना के के न्यायालय में 34 निष्पादन वाद लम्बित है। परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

सिविल जज, जू0डि0, शामली के द्वारा माह जून 2019 में 66 निष्पादन वाद लम्बित है।

१

परन्तु माह जून 2019 में कोई भी निष्पादन वाद निस्तारित नहीं हुआ है।

लम्बित निष्पादन वादों की संख्या को देखते हुए यह आपत्तिजनक है। सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विशेष रुचि लेते हुए निष्पादन वादों का त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

17. समस्त न्यायिक अधिकारीगण के समक्ष 7 वर्ष से अधिक पुराने वादों के लम्बन एवं निस्तारण के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न है:-

- i. परिवार न्यायालय शामली में कोई भी वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित नहीं है।
- ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैराना, शामली के न्यायालय में 545 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।
- iii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 के न्यायालय में 88 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया।
- iv. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 3104 वाद जो 7 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है, इन प्राचीन वादों में से 01 वाद निस्तारित किया गया है।
- v. सिविल जज, सी0डि0, शामली के न्यायालय में 401 सिविल एवं 234 फौजदारी वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित है जबकि इन प्राचीन वादों में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं किया गया है।
- vi. सिविल जज, सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 130 वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं जबकि इन प्राचीन वादों में से कोई भी वाद निस्तारित नहीं हुआ है।
- vii. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना जिला शामली के न्यायालय में 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का विवरण प्राप्त नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने वाद 7 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं एवं इनमें से कितने वादों का निस्तारण किया गया है।
- viii. सिविल जज, जू0डि0, शामली के न्यायालय में 433 सिविल वाद व 2049 फौजदारी वाद लम्बित है, जबकि इन प्राचीन वादों में से 04 फौजदारी वाद निस्तारित किये गये हैं।

सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्राचीन वादों की सूची बनाकर उन्हें रुचि लेकर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष लम्बित एवं निस्तारित 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया। प्राप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 76 प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 9 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 2 प्रार्थना पत्रों का

निस्तारण किया गया है।

सिविल जज, सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में कोई प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित नहीं है, माह जून 2019 में 02 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए एवं 02 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 32 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 20 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 11 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है।

सिविल जज, जू0डि0, शामली/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 8 प्रार्थना अन्तर्गत 156(3) द0प्र0सं0 वर्तमान में लम्बित है, माह जून 2019 में 5 प्रार्थना पत्र संस्थित हुए तथा 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया है।

सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0, के सम्बंध में सम्बंधित थाने से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त उसका त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस प्रकार के प्रार्थना पत्र अत्यधिक समय तक बिना आदेश के लम्बित न रहे।

19. यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त इसे समय से न्यायालय में प्राप्त नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त धारा 157 द0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार अविलम्ब उसकी प्रति सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया कि वे इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक शामली से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त दर्ज होने की तिथि पर या दूसरे दिन तक सम्बंधित न्यायालय में अवश्य प्राप्त हो। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

20. सभी न्यायालयों के अर्थदण्ड वसूली के विवरण पर विचार विमर्श किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में अनुरक्षित अर्थदण्ड पंजिका के अनुसार जमा धनराशि का समय से कोषागार से सत्यापन कराएँ तथा अर्थदण्ड पंजिका का सामान्य नियम दाण्डिक में दिये प्रारूप के अनुसार अनुरक्षण सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में पीठासीन अधिकारी स्वयं के हस्तलेख में प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे मामलों में जिनमें कि अर्थदण्ड की वसूली अपीलीय न्यायालय से स्थगित है, सम्बंधित अपीलीय न्यायालय से अपील के निस्तारण व अर्थदण्ड के स्थगन की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अर्थदण्ड की वसूली करना

सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार अर्थदण्ड पंजिका में उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

21. सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड वादों की संख्या एवं समस्त वादों के अपलोड होने की स्थिति के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:--

परिवार न्यायालय, शामली के न्यायालय 1145 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है एवं न्यायालय में लंबित वादों की संख्या भी 1145 है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में 4525 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 4521 है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 शामली के न्यायालय में कम्प्यूटर एवं सी0आई0एस0 33 वाद अपलोड हैं जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 519 है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 12209 वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 10760 है।

सिविल जज, सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय में 1824 सिविल वाद एवं 2108 फौजदारी वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 1671 सिविल वाद एवं 1017 फौजदारी वाद है।

सिविल जज सी0डि0, कैराना के न्यायालय में 762 सिविल वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड हैं। न्यायालय में लंबित वादों की संख्या भी 762 हैं।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय से माह जून 2019 में सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किये गये वादों की संख्या 2501 है। जबकि न्यायालय में लंबित वादों की संख्या 9141 है पीठासीन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में अन्य न्यायालयों से स्थानान्तरित होकर पत्रावलियाँ प्राप्त करायी जा रही है, क्योंकि यह न्यायालय पिछले कई माह तक रिक्त रहा है। स्थानान्तरित होने वाली पत्रावलियों में सर्वर से स्थानान्तरण तकनीकी कारणों से न हो पाने के कारण इन पत्रावलियों का विवरण नये सिरे से सी0आई0एस0 पर अपलोड किया जा रहा है।

सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में 1098 सिविल वाद एवं 4141 फौजदारी वाद सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड है। जबकि न्यायालय में लंबित सिविल वाद 1173 एवं फौजदारी वाद 4859 है।

सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सी.आई.एस सॉफ्टवेयर पर अपलोड वाद एवं न्यायालय में लंबित वास्तविक वादों के अन्तर को समाप्त करना सुनिश्चित करें।

22. सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 312/XXII-CPC/e-Courts/Allahabad Dated 03 June 2019 के द्वारा शब्दों यह निर्देशित किया गया है कि सी0आई0एस0 पर व नेशनल डेटा रिड पर पत्रावलियों

में दर्शित तिथि व सम्बंधित वाद में नियत वास्तविक तिथि में भिन्नता पाये जाने पर एवं अन्य कोई भी भिन्नता पाये जाने पर सम्बंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण यह सुनिश्चित कर लें कि 01 जून 2019 के बाद ऐसी कोई भी अनियमितता न पायी जाये। नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर व सिस्टम ऑफिसर उपरोक्त के बाबत मॉनिटरिंग करे और कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो उससे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

23. सभी न्यायालयों में लंबित प्रकीर्ण, अंतिम आख्या एवं धारा 258 द0प्र0सं0 के कुल लंबित एवं निस्तारित वादों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार।

i. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय में 154 प्रकीर्ण वाद एवं 513 अंतिम आख्या माह जून 2019 में लंबित रही जबकि माह जून 2019 में 01 प्रकीर्ण वाद एवं 30 अंतिम आख्या का निस्तारण किया गया।

ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 कोर्ट में 06 प्रकीर्ण वाद लंबित हैं जिनमें से माह जून 2019 में 01 प्रकीर्ण वाद का निस्तारण किया गया।

iii. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में उपरोक्त वाद लंबित होने का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं कराया गया न ही माह जून 2019 में उपरोक्त किसी भी वाद का निस्तारण किया गया।

iv. सिविल जज सी0डी0 शामली के न्यायालय में 34 वाद उपरोक्त प्रकीर्ण एवं अंतिम आख्या लंबित हैं परन्तु माह जून 2019 में किसी भी वाद का निस्तारण नहीं हुआ है।

v. सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय में उपरोक्त प्रकृति का कोई भी वाद लंबित नहीं होना बताया गया।

vi. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय से प्रकीर्ण वाद एवं अंतिम आख्या के लंबित होने की बाबत कोई विवरण पत्र प्राप्त नहीं कराया गया न ही किसी उपरोक्त वाद का माह जून 2019 में निस्तारण किया गया।

vii. सिविल जज जू0डी0 / न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार 114 अंतिम आख्या माह जून 2019 में लंबित रही जबकि 4 अंतिम आख्या निस्तारित की गयी।

सभी न्यायिक आधिकारिकगण को निर्देशित किया गया कि प्रकीर्ण वाद, अंतिम आख्या एवं धारा 258 दं0प्र0सं0 के वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

24. माह जून 2019 में अधिरोपित अर्थदण्ड की बाबत विचार-विमर्श किया गया सभी न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार निम्नलिखित हैं।

- i. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में 56000. रुपये अधिरोपित किया गया।
 - ii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 कोर्ट मे कोई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं हुआ।
 - iii. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय मे माह जून 2019 में 19700 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
 - iv. सिविल जज सी0डी0 / ए0सी0जे0एम0 के न्यायालय में जून 2019 में 1500 रुपय अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
 - v. सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में कोई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं हुआ।
 - vi. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के न्यायालय मे माह जून 2019 में 4300 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
 - vii. सिविल जज जू0डी0 / न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में महा जून 2019 में 100 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
25. सभी न्यायिक अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि जमा किये गये अर्थदण्ड को कोषागार से सत्यापित कराया जा रहा है एवं अर्थदण्ड पंजिका पर वाउचर का नम्बर एवं तिथि अंकित की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अर्थदण्ड पंजिका पर नियमानुसार अपने स्वयं के हस्तलेख में प्रमाण पत्र तैयार करना सुनिश्चित करें। सभी न्यायिक अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों में अर्थदण्ड किसी अपीलीय न्यायालय से स्थगित न हो उनमें अर्थदण्ड की वसूली के बाबत विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिरोपित अर्थदण्ड की पत्रावलियों की स्केलेटन पत्रावलियां नियमानुसार तैयार करने हेतु संबंधित कर्मचारी को निर्देशित करें तथा ऐसे स्केलेटन पत्रावलियों में निर्णय व आदेश की छायाप्रति भी रखें।
26. अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित लंबित प्रार्थना पत्रों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं
- i. न्यायालय सिविल जज सी0डी0 शामली के न्यायालय में प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 170 अंतरिम निषेधाज्ञा 170 प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोई भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।
 - ii. न्यायालय सिविल जज सी0डी0 कैराना के न्यायालय से प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 34 अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोई भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र

का निस्तारण किया गया।

iii. न्यायालय सिविल जज जू0डी0 शामिली के न्यायालय में प्राप्त विवरण के अनुसार माह जून 2019 के प्रारम्भ में 299 अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र लंबित थे माह जून 2019 में कोई भी प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय में प्राप्त हुआ न ही किसी प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

27. सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने न्यायालय में सभी पत्रावलियों की प्रतिदिन फीडिंग, फॉर्वाडिंग तथा अपलोडिंग का कार्य व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

28. पुनर्निमित्त पत्रालियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार किसी भी न्यायालय में कोई भी पत्रावली पुनर्निमित्त नहीं की गई और न ही पुनर्निमित्त होने की कोई कार्यवाई किसी भी न्यायालय में लंबित है।

29. मासिक त्रैमासिक एवं अन्य वांछित विवरण पत्र समय से प्रेषित किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया प्राप्त विवरण के अनुसार सभी न्यायालयों से वांछित विवरण पत्र समय से प्राप्त नहीं कराये जा रहे हैं। सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को निर्देशित करें कि सभी वांछित प्रपत्र समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

30. सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया करें और यदि किसी बाहरी व्यक्ति को कार्य करते हुए पाये तो अविलम्ब इस सम्बंध में मुझे रिपोर्ट करें। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारीगण को यह निर्देश दें कि वह कार्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति से किसी प्रकार के कार्य में सहयोग न लें। यदि उनके द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

31. विभिन्न न्यायालयों लंबित पत्रावलियों के संबंध में अपीलें एवं पुनरीक्षण न्यायालय से स्थगित वादों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 12 /Admin/G- II/ Alld., Dated 26.04.2018 के अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार छः माह की अवधि पूरी कर चुके स्थगन आदेश के बाबत अद्यतन स्थिति मंगाकर उक्त पत्रावलियों में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें।

32. सभी न्यायिक अधिकारीगण से जमानत प्रार्थना पत्र एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं पर विचार-विमर्श

किया गया तथा सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 का निस्तारण बिना किसी विलम्ब के त्वरित गति से नियमानुसार करना सुनिश्चित करें तथा इस बाबत समय पर समय माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को शब्दशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

33. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या- 8717/Admin G-II/ Dated. 03.07.2019 पर चर्चा की गई। दिनांक 17.08.2019 की तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पौधरोपण के लिए नियत की गई है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत को नोडल अधिकारी पौधरोपण एवं सिविल जज सी0डि0 शामली को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को एवं सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरी से परामर्श करना सुनिश्चित करें।

34. सभी न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षा की गई कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा क्लस्टर वाईज कराये जा रहे वर्कशॉप के लिए आवंटित प्रश्नों के अनुरूप अपनी तैयारी पूरी कर लें तथा साथ ही दिन-प्रतिदिन न्यायिक कार्य में आने वाली कठिनाईयों का बिन्दुवार विवरण तैयार कर अतिशिघ्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें जिससे कि उपरोक्त वर्कशॉप में अधिक से अधिक मौलिक बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जा सके और प्रत्येक प्रकार की कठिनाईयों का हल सुनिश्चित किया जा सके।

35. मासिक बैठक में मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अभिलिखित के संबंध में चर्चा हुई। सामान्यतः बयान अभिलिखित (रिकॉर्ड) करने पर कोई परेशानी नहीं है, किन्तु कतिपय मामले में पीड़िता या जिस व्यक्ति का बयान अभिलिखित किया जाना है, यदि वह मुकबधिर है तो कैसे बयान अभिलिखित किया जाय, इस सन्दर्भ में श्री राजमंगल सिंह यादव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली द्वारा बताया गया कि उक्त के बाबत 164(5) द0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार बयान किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेकर अभिलिखित किया जाएगा तथा उक्त की वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी।


36. सिविल जज सी0डि0 शामली के द्वारा अवगत कराया गया कि समन के तामीला के संबंध में प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों की नवीनतम सूची जजशिप शामली बनने के उपरान्त तैयार नहीं करायी गयी है। जिस कारण प्रकाशन हेतु पैरवी करने में अधिवक्तागण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया गया कि वे समाचार पत्रों की सूची तैयार कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

37. सिविल जज सी0डि0 शामली के द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल न्यायालयों में जमा धनराशि के बाबत कोषागार मुजफ्फरनगर एवं कोषागार शामली की तकनीकी समस्या के

कारण रिफण्ड बाउचर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण वादकारी एवं अधिवक्तागण को परेशानी हो रही है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कोषागार से अतिशीघ्र उक्त का समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे कि रिफण्ड बाउचर का भुगतान हो सके।

38. कोर्ट की साफ सफाई के सम्बंध में चर्चा की गई एवं प्रभारी अधिकारी नजारत तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को निर्देशित किया गया कि केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से कैम्पस की साफ-सफाई कराना एवं पौधरोपण तथा सीजनल फूल के पौधे लगवाना सुनिश्चित करें।

मासिक बैठक में किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा अन्य कोई समस्या नहीं बतायी गयी। मासिक बैठक रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।


(अनूप कुमार गौयल)
जनपद न्यायाधीश,
शामली

दिनांक:- जुलाई 11, 2019

276.

MAR

संख्या - 10

नागपालप शिवा A.D.J (पोम्मा) शिवाली

मुं 35070 - 305

सं - 2020

सं लनाम

UK - 377, सा। ipc व 7/8 पोम्मा एम्ट

PS - बांधला

तारीख - प्रापत्र 3/06/2020

Date of notification. 24/3/2021
Date of issue. 25/3/2021
Date of entry. 25/3/2021
Signature of H.C.

25/3/2021



29
24/3/2021

Handwritten initials

सेवा

श्रीमान न्यायालय A.D.J विशेष पोळतो एवढ' सेवक-101,
केरना राबला

विषय - थारा हाजा पर पंजीकृत बुक अडके 305/20 थारा 317, 511 118
7/8 पोळतो एवढ के पीडिन आह्वद 36 मेहरान 210 को को
बाला व थारा जापला राबला के वयान भन्गति थारा 164 6
मे वर करे करे विषयक

निवेदन

निवेदन के हे कि थारा हाजा पर पंजीकृत बुक अडके 305/20
थारा 317, 511 118 व 7/8 पोळतो एवढ के पीडिन आह्वद उपरोक्त
के वयान भन्गति न्यायालय मे भन्गति थारा 164 6.P.C मे वर
होने आवश्यक हे

थारा निवेदन हे कि पीडिन आह्वद उपरोक्त के वयान
भाननीय न्यायालय मे भन्गति थारा 164 6.P.C मे वर करे करे
एवढ के हे

रिपोर्ट के हे उपरोक्त हे

Sir

Submitted



Handwritten date: 03/06/2020

Handwritten signature and date: 3/6/20

Handwritten note: CSN to arrange

Handwritten date: 3/6/20

Handwritten note: Put up before Ad. J. (S-0) Kairan

Handwritten date: 3/6/20

Handwritten signature and date: 25/3/2021

Printed form fields: Photo No, Words

Printed form field: Prepared By

Handwritten number: 128

Handwritten date: 25/3/2021

Printed text: ...

278

278

स.स.प.स. - 11

30
24/3/2024

नापाली प्रशासन A.D.-7 (पोम्पो) शान्ती
मुद्रांकन - 134 सन-2020

सब नाम

ULS - 379, 20B ix व 314 पोम्पो सभ

PS - माना अवन

नमल - प्राप्त 29/05/2020



Date of Application. 24/3/2024
Date of ... 25/3/2024
Date ... 25/3/2024
Signature ...

25/3/2024

4400-1112

संख्या - 164/2012
दिनांक - 29/5/20

सादर सूचित करना है कि थाना राजा पर
मुख्य उपरोक्त से सम्बंधित पीड़ित के 50
संख्या 164/2012 के अन्तर्गत पीड़ित के 50
संख्या 164/2012 के अन्तर्गत पीड़ित के 50
संख्या 164/2012 के अन्तर्गत पीड़ित के 50

अतः आदेश से अनुरोध है कि पीड़ित
को कलकत्ता लाने हेतु आदेश पारित करने
की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा के अन्तर्गत है।

Signature
29/5/20

29/5/20

Ref. B before
10/05/20
Shameli

29/5/20

Signature
29/5/20



सादर अवगत करना है कि थाना हाजिरी में
मुद्रा प्रयोग के सम्बन्धित पीड़ित केन्द्र
द्वारा 10 भाग हसनपुर बुधारी 18 थानाभवन जिनके
साथ प्रशासन उपस्थित था। केंद्र के विवेक पीड़ित
का केंद्र 30 अर्थात् 164 पर ले करवा जाना
आवश्यक है।

अतः अधिसूचना के अनुरोध है कि पीड़ित
का कलमकद बयान कराने हेतु आदेश पारित करने
की कृपा करें।

रिपोर्ट सादर सेवा के अर्थात् है।



U C M to
arrange
[Signature]
29/5/20

[Signature]
29/5/20
(विकल्प क्रम
SI
PS - थानाभवन
विजान - शापती)

1st Officer
1st Officer
Sharma
29/5/20

विशेषज्ञ के द्वारा
कि 29/5/20 को
होपकिनेस कार्यालय में
होपकिनेस कार्यालय में
Receipt पर ह अर्थात्
करवा बयान पूरा करें।
11/6/20

Photo Copied By
Words..... 150/.....
25/3/2024

साथ प्रशासन
25/3/2024
मुद्रा प्रयोग के अर्थात्

281

2174/16

संलग्न-12

आपातलप अध्याय निशोत - आय बोर्ड, सादली

क्र. 238 - 238 मस - 20

सं. वसाम

U/s - 363, 376 IPC क 314 कानून अधिन

PS - काँपला

मसल! - पाठपत्र 13/08/2021

36
10/3/2021



Date of Application. 10/3/2021
Date of Issue..... 09/3/2021
Date of Delivery..... 19/3/2021
Signature of I.C.....

19/08/2021

रिपोर्ट वाता - गांधी जनपद - शाहवा

~~13/05/20~~

सेवा मे,

भाप - मापालय श्रीमान A.D.R (पोली) महोदय,
जनपद - शाहवा ।

विषय: सचिव क्र. 238/20 वाता - 363/376 मी. व वाता - 3/4 पोलीस
18 - गांधी (शाहवा) मे पोलीस ठाणे कु जांनी के खान कन्वर्शन वाता - 161
भाप - मापालय मे गोष्टि कराने विषय ।

महोदय,
निदेश क्र. 238/20 वाता - 363/376 इ. व
वाता - 3/4 पोलीस व 18 - गांधी (शाहवा) मे पोलीस ठाणे कु जांनी 0/0 रजिस्टर
के द्वारा 18 - गांधी (शाहवा) इ. - 14 व. के खान कन्वर्शन वाता - 161
मे गोष्टि कराने के विषय वाता - 169 मी. व भाप - मापालय मे कराने के वाता - 169
कन्वर्शन वाता - 169 मी. व भाप - मापालय मे कराने के वाता - 169



19/5/20
Words compared By
120/

कलकत्ता, वाता - 164 मी. व भाप - मापालय मे कराने के वाता - 164
वर्क की कपा करे ।

Sir
Submitted

S. M. H. (en)
12/05/2020

Put up before
Sd/- C.J. (S.P.)/M.C.M.
Karnana
13/05/20

record the statement of
the same
13/5/20

रिपोर्ट वाता - गांधी जनपद - शाहवा

13/05/20
18 - गांधी
जनपद शाहवा

सत्य प्रतिनिधि
19/3/2021

सत्य प्रतिनिधि/शाहवा

मेरे संसाधन में शकलित मालिका संश्लि
 CJLSD) / HESM. के डाटा ~~का~~ मिटर
 व्यक्त में व्यक्त अतः ~~का~~ तल्ले
 जो हेतु प्राप्त CJSD) / SM. Shandi
 के लक्ष्य पर हो

13/5/20

वेधक,

180

मुफ्त आगी

सिविल जज (ज० डि०)

शामली /

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली।

माननीय जनपद - भागलपुर

शामली।

वेधक -

भागलपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में

कार्रवाई स्टेशनोपचार दिनेश कुमार द्वारा आग

लग्न समग्र से पूर्व बिना पूर्व अनुमति के

भागलपुर परिसर छोड़ने के सम्बन्ध में।

दीर्घ,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 30-6-20

को जैन्य बाद श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

शामली के आदेश दिनांकित 30-6-2020 के अनुसार

मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के जेल

निरीक्षण पर जाने के कारण उनके आग्रालय के

के न सिवाय, बेल को न व अन्य जलवायु को न

मेरे द्वारा सम्पादित किमे जाने से दिनांक 30-6-2020

को समग्र पारबजे श्रीमान को नबाली शामली के

में दिनांक 30/6/2020, द्वारा 30-6-20 दिनांकित 30-6-

2020, 30-6-20 में दिनांक प्रस्तुत की गयी

जिसमें समग्र पारबजे जेल विडान अधिवक्ता

द्वारा प्रस्तुत की गयी। बेल के विस्तारण हेतु

स्वयं मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार का सुलगा
 किन्तु वह सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमान मुख्य
 आधिक मजिस्ट्रेट के आयालय, कार्यालय एवं वि
 कस में ताला पड़ा हुआ है। मं. द्वारा और
 कने पर श्रीमान मुख्य आधिक मजिस्ट्रेट
 के आयालय में कारभर लिपिक ने मं. ल
 आकर यह कथन किया कि स्टेनोग्राफर दिनेश
 कुमार पिछले 3 दिन से अवकाश पर है। मं.
 द्वारा श्रीमान मुख्य आधिक मजिस्ट्रेट के आया
 में कारभर कर्मचारीगणों की उपस्थिति पंजिक
 मंगवाये जाने पर उपरोक्त वाद लिपिक द्वारा क
 कहा गया कि कर्मचारीगणों की उपस्थिति पं
 साहब अपनी आलमारी में रखते हैं तथा य
 अपनी पाल रखते हैं तथा अपने साथ ही ल
 जाते हैं। रोजी परिस्थिति में यह स्पष्ट ज
 कि स्टेनोग्राफर श्री दिनेश कुमार सुड़ी पर प्रे
 नहीं। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेद
 है कि यदि श्री दिनेश कुमार अवकाश पर न
 तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की इय

दिनांक-30-6-2020

Copy for issuance to the concerned employees.
 20/7/20

भवदीया
 30/6/20
 (मुनता ला)
 सिविल जज
 प्रभारी मुख्य
 मजिस्ट्रेट
 शामिल

286.

286

खंभाकर-14

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद शामली।

द्वारा,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

2/7/20

विषय:- आदेश दिनांकित 30-06-2020 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध
में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 27-06-2020 चतुर्थ शनिवार को न्यायालय में उपस्थित आया था। प्रार्थी के भाई की शादी होने के कारण पीठासीन अधिकारी को मौखिक रूप से अवगत कराने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 29-06-2020 एवं 30-06-2020 के आकस्मिक अवकाश एवं न्यायालय समयोपरान्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में कार्यरत मुंसरिन/रीडर को देकर अपने ग्रह जनपद मुरादाबाद चला गया। दिनांक 29-06-2020 को प्रार्थी के आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रार्थी के अवकाश के दौरान माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशानुसार न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश में नियुक्त आशुलिपिक श्री कंशल पराशर द्वारा न्यायालय का कार्य सन्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित

दिनांक-06-07-2020

प्रार्थी

दिनेश कुमार

आशुलिपिक

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

शामली।

संलग्नक:- पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

न्यायालय क्रिमान ज.म. महोदय शामिली

वाफ स०- २५७५
९

सन् २०२०

सक्रार बंनम डा. नाहद खम आदि

प/स- ३७६०, ३५५८, ३८६, १२०८ प/स

प/स- धानाभवन

नकल - तहरीर

५२
१८/३/२५



Date of Application.....

१८/३/२०२१

Date of Filing.....

१८/३/२०२१

Date of Issuance.....

१८/३/२०२१

Signature of J.C.....

१८/३/२०२१

सेवा में,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जनपद- शामली।

क. निम्मापुरा 10 वरिष्ठ
कर्मचारी करे

06/06/2020
BM

PERSONAL ATTENTION



कोषागार

कुर्पावका

के

Handwritten signature

09/06/20

SHO थानाभवन

निम्मापुरा 10 कहा कि जो घटना सच है, मैंने वह आपकी बतायी है। जिसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ और मेरे बयान कराने के लिए पुलिस मुझे कैराना कोर्ट ले गई। रास्ते में पुलिस ने मेरे ऊपर इस बात का काफी प्रेशर दिया कि तुम इसमें अपने बयान बदल दो और पत्रकार का नाम मत लेना, नहीं तो इसमें कुछ नहीं किया जायेगा। जब मैं जज के सामने पहुंची, तो जज ने मुझे खूब धमकाया और कहा कि तुम पत्रकार का नाम इसमें से हटा दो। मैंने जज को कहा कि मैंने जो तहरीर में लिखा है, वह एक सच्ची घटना है और यही मेरा बयान है, लेकिन जज मुझे लगातार धमकाती रही, जिससे मैं काफी डर गई और सही से बोल नहीं पायी। पुलिस भी आरोपियों के साथ मिलकर ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही और लगातार मेरे ऊपर फैसले का दबाव बना रही है।

Handwritten signature

अमित सक्सेना

5768



SHO थानाभवन

Handwritten signature and date 06/06/20


आरोपी पक्ष के लोग मेरा व मेरे परिवार का पीछा कर लगातार परेशान कर रहे हैं। आरोपी मेरे ऊपर लगातार फैसले का दबाव बना रहे हैं। मुझे खतरा है कि उक्त आरोपी मुझे व मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूँ। मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे पास मरने से अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिसके जिम्मेदार उक्त लोग हैं।

प्रार्थीया एक मुस्लिम परिवार की शादीशुदा महिला है। उक्त दबंग लोग अपनी उठ-बैठ के दम पर मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं तथा मेरे ऊपर फैसले का दबाव बना रहे हैं।



दिनांक-.....

प्रार्थी



अफसना पत्नी वकील

ग्राम- बन्तीखेडा

थाना- बाबरी, जिला- शामली

मो०-

Photo Copy Compared By
Words..... 350/18/3/2024

सत्य प्रतीक्षा
18/3/2024

मुख्य प्रतिलिपि/शामली

न्यायालय क्रिमिन जंम महोदय शामली
वाफ सं- 2494 सन् 2020

42
18/3/21

सरकार बनाम हा. नाहिद खान आदि

पस- 3760, 354C, 386, 120 BIRC

पस- धानाब्रवन

नकल - आपेश 11/06/2021



Date of application. 18/3/2021
Date of hearing. 18/3/2021
Date of disposal. 18/3/2021
Signature of R.C.

18/3/2021

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद शामली।

11-06-2020

विवेचक श्री अशेष बाबू द्वारा पु.अ.सं. 155/2020 अंतर्गत धारा 376,354 ग, 386,120B भा.द.स. थाना थानाभवन, शामली के सम्बंध में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया है कि पीड़िता अफसाना पत्नी बकील निवासी बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली सम्बंधित मुकदमा उपरोक्त का कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में दिनांक 04-06-2020 को कराया जा चुका है। पीड़िता द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के समक्ष पुनः कथन 164 द.प्र.सं. कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया है। प्राप्त होने पर आज में पुनः मय पीड़िता न्यायालय में उपस्थित आया है।

पीड़िता एवं अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 04-06-2020 को पीड़िता का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान कराया जा चुका है। पुनः बयान कराये जाने हेतु इस आधार पर प्रार्थनापत्र दिया गया है कि पीड़िता ने डी. एम. साहब के यहां प्रार्थनापत्र दिया था उसी के अनुरूप में पुनः बयान कराया जाये। अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में विधिव्यवस्था क्रि. मि. रिट. पेटिशन.सं. 2027/2018 मनीषा शाह एवं अन्य बनाम स्टेट आदि प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 19-03-18 को यह अवधारित किया गया है कि " It is true that law does not bar recording the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C. twice, but at the same time the second statement should not be recorded to negate or defeat the eariler statement of the victim whether it is in favour or against the accused otherwise the sanctity of the statement under section 164 Cr.P.C. will loose its value." और कथन किया गया है कि पीड़िता का बयान दोबारा कराये जाने से कहीं भी रोका नहीं गया है। अतः पीड़िता का बयान कराया जाये। मैंने उपरोक्त विधिव्यवस्था का अवलोकन किया। पीड़िता का पूर्व में बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 04-06-2020 को दर्ज कराया जा चुका है और उसके बताने के आधार पर बयान लिखा जा चुका है। डी.एम. और एस.पी. को जो प्रार्थनापत्र पीड़िता द्वारा दिया गया है उस पर बयान लिखने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा उराने धमकाने की बात का कथन किया गया है और उसकी सही बात न लिखने का कथन किया गया है, किन्तु किस प्रकार से उसे डराया-धमकाया गया और किन कारणों से उसे डराया धमकाया गया इस सम्बंध में कुछ अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त विधिव्यवस्था में यह निर्धारित किया गया है कि " It is true that law does not bar recording the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C. twice, but at the same time the second statement should not be recorded to negate or defeat the eariler statement of the victim whether it is in favour or against the accused otherwise the sanctity of the statement under section 164 Cr.P.C. will loose its value."

पूर्व में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जा चुका है। बयान सक्षम न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया है। उपरोक्त के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि पुनः बयान कराये जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता है। विवेचक का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। तदनुसार निस्तारित किया जाता है।



Photo Copy Compared By
Words Book 18/6/2021

आदेश की एक प्रति
आवश्यक सर्यवाही के
विवेचक को प्रेषित।

B.O

11/06/20

11/06/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली।

सत्य प्रतिलिपि
18/6/2021

मुख्य न्यायिक/शामली

292

244

292

संलग्नक-17

(विश्राम कक्ष)

प्रभांशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

अतिव्यवसाय कराना है कि दिनांक 20.06.2020 को मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होनी है अतः
संबन्धित कार्य करने में आने वाली समस्याओं से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे आपकी
कार्यवाही को मॉनिटरिंग की मीटिंग में रखा जा सके सम्बन्धित सूचित हों।

19.06.2020

19.06.20

प्रभांशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

u/a
19/6/20
20/6/20

(विश्राम कक्ष) 2

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

आदेश संख्या - 2 दिनांक 16.8.18

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली न्यायालय में रविवार एवं अन्य अवकाश काल में रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु सम्बंधित अधिकारी उनके पदनाम के समक्ष दिये गये माह में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित

करने:

माह	पदनाम
अगस्त	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
सितम्बर	सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
अक्टूबर	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
नवम्बर	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
दिसम्बर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
जनवरी	सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली
फरवरी	सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।
मार्च	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

(राजमंगल सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

Chief Judicial Magistrate
Shamli at Kairana

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सूचनार्थ।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

294

संक्रमांक - 19

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

19-03-19

आदेश सं. 11

दिनांक 19-3-19

आदेश

माह मार्च, 2019 में रिमाण्ड ड्यूटी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली की है। होली के अवकाश दिनांक 20-03-19 से दिनांक 22-03-19 तक की रिमाण्ड ड्यूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। आदेश को गार्ड फाईल में सुरक्षित रखा जाये।

दिनांक- 19-03-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

24-04-19

दिनांक 24-4-19

आदेश सं. 15

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के आकस्मिक परिस्थितियों में अवकाश पर रहने के कारण दिनांक 28-04-19 को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सम्बंधित सूचित हो।

दिनांक- 24-04-19

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

24/4/19

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

05-03-20

आदेश

सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. शामली, सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा दिनांक 05-03-2020 को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किये जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सहमति दी गयी है। अतः दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी हटाये जाने के सम्बंध में आदेश पारित करने की कृपा करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने के लिये सहमति दी गयी है। इस अनुक्रम में दिनांक 14-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. शामली सुश्री मुक्ता त्यागी के स्थान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

(राजमंगल सिंह यादव)
05/03/20

(राजमंगल सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

(S)
05/03/20

(S)
5/3/2020

Received

(S)
05/03/2020

(S)
5/3/20

खेलगृह-22 209

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।
24-02-20

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम, कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 20-02-2020 को पत्र इस आशय का प्रेषित किया गया है कि दिनांक 09-03-2020 व दिनांक 10-03-2020 को रिमाण्ड कार्य हेतु किसी अन्य मजिस्ट्रेट, को नियुक्त किया जाये। पत्र में दिनांक 08-03-2020 एवं दिनांक 11-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. शामली द्वारा सहमति भी प्रदान की गयी है।

चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली श्री राजमंगल सिंह यादव को भी होली के अवकाश में बाहर जाना है और सुश्री रुचि तिवारी सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम., कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर, तमिलनाडु जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है। वर्तमान में अन्य कोई मजिस्ट्रेट, जनपद शामली में कार्यरत नहीं है। अतः समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

(Signature)
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

Handwritten notes:
25/02/2020

Handwritten notes:
25/02/2020

Handwritten signature:
25-2-2020

Handwritten signature:
25/2/20
R. S.

Handwritten signature:
Sir
Ranjit Gohy
25/2/20

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

25-02-20

आदेश

सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम., कैराना, शामली के द्वारा प्रार्थनापत्र दि. 24-02-2020 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया को माह मार्च में दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा हेतु रामेश्वरम, तमिलनाडु जाना है। माह मार्च में मेरी रिमाण्ड ड्यूटी है। पूर्व में सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम., शामली द्वारा दिनांक 08-03-2020 व 11-03-2020 की रिमाण्ड ड्यूटी करने की सहमति प्रदान की गयी थी, किन्तु अभी उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें दिनांक 08-03-2020 से 11-03-2020 तथा 13-03-2020 एवं 14-03-2020 किसी आवश्यक कार्य हेतु इलाहाबाद जाना है जिस कारण वे रिमाण्ड ड्यूटी कर पाने में असमर्थ हैं। अतः दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक रिमाण्ड कार्य सम्पादित किये जाने हेतु किसी अन्य मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने की प्रार्थना की गयी है। पूर्व में भी दिनांक 20-02-2020 को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया था जिस पर सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा रिमाण्ड कार्य करने के लिये सहमति दी गयी थी। जिसके सम्बंध में मेरे द्वारा दिनांक 24-02-2020 को यह आदेश पारित किया गया था कि चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली राजमंगल सिंह यादव को भी होली के अवकाश में बाहर जाना है और सुश्री रुचि तिवारी सिविल जज (सी.डि.)/ए.सी.जे.एम., कैराना, शामली के द्वारा दिनांक 08-03-2020 से दिनांक 14-03-2020 तक तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर, तमिलनाडु जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिया गया है। अतः दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा सम्पादित की जायेगी।

चूंकि वर्तमान में अन्य कोई मजिस्ट्रेट, जनपद शामली में कार्यरत नहीं है। अतः समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 24-02-2020 के अनुक्रम में दिनांक 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020 एवं दिनांक 14-03-2020 को रिमाण्ड ड्यूटी सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा ही सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित सूचित हो।

(राजमंगल सिंह यादव)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनार्थ।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

स्लॉट 59-24-

288

(विश्राम कक्ष) 1

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली

30-09-2020

आदेश संख्या

दिनांक

आदेश 167 व प्र.सं. के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक कार्य दिवस में नियुक्त न्यायाधीशों का निर्वाह कार्य नैडिआ कांफ्रेंसिंग के द्वारा आदेश दिनांकित 03-12-19 के अन्वय में किया जाएगा।
आदेश दिनांक जयपुर -

पदनाम	नाम
शुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	कैराना
शुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	शामली
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	दिनांक
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	शामली
शुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	कैराना
शुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	शामली
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	शामली
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	शामली

न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में निर्वाह कार्य दिनांकित दिनांक द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सम्बंधित सूचित हो।

Free mangoes
30/9/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली

प्रतिलिपि-

प्रतिलिपि-

- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनाार्थ।
- एस.पी.ओ., शामली को सूचनाार्थ।
- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित कैराना को सूचनाार्थ।

Sim
Revised Cell
30/9/20

21/09/20

21/09/20

20/09/20 11:50 AM

20/09/20

20/09/20

(विश्राम कक्ष)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

20/04/19

20-04-19

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली न्यायालय में रविवार एवं अन्य अवकाश काल में रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु सम्बंधित अधिकारी उनके पदनाम के समक्ष दिये गये माह में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित करें।

पदनाम	माह
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	मई
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जून
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जुलाई
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	अगस्त
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	सितम्बर
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	अक्टूबर
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	नवम्बर
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	दिसम्बर
सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	जनवरी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना शामली	फरवरी
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	मार्च

(राजमंगल सिंह) ^{20/4/19}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनाार्थ।
- 2- एस पी ओ, शामली को सूचनाार्थ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनाार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार संघ, शामली स्थित को सूचनाार्थ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली।

20/4

20/4

20/4/19

20/4

20/4/19

30
10/3/21

न्यायालय अधीन जनपद न्यायाधीश शामली
मु.अ.सं- 837 सन् 2019

सरकार बनाम शिवानी

पीए- 302, 201, 120(B) IPC

पीए- को. शामली

मकल - रिमाण्ड शीट



Date of Application.

10/3/2021

Date of Notice.....

10/3/2021

Date of Issuance.....

12/3/2021

Signature of M.C.....

12/3/2021

302

1420
16



रिमान्ड शीट

मु० अ० सं० 837/19 धारा 302, 201, 120(0) न्या० थाना को० शामली

- बनाय 1 शिवानी प० सोरू वीरेश म० गौरी 14 पू लवाग कोलोनी
- 2 PS नोच की मेरठ, टाक पल - हाइविल कोलोनी खेडी कान
- 3 PS को० शामली जिला - (शामली)
- 4

शिवानी

आज दिनांक 19/5/19 को उपरोक्त वाद मे अभियुक्त / अभियुक्तगण थाने से गिरफ्तार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमान्ड प्रा० पत्र के न्या० हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167सी०आर०पी०सी० का वारन्ट बनाया जाये । विवेचक ने तकमेला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमान्ड को प्रार्थना की है। सम्बधित कागजात का अवलोकन किया गया रिमान्ड का पर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमान्ड दिनांक 19/5/19 से दिनांक 1/6/19 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा मे रखा जावे।



[Signature]
19/5/19

रुकु वीरेश शाह सिख

[Signature]
19-5-19

सत्य प्रतिलिपि
12/3/2021
मुद्रा प्रतिलिपि प्रमाण

Photo copy prepared By
12/3/2021

संख्या 27

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
शामली।

विषय—

दिनांक 19.05.2019 को जनपद न्यायालय, शामली में कार्यरत सभी
मजिस्ट्रेट की मुख्यालय छोड़ने की अनुमति की सूचना के सम्बन्ध में


महोदय,

सविनय निवेदन है कि श्रीमान जी के उपरोक्त विषयक पत्र दिनांकित
19.03.2021 तथा पत्र पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के आदेश
दिनांकित 19.03.2021 के अनुपालन में यह सूचना आपको उपलब्ध करायी जाती है:-

“वर्ष 2019 के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 18.05.2019 को तत्समय
कार्यरत मजिस्ट्रेट न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण में से किसी के भी द्वारा
दिनांक 18.05.2019 अथवा दिनांक 19.05.2019 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु
कोई प्रार्थनापत्र प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

तदनुसार, आख्या श्रीमान जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 19.03.2021

 19/3/2021
प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
शामली।

304

288

(विश्राम कक्ष) 1

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद शामली

जनपद शामली

30-09-2020

आदेश संख्या

दिनांक

आदेश 167 व प्र.सं. के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक कार्य दिवस में अभियुक्तता का निवारण कार्य नैडिप कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश दिनांकित 03-12-19 के अनुक्रम में किया जाएगा।
सम्पादन किया जायगा -

पदनाम	नाम
सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी डि.) /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	संबंधित
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.) /न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	संबंधित
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	दिनांक
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी डि.) /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	संबंधित
सुश्री रुचि तिवारी, सिविल जज (सी.डि.) /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना	जनपद
सुश्री मुक्ता त्यागी, सिविल जज (जू.डि.) /न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	नाम
श्री अरुण सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।	नाम
श्रीमती प्रतिभा, सिविल जज (सी.डि.) /अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली	नाम

न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रिप्लेस करके किया जायगा।
द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सम्बंधित सूचित हो।

Free mangers
30/9/20
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद शामली

प्रतिलिपि -

प्रतिलिपि -

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचनाथ।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनाथ।
- 3- सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 4- अध्यक्ष/सचिव बार सच, शामली स्थित कैराना को सूचनाथ।

Recd Cell 1
30/9/20

30/9/20

30/9/20

30/9/20 11:50 AM

30/9/20

305.

सं. ३०५/२०१९

अध्यापालक श्रीमान् C.J.M. शाहली

मुंबई - ४३

साल - २०२०

सं. वनाम गधपूर

U/S - 147, 148, 452, 323, 324, 506, 326 IPC

B - विभागा

जलद! - रिमांड शीट 11/10/2020 से 06/11/20
२५

३५
10/3/2021



Date of Application 10/3/2021
Date of N. Dec. 19/3/2021
Date of Bail 19/3/2021
Signature of H.C.

19/3/2021

रिमाण्ड शीट

मु० अ० सं० 83/20 धारा 147, 148, 452, 323 चा० थाना डि० 11-11
324, 506, 326/PC


- बनाम 1 गधूर S16 फक्तकीन R16 गा० मन्सूर प० डि० 11-11 शामिली
- 2
- 3
- 4



फरक करव जाइ किथा /
नं० 867 इ० २

आज दिनांक 11/10/20 को उपरोक्त वाद मे अभियुक्त / अभियुक्तगण थाने से गिरफ्तार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमाण्ड प्रा० पत्र के न्या० हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167 सी० आ० पी० सी० का वारन्ट बनाया जाये ; विवेचक ने तकमेला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमाण्ड को प्रार्थना की है। सम्बधित कागजात का अवलोकन किया गया रिमाण्ड का पर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड दिनांक 11/10/20 से दिनांक 13/10/20 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे।



रिमाण्ड प्रा० 11/10/20
शामली शिबत कराना
11/10/20

*Handed out perused
the document. There is no
issue in the interest of justice
as to the 14 days time is being granted
to the S. 326 & PC to 20.*

11/10/20

*perused & perused
papers. let we remain
cont. up before court
accused is present
through video link
13/10/20*

रिमांड रोल

मु. नं. 83/20. U/S 147/148/152/323
 324/506/326 IPC
 नाम - गणेश शंकर जयसिंग रा. मंडल P/S सितावा रा. मंडल

चार्ज - सितावा
 11/10/2020
 9/12/2020

डिमेंड 14.10.20 आशुतोष लाल रा. मंडल के द्वारा मु. नं. 83/20, 147, 148, 452, 323, 324, 506, 506, 326 I.P.C. धारा-सितावा में आशुतोष लाल के रिमांड की याचना की गयी है प्रपत्रों के आवलोकन एवं शरीत होना है कि बिना रिमांड माफिस्ट ने दिनांक 11.10.20 को प्रपत्रों के आवलोकन के बाद आशुतोष लाल उमरोत का उमरोत धाराओं में डिमेंड-13.10.20 तक के लिये रिमांड ली क्वे किया गया। उन्ही दिन बिना माफिस्ट ने धारा 326 I.P.C. के संकेत में कोई इस्तानेज न होने का उल्लेख करते हुए I.O को दो दिन का समय दिया गया कि वह वह धारा 326 I.P.C. के संकेत में इस्तानेज प्रस्तुत करें। डिमेंड-13.10.20 को बिना रिमांड माफिस्ट द्वारा पेशित माफिस्ट पत्रे हुए दिनांक 14.10.20 तक के लिये उमरोत धाराओं में आशुतोष लाल का रिमांड ली क्वे किया गया तथा खाने-पाने-प्याने में प्रस्तुत करने का आदेश पत्रे किया गया एवं प्रपत्रों का आवलोकन बिना आशुतोष लाल का रिमांड उमरोत धाराओं में डिमेंड 23.10.20 तक के लिये ली क्वे किया गया है।

14.10.20

23/10/20
 06/11/20
 गणेश शंकर जयसिंग के जेल से तलब कर के उमरोत सहाय पेशित किया गया। बिना रिमांड माफिस्ट गणेश शंकर जयसिंग का रिमांड का बाधा पत्रे की रिमांड ली 06/11/20 तक स्वीकृत हुआ। रिमांड सहाय है।

06/11/2020
 19/11/2020
 गणेश शंकर जयसिंग को जेल से तलब कर के उमरोत सहाय पेश किया गया। बिना रिमांड माफिस्ट गणेश शंकर जयसिंग का रिमांड का बाधा पत्रे की रिमांड ली 06/11/2020 तक स्वीकृत हुआ। रिमांड सहाय है।

19/11/2021

RIM
 12/11/2020

308.

संलग्नक-30

चाणालय सीमान C.J.M. आपली

क्रमांक - 438 मर - 2020

संलग्नक क्रमांक अहसान भाषि

UIS - 147, 148, 152, 504, 323, 506, 307 / PC

PS - कैरना

मकल - रिमांड डीट 10/10/2020 से 23/10/2020

33
19/3/2021




Date of Appointment 10/3/2021
Date of N... 19/3/2021
Date of B... 19/3/2021
Signature of I.L.C.

19/3/2021

रिमान्ड शीट

मु० अ० सं० ५३४/२० धारा 147/48, 452, 504, चा० थाना केराना
323, 506, 307 PC

- बनाम
- 1 अहसान S/O मुसुफ R/O सिद्धमान/डांसारियान P.S. केराना शामली
 - 2 अमिब S/O सुहाब R/O 71
 - 3 बिल्लू S/O मुसुफ R/O 71
 - 4 उमरुत या लखी ~~...~~



आज दिनांक 10/10/20 को उपरोक्त वाद में अभियुक्त/ अभियुक्तगण थाने से गिरफ्तार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमान्ड प्रा० पत्र के न्या० हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167 सी० आर० पी० सी० का वारन्ट बनाया जाये। विवेचक ने तकमला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमान्ड को प्रार्थना की है। सम्बन्धित कागजात का अवलोकन किया गया रिमान्ड का पर्याप्त आधार है।

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमान्ड दिनांक 10/10/20 से दिनांक 13/10/20 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे।

Heard & perused at this stage has not submitted any such evidence by which the offence of S. 307 PC is made out. The injury report submitted is only of simple injury caused to the victim. Hence in the interest of justice and to prevent the victim from being directed to submit proper evidence to prove the offence of S. 307 PC.

रिमान्ड मजिस्ट्रेट
शामली स्थित केराना
10/10/2020

Heard & perused at this stage has not submitted any such evidence by which the offence of S. 307 PC is made out. Hence in the interest of justice and to prevent the victim from being directed to submit proper evidence to prove the offence of S. 307 PC.

क्रमांक - 428/20

05/14/148/452/506

- नाम 1) जयसोन डाकघर, R10 सिद्धार्थनगर, अररौली, पिन-241122
- 2) मणिलाल ज्योतिषी, R10 सिद्धार्थनगर, अररौली, पिन-241122
- 3) विष्णु ज्योतिषी, R10 सिद्धार्थनगर, अररौली, पिन-241122

दि. 14.10.20

आभियोगीय बाह्य, आभियोग व विष्णु-
 परिषद व-0 मेरे लक्ष प्रकृत दुर्गा विभाग रिमांड काफ्रेट
 द्वारा दि. 11.10.20 को मु. नं. 438/20 अंतर्गत धारा-
 147, 148, 152, 504, 506, 323, 307 F.P.C. प्रांगण के
 आधार पर पते हुए दिनांक 13.10.20 तक के लिए
 रिमांड लीकृत किया गया किंग द्वारा 307 F.P.C.
 का कोई लक्ष न होने का उल्लेख किया गया और
 चारों को साधारण लोग कहा गया तथा विवेक
 को शास्य द्वारा 307 के संवधान में प्रकृत कार्य के
 लिये कहा गया और दो दिन की रिमांड लीकृत
 की गयी। दिनांक 13.10.20 को विभाग रिमांड काफ्रेट
 विवेक के रिमांड रिक्वेस्ट पर प्रपत्रों के आवलोकन
 के बाद संकलित हो चुके आभियोगीय अररौली का-
 अररौली धारणाओं में रिमांड दि. 14.10.20 तक के लिये
 लीकृत किया गया और सुव्यवस्था-आपादन के लिये
 14.10.20 को प्रकृत कार्य के लिये कहा गया। सुभा एवं
 आवलोकन किया। आधार पर ही आभियोगीय अररौली
 का अररौली धारणाओं में रिमांड दिनांक 23.10.20 तक के
 लिये लीकृत किया जाता है।



23/10/20
06/11/2020

अभियोगीय अररौली में जैत से लक्ष न कर एक प्ले में
 समझ पर किया गया किंग एक रिमांड यथा ही न
 अररौली से रिमांड का आदेश पत्र है। रिमांड
 06/11/2020 तक लीकृत हुआ है।

14.10.20

Photo Copy Collected By
 Words..... 3.08/19/3/2021

RIM
 23/10/20
 सत्य प्रामाण्य
 19/3/2021
 मुख्य प्रोसेक्यूटिंग/आपली

311

31

21-03-20 31

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 77/A.O. -2020

Date- 17-03-2020

Order

In light of directions given by Hon'ble High Court vide letter bearing No. 395/Infra Cell dt 16-03-2020, only urgent matters be taken up in the following courts:-

- 1) District & Sessions Judge- All Urgent matters of District & Sessions Courts except matters relating to POCSO Act and NDPS Act.
- 2) Addl. District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Shamli- Urgent matters relating to POCSO Act.
- 3) Addl. District & Sessions Judge Shamli- Urgent matters relating to NDPS Act.
- 4) Chief Judicial Magistrate Shamli- Urgent matters including bail and remand of all Magisterial Courts of Shamli.
- 5) Civil Judge (SD), Kairana- Urgent matters of the cadre of Civil Judge Senior Division.
- 6) Civil Judge (JD), Shamli- Urgent matters of the cadre of Civil Judge Junior Division.

Regular work in all other Courts may be suspended till 21-03-2020. Officers are advised to fix general dates in all other cases by public notice.

Inform all concerned.

3-20
received
7/3/2020
recd
g
seen
15/12/20

shub
17/3/2020
District Judge,

Shamli

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administrative Order No. 84/ A.O. -2020- Date--28-03-2020

Order

In compliance of direction issued by the Hon'ble High Court vide letter no. Camp-Memo /SLSA-15/2020(PS/Sharan) Dated March 27, 2020, regarding Resolution of the High Powered Committee constituted in the light of the directives of Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition No. 01/2020 IN RE : CONTAGION OF COVID-19 IN PRISONS, the undertrial prisoners facing criminal cases in which maximum sentence is 07 years old presently confined in jails has to be released on interim bail for 08 weeks on furnishing personal bonds with the undertaking written on the personal bond itself that he/she shall surrender before the court after expiry of the interim bail period along with other conditions may be imposed by the Court if it thinks fit, considering the circumstances of the case.

Hence it is directed that the Officres will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	03-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
3	06-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
4	08-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrate.
2	03-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	06-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	08-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	


It is further directed that Sushi Ruchi Tiwari, Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall ensure the services of Jail Para Legal Volunteers (PLVs) for assistance & services of Prison Officers, Jail Staff in drafting bail application and their undertaking and personal bond, to be moved by undertrial prisoners and it is further directed that Jail Supdt. Shall be in continuous touch with the Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli as the DLSA is not constituted in District Shamli.

The Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall further ensure that the information regarding number of **Interim Bail** application moved and decided in a day, shall be communicated "daily" to the "State

313.

-2-

Level Monitoring Team" and also be displayed on the official website of the Prison, i.e. "igprison-up@nic.in" as well as on whats app number 9792799707 of Sh. Bhagirath Verma, OSD, UPSLSA.


28/3/2020
(Shiv Mani Shukla)

District Judge,
Shamli

This order is electronically generated for circulation purpose.

।
।
।

ॐ
पी
न

गण
लय
अपने
। एवं
रा के

। रूप
अतुल

है कि
चले

है कि
द्वारा व
द्वारा

314.

24-04-2020 - 35

87

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administrative Order No. 91/ A.O. -2020- Date--07-04-2020

Order

In continuation of prior order no.84/A.O.-2020 dated 28-03-2020 the following Officers will visit the District Jail as per schedule mentioned below.


Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	10-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	13-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	10-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	All Cases related with the Court of Magistrate.
3	13-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	

Inform all concerned


(Shiv Mani Shukla)
District Judge,
Shamli

Note- This order is electronically generated for circulation purpose.

प्रेषक,

राजमंगल सिंह यादव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
शामली

विषय— माननीय महोदय के डी०ओ०नं०21/पी०ए०(एस)जनपद न्यायाधीश/20021 के स्पष्टीकरण के संबंध में

महोदय,

महोदय उपरोक्त डी०ओ० के साथ संलग्न प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के द्वारा प्रेषित पत्र में प्रार्थी के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया, निम्नानुसार संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें—

1. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 5 में यह कहा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती ललिता ने यह बताया कि सी०जे०एम० ने यह अपने प्रभाव से बोर्ड का मुआयना 2 बजे से 4 बजे तक किया था और अपने न्यायालय का काम भी सी०जे०एम० ने उस दिन किया था।

उपरोक्त तथ्य के संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि प्रार्थी ने किशोर न्याय(बालकों की देखरेख) संरक्षण अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुपालन में अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये किशोर न्याय बोर्ड शामली का दिनांक 24.12.20 को त्रैमासिक समीक्षा की गयी थी। समीक्षा के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड को सूचित किया गया था और उक्त समीक्षा की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया गया है। इस प्रकार से मेरे द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बोर्ड की समीक्षा नियमानुसार की गयी है।

2. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 5 में ही श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट को यह बताया जाना कि सी.जे.एम. से घनिष्ठ संबंध होने एवं घर आने जाने का कथन किया गया है जो कि बिल्कुल ही निराधार है। श्रीमती ललिता कभी मेरे घर नहीं आती हैं और न ही मेरे कोई संबंध है। प्रार्थी ने कभी भी श्रीमती ललिता के प्रभाव में आकर कोई न्यायिक कार्य नहीं किया है।

जहाँ तक मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा०द०स० व धारा 60/63/72 आबकारी अधि० थाना कौंधला में मेरे द्वारा गंभीर धाराओं को हटाने का प्रश्न है उसके संबंध में यह कहना है कि कोविड 19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 395/इंफ्र सेल दिनांकित 16 मार्च 2020 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 16.03.20 के अनुक्रम में जनपद शामली के सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समस्त अर्जेंट कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था (संलग्नक-1) उपरोक्त रिमांड मेरे समक्ष न्यायालय सि०जज० जू०डि०/जे०एम०, शामली के कोर्ट मोहरीर श्री अश्विनी द्वारा कराया गया था। जो प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ मुझे उपलब्ध करायी गयी है उनके अवलोकन से दर्शित होता है कि रिमांड रिक्वेस्ट प्रपत्र पर मु.अ.स. 146/2020, अतर्गत धारा 420,467,468,471भा०द०स० व धारा 60/63/72 आबकारी अधि० थाना कौंधला में प्रभारी अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा रिमांड स्वीकृत की गयी है। रिमांड प्रपत्र पर सभी अंकन कोर्ट मोहरीर द्वारा की गयी है और उसी के हस्तलेख में है।

कार्य अधिकता एवं उस दिन कोविड महामारी के कारण प्रार्थी समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों का कार्य कर रहा था। प्रार्थी ने कोई भी गंभीर धाराये नहीं हटायी बल्कि कोर्ट मोहररिंर द्वारा रिमांड शीट पर उक्त धाराओं का अंकन नहीं किया गया। यदि प्रार्थी को गंभीर धाराये हटाना होता तो फिर रिमांड क्यों स्वीकृत करता। उसी दिन प्रार्थी द्वारा अन्य रिमांड भी किये गये। इस प्रकार गंभीर धाराओं के हटाने का तथ्य बेबुनियाद है और प्रार्थी ने सद्भाविक रूप से अपने न्यायिक कार्य को सम्पादित किया है। उक्त मामला थाना कांधला से संबंधित है और उस समय थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी पीठासीन अधिकारी न्यायालय सि०जज जू०डि०/जे०एम० शामली के पास था। उनके द्वारा भी मुझे इस संबंध में कभी अवगत नहीं कराया गया। रिमांड प्रपत्रों की छायाप्रति श्रीमती ललिता द्वारा किस प्रकार से प्राप्त करके प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को प्राप्त करायी गयी यह श्रीमती ललिता ही बता सकती है।

महोदय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शामली ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि श्रीमती ललिता ने उन्हें यह बताया कि रिमांड के समय ही सी०जे०एम० ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे लोगों को जेल से छुडवा दूंगा क्योंकि कोविड 19 में लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते सात वर्ष तक की सजा वाले सभी अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, इसलिये तो मैंने रिमाण्ड में जानबूझकर धाराओं का लोप किया है। तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारा काम हो जायेगा और मैंने जेल में जाकर अंतरिम जमानत देने की अपनी ड्यूटी लगायी है, वरना रिमांड मैं क्यों करूँ।

उपरोक्त तथ्य बिल्कुल गलत और निराधार है। मेरे द्वारा उक्त रिमांड प्रभारी अधिकारी के रूप में दिनांक 17.03.20 को किया गया है। कोविड19 के कारण जेल में निरूद्ध सात साल तक के सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को रिहा किये जाने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा suo moto writ petition No-01/2020 In Re Contagion Covid 19 In Prision एवं उ०प्र० विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक सं० कैम्प मेमो/एस०एल०एस०ए०-15/2020(पी०एस०सरन) दिनांकित 27 मार्च 2020 में दिये गये थे। जिसके अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांकित 28.03.20 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में जाकर विचाराधीन अभियुक्तों अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आदेशित किया गया था। (संलग्नक-2,3) प्रार्थी द्वारा जेल में जाकर अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में कोई ड्यूटी नहीं लगायी गयी थी। अपितु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अपने प्रशासनिक आदेशों से सभी न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी और उसी के अनुक्रम में प्रार्थी के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड की जानकारी में भी है क्योंकि उनकी भी ड्यूटी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लगायी गयी थी। इस प्रकार से यह कथन कि मेरे द्वारा अभियुक्त को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपनी ड्यूटी लगायी गयी पूर्णतया तथ्यों से परे है और श्रीमती ललिता से मेरी कोई इस विषय पर कोई बात नहीं हुयी और न ही वह मुझसे इस संबंध में कभी मिली। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मेरे द्वारा रिमांड किया गया उस दिन तो अभियुक्तों को जेल में जाकर अंतरिम जमानत पर छोड़ने का कोई निर्देश भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था। इस प्रकार से यह दर्शित होता है कि बहुत ही विचार विमर्श करके इन तथ्यों का उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है, जो कि बिल्कुल ही निराधार एवं असत्य है।

जहाँ तक रिमांड ड्यूटी लगाने एवं थानों के वितरण का प्रश्न है, न्यायिक कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये समय समय पर न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के नियुक्त होने पर कार्य का वितरण किया जाता है। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा अपनी रिमांड ड्यूटी न लगाये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी ने माह दिसम्बर तक में रिमांड

ड्यूटी की है और जब कभी किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई प्रेयर रिमांड ड्यूटी के लिये किया है, प्रार्थी ने रिमांड ड्यूटी करने में पूर्ण सहयोग किया है। जहाँ तक थाना झिंझाना के क्षेत्राधिकार अंतरित किये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी के द्वारा नवनियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली का प्रशिक्षण समाप्त होने और न्यायिक कार्य शुरू करने के कारण फौजदारी मामलों का क्षेत्राधिकार का वितरण किया गया। महोदय यह भी अवगत कराना है कि जब कभी न्यायिक अधिकारी स्थानान्तरित होते हैं या उनकी कोर्ट बदलती है उसी परिस्थिति में मेरे द्वारा थानों का वितरण का आदेश आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके किया गया है। माह अप्रैल 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण के अनुक्रम में मेरे द्वारा दिनांक 15.04.19 को आदरणीय तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय से पूर्व विचार विमर्श करके कार्य वितरण का आदेश पारित किया गया, जो कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा एप्रूव भी किया गया। पुनः आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विचार विमर्श और उनके आदेशानुसार दिनांक 17.04.19 को कार्य वितरण का आदेश पारित किया गया। पुनः दिनांक 26.04.19 को आदरणीय श्री रजत वर्मा ए0डी0जे0 सर ने मुझे अपने विश्राम कक्ष में बुलाया और कहा कि आपके थानों के कार्य वितरण आदेश से मजिस्ट्रेट लोग संतुष्ट नहीं है और मैंने थानों के कार्य वितरण का आदेश बनाया है और इस आदेश पर आदरणीय जिला जज साहब का एप्रूवल भी नहीं होगा। मैंने कहा कि सर मुझसे किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है और मैंने कहा कि सर दस दिन के अंदर तीन बार कार्य वितरण का आदेश पारित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और मैंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्य वितरण आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करके किया है तो तो इस पर आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि देखिये यह इन्ट्री (ए0सी0आर0) का समय है और आप यदि आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपके लिये अहितकर हो जायेगा। मैंने कहा कि सर मैं आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात कर लूँ तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मुझसे यह भी कहा कि इस आदेश पर आदरणीय जिला जज साहब का एप्रूवल भी नहीं होगा। मैंने कहा कि सर माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में सर्कुलर लेटर है तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाईये तो मैंने सर्कुलर लेटर दिखाया तब उक्त आदेश में सर्कुलर लेटर का उल्लेख किया गया। आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ने कहा कि सी0जे0एम0 साहब समय के साथ चलिये। महोदय उक्त आदेश द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना सुश्री रूचि तिवारी को थाना झिंझाना के साथ-साथ थाना कैराना का क्षेत्राधिकार दिया गया और सुश्री मुक्ता त्यागी को थाना कांधला का क्षेत्राधिकार दिया गया जबकि सुश्री मुक्ता त्यागी के द्वारा मुख्य रूप से सिविल का कार्य किया जा रहा था। प्रार्थी के न्यायालय में थाना बाबरी और थाना गढीपुख्ता, थाना थानाभवन का क्षेत्राधिकार दिया गया जबकि प्रार्थी का न्यायालय पूर्णरूपेण फौजदारी न्यायालय है। प्रार्थी के न्यायालय में शामली थाना पहले से था। महोदय प्रार्थी ने ऐसी परिस्थिति में न तो आदरणीय जिला जज साहब से इस विषय पर बात की और प्रार्थी ने आखों में आँसू लिये हुये भरे मन से आदेश पर हस्ताक्षर किया। इसकी पुष्टि दिनांक 26.04.19 के कार्य वितरण आदेश से होती है जो कि न तो प्रार्थी द्वारा न तो प्रार्थी के आशुलिपिक द्वारा तैयार किया गया है अपितु उसे आदरणीय श्री रजत वर्मा सर ए0डी0जे0 के द्वारा या तो स्वयं या अपने तत्कालीन वादलिपिक से तैयार करवाया था। प्रार्थी के द्वारा शामली जजशिप के गठन होने के बाद जितने भी कार्य वितरण आदेश पारित किये गये हैं उनका प्रारूप दूसरा है और दिनांक 26.04.19 के आदेश का प्रारूप दूसरा है (संलग्नक-4,5,6)। इस प्रकार से प्रार्थी ने स्वयं से कभी भी अपने किसी निजी हित के लिये फौजदारी के कार्य का वितरण नहीं किया अपितु प्रार्थी ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य निष्ठापूर्वक करता चला आ रहा है।

महोदय श्रीमती ललिता से मेरी थानों के वितरण या रिमांड ड्यूटी को लेकर कोई बात कभी नहीं हुयी और न ही वह इस संबंध में मुझसे कभी मिली। मेरे द्वारा अपने किसी मिलने वाले को खनन का कोई पट्टा नहीं दिलवाया गया और न ही मेरे द्वारा जिला जज साहब की कोई सेवा की जाती है। अपितु इस संबंध में श्रीमती ललिता से मेरी कोई

बात होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे द्वारा अपने किसी परिचित को खनन का पट्टा दिलवाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जनपद शामिली में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई परिचित नहीं है। मेरे द्वारा जिला जज की किसी प्रकार की सेवा किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सारी बातें कपोल कल्पित एवं तथ्यों से परे हैं। ऐसी बातों से मेरी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 09.02.21 के पूर्व भी श्रीमती ललिता द्वारा उनको इस बारे में धमकी दी गयी थी किन्तु प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया।

3. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पैरा 6 यह कहना कि श्रीमती ललिता ने उन्हें धमकी दी कि मेरा सी0जे0एम के घर आना जाना है, मेरे पति के कहने पर उन्होंने बहुत से काम किये हैं। यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है और निराधार है। प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा मुझे कभी भी इस बारे में अवगत नहीं कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी बारे में श्रीमती ललिता इस प्रकार की बात करती है।

4. महोदय प्रार्थी के संबंध में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड शामिली के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 के पैरा 9 में ही श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को यह बताया जाना कि मैंने अपने प्रभाव से नजारत अनुभाग अपने पास ले लिया गया, बिल्कुल गलत है। अपितु प्रार्थी अपने न्यायालय के न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त जिस भी प्रशासनिक कार्य के लिये उसे आदेशित किया जाता है, उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करता है। यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मेरे संज्ञान में आज तक नहीं लाया गया जबकि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है दिनांक 09.02.21 को श्रीमती ललिता ने उन्हें यह जानकारी दी थी। जब कभी किसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय या माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किसी शिकायत पर आख्या मांगी जाती है तो प्रार्थी के द्वारा नियमानुसार आख्या प्रेषित की जाती है।

जहाँ तक किशोर न्याय बोर्ड के त्रैमासिक समीक्षा के नजारत से भेजने का प्रश्न है, बोर्ड एक अलग ईकाई है। मेरे प्रस्तुतकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के त्रैमासिक समीक्षा का कार्यवृत्त बोर्ड को, एवं जिलाधिकारी शामिली को नजारत अनुभाग को प्रेषित करने लिये प्राप्त कराया गया था और न्यायालय के बाहर अन्य किसी संस्था को कोई डाक नजारत अनुभाग से ही प्रेषित की जाती हैं। जहाँ तक श्रीमती ललिता के द्वारा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह बताया जाना कि उन्हें त्रैमासिक निरीक्षण प्राप्त करने की जानकारी कब और कैसे हुयी, और किस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, यह तथ्य प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड एवं श्रीमती ललिता के बीच का है। श्रीमती ललिता प्रार्थी से इस संबंध में कभी नहीं मिली और न ही किसी प्रकार की जानकारी मेरे द्वारा दी गयी। पैरा 9 में जो भी तथ्य मेरे बारे में श्रीमती ललिता द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड को बताया जाना कहा गया है वह बिल्कुल गलत है। मुझे प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इसके पहले कभी नहीं बताया गया कि मेरे बारे में श्रीमती ललिता प्रधान मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में उल्लिखित तथ्यों के बारे में उनसे बताया।

उपरोक्तानुसार प्रधान मजिस्ट्रेट के स्पष्टीकरण दिनांकित 19.02.21 में प्रार्थी के संबंध में उल्लिखित तथ्यों के बारे में जिसे कि प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने को श्रीमती ललिता द्वारा बताया जाना कहा गया है बिल्कुल गलत है और प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा इन तथ्यों के बारे में मुझे कभी अवगत नहीं कराया गया जबकि अपने स्पष्टीकरण में स्वयं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि सी0जे0एम एक सीनियर अधिकारी है। अपने सीनियर अधिकारी के बारे में ऐसी अनरगल बातें सुनने के बाद भी जैसा कि अपने स्पष्टीकरण में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय

बोर्ड द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त सारी बातें उन्हें श्रीमती ललिता ने बतायी थी, मुझे किसी भी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्तानुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक-01.03.21

Rajmangal Singh
01/3/21
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

संलग्न -

1. प्रशासनिक आदेश सं० 77/AD/2020 दि० 17-3-20
2. प्रशासनिक आदेश सं० 84/AD/2020 दि० 28-03-20
3. प्रशासनिक आदेश सं० 94/AD/2020 दि० 15-04-20
4. कार्य वितरण आदेश दि० 15-4-19 की दृष्टिकोण
5. कार्य वितरण आदेश दि० 17-4-19 की दृष्टिकोण
6. कार्य वितरण आदेश दि० 26-4-19 की दृष्टिकोण
7. कार्य वितरण आदेश दि० 24-4-20 की दृष्टिकोण

320

34

ADMINISTRATIVE OFFICE DISTRICT JUDGE
SHAMLI AT KAIRANA

Order No. 77/A.O. -2020

Date- 17-03-2020

Order

In light of directions given by Hon'ble High Court vide letter bearing No. 395/Infra Cell dt 16-03-2020, only urgent matters be taken up in the following courts:-

- 1) District & Sessions Judge- All Urgent matters of District & Sessions Courts except matters relating to POCSO Act and NDPS Act.
- 2) Addl. District & Sessions Judge/Special Judge, POCSO Act, Shamli- Urgent matters relating to POCSO Act.
- 3) Addl. District & Sessions Judge Shamli- Urgent matters relating to NDPS Act.
- 4) Chief Judicial Magistrate Shamli- Urgent matters including bail and remand of all Magisterial Courts of Shamli.
- 5) Civil Judge (SD), Kairana- Urgent matters of the cadre of Civil Judge Senior Division.
- 6) Civil Judge (JD), Shamli- Urgent matters of the cadre of Civil Judge Junior Division.

Regular work in all other Courts may be suspended till 21-03-2020. Officers are advised to fix general dates in all other cases by public notice.

Inform all concerned.

2
17
17/3/20

received
17/3/2020

recd
17/3/20

seen
17/3/20

seen
17/3/20

shb
17/3/2020
District Judge,

Shamli

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administrative Order No. 84/ A.O. -2020- Date-28-03-2020

Order

In compliance of direction issued by the Hon'ble High Court vide letter no. Camp-Memo /SLSA-15/2020(PS/Sharan) Dated March 27, 2020, regarding Resolution of the High Powered Committee constituted in the light of the directives of Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition No. 01/2020 IN RE : CONTAGION OF COVID-19 IN PRISONS, the undertrial prisoners facing criminal cases in which maximum sentence is 07 years old presently confined in jails has to be released on interim bail for 08 weeks on furnishing personal bonds with the undertaking written on the personal bond itself that he/she shall surrender before the court after expiry of the interim bail period along with other conditions may be imposed by the Court if it thinks fit, considering the circumstances of the case.

Hence it is directed that the Officers will visit the District Jail as per schedule mentioned below.

Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	03-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
3	06-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
4	08-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	30-03-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrate.
2	03-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	06-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	08-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	

It is further directed that Sushi Ruchi Tiwari, Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall ensure the services of Jail Para Legal Volunteers (PLVs) for assistance & services of Prison Officers, Jail Staff in drafting bail application and their undertaking and personal bond, to be moved by undertrial prisoners and it is further directed that Jail Supdt. Shall be in continuous touch with the Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli as the DLSA is not constituted in District Shamli.

The Nodal Officer, Lok Adalat, District Court, Shamli shall further ensure that the information regarding number of **Interim Bail** application moved and decided in a day, shall be communicated "daily" to the "State

322.

-2-
Level Monitoring Team" and also be displayed on the official website of the
Prison, i.e. "igprison-up@nic.in" as well as on whats app number
9792799707 of Sh. Bhagirath Verma, OSD, UPSLSA.


28/3/2020
(Shiv Mani Shukla)

District Judge,
Shamli

This order is electronically generated for circulation purpose.

ए०
पी
अन

वण
लय
अपने
एवं
के

रूप
अतुल

कि
दले

कि
द्वारा

Administrative Office, District & Sessions Judge, Shamli

Administrative Order No. 94/ A.O. -2020- Date--15-04-2020

Order

In continuation of prior orders No.84/A.O.-2020 dated 28-03-2020 & 91/A.O. -2020 dated 07-04-2020 the following Officers will visit the District Jail as per schedule mentioned below.


Cases for Sessions Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	16-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	All Sessions Cases & Special Act Cases, triable by Sessions Court
2	18-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
3	20-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
4	22-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
5	24-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
6	27-04-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	
7	29-04-2020	Sh. Subodh Singh, ASJ/Special Judge (RAPE & POCSO) Shamli	
8	01-05-2020	Sh. Rajat Verma, ASJ/Special Judge (POCSO) Shamli	

Cases for Magistrate Courts :-

S.N.	Date	Name & Designation Of Officer	Case related with
1	16-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	All Cases related with the Court of Magistrates
2	18-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
3	20-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
4	22-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
5	24-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
6	27-04-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	
7	29-04-2020	Sh. Raj Mangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Shamli	
8	01-05-2020	Sushri Ruchi Tiwari, Civil Judge (S. D.) / A.C.J.M. Kairana	

Inform all concerned


 (Shiv Mani Shukla)

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

आदेश सं०- 13

दिनांकित-15.04.19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से विचार विमर्श के उपरांत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 10.04.19 के द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने पर न्याय प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के संबंध में पूर्व की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये थाना झिंझाना, जी०आर०पी० शामली एवं आदर्शमंडी के कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

1. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा०द०स० की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि०, खान व खनिज अधि०, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि०, वन अधि० व सर्किल शामली व कैराना के आवकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि०, कापीराइट अधि०, चलचित्र अधि०, आर०टी०ओ० चालानी, लोकसेवकों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०स०, संबंधित मामलों को छोड़कर थाना झिंझाना एवं जी०आर०पी० शामली से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०, कैराना के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।
2. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा०द०स० की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि०, खान व खनिज अधि०, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि०, वन अधि० व सर्किल शामली व कैराना के आवकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि०, कापीराइट अधि०, चलचित्र अधि०, आर०टी०ओ० चालानी, लोकसेवकों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०स०, एवं आदेश से संबंधित मामलों को छोड़कर थाना थानाभवन्, शामली से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय सि०जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।
3. न्यायालय सिविल जज सी०डि०/ए०सी०जे०एम० शामली में लंबित थाना कैराना से संबंधित सभी पत्रावलियों वापस लेकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित की जाती है।
4. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों एवं भा०द०स० की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि०, खान व खनिज अधि०, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि०, वन अधि० व सर्किल शामली व कैराना के आवकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि०, कापीराइट अधि०, चलचित्र अधि०, आर०टी०ओ० चालानी, लोकसेवकों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०स०, से संबंधित मामलों को छोड़कर थाना बाबरी एवं थाना गढीपुख्रा से संबंधित सभी प्रकार के मामलों

h

का न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली के न्यायालय से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

5 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में लंबित आर्थिक अपराध से संबंधित सभी प्रकार की पत्रावलियों निस्तारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, शामली में स्थानांतरित की जाती है।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
शामली

प्रतिलिपि -

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु
2. एस0पी0ओ0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
3. एस0पी0 शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
4. वर एसोशिएशन शामली स्थित कैराना,
5. सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ,
6. नेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ,
7. उड लिपिक सी0जे0एम0, शामली को

Rec
13/4/12
13/4/12
13/4/12
13/4/12

13/4/12
13/4/12

(विश्राम कक्ष)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली। 97

आदेश संख्या 14

दिनांक 17-04-19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया से विचार विमर्श के उपरांत जनपद शामली के न्याय प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के सम्बंध में पूर्व की व्यवस्था थाना कांधला एवं बाबरी से सम्बंधित आदेश को अतिक्रमित करते हुए थाना कांधला एवं बाबरी के कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है।

1- थाना कांधला से सम्बंधित सभी प्रकार के जो मामलें न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।

2- माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे स्वयं लिये जाने वाले मामलों एवं भा.द.सं. की धारा 302, 304 बी, 304 व 396 के मामलों, डाक धम अधि, डाक व खानेज अधि, केबल नेटवर्क (रेगुलेशन) अधि, वन अधि, व सकिल शामली व कैराना के आबकारी कारखानों द्वारा चालानों, जनसामान्य कार्य कोषागार अधि, कलकिया अधि, शहर एवं गा.सं. के लोक विद्युत के विस्तार परियोजना थाना 156/3) व.प.सं. से सम्बंधित मामलों को कांधला व बाबरी से सम्बंधित समस्त मामलों को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में पारित कार्य वितरण का आदेश याथावत रहेगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

(Signature)
17/04/19
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु।
- 2- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- एस.पी., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- बार एसोसिएशन, शामली स्थित कैराना।
- 5- सभी सम्बंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ।
- 6- सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनाार्थ।
- 7- टाइट डिप्टिब सी.जे.एम., शामली को।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

(Signatures)
17/04/19

कार्य वितरण आदेश

न्यायिक प्रतिष्ठान शामली के आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु फौजदारी कार्य वितरण के संबंध में पूर्व में पारित आदेश में आंशिक परिवर्तन करते हुए फौजदारी कार्य वितरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी सकुलर संख्या 198/एडमिन(ए) दिनांकित 10.12.1976 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश से विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न आदेश पारित किया जाता है।

कॉलम संख्या 01 में वर्णित न्यायालय को कॉलम संख्या 2 में वर्णित क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।

कॉलम 01

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली

कॉलम 02

थाना गढ़ीपुख्रा से संबंधित सभी वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को, थाना थाना भवन से संबंधित सभी वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), शामली से वापस लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को व थाना बाबरी से संबंधित सभी प्रकार के वाद व परिवादों का क्षेत्राधिकार सिविल जज (जू.डि.), शामली से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली को प्रदान किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना

थाना कैराना से संबंधित सभी प्रकार के वाद एव परिवादों का क्षेत्राधिकार (302, 304, 304बी, 396 भा.द.वि. को छोड़कर) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली से वापस लेकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना को प्रदान किया जाता है।

सिविल जज (जू.डि.), शामली

थाना कांढला से संबंधित सभी वाद एवं परिवाद का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना से वापस लेकर सिविल जज (जू.डि.) को प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त शेष न्यायिक क्षेत्राधिकार पूर्ववत् रहेगा।

होगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी

दिनांक-26.04.2019

(राजमंगल सिंह धरदर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली स्थित कैराना।

पतिविति:-

- 01- माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोद हेतु।
- 02- एस.पी.ओ., शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- एस.पी. शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04- वर एस.एस.एस. शामली स्थित कैराना।
- 05- सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालार्थ।
- 06- सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ।
- 07- दण्ड लिपिक सी.जे.एम., शामली को।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली स्थित कैराना।

विश्राम कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली

आदेश सं०- 265

दिनांकित- 14.09.20

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरांत न्यायालय सिविल जज(सी०डि०) शामली में माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना के अनुक्रम में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने और न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के प्रशिक्षण की अवधि को समाप्त होने को ध्यान में रखते हुये न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन हेतु फौजदारी कार्यों के संबंध में पूर्व की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये थाना झिंझाना, कांधला, गढीपुख्ता, बाबरी, आदर्शमंडी, महिला थाना शामली के कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

1. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा या किसी विशेष न्यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले मामलों को छोड़कर, जनपद शामली के सभी थानों के भा०द०स० की धारा 302, 304बी, 304 व 396 के मामलों, बाल श्रम अधि०, खान व खनिज अधि०, केबल नेटवर्कस (रेगुलेशन) अधि०, वन अधि० व सर्किल शामली व कैराना के आबकारी निरीक्षक द्वारा चालानी, जनप्रतिनिधित्व अधि०, कापीराईट अधि०, चलचित्र अधि०, ए०आर०टी०ओ० चालानी, लोकसेवकों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०स०, एवं परिवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली को होगा।
2. न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में थाना झिंझाना से संबंधित कम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना, से वापस लेकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।
3. न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना कांधला से संबंधित कम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।
4. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना थानाभवन से संबंधित कम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में स्थानांतरित किया जाता है।
5. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना बाबरी से संबंधित कम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर

[Signature]
14/9/20

276
2

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना में स्थानांतरित किया जाता है।

6. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना आदर्शमंडी से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

7. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में थाना गढ़ीपुख्ता एवं महिला थाना शामली से संबंधित क्रम संख्या 1 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली, से वापस लेकर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में स्थानांतरित किया जाता है।

नोट- क्रम संख्या 3, 4 एवं 6 में उल्लिखित आदेश न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) शामली, में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली में पीठासीन अधिकारी के न्यायालय प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने व न्यायिक कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से प्रभावी होगा।

उपरोक्त आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अनुमोदन के उपरांत प्रभावी होगा।

For manager
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शामली
14/9/20

Approved
with effect
from 17/09/2020.
A. Praveen
14/09/2020

प्रतिलिपि-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु
2. एस०पी०ओ० शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
3. एस०पी० शामली को सूचनार्थ प्रेषित,
4. बार एसोशिएशन कैराना, को सूचनार्थ,
5. सभी संबंधित न्यायालयों को अनुपालनार्थ,
6. सेशन क्लर्क, माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ,
7. दंड लिपिक सी०जे०एम०, शामली को

16/09/2020
14/9/2020
16-9-2020
16/9/2020

मुक्ता त्यागी,
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

संख्या 35

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

विषय:- दिनांक 21.12.2020 को आहूत की गयी मीटिंग के सम्बन्ध में।
महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि दिनांक 21.12.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या -2421/मेन-बी/एडमिन (ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 19.02.2014 के अनुपाल में माननीय जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

भवदीया

16/12/2020

(मुक्ता त्यागी)

दिनांक-16.12.2020

प्रतिलिपि:-

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड,
शामली।

1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. सदस्या किशोर न्याय बोर्ड, शामली।
4. जिली प्रोबेशन अधिकारी/जिला बन्धु संरक्षण अधिकारी, शामली।
5. प्रभारी सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), शामली।
6. नोडल अधिकारी स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली।
8. विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, शामली।

16/12/20

Through E-mail

२५/१२/२०२०-३६

From, **Vijendra Tripathi, H.J.S.,**
Incharge Registrar (J)(E)/Registrar (J)(C)
High Court at Lucknow

To, **All the District & Session Judges,**
Subordinate to High Court of Judicature at
Allahabad.

Dated- 9th December, 2020

No. 7361 /JJC/2020 : Lucknow

Subject- Regarding compliance of the resolution dt. 05.12.2020 passed by the Hon'ble High Court Juvenile Justice Committee constituted for monitoring the implementation of the Juvenile Justice Act and the Rules in the State of U.P.

Sir Madam,

On the above noted subject, I have been directed to convey the relevant resolutions of the meeting dated 05.12.2020 of the Hon'ble High Court, Juvenile Justice Committee to your goodself for timely strict compliance of the directions given by the Hon'ble Committee.

It is to mention that the matter regarding monitoring of Juvenile Justice Boards by Chief Judicial Magistrates as given in Section 16 of the JJ Act, 2015 has been considered by the Hon'ble Committee. In this regard, the resolution passed by the Hon'ble Committee is quoted below:-

"The Committee resolves and directs concerned officer to call a report from Chief Judicial Magistrates of all districts, as to quarterly review of pendency of cases, before the Juvenile Justice Boards.

If any reviews have been done by the Chief Judicial Magistrates, under Section 16 of the JJ Act, 2015, what were the deficiencies noticed, solutions suggested, measures taken for speedy disposal of cases, specially to increase the frequency of sittings of the Boards etc. The report shall be submitted within 15 days from the date of communication "

I am, therefore, to request you to kindly take necessary steps for compliance of the direction of the Hon'ble Committee and kindly ensure submission of compliance report within 15 days, so that the same may be placed before the Hon'ble Committee.

Yours Faithfully,

[Signature] 05/12/2020
Incharge Registrar (J)(E)/Registrar (J)(C)
High Court at Lucknow

प्रेम्क,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद शामली।

संलग्नक- 3)

सेवा में,

प्रधान मजिस्ट्रेट,
किशोर न्याय बोर्ड, शामली।

घ

विषय- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 16 के अनुपालन में
त्रैमासिक समीक्षा के सम्बंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त उपबन्ध के अनुपालन में त्रैमासिक समीक्षा आज दिनांक
24-12-2020 को समय 2-4 बजे के बीच की जानी है। सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जा रहा है।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद शामली।

दिनांक 24-12-2020

प्रतिलिपि-

माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ

24/12/2020
10:40 AM

किशोर न्यायबोर्ड, शामली की त्रैमासिक समीक्षा का कार्यवृत्त

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) धारा 16 के अनुपालन में दिनांक 24-12-2020 को मेरे द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की गयी। वर्तमान में सुश्री मुक्ता त्यागी किशोर बोर्ड में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तथा श्रीमती ललिता देवी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

किशोर न्यायबोर्ड की समीक्षा के समय प्रधान मजिस्ट्रेट, सुश्री मुक्ता त्यागी सदस्य श्रीमती ललिता, आशुलिपिक सचिन कुमार एवं सुश्री शोभा शर्मा विधि सह परिविक्षा अधिकारी उपस्थित थी। सुश्री शोभा शर्मा के द्वारा बताया गया कि उन्हें बोर्ड में लिपिक के तौर पर कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया है।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा बताया गया कि किशोर न्यायबोर्ड में वर्तमान में कुल 2119 वाद जिसमें किशोर अपचारी घोषित करने, जमानत प्रार्थनापत्र के सम्बंध में, एवं जघन्य अपराधों के सम्बंध में लम्बित हैं। किशोर न्यायबोर्ड द्वारा प्राप्त कराये गये विवरणपत्र में किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने वाद लम्बित है उनका वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड को आदेशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अन्दर किशोर न्यायबोर्ड में कुल कितने वाद/पत्रावलियां लम्बित हैं उनका विवरण वाद संख्या, अपराध संख्या, धारा, थाना, दायरा तिथि के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, शामली द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 के 106 वाद लम्बित है, वर्ष 2019 के 52 वाद लम्बित है तथा वर्ष 2020 के 33 वाद लम्बित है तथा किशोर अपचारी घोषित किये जाने हेतु वर्ष 2018 के 7 प्रार्थनापत्र तथा वर्ष 2019 के 5 प्रार्थनापत्र एवं वर्ष 2020 के 16 प्रार्थनापत्र लम्बित हैं तथा एक जमानत प्रार्थनापत्र लम्बित है।

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि सप्ताह में दो दिन बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को बोर्ड पूर्णकालिक रूप से कार्य करता है और मेरे द्वारा अपने न्यायालय की उक्त दिवस में पेशी की भी सुनवाई की जाती है। मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य को श्रीमती ललिता देवी द्वारा बोर्ड की बैठक के दिन बढ़ाये जाने के बारे में पूछने पर कहा गया कि न्यायालय में लम्बित मामलों को देखते हुए किशोर न्यायबोर्ड में बैठकों के दिन बढ़ाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो दिन पूर्णकालिक पर्याप्त हैं। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड में कोई भी लिपिक कार्यरत नहीं है। बोर्ड के सदस्य एवं आशुलिपिक के द्वारा ही लिपिक का भी कार्य किया जाता है। इस सम्बंध में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह लिपिक के सम्बंध में उचित माध्यम से पत्राचार करना सुनिश्चित करें जिससे कि लिपिक की नियुक्ति हो सके और बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

24/11/20

12
4

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015) की धारा 16(3) के उपबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सर्कुलर एवं किशोर न्यायबोर्ड के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड की बैठक करना सुनिश्चित करें।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मामलों के अति शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, से साक्ष्य हेतु अनुमति प्राप्त कर मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करें।

दिनांक -24-12-2020

Rajmangal Singh Yadav
24/12/20
(राजमंगल सिंह यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

प्रति:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को सूचनार्थ
- 2- जिलाधिकारी, शामली।
- 3- प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड, शामली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
- 4- जिला प्रोवेशन अधिकारी, शामली।

Annexure A-69

336.

68

न्यायालय श्रीमान J.N. शामली स्थित कैराना

काद सं०/मु०अ०सं०- 146

सन् 2020

सरकार

बनाम

गुरपेज आदि

धारा- 400, 467, 468, 471 PC
ब 60, 63 Ex Act

थाना- साद्वला

नकल:- रिमाण्ड भंग पर

35
12/3/21



Date of Application. 12/03/2021
Date of Issue. 12/03/2021
Date of Delivery. 12/3/2021
Signature of J.C.

12/03/2021

पुलिस प्रपत्र संख्या 202

सेवा में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट C.J.(J.D.) J.M. शमली जिला

परगनाधीश शमली जिला शमली
थाना शमली जिला

महोदय, अपराध संख्या 166/20 J.S धारा 60/372 Act 420, 467, 468, 471 के
रिमान्ड संख्या 1 अभियुक्त ता० सन् 20

जमानत न देने

राज्य को गिरफ्तार हुआ था और के कारण हिरासत में है।
① सुरपेज शा. को गिरफ्तार हुआ था और के कारण हिरासत में है।
② सुरपेज शा. को गिरफ्तार हुआ था और के कारण हिरासत में है।
अतः प्रार्थना है कि इसके लिए दिनांक

बनाम किया जाय जो कि तफतीश पूरी करने के लिए निम्नांकित कारणों से जरूरी है।
रिमान्ड के कौशल लक्ष्य है। अतः 14 जून 2020 को न्यायालय की आज्ञा



हस्ताक्षर तथा

C.J.(J.D.) J.M.
District Shamli

रिमान्ड दिनांक को स्वीकृत हुआ

राज्य बनाम सुरपेज शा. न्यायालय की आज्ञा (धारा) में करने के लिये
धारा 60/372 Act 420, 467, 468, 471 अपराध नं० 146/20
थाना शमली जिला शमली में अभियुक्त के लिए दिनांक
तक रिमान्ड स्वीकृत हुआ।

C.J.(J.D.) J.M.
District Shamli

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)-018 पुलिस-02-01-17-पुलिस प्रपत्र सं०-202-5,000 रजि० नं०

Printed by 10/1/2021
Words 10/1/2021

दिनांक 12/3/21
मुख्य प्रति 12/3/21
Date of issue (जारा करने का)

- (f) Passport No. (पासपोर्ट नं०):
- Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
- S.No. (सं.नं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)
- Id Number (पहचान संख्या)

न्यायालय श्रीमान J. M. शाहली स्थित कैराना

काद सं०/मु०अ०सं०- 146

सन् 2020

सरकार

बनाम

जुवेज आदि
धारा- 420, 467, 468, 471 IPC
५ 60, 63 Ex A.L

थाना- काठमाडौं

नकल:- रिमाण्ड शीट

12/3/21



Date of Application 12/03/2021
Date of Notice 12/03/2021
Date of Delivery 12/03/2021
Signature of J.C.

12/3/204



रिमाण्ड शीट

मु० अ० सं० 146/2020 धारा 60/63/72 Cr.P.C चा० थाना कांठला

- बनाम 1 सुखदेव S/O लालसिंह R/O मंगल माऊरा PS मण्डी जिला गोविन्दगढ़
 2 सुभाष चन्द S/O कृष्णा R/O बरिपन्या PS नैगल डैम जिला रोहतक
 3
 4

गुरपत

आज दिनांक 12/03/2020 को उपरोक्त वाद में अभियुक्त/ अभियुक्तगण थाने से गिरफ्तार मुद्रा मय सी. डी. मान व 14 योग रिमाण्ड प्रा० पत्र के न्या० हाजिर आये अभियुक्त की धारा 167 सी० आर० पी० सी० का वारन्ट बनाया जाये। विवेचक ने तकगंला तफतीश शेष होने के कारण 14 योग रिमाण्ड को प्रार्थना की है। सम्बन्धित कागजात का अवलोकन किया गया रिमाण्ड का प्रयाप्त आधार है।



महेश्वर

अतः आदेश किया जाता है कि अभियुक्तगण का रिमाण्ड दिनांक 12/03/2020 से दिनांक 30/03/2020 तक स्वीकार है तब तक अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा में रखा जावे।

(Sd/-) (J.D.) J.M.
 District Shamli
 12/03/2020

श. वारन्ट आप सी डी प्राप्त कि है
 वा।डी। सुरील कुमार

Check copy prepared By
 Words 12/03/2021

सत्य प्रताप सिंह
 12/03/2021
 मुख्य प्रतिलिपि

Annexure A-71


1

D.O. No. C.V./610/2021


बयान श्री आनन्द भास्कर सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद शामली।

आज दिनांक 12.03.2021 को सशपथ बयान किया कि मैं जिला न्यायालय शामली में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर जुलाई, 2018 से कार्यरत हूँ, मैं थाना कांधला जनपद शामली से सम्बंधित अभियोजन के कार्य लगभग जनवरी, 2020 से देख रहा हूँ। मार्च 2020 में थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.), शामली के न्यायालय में था। मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में अभियुक्तगण गुरपेज व सुभाष चन्द्र ने दिनांक 09-03.2021 को स्वयं को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने हेतु आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा उक्त अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उनके द्वारा दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया। उक्त अभियुक्तगण गुरपेज व सुभाषचन्द्र दिनांक 09.03.2021 से मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में दिनांक 23.03.2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.03.2021 को प्रभारी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा उक्त अभियुक्तगण का उपरोक्त मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में रिमाण्ड, पुलिस की रिमाण्ड प्रार्थना पर स्वीकृत किया गया था, परन्तु रिमाण्ड शीट तैयार किये जाते समय तत्कालीन कोर्ट मोहर्षि अश्वनी सहवन भा.द.सं. की धारा 420,467,468,471 अंकित करना भूल गया था और कस्टडी वारण्ट बनाये जाने के समय भी उससे यह सहवन भूल हो गयी थी, जबकि प्रभारी अधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम के साथ-साथ भा.द.सं. की धाराओं में भी रिमाण्ड स्वीकृत किया गया था। उक्त कोर्ट मोहर्षि अश्वनी ने मुझे अगले दिन इस सहवन भूल के बारे में बताया था, तो मैंने उसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर धाराएं संशोधित करवाने के लिये कहा था, परन्तु उक्त कोर्ट मोहर्षि द्वारा मुझे बताया गया कि उक्त न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सुश्री मुक्ता त्यागी द्वारा धाराएं संशोधित करने से इन्कार कर दिया गया। मैं स्वयं भी अगले दिन दिनांक १८.०३.२०२१ को पीठासीन अधिकारी सुश्री मुक्ता त्यागी जी के पास गया था, जो उस समय सुश्री रूचि तिवारी जी के विश्राम कक्ष में बैठी थी और मेरे द्वारा भी भा.द.सं. की धाराओं के संशोधन का निवेदन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया था। यह त्रुटि तत्कालीन कोर्ट मोहर्षि अश्वनी से सहवन हुई थी और अब अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है और वे दोनों तभी सुसंगत धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। रिमाण्डशीट को कस्टडी वारण्ट बनाये जाने की जिम्मेदारी कोर्ट मोहर्षि की होती है। मैं उपरोक्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपियां दाखिल कर रहा हूँ।

यह बयान मेरे बोलने पर मेरे आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार द्वारा मेरे विश्राम कक्ष में टंकित किया गया।


(डॉ० अजय कुमार-II)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली।
12/03/2021


12/3/2021

सुनकर पढ़कर तस्दीक किया गया।

D.O. No. C.V./610/2021

बयान श्री विकास पंवार कोर्ट मोहर्नि वर्तमान तैनाती न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली जनपद शामली।

आज दिनांक 12.03.2021 को सशपथ बयान किया कि मैं आज मु.अ.सं 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली की रिमाण्ड पत्रावली लेकर उपस्थित हुआ हूं. मार्च 2020 में थाना कांधला का क्षेत्राधिकार सुश्री मुक्ता त्यागी सिविल जज (जू.डि.), शामली के न्यायालय में था। मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में अभियुक्तगण गुरपेज व सुभाष चन्द्र ने दिनांक 09-03.2021 को स्वयं को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने हेतु आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा उक्त अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उनके द्वारा दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किये गये उन अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया। उक्त अभियुक्तगण गुरपेज व सुभाष चन्द्र दिनांक 09.03.2021 से मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में दिनांक 23.03.2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उक्त प्रकरण में दिनांक 17.03.2021 को प्रभारी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा उक्त अभियुक्तगण का उपरोक्त मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में रिमाण्ड, पुलिस की रिमाण्ड प्रार्थना पर स्वीकृत किया गया था, परन्तु रिमाण्ड शीट तैयार किये जाते समय तत्कालीन कोर्ट मोहर्नि अश्वनी सहवन भा.द.सं. की धारा 420,467,468,471 अंकित करना भूल गया था और रिमाण्ड शीट कस्टडी वारण्ट बनाये जाने के समय भी उससे यह सहवन भूल हो गयी थी, रिमाण्ड शीट तत्कालीन कोर्ट मोहर्नि अश्वनी के हस्तलेख में हैं जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। यह कहना बिल्कुल सही है कि रिमाण्डशीट व कस्टडी वारण्ट बनाने की जिम्मेदारी कोर्ट मोहर्नि की होती है।

यह बयान मेरे बोलने पर मेरे आशुलिपिक श्री दिनेश कुमार द्वारा मेरे विश्राम कक्ष में टंकित किया गया।


(डा० अजय कुमार-II)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली।
12/03/2021

V/Kad Bahwal
12/3/21


सुनकर पढकर तस्दीक किया गया।

D.O. No. C.V./610/2021

बयान श्री अश्वनी कुमार कोर्ट मोहरिं, वर्तमान तैनाती गैंगस्टर न्यायालय, जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर।


आज दिनांक 15.03.2021 को सशपथ बयान किया कि मैं आज संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा निर्देशित करने पर उपस्थित हुआ हूँ। दिनांक 17.03.2020 को मैं सिविल जज जूंडि०, शामली के न्यायालय में कोर्ट मोहरिं के रूप में तैनात था, जहाँ थाना कांधला का क्षेत्राधिकार था। दिनांक 17.03.2020 को कोविड-19 महामारी की शुरुआत के चलते पूरे जनपद के समस्त न्यायालयों के रिमाण्ड उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के न्यायालय से हुए थे। मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में अभियुक्त गुरपेज व सुभाष को थाना पुलिस द्वारा रिमाण्ड प्रार्थना के साथ हमारे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से अभियुक्तगण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हमारे न्यायालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण गुरपेज व सुभाष का मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. थाना कांधला जिला शामली में रिमाण्ड स्वीकृत किया गया था। रिमाण्ड स्वीकृत होने के बाद उपरोक्त अभियुक्तगण की रिमाण्ड शीट व कस्टडी वारन्ट बनाने की जिम्मेदारी उस न्यायालय का कोर्ट मोहरिं होने के कारण मेरी थी। उस दिन मेरे न्यायालय के लगभग सात-आठ अन्य रिमाण्ड भी आए थे और सारे जनपद के रिमाण्ड क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हो रहे थे, इसलिए कार्य की अधिकता के कारण मुझसे सहवन मु.अ.सं. 146/2020 अंतर्गत धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. का उल्लेख रिमाण्ड शीट व कस्टडी वारन्ट में होने से रह गया था। आज रिमाण्ड पत्रावली मेरे सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें संलग्न 17.03.2020 की रिमाण्ड शीट मेरे हस्तलेख में तैयार है। मुझसे यह भूल सहवन हुई थी, मैंने ऐसा किसी के कहने से नहीं किया था। मुझे अपनी सहवन भूल की जानकारी अगले दिन 18.03.2020 की प्रातः हो गई थी, जिसके बाबत मैंने अपने न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द भास्कर को बताया था, जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मुझे यह तथ्य अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र के माध्यम से लाने के लिए निर्देशित किया गया था। मेरे द्वारा उस दिन पीठासीन अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि कृपया धाराएं संशोधित कर दी जावें, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा धाराएं संशोधित करने से इंकार कर दिया गया, जिस तथ्य की जानकारी मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी महोदय को भी दी थी और उन्होंने भी पीठासीन अधिकारी से अलग से अनुरोध किया था, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा धाराएं संशोधित करने से मना कर दिया गया था। रिमाण्ड शीट व कस्टडी वारन्ट पर भा०द०सं० की धाराएं 420,467,468,471 का उल्लेख न होना मेरी सहवन भूल के कारण हुआ था, इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं थी। मेरी जानकारी में है कि उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण ने अब न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

यह बयान मेरे बोलने पर मेरे आशुलिपिक श्री कौशल कुमार पाराशर द्वारा मेरे विश्राम कक्ष में टंकित किया गया।


(डॉ० अजय कुमार-II)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली।

15/03/2021


31/2021 (32/21)
15/03/2021
सुनकर पढ़कर तस्दीक किया गया।

२०२०
२०२० म

विभा एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद शामिल।

महोदय,

सादर अंकित कारण है कि दिनांक 17/3/2020 को मु.अ.स 146/2020 अंतर्गत जांच 60/6317 अकार्य अभिलेख एवं जांच पत्र, 467, 468, 471 भा.श.वी में अभिलेखित/मु.अ.स एवं मु.अ.स चर्चा का रिपोर्ट का मा. न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिलेख में लिखा गया। पत्र को मा. न्यायाधीश अरुण कुमार द्वारा सहक रिपोर्ट भी पत्र जांच पत्र, 467, 468, 471 IPC अंकित कारण गलत गलत एवं कहे-ही वांटे वगत वक्त भी सहक से उपरोक्त जांच अंकित कारण गलत गलत। इस गलती की सुधार अगले दिन में एवं अरुण कुमार जांच संबंधित थाने के न्यायालय के न्यायाधीश को दि. 17/3/2020 पत्र उक्त जांच इस गलती को ठीक कर ले गलत का रिपोर्ट गलत/जांच कोपल उस वक्त लिखित उक्त मु.अ.स 146/2020 जांच 60/63172 अकार्य अभिलेख एवं जांच पत्र, 467, 468, 471 IPC से संबंधित सल्लत पत्रों की सहायित प्रतिलिपिमा दारिकन का रहा है।

(Name)
15/3/2021
(आणंद महारण)
A.P.O

सेवा में,

Annexure A-75

१६

344

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय
जनपद-शामली/तेराना

सा-उपर,

सादर अवगत कराया है कि दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा कुं
अ० सं० 146/20 अ-रगत द्वारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम द्वारा 420
467, 468, 471 पंजीकृत मुकदमा घाना कांधला शामली में रिमाण्ड कराया
गया था। रिमाण्ड बनते समय मुझसे रिमाण्ड व कस्टडी वारंट में धारा
420, 467, 468, 471 का उल्लेख सहवन से नहीं किया गया। तथा 60/63
72 Ex Act में कस्टडी वारंट बनाकर अभियुक्तों को जिला कारागार भेज
दिया गया। जिसकी जानकारी अगले दिन मुझे होने पर मैंने सहयक
अभियोजन अधिकारी को अवगत कराया। जिस पर सहयक अभियोजन
अधिकारी द्वारा मुझे यह तथ्य अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
के समक्ष प्रा० पत्र के माध्यम से अवगत कराने को कहा। मैंने पीठा
सीन अधिकारी को प्रा० पत्र के माध्यम से अवगत कराया व मेरे द्वारा और
सहयक अभियोजन अधिकारी के द्वारा अलग-अलग अक्रोध किया
गया। परन्तु पीठासीन अधिकारी के द्वारा संशोधन करने से इनकार
कर दिया गया। रिमाण्ड शीट व कस्टडी वारंट पर 100 की धारासं
420, 467, 468, 471 का उल्लेख न होना मेरी सहवन झल के कारण हुआ
है। अब दोनो अभियुक्तों के द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष आत्मक्षमक
किया गया है। अविद्यत में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

का० १५ अक्षयजी कुमार

P.N.O - 112664084

निम्नोक्त. S.P.O कार्यालय
शामली

दिनांक. 15.03.2024

Annexure A-76

345

न्यायालय श्रीमान J.M शामली स्थित कैराना

वाद सं०/मु०अ०सं०- 146 सन् 2020

सरकार बनाम

गुणेश झादि
धारा- 420, 467, 468, 471 i/c
बं 60, 63 Ex Act
थाना- काठ्यल

नकल:- 500 पत्र आत्मसम्पत्ति

25
12/03/2021



Date of Application 12/03/2021
Date of Notice 12/03/2021
Date of Delivery 12/03/2021
Signature of H.C.

12/3/2021



न्यायालय श्रीमान जुरैशमल मजिस्ट्रेट शामली

मु० अ० ल० 146 सन् 2020

सरकार

बनाम

गुरपैज आदि

दस्तावेज द्वारा - 420,467,468,471 आदि

व 60163. ~~EX. 854~~

धना कायला

प्रार्थना पत्र वास्तव न्यायिक भूमिरक्षा

श्रीमान जी,

उपरोक्त मु० अ० ल० प्रार्थना/दस्तावेज

के विरुद्ध कोरोना महामारी के दौरान दर्ज हुआ था

उक्त समय प्रार्थना/दस्तावेज को माननीय न्यायालय

द्वारा पेंचल पर होज गया था। तब प्रार्थना/दस्तावेज

पुनः न्यायालय में हात्मासर्पण कर अपनी जमानत

करवाना चाहते ही ऐसी दशा में उपरोक्त मु० अ०

ल० में प्रार्थना/दस्तावेज को न्यायिक भूमिरक्षा

में लिया जाना न्यायिक में आवश्यक ही

होता। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त

मु० अ० ल० में प्रार्थना/दस्तावेज को न्यायिक

भूमिरक्षा में लिया जावे।

कृपा होगी।

दि = 09-03-2021



गुरपैज आदि

(1) गुरपैज पुत्र लालसिंह

R/O इकवाल नगर मुजफ्फर

मजरा शाहपुर फतेहगढ़

साहिब पंजाब

(2) सुभाषचन्द्र पुत्र किराणा

R/O भानम सपनगर

पंजाब

दस

छत्रोकेट

सत्य प्रताप

12/03/2021

सुभाषचन्द्र/शामली



अभिप्रेत गुरपैज व सुभाषचन्द्र को न्यायिक भूमिरक्षा में लिया गया।

09/03/21

1501 By 12/3/2021

74

SM
for remand sheet
annex Gurupur and
Subhash chandra ceno-
146/20 o/s 420, 467, 468, 471
IPC & 60/63 exact as per
is determined in judicial
custody.



Anand
A.P.O
09/3/2021

Annexure A-77

347

न्यायालय श्रीमान J.M. शाहली स्थित कैराना

क्रमा सं०/ मु०अ०सं०- 146 सन् 2020

सरकार

बनाम

शु. जयराज साहू

धारा- 420, 467, 468, 471 1/2

त 60, 63 Ex-A-1

थाना- कापला

नकल:- अल्पसंख्यक पक्ष

36
12/3/21Date of notification. 12/3/2021
Date of notice. 12/3/2021
Date of disposal. 12/03/2021
Signature of J.C.

12/3/2021

आत्मसमर्पण

मु0अ0सं0 146/20 धारा 60/63EAF थाना काधला
वनाम 420/467/468/471 दि

गुरेयज

गुरेयज शोबाला सिंह R गुगल बाजरा हिमछी
गोविन्दगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब

सुभाष चन्द कृष्णा R रूपनगर हिनागल डीमा जिला सेफ
पंजाब

शरण से

देवालय धर्म

रखावी

आज दिनांक 9/3/21 को अभियुक्त उपरोक्त केस में अपने निजी धर्मों
के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त को न्यायिक
अभिरक्षा में लिया गया। आदेश हुआ अभियुक्त को धारा
167सी0आर0पी0सी0 का वारंट बनाया गया। अभियुक्त को दिनांक 9/3/21
से 23/3/21 तक रिमाण्ड स्वीकृत हुआ। जब तक अभियुक्त
जिला कारागार मु0 नगर रहेगा। अभियुक्त नियत तिथि पर जेल से अलग
हो सम्बन्धित थाने को सूचना भेजी जायेगी।



Judicial Magistrate

9/3/21

सत्य प्रतिकृति

12/03/2021

मुख्य प्रतिकृति/सामग्री

100/12/3/2021

अभि

09/03/21

सुभाष चन्द कृष्णा
R रूपनगर
पंजाब

दस्तावेज